जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना

नैनीताल, उत्तराखंड

सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट



MCPL/EMD/SIA/2019 - 20/12/05

सितम्बर 2020

मेंटेक कन्सलटेंट्स प्रा. लि.

मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन की सूची के अनुसार *QCI* मान्यता प्राप्त *EIA* सलाहकार क्र.सं. 160 / *rev.* 02/सितंबर 07, 2020

(*NABET* मान्यता प्राप्त *EIA* सलाहकार, *MoEF* और *CC* और *NABL* द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला)
पर्यावरण विभाग, *D*-36, सेक्टर-6, नोएडा-201 301, यू.पी.

फोन नं: 0120-4215000,
0120-4215807 फैक्स: 0120-4215809
ईमेल: environment@mantecconsultants.com
वेबसाईट : http://www.mantecconsultants.com

द्वारा तैयार किया गया

वर्ष - 2020

अभिस्वीकृति

सामाजिक समाघात मूल्यांकन (SIA) रिपोर्ट मैंटेक एस.आई.ए. टीम, नोएडा द्वारा किए गए गहन क्षेत्र दौरों, अध्ययन और शोध का परिणाम है। एस.आई.ए. टीम ने एस.आई.ए. सर्वेक्षण के दौरान, जन सुनवाई बैठकों और सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए अक्सर जमरानी परियोजना क्षेत्र, काठगोदाम, हल्द्वानी का दौरा किया।

हम जिला प्रशासन नैनीताल व जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यालयों के सभी कर्मियों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। परियोजना को पूर्णतया समझने एवं गहन विश्लेषण के लिए आवश्यक अभिलेख प्रदान करने हेतु हम सभी स्टाफ सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं।

हम सभी परियोजना प्रभावित परिवारों और प्रतिवादियों, स्थानीय लोगों, ग्राम प्रधानों और संघर्ष समिति सदस्यों के आभारी हैं। हम एस.आई.ए. प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्राथमिक जानकारी प्रदान करने के लिए परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य के प्रति भी आभारी हैं। उनके महत्वपूर्ण सहयोग से ही इस एस.आई.ए. रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

एच.के.शर्मा,

निदेशक, मैंटेक कनसल्टेंटस
प्रा.लि., नोएडा (यू.पी.), इंडिया

विषय - सूची

1. कार्यकारी सारांश 1

1.1 परियोजना और सार्वजनिक प्रयोजन 1

1.2 स्थान 1

1.3. भूमि अधिग्रहण का आकार और विशेषताएं 1

1.4. बाँध स्थल हेतु विकल्प 2

1.5. सामाजिक प्रभाव 2

1.6. शमन उपाय 4

1.7. सामाजिक लागतों और लाभों का मूल्यांकन 7

1.7.1. लोक प्रयोजन में मूल्यांकन 7

1.7.2. परियोजना के लाभ 7

1.7.3. प्रभावित लोगों को होने वाले तत्कालिक लाभ 8

1.7.4. सामाजिक प्रभाव और शमन के उपाय 8

1.7.5. न्यूनतम विस्थापन का विकल्प 8

1.7.6. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक प्रभाव, प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा 9

1.7.7. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की लागत का मात्रात्मक विश्लेषण 11

1.7.8. सामाजिक समाघात मूल्याकन निष्कर्ष 11

2. विस्तृत परियोजना विवरण 13

2.1. पृष्ठभूमि 13

2.2. परियोजना का इतिहास 13

2.3. परियोजना का मूल कारण 14

2.3.1. अन्य लाभ 14

2.4. परियोजना के तहत क्षेत्र और प्रभावित परिवारों एवं लोगों की स्थिति 15

2.5. स्थान और पहुँच 17
2.6. साइट के विकल्प/चुनाव 17
2.7. परियोजना की विशेषताएं 18
2.8. परियोजना के प्रमुख घटक 18
3. टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और सामाजिक समाघात मूल्यांकन की अनुसूची 19
3.1. टीम का संयोजन 19
3.2. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के उद्देश्य 19
3.3. दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली 20
3.3.1. अध्ययन के लिए दृष्टिकोण 20
3.3.2. सामग्री और विधि 21
3.4. सर्वेक्षण गतिविधियाँ और भू स्वामी / जनता के साथ परामर्श 22
3.4.1. हितधारकों के साथ परामर्श 23
3.5. शोध तकनीक और सर्वेक्षण यंत्र 24
3.6. सूचना-सामग्री (Data) का सारणीकरण और विश्लेषण (SPSS/Excel) 24
3.7. प्रारूप रिपोर्ट और सामाजिक प्रबंधन योजना की तैयारी 24
3.8. जन सुनवाई 24
3.9. अंतिम सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट 24
3.10. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकाशन 24
3.11. सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) 25
3.12. सामाजिक समाघात मूल्यांकन की अनुसूची 26
3.12.1. सर्वेक्षण कार्यक्रम 26
3.12.2. सहमति कार्यक्रम 26
3.12.3. जन सुनवाई कार्यक्रम 26

4. जन सुनवाई बैठके और सार्वजनिक परामर्श.....27
4.1. पनियाबोर गाँव.....27
4.2. तिलवाड़ी गाँव.....32
4.3. उड़वा गाँव.....38
4.4. गनराड़ गाँव.....44
4.5. पसतौला गाँव.....48
4.6. मुरकुड़िया गाँव.....55
4.7. छः गांवों के प्रभावित व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक परामर्श.....62
4.7.1. फुटपाथ/चौपाल.....62
4.7.2. धार्मिक स्थल/मंदिर.....63
4.7.3. विद्यालय.....63
4.7.4. स्वास्थ्य सुविधाएं.....63
4.7.5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान).....64
4.7.6. बाजार से जुड़ा हुआ परिवहन माध्यम.....64
4.7.7. सामुदायिक केंद्र/जन मिलन केंद्र/वन अतिथि गृह.....64
4.7.8. आर्थिक गतिविधियाँ.....64
4.7.9. सिंचाई परियोजना.....64
4.7.10. सामाजिक/धार्मिक मेलें/भंडारे.....64
5. भूमि का मूल्यांकन.....66
5.1. परियोजना के प्रभाव अंतर्गत सम्पूर्ण समाघात क्षेत्र (जो कि अधिग्रहण के लिए भूमि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं).....66
5.2. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता.....66
5.3. परियोजना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग.....67
5.4. बांध स्थल पर अपवाह क्षेत्र के उपयोग का वर्गीकरण.....67

5.5. मौजूदा और प्रस्तावित फसल पद्धति 68

6. प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों और संपत्तियों का अनुमान और गणना 71

6.1. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों का विवरण 71

6.1.1. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर किरायेदार 72

6.1.2. अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक रूप से रहने वाले आदिवासी, जिन्होंने अपना कोई भी वन अधिकार खोया है 72

6.1.3. अपनी आजीविका के लिए आम संपत्ति संशाधनो पर निर्भर रहने वाले प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग जो भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे 72

6.1.4. हैड़ाखन विश्व महा धाम हैड़ाखंडी समाज की भूमि का विवरण 72

6.2. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति 75

6.3. उत्पादक परिसंपतियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची 75

7. प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विवरण 76

7.1. परियोजना क्षेत्र के छः अपस्ट्रीम गांवों के प्रभावित परिवारों और जनसंख्या का विवरण 76

7.2. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों का विवरण 77

7.3. परियोजना क्षेत्र के गांवों में लोगों की वैवाहिक स्थिति 78

7.4. परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति 79

7.5. परियोजना क्षेत्र के छः गांवों की धार्मिक स्थिति 80

7.6. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में परिवारों के जाति श्रेणियों का विवरण 81

7.7. गांवों के प्रभावित व्यक्तियों का गरीबी स्तर 82

7.8. प्रभावित परिवारों के व्यक्तियों का व्यवसाय 84

7.9. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में किसानों के प्रकार 85

7.10. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में घरेलू जल का स्रोत 87

7.11. परिवहन के साधन 88

7.12. बहुउद्देशीय बांध निर्माण परियोजना के बारे में जागरूकता 90

7.13. परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों की विभिन्न संगठनों में सदस्यता 91
7.14. पारिवारिक रूपरेखा 93
7.15. पलायन की प्रवृत्ति 93
7.16. पारिवारिक आय स्तर 93
7.17. खाद्य सुरक्षा 93
7.18. निर्धनता का भय 93
7.19. अपराध और हिंसा 93
7.20. स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ 93
7.21. स्थानीय आजीविका में योगदान देने वाले कारक 94
7.22. पर्यावरण की गुणवत्ता 94
7.23. बिजली कनेक्शनों का विवरण 94
8. सामाजिक समाघात 97
8.1. प्रभाव की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण 97
8.2. परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभावों का विवरण 98
8.3. परियोजना प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण 100
9. लाभ और लागत विश्लेषण 106
9.1. परिचय 106
9.2. सार्वजानिक उद्देश्यों का मूल्यांकन 106
9.3. परियोजना के लाभ 106
9.4. प्रभावित लोगों को मिलने वाले तत्काल लाभ 108
9.5. सामाजिक प्रभाव और शमन के उपाय 108
9.6. न्यूनतम विस्थापन विकल्प 108
9.7. भूमि अर्जन अधिनियम (RFCTLARR) 2013 के अनुसार सामाजिक समाघात और प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा 110

9.8. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की लागत का मात्रात्मक विश्लेषण 113

9.8.1. कृषि भूमि,वाणिज्यिक / सामान्य संपत्ति संसाधन (C.P.R.) / अन्य भूमि की लागत 113

9.9. सामाजिक समाघात मूल्यांकन (S.I.A.) के निष्कर्ष 114

10. सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की बारह (12) बिंदुओं की मांगों का सामाजिक समाघात मूल्यांकन (SIA) विश्लेषण 115

10.1. शमन हेतु दृष्टिकोण 115

10.2. नकारात्मक सामाजिक समाघात को कम करने के लिए शमन के उपाय 115

10.3. जमरानी क्षेत्र के परियोजना प्रभावित परिवारों की बारह (12) सूत्रीय मांगें 120

10.4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के संदर्भ में 12 सूत्रीय मांग का सामाजिक समाघात मूल्यांकन विश्लेषण 122

10.5. परियोजना प्रस्ताव में कार्यदायी निकाय द्वारा बताए गए उपाय 128

10.6. संस्थागत संरचनाएं, लागत और मुआवजे के निर्धारण में शामिल प्रमुख व्यक्ति 129

10.6.1. भूमि या भवन से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण 129

10.6.2. तोषण 130

तालिकाओं की सूची

तालिका 1.1 जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के विभिन्न चरणों में सम्भावित सामाजिक प्रभाव 2

तालिका 1.2 शमन के उपाय 4

तालिका 1.3: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक प्रभाव, प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा 9

तालिका 1.4: अवयव जिन पर वर्तमान वर्ष के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि की लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा 11

तालिका 2.1: डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव (विभागीय सर्वेक्षण 2008 के अनुसार) 15

तालिका 2.2: प्रभावित परिवारों की संख्या और जनसंख्या का विवरण(एस.आइ.ए 2020 के अनुसार) 16

तालिका 3.1: टीम का संयोजन 19

तालिका 3.2: सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में शामिल करने के लिए सामाजिक समाघात और संबंधित शमन के उपाय 25

तालिका 3.3: सर्वेक्षण कार्यक्रम 26

तालिका 3.4: सार्वजनिक परामर्श सहमति कार्यक्रम 26

तालिका 3.5: जन सुनवाई कार्यक्रम 26

तालिका 4.1: जन सुनवाई का विवरण (पनियाबोर) 29

तालिका 4.2: जन सुनवाई बैठक का विवरण (तिलवाड़ी गाँव) 33

तालिका 4.3: जन सुनवाई बैठक का विवरण (उड़वा गाँव) 39

तालिका 4.4: जन सुनवाई बैठक का विवरण (गनराड गाँव) 45

तालिका 4.5: जन सुनवाई बैठक का विवरण (पसतौला गाँव) 48

तालिका 4.6: जन सुनवाई बैठक का विवरण (मुरकुड़िया गांव) 56

तालिका 4.7: धार्मिक स्थलों / मंदिरों का विवरण 63

तालिका 5.1: जलाशय में भूमि के डूबने या बांध से जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या (सर्वे 2008 के अनुसार) 66

तालिका 5.2: जमरानी बांध परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि व प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का विवरण 67

तालिका 5.3: बांध स्थल पर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित भूमि का भू-उपयोग वर्गीकरण 67

तालिका 5.4: भाबर उप-क्षेत्र में मौजूदा और प्रस्तावित फसल का स्वरुप 68

तालिका 5.5: तराई उप-क्षेत्र में मौजूदा और प्रस्तावित फसल का स्वरुप 69

तालिका 5.6: गैंगटिक उप-क्षेत्र में मौजूदा और प्रस्तावित फसल का स्वरुप 70

तालिका 5.7: सिंचाई के तहत उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्र 70

तालिका 6.1: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों का विवरण 71

तालिका 7.1: प्रभावित परिवारों और जनसंख्या का विवरण 76

तालिका 7.2: पुरुषों और महिलाओं की ग्रामवार जनसंख्या 77

तालिका 7.3: प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों की ग्रामवार वैवाहिक स्थिति 78

तालिका 7.4: परियोजना क्षेत्र के प्रभावित गांवों की शैक्षणिक स्थिति 80

तालिका 7.5: प्रभावित क्षेत्र के गांवों में धर्म व्यवस्था 80

तालिका 7.6: प्रभावित क्षेत्र में परिवारों की जाति श्रेणियों का ग्रामवार विवरण 82

तालिका 7.7: परिवारों की ग्रामवार सामाजिक-आर्थिक श्रेणियां 83

तालिका 7.8: प्रभावित लोगों के व्यवसाय का प्रकार 85

तालिका 7.9: प्रभावित क्षेत्र के घरों के किसानों के ग्रामवार प्रकार 86

तालिका 7.10: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में घरेलू जल उपलब्धता का ग्रामवार स्रोत 88

तालिका 7.11: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन का ग्रामवार विवरण 89

तालिका 7.12: बांध निर्माण परियोजना के बारे में स्थानीय लोगों के पास उपलब्ध जानकारी का स्रोत 91

तालिका 7.13: प्रभावित परिवारों का सदस्यता सम्बन्धी विवरण 91

तालिका 7.14: परियोजना क्षेत्र के चयनित गांव में विभिन्न संगठनों की सदस्यता वाले लोगों का विवरण 92

तालिका 7.15: परियोजना के तहत प्रभावित गांवों में बिजली कनेक्शन वाले और बिना बिजली कनेक्शन वाले घरों का विवरण 95

तालिका 7.16: उन लोगों की सूची, जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है 95

तालिका 8.1: परियोजना के विभिन्न चरणों पर सामाजिक समाघात का मूल्यांकन 98

तालिका 8.2: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न प्रभावों की सूची 101

तालिका 9.1: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक समाघात, प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा 111

तालिका 9.2 : अवयव जिन पर वर्तमान वर्ष के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि की लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा 113

तालिका10.1: विभिन्न नकारात्मक समघातों और उनके संभावित शमन और नियंत्रण के उपायों का विवरण 117

तालिका 10.2: जमरानी क्षेत्र के प्रभावित लोगों की बारह सूत्रीय मांगे 121

तालिका 10.3: प्रभावित व्यक्तियों की बारह सूत्रीय मांगे और भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में उपलब्ध तत्संबंधित मुआवजे का सामाजिक समाघात मूल्यांकन विश्लेषण 122

तालिका 10.4: भूमि अर्जन अधिनियम (RFCTLARR) 2013 की अनुसूची-2 की प्रविष्टियों का विवरण..131

तालिका 10.5: भूमि अर्जन अधिनियम (RFCTLARR) 2013 की अनुसूची-3 की प्रविष्टियों का विवरण..135

चित्रों की सूची

चित्र 2.1: परियोजना के तहत प्रभावित/ उपरी गांवों का नक्शा 17

चित्र 4.1: जन सुनवाई बैठक की तस्वीर- ग्राम पनियाबोर 32

चित्र 4.2: जन सुनवाई बैठकों की तस्वीर- ग्राम उड़वा 43

चित्र 4.3: जन सुनवाई बैठकों की तस्वीर- ग्राम गनराड़ 47

चित्र 4.4: जन सुनवाई बैठकों की तस्वीर- ग्राम पसतौला 52

चित्र 4.5: जन सुनवाई बैठकों की तस्वीर- ग्राम पसतौला 54

चित्र 4.6: जन सुनवाई बैठकों की तस्वीरें- ग्राम मुरकुड़िया 61

चित्र 4. 7: फुटपाथ / चौपाल की लंबाई किलोमीटर में 63

चित्र 4.8: परियोजना क्षेत्र के तहत स्थानीय लोगों की और एक मंदिर की तस्वीर 64

चित्र 4.9: परियोजना क्षेत्र और ए.आई.ए. टीम की तस्वीर 65

चित्र 6.1: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार 71

चित्र 6.2: परियोजना क्षेत्र में गतिविधियां 75

चित्र 7.1: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पुरुष और महिला जनसंख्या 77

चित्र 7.2: प्रभावित परिवारों में विवाहित और अविवाहित व्यक्ति 78

चित्र 7.3: प्रभावित जनसंख्या की शैक्षणिक स्थिति 79

चित्र 7.4: प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जाति श्रेणियों का विवरण 81

चित्र 7.5: परियोजना क्षेत्र में प्रभावित लोगों की आर्थिक स्थिति 83

चित्र 7.6: परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों का व्यवसाय 84

चित्र 7.7: अधिग्रहण से प्रभावित भूमि में किसानों के प्रकार 86

चित्र 7.8: घरेलू जल के स्रोत का विवरण 87

चित्र 7.9: परियोजना क्षेत्र के सभी ऊपरी क्षेत्र के गावों में परिवहन का साधन 89

संलगनको की सूची

संलगनक 1: परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों का विवरण.....137

संलगनक 2: जन सुनवाई बैठकों में भाग लेने के लिए उपस्थिति पत्रक.....153

संलगनक 3: जन सुनवाई - समाधान मसला.....169

संलगनक 4: प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली.....171

संलगनक 5: RFCTLARR अधिनियम 2013.....177

संलगनक 6: उत्तराखंड आर एंड आर नियम.....230

संलगनक 7: जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक से प्राप्त पत्र.....269

संक्षिप्त नाम

EIA:	पर्यावरण समाघात मूल्यांकन
SIA:	सामाजिक समाघात मूल्यांकन
SIMP:	सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना
PAF:	परियोजना प्रभावित परिवार
HH:	कुटुंब
UK:	उत्तराखण्ड
R & R:	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
PAP:	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
CPR	सामान्य सम्पति संसाधन
PPP:	सरकारी निजी कंपनी की भागीदारी
DC:	उपायुक्त
DM:	जिला मजिस्ट्रेट
SDM:	उप जिला मजिस्ट्रेट
RFCTLARR:	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम
BCA:	लाभ और लागत विश्लेषण

1. कार्यकारी सारांश

1.1. परियोजना और सार्वजनिक प्रयोजन

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत 130.60 मीटर ऊँचा रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बाँध के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। उक्त बाँध गोला नदी पर प्रस्तावित है। यह नदी रामगंगा नदी की सहायक है एवं इसका उद्गम कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में है। यह फ्लैशी सदानीरा नदी है एवं उत्तराखंड प्रदेश के अन्तर्गत कुमाऊं परिक्षेत्र में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना काठगोदाम में स्थित मौजूदा गोला बैराज से 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम में ग्राम जमरानी (जिला नैनीताल) के पास प्रस्तावित है। प्रस्तावित बांध स्थल पर जलग्रहण क्षेत्र 450 वर्ग किमी है। परियोजना द्वारा निर्मित उपयोगी भंडारण का प्रयोग पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

कुमाऊं मंडल का आबर क्षेत्र पूर्णतया गोला नहर प्रणाली पर निर्भर है जो कि सिंचाई एवं पेयजल प्रयोग हेतु काठगोदाम के पास गोला नदी पर निर्मित बैराज से निकलती है। क्षेत्र में उत्तरोत्तर जनसंख्या वृद्धि के कारण हल्द्वानी शहर और आसपास के गांवों में पीने की पानी की मांग भी तदनुसार बढ रही है। उल्लेखनीय है की शुष्क मौसम में नदी में पानी की मात्रा की उपलब्धता कम होने पर अधिकांश आवादी को इस कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। गोला नदी आकर्षक एवं बारहमासी बरसाती नदी है। बाढ़ के समय इस नदी में लगभग 400 क्यूमेक निस्सारण (Discharge) सम्भावित रहता है जो कि ग्रीष्म ऋतु में मात्र कुछ क्यूमेक तक ही रह जाता है गोला बैराज के अपस्ट्रीम में बाँध निर्माण के फलस्वरूप भण्डारण सृजित होने के कारण उत्तराखंड के नैनीताल जिले व उत्तरप्रदेश के रामपुर व बरेली जिलों के कृषि योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान सिंचाई प्रणाली की क्षमता में वृद्धि होगी जिस कारण 57065 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होगी जो की 158.85% से बढकर 196.88% प्रस्तावित है। इस प्रकार सिंचाई क्षमता में वृद्धि के अतिरक्त वर्तमान नहर प्रणाली एवं हल्द्वानी शहर में पेयजल व्यवस्था को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस प्रकार 57065 हेक्टेयर में सिंचन क्षमता, पेयजल हेतु 42.7 एम.सी.एम. एवं 63.4 एम.यू. वार्षिक जल विधुत उत्पादन के साथ अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भी प्रस्तावित हैं जैसे की मछली पालन, पर्यटन के प्रति आकर्षण, समीपवर्ती क्षेत्रों में भूजल का पुनर्भरण, स्थानीय लोगों हेतु रोजगार सृजन तथा अवस्थापना विकास इत्यादि। बाँध निर्माण के उपरान्त निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा एवं रोजगार के अवसर में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

1.2. स्थान

प्रस्तावित बांध 29° 16' 12.5" N अक्षांश तथा 79° 36' 45.1"E देशांतर पर स्थित हैं।

1.3. भूमि अधिग्रहण का आकार और विशेषताएं

विभागीय सर्वेक्षण वर्ष 2008 के अनुसार चयनित भूमि की माप 47.39 हेक्टेयर और 120 प्रभावित परिवार थे और एस.आई.ए. द्वारा किये गये वर्ष 2020 के सर्वे में 415 प्रभावित परिवार हैं। भूमि के क्षेत्रफल और प्रभावित परिवारों का विवरण तालिका 2.1 और 2.2 में दिया गया है।

1.4. बाँध स्थल हेतु विकल्प

जमरानी गाँव के पास वर्तमान बांध स्थल के अलावा प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए अन्य वैकल्पिक स्थलों - (i) रानीबाग, (ii) अमिया और (iii) पेनोटा-भूरिया के पास, पर भी विचार किया गया। रानीबाग, अमिया और पेनोटा के पास के स्थल काठगोदाम बैराज से लगभग क्रमशः 3 किमी०, 8 किमी० और 14 किमी० ऊपर की ओर हैं।

अन्ततः जमरानी गांव के पास वर्तमान बांध का नियत स्थान का चयन किया गया, तथा जलभराव क्षेत्र के अधिकांश अध्ययन संतोषजनक परिणाम देने वाले थे। इस स्थल पर जल ग्रहण क्षेत्र उचित प्रवाह के साथ अपेक्षाकृत बड़ा है, और तदनुसार ही जलाशय सृजित किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान स्थान को इन अध्ययन परिणामों के आधार पर चुना गया था।

1.5. सामाजिक प्रभाव

तालिका 1.1 जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के विभिन्न चरणों में संभावित सामाजिक प्रभाव

बांध निर्माण के चरण		सामाजिक प्रभाव	
चरण	प्रक्रियाएं	नकारात्मक	सकारात्मक
चरण 1	निर्माण से पूर्व	जमीन, मकान, सामुदायिक सामान्य संपति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सुविधायें, और आजीविका के विकल्पों का अधिग्रहण	-
चरण 2	निर्माण चरण	धूल और ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण, कुछ घटनाओं में, निर्माण कार्य के कारण मार्ग में रुकावट। **स्वास्थ्य संबंधित** ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चो और वृद्ध लोगों पर सीधा प्रभाव होगा जहां वे उच्च डेसीबल की ध्वनि को सहन नहीं कर सकते हैं। धूल प्रदूषण के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव हो सकते हैं। धूल जो बस्तियों में और उसके आस-पास इकट्ठा होती है, साँस लेने में समस्या पैदा करेगी, और इस प्रदूषण के कारण, सभी श्रेणी के लोग प्रभावित होंगे। पर्यावरण में धूल जमा होने के कारण इसका अतिरिक्त प्रभाव हवा व पानी की शुद्धता पर पड़ेगा।	यहां सकारात्मक प्रभाव हो सकते है क्योंकि इस अवधि के दौरान कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और बांध निर्माण पूरा होने तक अस्थायी रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

बांध निर्माण के चरण		सामाजिक प्रभाव	
चरण	प्रक्रियाएं	नकारात्मक	सकारात्मक
चरण 3	ऑपरेशन चरण	धूल के कण जो आकार में छोटे होते हैं और आबादी द्वारा साँस में लिए जा सकते हैं, खाँसना, छींकना, बुखार, अस्थमा के दौरे और आँखों की विभिन्न समस्याओं का कारण हो सकते हैं। धूल सीधे फेफड़ों के संचालन को प्रभावित करती है और कई हृदय रोग का कारण बनती हैं। आस-पास के क्षेत्रों में धूल की एक परत होगी जो छोटे कणों के कारण इमारतों और घरों को प्रदूषित करती है और परिणामस्वरूप साँस में ली जाती है। निर्माण चरण की तुलना में नौकरी का सृजन कम हो सकता है। नौकरियों के विकल्प के कारण पलायन की प्रवृत्ति विकसित होगी, और उसी को रोकने की आवश्यकता है, और क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।	**लोक कल्याण और रोजगार सृजन** जल का संग्रहण और संरक्षण- यह उत्तराखंड और यूपी के जिलों में समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभान्वित करता है। जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता- यह बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर के लिए लोगों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बिजली का उत्पादन- यह बांध निर्माण का एक अतिरिक्त लाभ है क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लक्षित क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की आपूर्ति का लाभ उठाना है। बांध पर्यटन स्थल के रूप में जनता को आकर्षित करता है और यह स्थानीय और बाहरी लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में काम करेगा और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटक गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। रोजगार का सृजन - जो भी रोजगार सृजित होगा, वह स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी होगा यदि उन्हें ऐसी नौकरियों के लिए ध्यान में रखा जाता है।

1.6 शमन उपाय

यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के गहन अध्ययन और अवलोकन में उन सभी मुआवजों और अधिकारों की सूची दी गई है जो आजीविका के नुकसान, आदि से उभरने वाले विभिन्न सामाजिक मुद्दों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

तालिका 1.2 शमन के उपाय

क्र.सं.	प्रभाव के प्रकार	प्रभाव का परिणाम	नकारात्मक सामाजिक प्रभाव के शमन और नियंत्रण के उपाय
1	जमीन का नुकसान	परियोजना स्थल के अंतर्गत की भूमि लुप्त हो जाएगी, और लोग अपनी मूल भूमि से विस्थापित हो जाएंगे।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सबसे उपयुक्त मुआवजा, और जहां आवश्यक हो, प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम लाभ का आश्वासन देने के लिए अधिकारों के बिंदुओं में •सुधार की जरूरत हैं।
2	घर / निर्मित आवासीय स्थान का नुकसान	घरों, आवासीय जगहों का नुकसान निश्चित रूप से होगा।	मुआवजे के प्रावधान भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार हैं।

क्र.सं.	प्रभाव के प्रकार	प्रभाव का परिणाम	नकारात्मक सामाजिक प्रभाव के शमन और नियंत्रण के उपाय
3	जमीन और घर दोनों का नुकसान	यहां कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जहां लोगों को परियोजना के क्षेत्र में अपनी जमीन के साथ-साथ घरों को भी खोना होगा और उन्हे विस्थापन का तनाव भी होगा।	अधिकांश नुकसान और उनके संबंधित मुआवजे अधिनियम की अनुसूची 2 और 3 के अधिकारों के बिंदुओं के अनुसार ध्यान में लिए जाएगें। इसके साथ ही उचित मुआवजे के लिए अधिकारों के बिंदुओं में सुधार करके नुकसान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
4	प्राकृतिक सम्पतियों का नुकसान	परियोजना स्थलों में उपलब्ध प्राकृतिक सम्पतियों का नुकसान होगा, और जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा।	जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जैसे या तो उन्हें परियोजना स्थलों में काम के कारण निकालना या उपयोग करना होगा। जैव ईंधन की मात्रा का मूल्यांकन कर इसे वर्तमान बाजार दर के अनुसार उसे बेचा जा सकता है। जड़ी-बूटियों और झाड़ियों, यदि स्थानान्तरणीय वृक्षारोपण हैं, तो उन्हे उसी क्षेत्र के पौधों के निवास के नए स्थलों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
5	आजीविका का नुकसान	अगर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है और लोगों को विस्थापित किया जाता है तो आजीविका के विकल्प पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यदि लोग प्रभावित भूमि पर काम कर रहे हैं और उसी भूमि पर रहते भी हैं, तो यह निवास और आजीविका दोनों का नुकसान होगा।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार आजीविका के नुकसान के लिए प्रावधान हैं, और इसके अनुसार पुनर्वास के स्थल पर निवास की सुविधा या इस तरह के प्रतिवादियों के लिए उसी या निवास के किसी अन्य क्षेत्र में नौकरी की गुंजाइश के साथ नुकसान की भरपाई की जा सकती है।
6	प्रतिवादी के स्वामित्व वाले पेड़ों का नुकसान	वृक्ष और उनसे जुड़ी जड़ी-बूटियों लुप्त हो जाएगी, जिससे प्रभावित लोग कृषि भूमि की उत्पादकता के लिए चारें, छाया, औषधीय मूल्य, सौंदर्य मूल्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण और जैविक गीली घास के रूप में लाभ उठा रहे थे।	इस तरह के संसाधनों के लिए भी मुआवजा मांगा जाता है, जिसका प्रतिवादियों द्वारा लंबे समय तक ध्यान रखा जाता है। यहां भी, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।

क्र.सं.	प्रभाव के प्रकार	प्रभाव का परिणाम	नकारात्मक सामाजिक प्रभाव के शमन और नियंत्रण के उपाय
7	सामान्य संपति संसाधनों का नुकसान	इस तरह के संसाधन जैसे फुटपाथ, चौपाल, सामुदायिक सड़क, हैंडपंप, मंदिर, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि डूब क्षेत्र में आ रहे हैं।	सामान्य संपति संसाधन जैसी सुविधाएं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार प्रदान की जाएंगी।
8	कमजोर समूहों का विस्थापन	बिना घर और जमीन के, और केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले लोग सबसे अधिक पीड़ित होंगे। अब तक, एस.आई.ए. सर्वेक्षण के दौरान, कोई भी कमजोर समूह नहीं देखा गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना जमीन के नहीं पाया गया था, हालांकि, एक व्यक्ति ने प्रभावित क्षेत्र में काम किया और अपनी आजीविका खो दी।	ऐसे लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है और प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें अधिनियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। यह एस.आई.ए. सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था कि, एक प्रतिवादी ऐसी श्रेणी में आता है, और यदि जमीन खो जाती है, तो प्रतिवादी आजीविका के लिए कहीं नहीं जा सकता।
9	सांस्कृतिक सम्पतियों की की हानि	मुरकुड़िया गांव में एक हैडाखान मंदिर है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व का है और परियोजना क्षेत्र में है।	इस तरह की संपतियों को अधिनियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, और जहां आवश्यक हो, धार्मिक महत्व के इस तरह के ढांचे की छवि को बनाए रखने के लिए अधिकारों में सुधार की मांग की जानी चाहिए।
10	महिला समूहों का विस्थापन	महिला समूह, जैसा कि गांवों में देखा गया, स्वयं सहायता समूह स्तर की नहीं है, हालांकि बैठकें आयोजित करते हैं। फिर भी, वे इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं, और इस सामाजिक लगाव का सामान्य संपति की भूमि के अधिग्रहण के बाद लोप हो जाएगा।	ऐसे किसी प्रावधान का अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि, संबंधित मुआवजा इस तरह की जरूरत को पूरा कर सकता है।। इसलिए, विभिन्न मांगों का मुआवजा अधिनियम के अनुसार होगा। और जहां मुआवजा सीमित है और प्रभावित परिवारों की मांग अधिनियम के दायरे से बाहर है तो सरकार सर्वसम्मति से उन मांगों को अधिनियम के कुछ अधिकारों को संशोधित करके पूरा कर सकती है।

बारह बिन्दुओं के मांग पत्र के एसआईए विश्लेषण और जन सुनवाई बैठकों के विवरण में अधिकारों के बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, जहां लोगों ने परियोजना स्थल में विभिन्न प्रकार की संपत्ति और प्राकृतिक संपतियों के नुकसान के बारे में अपने विशिष्ट व्यक्तिगत और सामुदायिक मुद्दों का जिक्र किया था।

*संशोधित अधिकार इस तथ्य से उचित हैं कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 वर्ष 2013 में प्रभावी हुआ था और तब से, प्रतिपूरक दिशानिर्देश अभी तक समान है, इसलिए वर्तमान वर्ष की मांगों और प्रभावित लोगों के मुद्दों के अनुसार संबंधित अधिकारों में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए।

1.7. सामाजिक लागतों और लाभों का मूल्यांकन

लागत और लाभ विश्लेषण (CBA) एसआइए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक है। उक्त विश्लेषण हेतु पर्यावरण के हर तत्व के आकलन के साथ सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय प्रभावों में क्षेत्र की पारिस्थितिकी के नुकसान की सीमा का मूल्यांकन शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, उन मार्गों में जिनमें पौधों और जानवरों को अपने जीवन चक्र के पूरा होने और पारिस्थितिक तंत्र में बने रहने के लिए उन्हें मिलजुल-कर रहने के लिए आवश्यक है, पर संभावित व्यवधान होगा।

1.7.1. लोक प्रयोजन में मूल्यांकन

प्रस्तावित जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना की पहल 1975 में शुरू की गयी। तब से, पर्यावरण पर और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर न्यूनतम प्रभाव को द्रष्टिगत रखते हुए बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए साइट की उपयुक्तता के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अनुसंधान किये गए। एक लंबी खोज और अनुसंधान के बाद अंत में, प्रस्तावित बांध निर्माण के लिए जमरानी बांध स्थल को अंतिम रूप दिया गया और परिणामस्वरूप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों के दूरदराज के इलाकों में पानी के भंडारण और वितरण के लाभों का संभावित उपयोगीकरण प्रस्तावित हुआ। परियोजना के अन्तर्गत लगभग 122 एकड़ जमरानी क्षेत्र का अधिग्रहण करना है, जहां वर्तमान में सार्वजनिक बस्ती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य जमरानी बांध का निर्माण करना है।

1.7.2. परियोजना के लाभ

काठगोदाम में गोला नदी के 470.21 MCM प्रवाह में से 208 MCM का उपयोग वर्तमान में गोला नहरों द्वारा किया जा रहा है। अवशेष पानी की मात्रा नदी में प्रवाहित होती है, जिसे अपस्ट्रीम में वर्तमान स्थान पर एक जलाशय का निर्माण करके उपयोगी रूप से संग्रहीत किया जा सकता है। संग्रहीत पानी का उपयोग उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में नहरों के कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई हेतु किया जा सकता है, जिससे 57,065 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने के साथ ही सिंचाई की तीव्रता को 158.85% से 196.88% (EIA और EMP रिपोर्ट, 2008) तक बढाया जा सकता है।

1.7.3. प्रभावित लोगों को होने वाले तात्कालिक लाभ

संबंधित परियोजना न केवल पानी की अधिकतम आवश्यकता को पूरा करती है, बल्कि पर्यटन स्थलों और इसके परिणामस्वरूप आय सृजन का भी एक स्रोत बनेगी। इसके अलावा, बांध निर्माण के लिए कुशल और अकुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी और जिससे परियोजना क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा।

7

1.7.4. सामाजिक प्रभाव और शमन के उपाय

बांध निर्माण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का उन लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा । बलपूर्वक विस्थापन से तनाव पैदा होना और अन्य स्थान पर पुनर्वास का भय बना रहता है। इस परियोजना की स्थापना से सामाजिक सामंजस्य में और उनकी भूमि के साथ भावनात्मक जुड़ाव में व्यवधान होगा। साथ ही आजीविका का नुकसान प्रभावित लोगों पर बोझ बन जाता है - उन लोगों में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग प्राथमिक हितधारक व्यक्ति हैं।

हालांकि, परियोजना स्थल के पास रहने वाले दूसरे स्तर के हितधारक व्यक्ति अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभकारी स्थिति में हैं। इस कारण से इन लोगों को परियोजना क्षेत्र के आसपास के अपने क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और भूमि और आजीविका के विकल्पों के नुकसान की आशंका के बिना स्वच्छ वातावरण का आनंद ले सकते हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के सार में, प्रभावित लोगों पर इन नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों पर हुए हर नुकसान की भरपाई भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम के दायरे में, राज्य सरकार के साथ एकमत समझौते द्वारा संभावित संशोधन लाया जाना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजा देने में कोई गड़बड़ी न हो सके।

1.7.5. न्यूनतम विस्थापन का विकल्प

यह तथ्य है कि कृषि से जुड़े लोगों और पेयजल संकट का सामना करने वाले लोगों के कल्याण के लिए काठगोदाम और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में जहां सिंचाई की समस्या बनी रहती है, वहां पानी की कमी के नियंत्रण की दिशा में एक बहुउद्देशीय बांध निर्माण परियोजना एक आवश्यक कदम है। पानी की कमी को नियंत्रण में करने के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है हालांकि, इन उपायों को पूरा करने के लिए, विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों का भूमि अधिग्रहण एक आवश्यकता बन गया है। प्रभावित लोगों के विस्थापन करने के लिए, संबंधित प्राधिकरण प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए लगभग 122 एकड़ जमीन चाहता है। भूमि अधिग्रहण के बदले में संबंधित भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार विस्थापित परिवार को पूर्ण मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

1.7.6. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक प्रभाव और प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा

तालिका 1.3: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक प्रभाव, प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा

क्र.सं.	दावा करने वाली इकाई / प्रतिवादी	सामाजिक प्रभावों और प्रतिकूल लागतों की पूरी श्रृंखला की विस्तृत सूचना	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत पात्रता के अनुसार मुआवजा / शमन उपायों की सीमा
1	खतौनी में उपाधि धारी परिवार / अभिलेख	I) घरों का नुकसान /	i) सरकार द्वारा प्रस्तावित घर या घर निर्माण के लिए एक बार की वित्तीय सहायता ii) प्रतिवादी के घर की समतुल्य लागत एवं क्षतिपूर्ति
		II) पशु शाला/ छोटी दुकानों की लागत	iii) एक बार की 25000 रुपये की सहायता
2	खतौनी में उपाधि धारी परिवार / खतौनी अभिलेख	III) भूमि की हानि (कृषि भूमि / वाणिज्यिक / गृहस्थी या कब्जे वाली कोई अन्य भूमि)	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजे के भुगतान पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा 1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार बाजार मूल्य भूमि की स्थिति के अनुसार विक्रय अनुबंध अथवा विक्रय अभिलेख के पंजीकरण के अनुसार देय होगा। अथवा समीपवर्ती क्षेत्र में समान प्रकार की स्थित भूमि का पिछले 3 वर्षों में विक्रय अनुबंध का उच्चतम 50% आधारित औसत विक्री मूल्य अथवा सरकारी निजी भागीदारी (P.P.P) या निजी कम्पनियों को सहमति के अनुसार के आधार पर किया गया भुगतान। उपरोक्त में से जो भी अधिक हो 2) साथ ही अधिनिर्णय की अधिसूचना की तारीख से 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 12 प्रतिशत ब्याज। 3) गुणांक कारक अधिनियम के अनुसार लागू किया जाएगा। - उन प्रभावित परिवार को एक बार 36,000/- रुपये का निर्वाह भत्ता जिन्हें परियोजना के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी है। - प्रति प्रभावित परिवार को 50,000/- रुपये स्थानांतरण की सहायता जिन्हे परियोजना के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी है। - प्रभावित परिवार के लिए 50,000/- रुपये का एक बार पुनर्वास भत्ता।

क्र. नं.	दावा करने वाली इकाई / प्रतिवादी	सामाजिक प्रभावों और प्रतिकूल लागतों की पूरी श्रृंखला की विस्तृत सूचना	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत अधिकारों के अनुसार मुआवजा / शमन उपायों की सीमा
3	अभिलेखों में दर्ज परिवार/ व्यक्तिगत सदस्य	IV) रोजगार / वार्षिक भत्ता	- परियोजना के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र में समुचित ट्रेनिंग देते हुए व कौशल विकास को देखते हुए रोजगार सृजित किये जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार का प्राविधान अथवा प्रभावित परिवार को एक बार एक मुश्त भुगतान के रूप में रू० 500000 अथवा वार्षिक भत्ता पालिसी के अन्तर्गत रु० 2000 प्रति माह 20 वर्षों तक उपभोगता मूल्य सूचकांक को समुचित अपडेट करते हुए भुगतान का प्राविधान।
4	निजी कर्मचारी / श्रमिक / सरकारी कर्मचारी या परियोजना क्षेत्र के भीतर से मजदूरी अर्जित करने वाला कोई कर्मचारी	V) रोजगार का नुकसान	अधिनिर्णय की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रति माह रू० 3000 का एक बार का निर्वाह भत्ता।
5	कमजोर समूह / स्वयं सहायता समूह	VI) भूमि अधिग्रहण के बाद महिलाएं और समूह जोखिम में	प्रभावित परिवार का एक वयस्क सदस्य जिसकी आजीविका प्रभावित है, कौशल विकास का हकदार होगा। इस सहायता में प्रशिक्षण की लागत भी सम्मिलित है।
6	सभी प्रभावित परिवार	VII) अप्रत्याशित / अनिश्चित प्रभाव	भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार या अनपेक्षित प्रभावों की लागत को उचित ठहराते हुए नियम समान अधिकारों का विस्तार या संशोधन।

1.7.7. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की लागत का मात्रात्मक विश्लेषण

विस्तृत सामाजिक लागत और लाभ विश्लेषण के लिए एक स्पष्ट परियोजना प्रस्ताव आवश्यक हैं । परियोजना लागत व चरण और विभिन्न अन्य संबंधित प्रक्रियाएं जिसमें प्रत्येक घटक की लागत का उल्लेख किया गया है। हालांकि, EIA रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना लागत की गणना की गई है, जो निम्नानुसार है:

(i) यूनिट I कार्यों की लागत (अर्थात, मुख्य बांध और इससे जुड़े कार्य) = रू० 203370.17 लाख

(ii) यूनिट II कार्यों की लागत (जैसे-वितरण कार्य) = रू०55039.42 लाख

(iii) कुल लागत = रू० 258409.59 लाख

अथवा रु० 2584.10 करोड़

परियोजना के लिए लाभ लागत अनुपात की गणना 1.09:1 की गई है।

हालांकि, तालिका 1.1 में विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

वर्तमान वर्ष की दरों के अनुसार कृषि भूमि की लागत एवं परियोजना के तहत अधिग्रहित कृषि भूमि की कुल लागत के लिए तालिका 1.4 का अनुसरण किया जा सकता है, तदनुसार मुआवजे की उक्त अधिनियम में उल्लिखित कार्यप्रणाली के अनुसार गणना की जा सकती है।

तालिका 1.4: अवयव जिन पर वर्तमान वर्ष के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि की लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा

* कृषि भूमि / वाणिज्यिक / अन्य अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल	** प्रति एकड़ / नाली भूमि की लागत	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की कुल लागत	*** कुल कृषि भूमि के लिए मुआवजे की लागत

* वाणिज्यिक / सामान्य संपत्ति संसाधन (CPR) के तहत परिवारों और क्षेत्र के अनुसार कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल;

** वर्तमान वर्ष की वर्तमान दरों के अनुसार भूमि की लागत;

*** भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजे की गणना

1.7.8 सामाजिक समाघात मूल्यांकन निष्कर्ष

सामाजिक समाघात मूल्यांकन का निष्कर्ष है कि विभिन्न सामाजिक लागत और पर्यावरणीय लागत अपूरणीय हैं। हालांकि, जमरानी बांध का निर्माण कई समुदायों के लोगों के कल्याण के लिए है जो बड़े पैमाने पर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालांकि, प्रभावित परिवार या व्यक्ति अपने मुआवज़े हेतु बेहतर तरीके से हकदार हैं और किसी भी स्थिति में इन्हें अवनत नहीं किया जा सकता है।

इससे आगे यह निष्कर्ष निकाला है कि परियोजना संबंधित प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए और जांच के उद्देश्य के अनुरूप है।

भूमि की मांग और अधिग्रहण परियोजना हेतु आवश्यक है तथा इसके स्थापित होने पर परियोजना क्षेत्र के तहत प्रभावित परिवारों को संबंधित क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

पुनर्वास के लिए लोगों की सहमति के बारे में सामाजिक समाघात मूल्यांकन के विश्लेषण का निष्कर्ष है कि सभी प्रभावित परिवार अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पुनर्व्यवस्थापन प्रस्ताव उनकी मांगों की पूर्ति का आश्वासन देती है।

मुआवजे के सभी लागतों का निर्धारण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 (अनुबंध-5) के अनुसार है। हालांकि, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 से वर्तमान वर्ष तक के वर्षों के अंतर को देखते हुए, वर्तमान वर्ष से संपत्ति की दरों हेतु निष्पक्ष गणना की आवश्यकता है।

2. विस्तृत परियोजना विवरण

उत्तराखंड सरकार ने जल संसाधनों के सुधार और भू-जल के लिए सिंचाई, पेयजल और वर्षा जल संचयन की समस्याओं को दूर करने के लिए बरसात के मौसम के दौरान सतही जल को संग्रहित करने के लिए राज्य की नदियों पर जलाशयों के निर्माण की संभावनाओं की तलाश के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए हैं। कृत्रिम झीलें भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थान हैं और इसका उपयोग जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। नदियों पर जलाशय का निर्माण करके, स्थानीय पर्यटन और मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

2.1. पृष्ठभूमि

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना मैं गोला नदी, जो कि रामगंगा नदी की सहायक एवं फ्लैशी सदानीरा नदी के रूप में है। इसका उद्गम कुमाउं के पर्वतीय क्षेत्र में है और भारत के उत्तराखंड राज्य में दक्षिण पूर्वी कुमाऊं से होकर बहती है। गोला नदी पर 130.60 मीटर ऊंचे रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ग्राम जमरानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड के पास मौजूदा गोला बैराज के 10 किलोमीटर ऊपर प्रस्तावित है। प्रस्तावित बांध स्थल पर जलग्रहण क्षेत्र 450 वर्ग किमी है। परियोजना द्वारा निर्मित उपयोगी भंडारण का प्रयोग पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का उपयोगी जल भंडारण लगभग 142.72 MCM है जिसमें से 42.7 MCM का उपयोग हल्द्वानी शहर के पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और शेष जल का उपयोग 57,065 हेक्टेयर पर अतिरिक्त सिंचाई के लिए किया जाएगा । साथ ही 63.4 मेगायूनिट की अनुमानित वार्षिक बिजली उत्पादन किया जायेगा जिसके लिए एक 14 मेगावाट क्षमता का बिजली घर बनाया जाना प्रस्तावित है। गोला बैराज की क्षमता बढ़ाने के लिए जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है । मई 2018 में स्वीकृत दर अनुसूची (sanctioned schedule of rates) के अनुसार स्वीकृत डिजाइन और सामग्री मात्रा के आधार पर वर्तमान अद्यतन लागत मूल्य 2584.10 करोड़ रुपये हैं जो केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुमोदित की गयी है।

2.2. परियोजना का इतिहास

1975 में, इस परियोजना को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी और योजना आयोग द्वारा तकनीकी रूप से 61.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस योजना को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा अपनी 43वीं बैठक दिनांक 18.05.1989 को 144.84 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकार किया गया था। वर्ष 1981 में गोला बैराज, 40.5 किलोमीटर लम्बी नहर प्रणाली निर्माण और लगभग 244 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का नवीनीकरण हुआ था।

2.3. परियोजना का मूल कारण

कुमाऊं इलाके का भाबर क्षेत्र पूरी तरह से गोला नहर प्रणाली पर निर्भर करता है जो सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए काठगोदाम के पास गोला नदी पर निर्मित एक बैराज से निकलता हैं। क्षेत्र में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण हल्द्वानी शहर और आस-पास के गांवों में पानी की कमी होने के कारण एक बड़ी आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा है। गोला नदी आकर्षक बारहमासी बरसाती नदी है। बाढ़ में लगभग 400 क्यूमेक डिस्चार्ज संभावित है जबकि गर्मियों में डिस्चार्ज केवल कुछ क्यूमेक तक रह जाता है। गोला बैराज के ऊपर की ओर बांध से निर्मित भंडारण लगभग 57065 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पैदा करने के साथ, उत्तराखंड के नैनीताल व उधमसिंह नगर जिलों और उत्तरप्रदेश के रामपुर व बरेली जिलों के नियंत्रण में मौजूदा सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत सिंचाई की सघनता को बढ़ाएगा। तदनुसार, हल्द्वानी शहर के लिए मौजूदा सिंचाई प्रणाली को सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान करने और घरेलू पानी की मांग को सुनिश्चित करने के अलावा, सिंचाई की तीव्रता 158.85% से बढ़कर 196.88% होगी। 57065 हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र, पेयजल हेतु जल संग्रहण, 63.4 एमयू (मिलियन यूनिट) का वार्षिक बिजली उत्पादन के अलावा, इस परियोजना में विभिन्न अप्रत्यक्ष लाभ प्रस्तावित हैं जैसे मछली पालन, पर्यटन के प्रति आकर्षण, आसपास के क्षेत्र में भूजल का पुनर्भरण, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ाना, क्षेत्र का ढांचागत विकास, आदि। जमरानी बांध के निर्माण के बाद, रोजगार के अवसर और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से बदलाव आएगा।

2.3.1. अन्य लाभ

1. सिंचाई लाभ: परियोजना के कारण पैदा की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 570,65 हेक्टेयर है, जिससे सिंचाई की तीव्रता 158.85% से बढ़कर 196.88% हो जायगी।

2. हल्द्वानी-काठगोदाम और भाबर क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु वर्ष 2051 तक की अनुमानित जनसंख्या को आधार मानते हुए लगभग 117 MLD (42.70 दस लाख घन मीटर) पानी की आपूर्ति की जाएगी।

3. एक अतिरिक्त लाभ यह है कि जमरानी परियोजना से 14 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए क्षमता का सृजन होगा। देश की सीमाओं के पास पिछड़े क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने के उद्देश्य से उद्योगों के लिए सरकार ने पहले से ही प्राथमिकता और प्रोत्साहन निर्धारित किया है।

4. जमरानी बांध परियोजना में पूरे तालाब के स्तर पर 4.52 वर्ग कि.मी. पानी का फैलाव होगा जो बड़े पैमाने पर मछली पालन की व्यापक क्षमता को उजागर करेगा।

5. जमरानी बांध के निर्माण से, उद्योग और बाजार केंद्रों का विकास होगा जो अधिक रोजगार को बढ़ावा देंगा और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

2.4. परियोजना के तहत क्षेत्र और प्रभावित परिवारों एवं लोगों की स्थिति

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठगोदाम से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित, (मौजूदा गोला बैराज के ऊपर) गोला नदी पर 130.60 मीटर ऊँचे एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। संगृहीत जल का एक हिस्सा सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा नहर प्रणालियों (परियोजना के प्रथम चरण के दौरान निर्मित) में जारी किया जाएगा। बांध के निर्माण से कुछ जल जमीन में रिस जाएगा और भूजल स्तर को बढ़ाएगा, और साथ ही आसपास के क्षेत्र में ट्यूबवेलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और पानी के भंडारण से भूजल को बढ़ाने में मदद मिलेगी और नीचे की ओर प्राकृतिक जल स्रोत में वृद्धि होगी। पर्यटन और मछली पालन भी विकसित किया जा सकता है। प्रस्तावित बांध के निर्माण से परियोजना के छः अपस्ट्रीम गांव सीधे प्रभावित होंगे। निम्न तालिका में जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विवरण दिया गया है। गांवों का संक्षिप्त जनसांख्यिकीय विवरण निम्नानुसार है (तालिका 2.1 और 2.2):

तालिका 2.1: डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव (विभागीय सर्वेक्षण 2008 के अनुसार)

क्र.सं.	गाँव का नाम	आवश्यक कृषि भूमि (हेक्टेयर)	प्रभावित परिवारों की संख्या	गाँव की आबादी
1	तिलवाड़ी	3.89	13	77
2	मुरकुड़िया	20.8	52	384
3	गनराड़	9.1	12	57
4	पनियाबोर	4	12	65
5	उड़वा	2.8	1 1	67
6	पस्तोला	6.8	20	112
	कुल	**47.39**	**120**	**782**

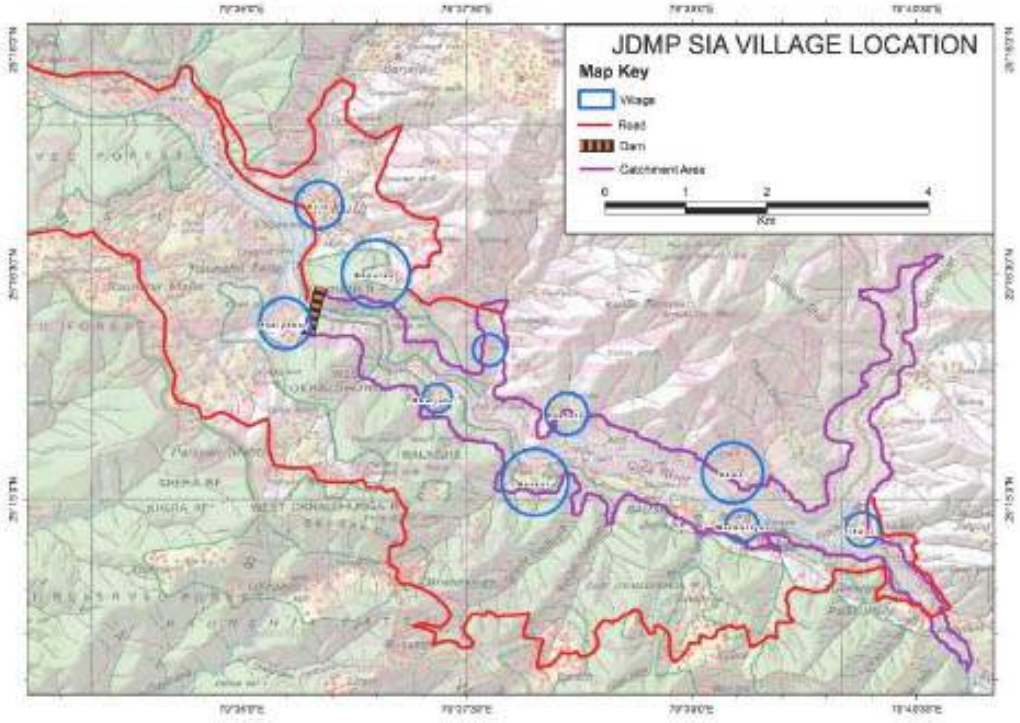
तालिका 2.2: प्रभावित परिवारों की संख्या और जनसंख्या का विवरण (एस.आइ.ए. 2020 के अनुसार)

क्र.सं.	गाँव	कुल प्रभावित परिवार	कुल आबादी (परिवारों का विवरण संलग्नक-1 में वर्णित हैं)
1.	तिलवाड़ी	95	235
2.	मुरकुड़िया	142	301
3.	उड़वा	56	133
4.	पस्तोला	62	165
5.	गनराड़	30	71
6.	पनियाबोर	30	60
	कुल	415	965

2.5. स्थान और पहुँच

परियोजना में 130.60 मीटर ऊंचे रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित बांध का, अक्षांश 29º 16' 12.5" N, देशान्तर 79º 36' 45.1" E पर स्थित हैं।

मानचित्र 2.1: परियोजना के तहत प्रभावित/ उपरी गांवों का नक्शा



2.6. साइट के विकल्प/ चुनाव

जमरानी गाँव के पास वर्तमान बांध स्थल के अलावा प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थलों को (i) रानीबाग, (ii) अमिया और (iii) पेनोटा-भूरिया के पास चिन्हित किया गया। रानीबाग, अमिया और पेनोटा के पास के स्थल काठगोदाम वियर से लगभग क्रमशः 3 किमी, 8 किमी और 14 किमी ऊपर की ओर हैं। आगे दो स्थलों पर भू-वैज्ञानिक और अन्य जांच की गयी जो कि कलसा नदी व गोला नदी के संगम के नीचे गोला नदी में ग्राम भूरिया के पास क्रमशः किमी॰ 1.2 और किमी॰ 1.6 पर स्थित है। संगम से उपर कलसा नदी पर क्रमशः 5 किमी॰, 10 किमी॰ और 15 किमी॰ पर स्थित कांठ, मलवा ताल और अलचौना गाँव के स्थलों की भी जांच की गयी।

रानीबाग, अमिया और पेनोटा के पास के स्थलों को क्रोल थ्रस्ट से निकटता के कारण छोड़ दिया गया था। भूकंपीयता दृष्टिकोण को देखते हुए, इन विकल्पों को छोड़ दिया गया। आगे उत्तर की ओर (कलसा नदी पर) अन्य स्थानों पर तीव्र ढलान और संकरी घाटी के साथ बहुत कम जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो जलाशय निर्माण के लिए अनुपयुक्त है। परिणामस्वरूप, इन विकल्पों में कम लाभदायक थीं, जो प्रस्तावित परियोजना गैर-आर्थिक रूप से प्रस्तुत करती थी। आखिरकार, जमरानी गांव के पास वर्तमान बांध स्थल का चयन किया गया, और चयनित स्थल पर किये गए अध्ययन के आधार पर

संतोषजनक परिणाम देने वाले थे। जलग्रहण क्षेत्र उचित प्रवाह (runoff) के साथ अपेक्षाकृत बड़ा है। इस प्रकार, वर्तमान स्थान को इन अध्ययन परिणामों के आधार पर चुना गया।

2.7. परियोजना की विशेषताएं

जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत गोला नदी में एक मुख्य बांध, बिजलीघर और नदी के अपस्ट्रीम (Upstream) व डाउनस्ट्रीम (Downstream) में 2 काफ़र बांध प्रस्तावित हैं। गोला नदी के साथ लगभग 9 किमी और लुगर गाड में लगभग 1.3 किमी तक फैलाव के साथ बांध 635m और 763.6m की ऊंचाई के बीच पानी को संग्रह करेगा। जलाशय का पानी लगभग 452 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा।

2.8. परियोजना के प्रमुख घटक

- मुख्य बांध
- दो कॉफर बांध
- जलाशय
- डायवर्सन घटक
- डायवर्सन डक्ट / सुरंग
- स्पिल्लवे गेट
- काठगोदाम में गोला बैराज
- बिजलीघर और इंटेक
- ट्रांसमिशन लाइन
- स्विच यार्ड
- साइट तक पहुँचने वाली सड़के, परियोजना नियंत्रण व रखरखाव सुविधाओं सहित अन्य सुविधाएं
- अस्थायी निर्माण-संबंधित परियोजना घटक।

3. टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और सामाजिक समाघात मूल्यांकन की अनुसूची

3.1. टीम का संयोजन

तालिका 3.1: टीम का संयोजन

क्र.सं.	नाम	विशेषज्ञता	योग्यता
1	डॉ. राम चंद्र	सामाजिक-आर्थिक अध्ययन और वन समुदाय और पारिस्थितिकी	पी.एच.डी.
2	श्री जयदीप सिंह	मानचित्रकारी, सुदूर संवेदन, जीआइएस और सामाजिक-आर्थिक	एम.ए. भूगोल
3	श्री विकाश सिंह मौर्य	सामाजिक और शैक्षिक इतिहास	एम.ए समाजशास्त्र
4	श्री जितेन्द्र कुमार	सर्वेक्षण कर्ता	बी.कॉम
5	श्री शिव शंकर कुमार	सर्वेक्षण कर्ता	बी.टेक
6	श्री अमित सिंह	सर्वेक्षण कर्ता	बी.टेक
7	श्री प्रभात रंजन दता	सर्वेक्षण कर्ता	एम.एससी

3.2. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के उद्देश्य

1) इस बात का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण एक सार्वजनिक प्रयोजन है।

2) प्रभावित परिवारों का आकलन और उनके बीच उन परिवारों की संख्या जिनके विस्थापित होने की संभावना है।

3) प्रभावित होने वाले क्षेत्र में प्रस्तावित अधिग्रहण होने वाली भूमि (सार्वजनिक और निजी) घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपतियाँ।

4) क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यक सीमा है।

5) क्या किसी वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण का विचार किया गया है जो संभव नहीं पाया गया,

परियोजना के सामाजिक समाघतों का अध्ययन, उसका स्वरूप और उनके समाधान करने की लागत तथा परियोजना की कुल लागत पर इन लागतों का प्रभाव व इसकी तुलना में परियोजना के लाभ।

6) विभिन्न घटकों पर परियोजना के प्रभावों का अध्ययन जैसे कि प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपतियाँ, बुनियादी ढांचे विशेष रूप से सड़कें,

सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी, स्वच्छता, पीने के पानी के स्रोत, मवेशियों के लिए पानी के स्रोत, सामुदायिक तालाब, चारागाह भूमि, वृक्षारोपण, सार्वजनिक उपयोगिताएं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें, खाद्य भंडारण, गोदाम, बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, आंगनवाड़ियाँ, बच्चों के पार्क, पूजा स्थल, पारंपरिक आदिवासी संस्थानों के लिए भूमि और कब्रगाह-श्मशान भूमि।

7) उपरोक्त निर्दिष्ट घटक विशेष पर प्रभाव का पता करने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को सूचीबद्ध करने के लिए सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को तैयार करना व उक्त उपाय ऐसे होंगे जो उस क्षेत्र में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी योजना या कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए उपायों से कम नहीं होने चाहिए।

8) प्रभावित परिवारों के विचारों को दर्ज करने और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विचारों का पता लगाने के लिए, जनसुनवाई की तारीख, समय और स्थल के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के बाद प्रभावित गांवों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना।

9) सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक प्रबंधन योजना का स्थानीय भाषा में प्रकाशन करना एवं इसे संबंधित जिला पंचायतों, नैनीताल के जिला कलक्टर कार्यालय, नैनीताल के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, जन प्रतिनिधि, सांसद, विधायक आदि के साथ साथ प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाना, साथ ही सिंचाई विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना।

3.3. दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में मुख्य रूप से मात्रात्मक, गुणात्मक उपकरण और तकनीक को शामिल किया गया । अध्ययन तीन चरणों में पूरा किया गया, सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ, सर्वेक्षण गतिविधियाँ (डेटा संग्रह, जनसहमति व जन सुनवाई) संकलन और विश्लेषण, रिपोर्ट की तैयारी और रिपोर्ट का प्रकाशन। प्रत्येक चरण कर्मठता के साथ निर्धारित समयावधि में किया गया।

3.3.1. अध्ययन के लिए दृष्टिकोण

- परियोजना स्थल के मौजूदा परिदृश्य का आकलन करने के लिए अतिरिक्त अनुसंधान और साहित्य समीक्षा के साथ-साथ भारत की जनगणना के आंकड़े और अन्य अधिकृत स्रोतों से सहायता ली गयी ।
- प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने का उद्देश्य उनका अध्ययन एवं चर्चा था।
- परियोजना के कारण संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों से जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण नमूनों की पहचान की गई।
- इसके अलावा, परियोजना से प्रभावित लोगों, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों, संबंधित सरकारी अधिकारियों आदि से सार्वजनिक रूप से परामर्श और संबंधित चर्चा की गई।

- अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू समुदाय भागीदारी व उन्हें सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया को समझने के साथ साथ सहभागितापूर्ण मूल्यांकन करना रहा।
- आकड़ो का विश्लेषण और विवेचन करना
- सामाजिक प्रबंधन योजना (प्रारूप और अंतिम) और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करना।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक प्रबंधन योजना का स्थानीय भाषा में प्रकाशन व उन्हें संबंधित जिला पंचायतों, नैनीताल के जिला कलक्टर कार्यालय, नैनीताल के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, जन प्रतिनिधि, सांसद, विधायक आदि के साथ साथ प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाना।
- सिंचाई विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी अपलोड करना।

3.3.2. सामग्री और विधि

शुरुआती बैठक: कार्य दायित्व निर्धारण- जिसमें विशेषज्ञों का परिचय, उनके दायित्व, प्रस्तावित कार्यविधि एवं सूची तथा प्रतिपादकों के मुख्य संपर्क बिंदुओं को चिन्हित करने से पूर्व परियोजना प्रतिपादकों के साथ एक शुरुआती बैठक (परस्पर सहमत होने के लिए) आयोजित की गई।

दस्तावेज़ अनुरोध: शुरुआती बैठक के आधार पर टीम लीडर द्वारा निर्दिष्ट कार्य के लिए अनुरोधित दस्तावेज़ की सूची का मिलान व उसे साझा किया गया।

परियोजना के साहित्य का संग्रह और समीक्षा: इस चरण का उद्देश्य गतिविधियों के दायरे को समझने के लिए उपलब्ध साहित्य को इकट्ठा करने व भू-स्वामियों और परियोजना-प्रभावित लोगों को पहचानना और उनसे परिचित होना था। इसमें दो-आयामी दृष्टिकोण शामिल थे:

(अ) परियोजना कार्यान्वयन अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों के साथ उन मौजूदा दिशानिर्देशों और तकनीक पर चर्चा जो सामाजिक समाघात मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्य में और साथ ही रिपोर्ट की तैयारी के समय अपनाए गए।

(ब) उपलब्ध सुसंगत परियोजना साहित्य का संग्रह किया गया। संपति के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सार्वजनिक विचार-विमर्श किया गया। साहित्य की समीक्षा और परामर्श की सहायता से भू स्वामियों व परियोजना प्रभावित लोगों की पहचान की गयी।

तीव्र प्राथमिक परीक्षण सर्वेक्षण (क्षेत्रीय गतिविधियों से परिचित होने के लिए): समीक्षा और परामर्श के बाद, जमीनी सच्चाई जानने हेतु प्रयास के रूप में प्रारंभिक क्षेत्र का दौरा तीव्रता पूर्वक किया गया। इसने क्षेत्र अध्ययन की तैयारी के लिए आधार प्रदान किया और प्रश्नावली व जाँच-सूचियों के परीक्षण में मदद की।

कार्यक्षेत्र और अन्य सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ: समीक्षा और तीव्र प्राथमिक सर्वेक्षण, दोनों ने अंतिम कार्य प्रणाली और कार्य योजना का विवरण देने वाले अध्ययन के तरीकों और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में मदद की।

3.4. सर्वेक्षण गतिविधियाँ और भू स्वामी / जनता के साथ परामर्श

परियोजना की वर्तमान स्थिति, संभावित रूप से प्रभावित आबादी के जीवन स्तर, उनकी संपत्ति और आजीविका के स्रोतों पर प्रस्तावित परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को जानने के लिए अपस्ट्रीम (upstream) के प्रभावित गाँवों में सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा आबादी के क्षेत्र को शत-प्रतिशत आच्छादित किया गया। कमजोर समूहों जैसे महिलाओं, वृद्धों और जाति / जातीय समूहों आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। यह उन संपतियों की सूची को एकत्र करने के लिए सक्षम था जो प्रस्तावित विकास परियोजना के कारण प्रभावित होने वाली थीं। भूमि, संरचनाओं और अन्य संपतियों की भौतिक पहचान शुरू करने से पहले, संबंधित अधिकारियों के साथ भूमि और संरचनाओं के स्वामित्व के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

आर्थिक विश्लेषण के लिए लोगों की आय स्तर व उनके व्यवसाय और कृषि, पर्यटन आदि पर निर्भरता सहित आर्थिक स्थितियों पर जानकारी इकट्ठी की गई। सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक स्वरूप में बदलाव का अध्ययन कर चिन्हित किया गया।

सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आंकड़े एकत्र किए गए। परिवार के मुखिया या परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य और अन्य संबंधित भू-स्वामियों के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई।

सर्वेक्षण के दौरान आंकड़े (Data) निम्न स्वरूप में एकत्र किये गए :-

a. वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
b. पारिवारिक संरचना , उनके नाम, उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता, धर्म, जाति आदि के साथ परिवार के सदस्यों की संख्या।
c. व्यवसाय प्रकार, आय के स्रोत और आय के स्तर।
d. घरेलू संपत्ति की सूची।
e. वानिकी और कृषि गतिविधियों की जानकारी।
f. शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी।
g. पीने के पानी के स्रोत।
h. सामुदायिक संसाधनों तक पहुँच।
i. सामाजिक कल्याण के लिए वर्तमान अवस्थापना सुविधाएं।
j. क्षेत्र में सामाजिक विकास गतिविधियों के बारे में सामाजिक जागरूकता संबंधी जानकारी|
k. संवेदनशील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी।
l. आर्थिक गतिविधियों, वन उपज पर स्थानीय लोगों की निर्भरता और वन भूमि पर अन्य गतिविधियों की जानकारी।

m. क्षेत्र में संचार सुविधा की जानकारी।

n. बाजार से जुड़े परिवहन माध्यम की जानकारी।

o. प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी।

p. प्रभावित लोगों द्वारा दी जाने वाली सहमति के बारे में जानकारी।

q. भूमि अधिग्रहण के बारे में सरकार के साथ बातचीत संबंधी जानकारी।

r. प्रभावित लोगो के लिए सरकार के प्रस्ताव की जानकारी।

s. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर मिलने वाले हकदारी प्राविधानों का अध्ययन।

t. वैकल्पिक आजीविका के बारे में जानकारी।

u. प्रभावित भूमि, संसाधनों और किसी भी अन्य स्रोत से सम्बंधित जानकारिया जो बांध निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हों।

3.4.1. हितधारकों के साथ परामर्श

परियोजना प्रभावित लोगों की पहचान के आधार पर, कार्यक्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान हितधारक का मानचित्रण किया गया, सभी परियोजना प्रभावित लोगों, संभावित हितधारक - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और साथ ही अनौपचारिक लोगों के साथ परामर्श आयोजित किए गए। सभी संभावित रूप से प्रभावित गांवों से सार्वजनिक परामर्श जुटाए गए और हितधारक के परामर्श से सुनिश्चित किया गया कि परियोजना के विविध दृष्टिकोण और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों का प्रतिनिधित्व रहे उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को लेकर, परियोजना से प्रस्तावित समुदाय के सभी भू-स्वामियों और वहाँ रहने वाले लोगों के साथ ही साथ विभिन्न समूहों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को मूल्यांकन कर समूहों के एक उन्मुखीकरण से पहले ही परामर्श से प्राप्त प्रमुख उद्देश्यों को लिख लिया गया।

जनता और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से, परियोजना से संबंधित उनकी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में कि वे कैसे सोचते हैं कि उनके प्रभावित होने की संभावना है और विभिन्न परियोजना के भागों से संबंधित प्रत्येक श्रेणी के भू-स्वामी की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और कार्य, उनकी मूल्यांकन संबंधित योजनाओं और परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों के अनुभव का एक विश्लेषण किया गया। इसने संसाधन की पहुंच और लाभ-बंटवारे, प्रबंधन में भूमिका, योजना और कार्यान्वयन के मामले में परियोजना से हितधारकों की उम्मीदों को सामने लाया।

3.5. शोध तकनीक और सर्वेक्षण यंत्र

विभिन्न सामाजिक शोध तकनीक का नियोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि अध्ययन से संबंधित सभी मापदंडों का पर्याप्त रूप से समाधान हो सके ताकि सार्थक परिणाम विकसित किए जा सकें। संपूर्ण शोध सामाजिक अनुसंधान तकनीकों के उपयुक्त मिश्रण के माध्यम से किया गया, जिसमें सूचनाओं की समीक्षा के माध्यम से डेस्क अनुसंधान, संबंधित सरकारी विभाग और परियोजना अधिकारी शामिल रहे। गाँव और घर के सर्वेक्षण के लिए अलग-अलग प्रश्नावली का उपयोग कर संरचित और अर्ध-संरचित साक्षात्कार आयोजित करने के साथ ही समुदाय के लोगों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ सामूहिक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

परियोजना प्रभावित लोगों और संभावित भू-स्वामी से जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नावली, चेकलिस्ट और फ़ोकस समूह चर्चा जैसे विभिन्न तकनीक का उपयोग कर अध्ययन किया गया।

3.6. सूचना-सामग्री (Data) का सारणीकरण और विश्लेषण (SPSS/Excel)

प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से सूचना-सामग्री संग्रह करने के बाद कंप्यूटर प्रणाली में इसका संकलन और विश्लेषण का कार्य किया गया। कंप्यूटर प्रणाली में सूचना-सामग्री प्रविष्टि के बाद, उचित सांख्यिकीय सॉफ़्टवेयर (SPSS/Excel) और तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण और विवेचना की गई।

3.7. प्रारूप रिपोर्ट और सामाजिक प्रबंधन योजना की तैयारी

प्रभावित परिवारों से एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण से प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई। अंत में, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं और उनके संबंधित शमन के उपायों को शामिल कर सामाजिक प्रबंधन योजना को तैयार किया गया।

3.8. जन सुनवाई

परियोजना क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य करने के बाद चयनित गांवों को जन सुनवाई की सूचना दी गई और भू-स्वामीयों को परियोजना के बारे में बताया गया और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में उनकी सहमति और मांगों को शामिल किया गया।

3.9. अंतिम सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट

सार्वजनिक सुनवाई के आउटपुट और महत्वपूर्ण वक्तव्यों को अंतिम सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।

3.10. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकाशन

सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक प्रबंधन योजना को स्थानीय भाषा में प्रकाशित कर संबंधित जिला पंचायतों, नैनीताल के जिला कलक्टर कार्यालय, नैनीताल के उप-मजिस्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, जन प्रतिनिधि, सांसद, विधायक आदि के साथ साथ प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाना है, साथ ही सिंचाई विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

3.11. सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP)

जमरानी बांध निर्माण से होने वाले नकारात्मक सामाजिक समाघातों (तालिका 3.2) को कम करने के लिए एक सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार की गई। यह मुख्य रूप से वर्तमान परियोजना के निर्माण और परिचालन चरणों के शमन उपायों को इंगित करता है। सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का उद्देश्य है कि अध्ययन के तहत नकारात्मक प्रभावों को कम करना और परियोजना में सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना। किसी भी मुद्दे को उभरने से रोकने हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 2013 और उत्तराखंड आर. एंड आर. नियम 2015 का पालन किया जाएगा।

तालिका 3.2 : सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में शामिल करने के लिए सामाजिक समाघात और संबंधित शमन के उपाय

क्र.सं.	सामाजिक समाघात के प्रकार	अधतन स्थिति हाँ/ नही	प्रस्तावित निवारक या शमनकारी उपाय (अनिवार्य प्रस्ताव- घर के साथ-साथ कृषि भूमि के नुकसान से प्रभावित लोगों को मुआवजा) भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार
1.	भूमि का नुकसान (कृषि / वाणिज्यिक)		
2.	संपति का नुकसान (मकान आदि)		
3.	प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान		
4.	आजीविका का नुकसान (कृषि रोजगार आदि।)		
5	सामूहिक संपति/ संसाधनों का नुकसान		
6.	समूहों के लिए संसाधनों का नुकसान		
7.	किसी अन्य संपति का नुकसान जिसके द्वारा गाँव के लोग अत्यधिक पीड़ित हैं		
8.	समाज के महत्वपूर्ण कर्मियों और समूहों का विस्थापन (कमजोर समूह, जल समूह या वृक्षारोपण समूह आदि)		

3.12. सामाजिक समाघात मूल्यांकन की अनुसूची

निम्नलिखित तालिकाओं 3.3, 3.4 और 3.5 में तीन कार्यक्रम दिए गए हैं, सर्वेक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक परामर्श सहमति कार्यक्रम और जन सुनवाई कार्यकर्म। प्रत्येक गतिविधि के लिए तारीखों का उल्लेख प्रत्येक तालिकाओं में किया गया है।

3.12.1. सर्वेक्षण कार्यक्रम

तालिका 3.3: सर्वेक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	गाँव का नाम	से	तक	दिन
1	मुरकुड़िया	22/01/2020	27/01/2020	05
2	तिलवाड़ी	28/01/2020	30/01/2020	03
3	उड़वा	31/01/2020	02/02/2020	03
4	पसतौला	03/02/2020	05/02/2020	03
5	गनराड़	06/02/2020	07/02/2020	02
6	पनियाबोर	08/02/2020	09/02/2020	02

3.12.2 सहमति कार्यक्रम

तालिका 3.4: सार्वजनिक परामर्श सहमति कार्यक्रम

क्र.सं.	गाँव का नाम	से	तक	दिन
1	मुरकुड़िया	23/02/2020	25/02/2020	03
2	तिलवाड़ी	26/02/2020	27/02/2020	02
3	उड़वा	28/02/2020	28/02/2020	01
4	पसतौला	29/02/2020	01/03/2020	02
5	गनराड़	02/03/2020	02/03/2020	01
6	पनियाबोर	03/03/2020	03/03/2020	01

3.12.3 जन सुनवाई कार्यक्रम

तालिका 3.5: जन सुनवाई कार्यक्रम

क्र.स.	गाँव का नाम	से	तक	दिन
1	पनियाबोर	05/03/2020	05/03/2020	01
2	गनराड़	06/03/2020	06/03/2020	01
3	पसतौला	07/03/2020	07/03/2020	01
4	उड़वा	08/03/2020	08/03/2020	01
5	तिलवाड़ी	12/03/2020	12/03/2020	01
6	मुरकुड़िया	13/03/2020	13/03/2020	01

4. जन सुनवाई बैठकें और सार्वजनिक परामर्श

4.1. पनियाबोर गांव

स्थान : पनियाबोर गाँव

तिथि: 5 मार्च 2020

प्रयोजन: "जमरानी बांध परियोजना के प्रस्तावित डूब क्षेत्र के अंतर्गत पनियाबोर गाँव के प्रभावित लोगों के **विस्थापन** और संबंधित मांगों की सहमति के लिए प्रस्तावित जन सुनवाई"।

उपकरण और सुविधाएं: पेशेवर फोटोग्राफर, ऊंची ध्वनि के लिए माइक, जलपान व बैठने की व्यवस्था।

जन सुनवाई का प्रारम्भ बैठक में उपस्थित जमरानी के अधिकारियो, एस.आइ.ए. टीम के सदस्यों और पनियाबोर के निवासियों के विवरण को उपस्थिति पत्रक पर अंकित करके हुआ। एस.आइ.ए. टीम के सदस्य, श्री जयदीप ने जनसुनवाई को सुगम बनाने हेतु एस.आई.ए. सुविधा प्रदान की और एस.आइ.ए. प्रक्रिया के संक्षिप्त परिचय के साथ वक्तव्यों को स्पष्ट किया एवं तदोपरांत जमरानी बहुउद्देशीय बांध के लिए चल रही परियोजना की अपेक्षित आवश्यकताओं के लिए, सहमति पत्रों और उससे संबंधित कारणों पर चर्चा की । उसके बाद, गाँव के लोगों ने अपनी बेहतर आजीविका और पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्थानों और उनकी उपयोगिताओं पर बोलना शुरू किया। लोगों ने अपने पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए सरकारी योजनाओं में देरी के प्रति असंतुष्टि भी दिखाई। जनसुनवाई बैठक के प्रारंभ में श्री बी.बी. पांडे ने भुमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत लोगों के विभिन्न अधिकारों को अवगत कराया। हालांकि, इसे पूरा करने से पहले, गाँव के लोग अपने पुनर्वास के लिए एक उचित सरकारी योजना को जानने के लिए अडिग थे और इसके बाद एक-एक कर प्रश्न सत्र प्रारम्भ हो गया, और इस प्रक्रिया के तहत, प्रतिवादियों ने अपनी मांगों पर बोलना शुरू किया जैसा की निम्नलिखित हैं :

प्रतिवादी **1:**

"जमरानी बांध का हस्तक्षेप वर्ष 1971 से जारी है, और यह उत्तराखंड सरकार को सूचित किया गया था। हमने प्रशासन को मांगों के 12 बिंदु प्रस्तुत किए थे और हमें उन बिंदुओं के आधार पर कोई समाधान नहीं मिला है। हमें लगता है कि इसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया है और इसका अब तक कोई समाधान नहीं दिया गया है। मैं केवल अपने गांव के पक्ष में नहीं, बल्कि सरकार के पक्ष में भी हूँ। हमें लगता है कि इस गांव में लोगों को बेहतर जगह, अच्छी नौकरी और अपने जीवन यापन के लिए हर सुविधा मिलनी चाहिए।

प्रतिवादी ने आगे कहा कि 'जिसके पास पनियाबोर पंचायत का प्रत्येक दस्तावेज है और उसका नाम उस दस्तावेज में उल्लिखित है, तो वह उस गांव के अधिवास के रूप में पंजीकृत है और वे जो परियोजना के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके विस्थापन के मामले में वह हर लाभ लेने का हकदार है। '

हम किसी भी तरह से नगद धनराशि के बदले में अपनी जमीन नहीं देंगे, और ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है।

हमें भाबर में जगह दी जानी चाहिए, और हम तराई क्षेत्र में विस्थापित नहीं होना चाहते हैं।

जिस भी योजना के तहत सरकार हमें विस्थापित करती है, हमें वो लिखित में चाहिए और हमारी मांगों और विस्थापनों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई रहस्य नहीं होना चाहिए।

सरकार के द्वारा हमारे विस्थापन के अलावा, हम केवल प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अपना स्थान छोड़ सकते है, और केवल विस्थापन के लिए नहीं। कुछ असुविधाओं के अलावा, पनियाबोर में हमारे यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। पुनर्वास क्षेत्र में रहने के लिए, बीमारियों और विभिन्न अन्य कठिनाइयों का सामना करना होगा।

इसके अलावा, हमें पनियाबोर के लोगों की ओर से रहने के लिए मुद्दों पर गहन चर्चा करने के लिए समझौतों और विचारों के आदान-प्रदान और बैठकों के लिए समय नहीं दिया गया है।

जमरानी के अधिकारी श्री बी.बी. पांडे ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें मांगों पर सहमति और विचार विमर्श करने के लिए कुछ और समय दिया जाएगा।

12 बिंदुओं के मांग पत्र पर चर्चा करने वाले अन्य सभी प्रतिवादियों का विवरण तालिका संख्या 4.1 में नीचे दिया गया है।

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।

तालिका 4.1: जन सुनवाई का विवरण (पनियाबोर)

क्र.सं.	प्रतिवादियों के नाम	पनियाबोर गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
1.	प्रतिवादी (दूसरा)	परियोजना स्थल से लोगों के विस्थापन के संदर्भ में 12 बिन्दुओं की मांग	अब तक प्रभावित लोगों की 12 बिन्दुओं की मांग पर विचार की पहल नहीं की गई	पनियाबोर के लोगों की मांगों पर बिन्दुवार चर्चा और औचित्य के लिए एक विशिष्ट और पारदर्शी एवं स्पष्ट योजना को प्रभावित लोगों के सामने रखा जाना चाहिए।
2.	प्रतिवादी (तीसरा)	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का स्थान	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के स्थलों की अन्तिमीकरण पर कोई विशेष पहल नहीं। हालांकि, प्रभावित लोगों के साथ पुनर्वास के चार स्थलों पर चर्चा की गई है।	पुनर्वास स्थलों के अन्तिमीकरण हेतु विशेष और निश्चित उपायों को तय करना चाहिए। पुनर्वास प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए पुनर्वास की व्यापक और उपयुक्त योजना तैयार की जानी चाहिए और प्रभावित गांवों की जनता के लिए पुनर्वास की योजना को पारदर्शी करने की पहल करनी चाहिए।
3.	प्रतिवादी (चौथा)	पुनर्वास स्थल पर सुविधाओं की उपलब्धता	प्रभावित लोगों के साथ साइट विजिट की योजना पर चर्चा की गई है और पुनर्वास स्थलों पर जाने के लिए प्रभावित लोगों को परिवहन सुविधा की पेशकश की गई थी।	प्रभावित लोगों के साथ हुई चर्चा के अनुसार, प्राथमिकता भाबर के लिए है न कि तराई क्षेत्र के लिए। इसलिए, आपसी समझ और संतोषजनक निर्णय तक पहुंचने के लिए जो कि संभावित गांव के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य है पुनर्वास स्थलों को अंतिम रूप देने से पहले उनके मूल स्थानों से जुड़े उनके प्राकृतिक मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से चर्चा करने की आवश्यकता है।

क्र.सं.	प्रतिवादियों के नाम	पनियाबोर गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
			हालांकि, बाद में, खराब मौसम और / या उनकी आंतरिक बैठकों के कारण प्रभावित लोगों के विचार आंशिक रूप से बदल गए।	पुनर्वास स्थलों में सभी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, और ऐसी जगहों पर उनकी स्थिति विस्थापन के मूल स्थान से बेहतर होनी चाहिए।
4.	प्रतिवादी (पाँचवा)	जमीन के बदले में नकद धनराशि नहीं	प्राधिकारी के पास इस मुद्दे से संबंधित कोई विशेष निर्णय उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, सम्बन्धित मुद्दे विचाराधीन है।	इस मांग का गहराई से विश्लेषण और सही मुआवजे को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की अंतिम योजना में सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जहां प्रभावित लोग प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। संपत्ति और भूमि के लिए नकद धनराशि वर्तमान वर्ष की दरों के अनुसार तय किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
5.	प्रतिवादी (छठा)	पेयजल और दैनिक पानी की उपलब्धता, उपलब्ध कौशल के आधार पर प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी और प्राकृतिक संपतियाँ जो कि पुनर्वास स्थलों पर मुफ्त में उपलब्ध हो।	यह बिंदु विचाराधीन हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी बिंदु को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि प्राधिकारी जन सुनवाई बैठकों में सभी मांगों को सुन रहा है तथा मांगों के बिंदु सुने और दर्ज किए जा रहे है।	पुनर्वास की एक उपयुक्त योजना की कमी के कारण मांगे केवल सूचीबद्ध और दर्ज की गई हैं। प्राधिकारी ने प्रभावित लोगों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को इनकार नहीं किया। हालाँकि, यह भी सुझाव दिया गया था कि प्राकृतिक संपतियाँ यदि पुनर्वास के स्थलों पर उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से वन संसाधनों तक उनकी पहुँच की व्यवस्था की जाएगी।

क्र.सं.	प्रतिवादियों के नाम	पनियाबोर गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
6.	प्रतिवादी (सांतवा)	बच्चों की शिक्षा, अस्पतालों और परिवहन सुविधाओं की क्या व्यवस्था है	प्राधिकारी ने अनुसूची-2 तथा अनुसूची-3 के अधिकारों के बिंदुओं पर चर्चा की थी, जहां विभिन्न प्रतिपूरक दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया हैं और तदनुसार मुआवजे का फैसला किया जाना हैं।	यह भी देखा गया कि गांव के प्रभावित लोग अपनी 12 बिन्दुओं की मांग पर जोर दे रहे थे और अधिनियम की अनुसूची-2 और अनुसूची 3 में उल्लिखित अधिकारों में रुचि नहीं ले रहे थे। जबकि 5 एकड़ जमीन और सरकारी नौकरी की मांग को छोड़कर लगभग सभी बिन्दु अधिकारों के तहत शामिल है और यदि अधिनियम में कुछ संभावित प्रावधान डाले जाए तो इन्हें भी हल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोग ऐसी जगह छोड़ रहे हैं जहां वे कई सालों से रह रहे हैं और बिना लागत के प्राकृतिक संपतियों का उपयोग कर रहे हैं और वन संसाधनों से गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs) का आनंद ले रहे हैं।
7.	प्रतिवादी (आठवां)	भुमिअर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा वर्ष 2013 के दौरान तय किया गया है। वर्तमान में मुआवजों को वर्तमान वर्ष और समय के अनुसार तय करने की आवश्यकता है।	बिंदुओं पर ध्यान दिया गया तथा दर्ज किया गया।	ये बिन्दु मान्य लगते हैं क्योंकि भूमि और मकानों की दरें और मुआवजें भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित थे। मांग वर्तमान वर्ष के लिए है क्योंकि अधिग्रहण का ध्यान वर्तमान वर्ष में रखा जा रहा है। इसलिए, वर्ष 2013 में उल्लिखित विभिन्न मुआवजों की गणना को वर्तमान वर्ष के अनुसार पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।

पनियाबोर में की गयी जन सुनवाई बैठकों से सम्बन्धित टिप्पणियों का उल्लेख संलग्नक-3 में किया गया

चित्र 4.1: जन सुनवाई बैठक की तस्वीर- ग्राम पनियाबोर



4.2. तिलवाड़ी गाँव

स्थान : तिलवाड़ी गाँव

तारीख: 12 मार्च 2020

प्रयोजन: "जमरानी बांध परियोजना के प्रस्तावित डूब क्षेत्र के अंतर्गत तिलवाड़ी गाँव के प्रभावित लोगों के विस्थापन और संबंधित मांगों की सहमति के लिए जन सुनवाई"।

उपकरण और सुविधाएं: पेशेवर फोटोग्राफर और ऊंची ध्वनि के लिए माइक और जलपान व बैठने की व्यवस्था।

तालिका 4.2: जन सुनवाई बैठक का विवरण (तिलवाड़ी गाँव)

क्र.सं.	तिलवाड़ी गाँव के प्रतिवादियों के नाम	तिलवाड़ी के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
1.	प्रतिवादी (पहला)	(I) 5 एकड़ जमीन (ii) प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी (iii) हर घर के लिए मुआवजा (iv) प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए वर्ष 2013 और 2020 के बीच मुआवजे के अंतर की गणना की जानी चाहिए (v) विधवा, विकलांग लोगों को समान रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए	सुना और नोट किया गया	सभी मांगें 12 बिन्दुओं के मांग पत्र के अनुसार हैं और यहां दोहराई जा रही है, सिवाय इसके कि "विधवा और विकलांग व्यक्तियों को समान रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए"। अधिनियम में उक्त मांगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधान हैं; हालाँकि, कानून के प्रभावी होने और वर्तमान वर्ष में भूमि अधिग्रहण के बीच की अवधि के अंतर को अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद के वर्षों के क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
2.	चौधरी सिंह (दूसरा)	(i) हमें जो भी सुविधाएँ दी जाए, वे पारदर्शी होनी चाहिए, और हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।	12 बिन्दुओं की मांगें हमें ज्ञात हैं, लेकिन सार्वजनिक सुनवाई का उद्देश्य हर एक से चर्चा करना है अगर कोई मांगों के संबंध में या पुनर्वास के स्पष्टीकरण के संबंध में अपने शब्दों को रखने से वंचित रह गया हो।	बारह बिन्दुओं की मांगे हर हितधारक व्यक्ति की ओर से जमरानी प्राधिकारी के पास सूचीबद्ध है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 और 3 में प्रभावित लोगों के लिए हर संभव स्थिति के लिए अधिकार दिये हैं। हालांकि, प्रभावित लोगों द्वारा अर्जित किये जाने वाले अधिकतम लाभों को तय करने की आवश्यकता है।

तिलवाड़ी की जन सुनवाई बैठकों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ संलग्नक-3 में उल्लिखित हैं।

क्र.सं.	प्रतिवादी का नाम	तिलवाड़ी गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
3.	गैर निवासी प्रतिवादी लेकिन परियोजना स्थल में भूमि के साथ (तीसरा)	(i) जमरानी प्राधिकारी को अपनी ओर से तय की गई योजना या मुआवजे के बारे में आगे आना चाहिए ताकि हम जमरानी बांध के बारे में अधिक आश्वस्त हो सकें। (ii) यहां तक कि अगर जमरानी प्राधिकारी की ओर से कुछ भी तय करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो हम, इस गांव के लोग भी पुनर्वास प्रस्ताव के बेहतर समाधान के लिए आपके साथ खड़े हैं।	जमरानी प्राधिकारी ने मांगों की चर्चा के बिंदुओं और गांव के स्थानीय लोगों द्वारा सामने रखे गए सभी व्यक्तिगत बिंदुओं को सुना और दर्ज किया	अगर प्रशासन से एक प्रस्तावित योजना की मांग की जाती है तो यह एक उचित विचार और मुद्दा है। प्रशासन को भी प्रभावित लोगों के समक्ष प्रस्ताव के दस्तावेज को तैयार और प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनकी बेचैनी को नियंत्रित किया जा सके। अगर बिंदु (ii) में लोगों का एक समूह शामिल है, तो निश्चित रूप से लोग अपनी उचित मांगों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने में प्राधिकारी की मदद करेंगे।
4.	सुंदर सिंह (चौथा)	(i) 12 बिन्दुओं के मांग पत्र के अनुसार समान मांग (ii) हम अभी तक इस पर सहमति नहीं दे रहे हैं जब तक की चर्चा करने के लिए उचित प्रस्ताव की उपलब्धता न हो और उसके साथ, हम पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करते हो।	सुना और नोट किया गया	गांव के प्रभावित लोग अपने 12 बिन्दुओं के मांग पत्र के सापेक्ष विभिन्न मुआवजे के बारे में सुनिश्चित होना चाहते हैं और तदनुसार अंतिम पुनर्वास योजना पर आगे के समझौते के लिए संतुष्ट होना चाहते हैं।
5.	प्रतिवादी (पाँचवा)	यहां मौजूद हमारी सुविधाओं के अनुसार, हमें पुनर्वास के प्रस्तावित स्थलों पर समान तरीके से बसाया जाना चाहिए और हमारी सभी मांगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए अथवा क्रान्तिकारी रूप में मांगे रख सकते हैं जब तक कि प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार न किया जाय।	प्रतिवादी को सुना और नोट किया गया और दूसरे प्रतिवादियों को भूमि के अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 और 3 में उल्लिखित पात्रता (प्रभावित लोग) के विभिन्न बिन्दुओं को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया।	प्रारंभिक बिंदु 12 बिंदुओं का मांग पत्र है, जिसे प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति द्वारा सामने रखा जा रहा है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि 12 बिंदुओं के मांग पत्र के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को पुनर्वास के हर दृष्टिकोण से चर्चा की जानी चाहिए और प्रभावित लोगों के साथ चर्चा करने के लिए प्रस्तावित मुआवजे के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

क्र.सं.	प्रतिवादी का नाम	तिलवाड़ी गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
				यहां तक कि प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं के साथ अगर कोई समस्या है, तो भी एक प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए और वह 12 बिन्दुओं के मांग पत्र के साथ पूरी तरह न्याय संगत होना चाहिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लोगों के विश्वास को आगे लाएगी और भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार एक बेहतर निर्णय की दिशा में पहल की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो कुछ संशोधनों पर विचार किया जा सकता है और साथ ही पूरी तरह से परियोजना स्थल के तहत उनकी भूमि से विस्थापन को उचित सिद्ध करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है
6.	प्रतिवादी (छठा)	(i) कानूनी तौर पर, परियोजना स्थल में कोई परियोजना या निर्माण जारी नहीं रह सकता है; प्रस्तावित योजना की उपलब्धता में देरी और पुनर्वास के अन्य चरणों की कमी के कारण भी प्रभावित लोग असंतुष्ट है।	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति की रचना प्रक्रिया में है, और एस.आइ.ए. की प्रालेख रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, पुनर्वास की आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।	लोग पुनर्वास की योजना के उचित निर्धारण में देरी के कारण अपना धैर्य खो रहे थे, और उन्हें लगता है कि प्रशासन से प्रस्तावित योजना के लिए एकत्रित होना अभी समय की बर्बादी है।
7.	मोहन राम (सांतवा)	हमें परियोजना के तहत अपनी संपत्तियों पर जमीन और नकदी दोनों की जरूरत है। हमारी मांग 5 एकड़ जमीन और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी और पुनर्वास स्थल पर गाँव का समान नाम है।	नीति अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।	मापदण्डित मुआवजे सम्बन्धी रणनीति जल्द से जल्द बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

क्र.सं.	प्रतिवादी का नाम	तिलवाड़ी गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
8.	रमेश (आठवाँ)	(i) 12 बिन्दुओं के मांग पत्र के अनुसार समान मांग।	सुना और नोट किया गया	आगे ऐसा लगता है कि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से ज्यादातर स्वयं को 12 बिन्दुओं की मांगों तक सीमित रखते हैं। वे आगे चर्चा नहीं करते हैं और गांव के प्रधान में भी विश्वास दिखाते हैं।
9.	पनीराम (नौवा)	(i) हमें पुनर्वास स्थलों पर सभी सुविधाओं की आवश्यकता है अन्यथा हम पुनर्वास स्थल पर नहीं जायेंगे।	-	लोग उस प्रस्ताव को बनाने के निर्णय में देरी के कारण बेताब हैं जिसे प्रभावित लोगों को पेश किए जाने की आवश्यकता है।
10.	प्रतिवादी (दसवां)	(i) इस प्रतिवादी ने घर के स्थान पर नकदी के बारे में पूछा	नोट किया गया	कुछ लोगों की इस तरह की मांगे भी है।
11.	प्रतिवादी (ग्यारवाँ)	(i) हमें वर्तमान में हमारे लिए उपलब्ध विकल्पों के मुकाबले पुनर्वास स्थल पर बेहतर विकल्पों की आवश्यकता है। वर्तमान निवास स्थान के मुकाबले चौड़ी सड़क की अभिलाषा है।	आपको कितनी चौड़ी सड़क की आवश्यकता है?	लोग बेहतर विकल्पों की कामना कर रहे हैं, लेकिन उन विकल्पों की व्याख्या करने में असमर्थ हैं; हालाँकि, वे अपने आप को 12 बिंदुओं के मांग पत्र तक सीमित रख रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके हित में सब कुछ शामिल करता है।
12.	प्रतिवादी (बारहवाँ)	(i) हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। हम नए स्थल के बारे में नहीं जानते हैं और हमें सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	सुना और नोट किया गया।	प्रस्तावित मांगों को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश लोग भूमि के बदले भूमि, प्रति परिवार एक नौकरी, एक स्थान पर पुनर्वास और पुनर्वास के स्थल पर बेहतर सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार लाभ जो अधिनियम के अनुसार प्रभावित लोगों को दिया जाना है या इसमे सुधार यदि कोई है, तो प्रभावित लोगों के साथ अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं है।

क्र.सं.	प्रतिवादी का नाम	तिलवाड़ी गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकरण की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
13/14	प्रतिवादी (तेरहवाँ और चौदहवां)	(i) मांग पत्र के केवल 12 बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक उचित बैठक की आवश्यकता है (ii) हम इस तरह की बैठकों के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं और अपनी जमीन भी दे रहे हैं और हमें जल्द से जल्द इस योजना की जरूरत है और यह हमारे साथ आखिरी बैठक है, फिर भी, हम चाहते हैं कि जमरानी बांध का निर्माण किया जाए (iii) परिवारों के प्रभावित व्यक्तियों को मछली पकड़ने का अधिकार देने की आवश्यकता है| (iii) हमें 20 साल के लिए 3000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता नहीं है इसके बजाय हम कहीं भी एक सरकारी नौकरी चाहते हैं। (iv) चीजों की पुष्टि नहीं हो रही है। (v) भूमि अर्जन अधिनियम के अनुसार, हमारे लिए कोई लाभ नहीं हैं।	मछली पालन आदि से संबंधित कुछ प्रावधान हैं और एक निश्चित अवधि के लिए मासिक समझौते का विकल्प भी है। - जो भी नीति के अनुसार तय होगा, वह आपको बताया जाएगा हम एक विशेषज्ञ के लिए प्रयास कर रहे हैं जो एक पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार कर सके, और जैसे ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद पुनर्वास सम्बन्धी बिंदुओं को अंतिम रूप देना होगा। और	संबंधित प्राधिकारी को मांग पत्र के सभी बिंदुओं को समझना चाहिए और फिर अधिनियम की अनुसूची-2 और अनुसूची-3 में संबंधित बिन्दुओ हेतु मुआवजे की खोज करनी चाहिए। सभी प्रभावित लोगों को अधिनियम की अनुसूची-2 और अनुसूची-3 के तहत एक सरलतम स्थानीय भाषा में पात्रता के सभी बिन्दुओं को समझाना अनिवार्य और जरूरी है, यह प्रभावित लोगों के साथ समस्या के समाधान और समझौते के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि लोग भूमि अर्जन अधिनियम के बिंदुओं के पक्ष में नहीं हैं और एक अलग नीति चाहते हैं जो केवल उनकी मांगों को आगे बढ़ा सके। यद्यपि जमरानी अधिकारियों ने अधिनियम के सभी बिंदुओं को उनके सामने रखने की अच्छी कोशिश की, लेकिन वे अधिनियम के बिंदुओं से संतुष्ट नहीं हैं और सभी 12 बिंदुओं की मांग पर अडिग हैं।

क्र.सं.	प्रतिवादी का नाम	तिलवाड़ी गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
		(VI) तराई क्षेत्र में, मच्छर हैं इसलिए हम विस्थापन से नुकसान में हैं। (VII) अगर हमें तराई क्षेत्र दिया जाता है, तो सरकारी नौकरी हमारे लिए जरूरी है	शिक्षा, अस्पताल, मवेशियों, पानी, परिवहन आदि से संबंधित सभी चीजों का उल्लेख भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में है। आखिरकार,प्राधिकारी के सदस्यों ने स्पष्ट और सरल हिंदी में लोगों के समक्ष अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के अधिकार के सभी बिंदुओं का उल्लेख किया। हालांकि, वे भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के बिंदुओं को नहीं समझ सके।	इस तरह की स्थितियों के पूर्व अनुमान हेतु, अधिनियम के अधिकार बिंदुओं को नकदी और चीजों के रूप में सबसे अधिक सरल बनाया जाना चाहिए और दृश्यमान सुविधाओं का प्रकार उपलब्ध होना चाहिए या उन्हें पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

तिलवाड़ी की जन सुनवाई बैठकों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ संलग्नक-3 में उल्लिखित हैं।

4.3. उडवा गाँव

स्थान : उडवा गाँव

तारीख : 8 मार्च 2020

उद्देश्य: "जमरानी बांध परियोजना के प्रस्तावित डूब क्षेत्र के अंतर्गत उड़वा गाँव के प्रभावित लोगों के विस्थापन और संबंधित मांगों की सहमति के लिए जन सुनवाई"।

उपकरण और सुविधाएं: पेशेवर फोटोग्राफर, ऊंची ध्वनि के लिए माइक और जलपान व बैठने की व्यवस्था।

जन सुनवाई का प्रारम्भ बैठक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के साथ जमरानी अधिकारियों के सदस्य, एस.आई.ए. टीम के सदस्य और उड़वा के लोगों के विवरण को उपस्थिति पत्रक पर दर्ज करके हुआ। गाँव के लोगों ने अपनी बेहतर आजीविका और पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्थानों और उनकी उपयोगिताओं पर बोलना शुरू किया।

श्री बी.बी. पांडे ने सूक्ष्म परीक्षण कर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारों का वर्णन किया। इसके बाद से एक-एक कर प्रश्न सत्र शुरू हो गया, और इस प्रक्रिया के तहत, प्रतिवादियों ने अपनी मांगों पर बोलना शुरू किया जैसा की नीचे दिया हैं:

तालिका 4.3: जन सुनवाई बैठक का विवरण (उड़वा गाँव)

क्र. सं.	उड़वा के प्रतिवादियों के नाम	उड़वा गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
1.	बीरबल सिंह सम्मल (बीरबसुम)	(i) अगर जमीन डूब रही है, लेकिन घर नहीं है, तब क्या होगा, (ii) हमारी ओर से दी गई मांगों का उत्तर नहीं दिया गया है, और हमारे समक्ष भूमि अर्जन अधिनियम के बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया है, और हमें अधिनियम की समझ नहीं है। (iii) क्या भूमि के नुकसान के लिए नकदी का प्रावधान हो सकता है? चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें लेकिन इसका भी विकल्प होना चाहिए।	सुना और नोट किया गया।	कुछ प्रभावित लोग भी खोई हुई जमीन के लिए नकदी प्राप्त करने के विकल्प के पक्ष में हैं, लेकिन प्रभावित लोगों का बहुमत इस पर सहमत नहीं हैं और प्रस्तावित पुनर्वास स्थलों पर भूमि के बदले भूमि चाहते हैं। भूमि अर्जन अधिनियम के अधिकार के बिंदुओं को स्थानीय भाषा में एक सही सरलीकरण की आवश्यकता है जहां वे अधिनियम में उल्लिखित मुआवजे के दिशानिर्देशों के हर पहलू को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अधिनियम के अनुसार, इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो प्रतिवादी द्वारा इंगित किए गए हैं।
2.	नवासी सम्मल	(i) प्रस्तुत मांगों के अनुसार	-	लोग 12 बिन्दुओं के मांग पत्र पर आगे के विश्लेषण के लिए जाने से बच रहे हैं, और यदि उन्हें कोई सुझाव दिया जाता है तो वे बस दो बिंदुओं पर अटक जाते हैं (अ) 5 एकड़ जमीन और (ब) प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी
3	शिव राम	(i) हम डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन जमीन नहीं है यदि उस क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे लिए क्या विकल्प उपलब्ध होंगे?		यह गंभीर विचार का विषय है, और उठाया गया सवाल मान्य है क्योंकि व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहा है, वह कहीं और नहीं जा सकता, और विस्थापन के बाद उसे मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।

4	गोपाल राम	(i) भूमि डूब रही है, लेकिन घर डूब क्षेत्र के स्तंभ के ऊपर है, लेकिन हमें पुनर्वास स्थलों में भी अपने निवास की आवश्यकता है। (ii) पनचक्की डूब क्षेत्र में है, लेकिन जमीन किसी और इलाके में है।	सुना और नोट किया गया।	यह बिंदु (i) प्रभावित लोगों की सूची में प्रतिवादी को शामिल करने के लिए कह रहा है, लेकिन मापदंड से तय किए गए अधिकारों में, प्रतिवादी पुनर्वास वर्ग के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त नहीं है। हालांकि, अगर उसका घर कुछ भूस्खलन क्षेत्र के अंतर्गत है, तो चीजों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और तदनुसार, ऐसे लोगों के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो भूस्खलन क्षेत्र से संबंधित हैं। - बिन्दु (ii), ऐसी स्थिति को भी मुआवजे के विचार की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	उड़वा के प्रतिवादियों के नाम	उड़वा गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए अवलोकन और सिफारिशें
5	प्रतिवादी (पाँचवा)	(i) हमें हल्द्वानी बाजार के अनुसार जमीन के मूल्य की आवश्यकता है जहां कीमत 10-15 लाख प्रति नाली है अन्यथा हम सहमत नहीं हैं। - अन्य सभी मांगें मांग पत्र के अनुसार समान हैं।	सुना और नोट किया गया	
6	विपिन चंद्र (छठा)	(i) यदि हमारे पास चिह्नित स्तंभों के ऊपर एक घर है और चिन्हित बांध स्तंभों के नीचे भूमि हैं।	श्री बी.बी. पांडे जी, सिंचाई विभाग ने भूमि अर्जन अधिनियम की अनुसूची 2 और 3 के तहत उल्लिखित सभी अधिकार बिंदुओं पर बोलने का सत्र शुरू किया ।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में उल्लिखित विभिन्न अधिकार बिंदु हैं। इन बिंदुओं को स्थानीय भाषा में शुद्ध रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक प्रभावित परिवारों को अनुवादित अधिकार की एक प्रति दी जानी चाहिए।
7.	गणेश सिंह सम्मल (सांतवा)	(i) भूमि और घर दोनों डूब रहे हैं, और घर स्तंभ के निशान के ऊपर है और भूमि स्तंभ के निशान से नीचे है। (ii) धार्मिक संपत्ति, जिस पर हमारा मंदिर है, डूब क्षेत्र में मौजूद है,समान जमीन को अलग से पुनर्वास स्थलों पर प्रदान किया जाना चाहिए।	उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित लोगों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में प्रभावित लोगों के सामने सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया। उन्होंने हिंदी में अधिनियम की अनुसूची 2 के 10 बिंदुओं और अनुसूची 3 के 25 बिंदुओं पर चर्चा की।	विभिन्न प्रावधानों को अगर सरल किया जाता है तो प्रभावित लोगों की दुविधा को कम किया जा सकता है, और अधिकार बिंदुओं के सरलीकरण के भीतर से उभरते विकल्प हो सकते हैं।
8.	महिला प्रतिवादी (सुश्री सरस्वती की बेटी) (आठवाँ)	(i) हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए; इसका कारण यह है कि जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हो सकता है वहां उपभोग के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध न हो और इसलिए यदि 5 एकड़ भूमि दी जाती है तो हम	जमरानी सिंचाई विभाग से श्री संजय सिंह ने भी अधिनियम के कुछ अधिकार बिंदुओं को सामने रखा। लोगों ने इन बिंदुओं पर ध्यान दिया, और उन्हें बिंदुओं के बारे में सुझाव भी दिया गया कि अगर वे नहीं समझ पाते हैं तो वे इसे तब तक पूछने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक कि यह पूरी तरह से समझ न आ जाए। प्रभावित व्यक्तियों को हिंदी में	प्रभावित लोग, अधिनियम के प्रतिपूरक दिशानिर्देशों के सभी बिंदुओं को समझने के बाद, अपनी मांगों पर बेहतर दृष्टिकोण रख सकते हैं। वर्तमान में, प्रभावित लोगों को अधिनियम के अधिकार बिंदुओं के बारे में संदेह है, और यह केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें अधिनियम के अनुसूची-2 और 3 में उल्लिखित अधिकारों की स्पष्ट समझ नहीं है।

		अपनी आजीविका कमा सकते हैं और अपनी जीविका को बनाए रख सकते हैं। (ii) प्रति परिवार एक नौकरी	पात्रता की अनुवादित सामग्री की एक प्रति दी गई थी। अधिनियम में उल्लिखित न्यूनतम 1 एकड़ भूमि में सुधार किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति के कौशल विकास में भागीदारी विकास या पाँच लाख रुपये की एक बार की राशि प्रभावित लोगों के समक्ष अधिनियम के विभिन्न अन्य अधिकार बिंदुओं को आसान बनाया गया।	परियोजना स्थलों के विस्थापित व्यक्तियों के लिए अधिकारों के विषय को चित्रमय रूपों में अनुवाद करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को विभिन्न मुआवजों की स्पष्ट समझ हो सके और उन्हें उनकी स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा समय की चिह्नित सीमा में अंतिम समझ आने तक उन्हे बिंदुओं के बारे में बार-बार पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रभावित लोगों के विभिन्न नेता जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें पहले अधिनियम के सभी अधिकार बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। यदि वे पूरी तरह से भिज्ञ हैं, तो अन्य प्रभावित लोगों को भी समझाया जा सकता हैं और वे कई दस्तावेज जिनके माध्यम से लोग विभिन्न बिंदुओं को समझ सकते हैं, उन्हें परियोजना स्थलों के सभी प्रभावित लोगों में वितरित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के बिंदुओं को अंतिम रूप देने के लिए तदनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित लोगों की मांगों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, उसके बाद, उनके हस्ताक्षरों के साथ सहमति की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

9	श्री चंद्र प्रकाश की पत्नी महिला प्रतिवादी (नौवा)	(i) भूमि स्तंभ के ऊपर है और भूमि डूब क्षेत्र में है। (ii) पेड़ जलमग्न क्षेत्र में मौजूद हैं, पेड़ों का मुआवजा कैसे मिलेगा?	इसे बागवानी विभाग द्वारा देखा और मूल्यांकन किया जाएगा।	यह एक उचित प्रश्न है और उचित मुआवजे के लिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

उड़वा की जन सुनवाई बैठकों से सम्बन्धित टिप्पणियों का उल्लेख संलग्नक-3 में किया गया है।

चित्र 4.2: जनसुनवाई बैठक की तस्वीर- ग्राम उड़वा



4.4. गनराड़ गाँव

स्थान : गनराड़ गांव

तारीख : 6 मार्च 2020

उद्देश्य: "जमरानी बांध परियोजना के प्रस्तावित डूब क्षेत्र के अंतर्गत गनराड़ गाँव के प्रभावित लोगों के विस्थापन और संबंधित मांगों की सहमति के लिए जन सुनवाई"।

उपकरण और सुविधाएं: पेशेवर फोटोग्राफर, ऊँची ध्वनि के लिए माइक और जलपान व बैठने की व्यवस्था।

जन सुनवाई का प्रारम्भ बैठक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के साथ जमरानी अधिकारियों के सदस्य, एसआईए टीम के सदस्य और गनराड़ के लोगों के विवरण को उपस्थिति पत्रक पर दर्ज करके हुआ। उसके बाद, गाँव के लोगों ने अपनी बेहतर आजीविका और पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्थानों और उनकी उपयोगिताओं पर बोलना शुरू किया। लोगों ने अपने पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए सरकारी योजनाओं में देरी के प्रति असंतुष्टि भी दिखाई। जन सुनवाई बैठक के प्रारंभ में, श्री बी.बी. पांडे ने पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के नियमों के तहत लोगों के विभिन्न अधिकारों की जानकारी दी। आखिरकार, एक-एक कर प्रश्न सत्र शुरू हुआ, और इस प्रक्रिया के तहत, प्रतिवादियों ने अपनी मांगों पर बोलना शुरू किया जैसा की नीचे दिया गया हैं:

तालिका 4.4: जन सुनवाई बैठक का विवरण (गनराड़ गाँव)

क्र.सं.	गनराड़ गाँव के प्रतिवादियों के नाम	गनराड़ गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
1	प्रतिवादी (पहला)	(i) उन लोगों के लिए क्या प्रावधान हैं जिनके पास डूब क्षेत्र में भूमि है, लेकिन उनके घर जलमग्न भूमि से बाहर हैं? (ii) उन लोगों के लिए क्या प्रावधान हैं जिनके पास डूब क्षेत्र में भूमि नहीं है लेकिन उनके घर प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं? (iii) भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में उल्लिखित मुआवजे के विभिन्न बिंदुओं से हम अवगत नहीं हैं।	नवीनतम जानकारी के अनुसार, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पॉलिसी विशेषज्ञ के लिए एक विशेषज्ञ की खोज प्रक्रिया में है, जैसे ही व्यक्ति अंतिम रूप से चुना जाता है नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आगे, नीति की तैयारी में एस.आइ.ए. रिपोर्ट में उसके अपने बिंदु होंगे। नीति के पहलुओं को अंतिम रूप देने के बाद, ऐसे प्रश्नों का उचित उत्तर दिया जा सकता है।	प्रभावित लोगों द्वारा प्रश्न किये गए, और उन प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मुआवजों में गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। अधिकारों का मिलान अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए और हो सके तो पहले भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरा, जहां अधिनियम के किसी भी अधिकार बिंदु में विस्तार या सुधार की गुंजाइश है, उसे प्रभावित लोगों के साथ किसी भी अन्याय को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित लोगों से उचित मांगों की आकस्मिक आवश्यकता के अनुरूप अनुरोध किया जा सकता है।
2	प्रतिवादी (दूसरा)	(i) सबसे पहले, 12 बिन्दुओं के मांग पत्र को प्राथमिकता (ii) पाँच-एकड़ जमीन (iii) प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी	श्री बी.बी. पांडे, जमरानी सिंचाई विभाग ने अधिनियम के अनुसूची-2 और 3 में उल्लिखित अधिकार के बिंदुओं का हिंदी में सरलीकरण किया। एक-एक करके अधिकार बिंदुओं को प्रभावित लोगों को विस्तार से बताया गया।	लोगों ने उस समय उत्सुकता दिखाई जब जमरानी प्राधिकारी के सदस्यों ने अधिनियम में उल्लिखित अधिकारों के विभिन्न बिंदुओं के बारे में बोलना शुरू किया। लोगों ने विभिन्न अधिकार बिंदुओं की सरलीकृत भाषा सुनी और अधिनियम के तहत होने वाले लाभ को सीखने में विश्वास दिखाया।

क्र. सं.	गनराड़ गाँव के प्रतिवादियों के नाम	गनराड़ गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
		(iv) लोग अपनी सहमति देने के बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले, जमरानी अधिकारियों के द्वारा एक व्यावहारिक प्रस्ताव प्रभावित लोगों को भेजा जाना चाहिए। (v) हमने, आज, अधिकार के बिंदुओं के बारे में सीखा और पहले इन बिंदुओं को नहीं सुना था।	सुना और नोट किया गया।	अधिनियम के अधिकारों के बिंदुओं का विस्तृत सरलीकरण प्रभावित लोगों को प्रभावपूर्ण तरीके से सुनने और उन्हें अधिनियम में दिए गए लाभों पर विचार करने को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट किया जाना चाहिए।
3	प्रतिवादी (तीसरा)	(i) प्रतिवादी अधिनियम के विभिन्न बिंदुओं के बारे में भी उत्सुक था, लेकिन अभिलेख के सत्यापन के लिए कहा जिससे कि अधिकारों के प्रति आशंकाओं को दूर किया जा सके, जैसा कि (जमरानी प्रशासन द्वारा) समझाया गया।		एक स्थानीय भाषा/ हिंदी में अधिनियम के पात्रता दस्तावेज के सरलीकृत बिंदुओं पर संदेह के कारण लोगों ने अधिकारियों से सरकार द्वारा इसके सत्यापन के बारे में पूछा। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग अधिनियम में उल्लिखित मुआवजे के विभिन्न बिंदुओं पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन संकोच की सीमा में हैं, जहां वे केवल अनिश्चित स्रोत के कारण दस्तावेजों के तथ्यों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जिसके लिए वे सरकार द्वारा सत्यापन चाहते हैं। - यह सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची-2 और 3 के तहत पात्रता के सभी बिंदुओं वाले सरलीकृत दस्तावेजों को जमरानी प्राधिकारी द्वारा प्रभावित लोगों की संबंधित समिति को पोस्ट किया जाना चाहिए, ताकि अधिनियम के किसी भी अधिकार बिंदु पर स्थायी रूप से संदेह खत्म हो सके।

क्र.सं.	गनराड़ गाँव के प्रतिवादियों के नाम	गनराड़ गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
4	प्रतिवादी (वही दूसरा)	(i) प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में सुधार होना चाहिए।	सुना और नोट किया गया।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 पर सुधार के लिए पूछने वाले प्रतिवादी को एस.आइ.ए. टीम के टीम लीडर द्वारा सुझाव दिया गया था कि सबसे पहले, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत विभिन्न बिंदुओं को बिंदुवार समझा जाना चाहिए। फिर अगर कोई बिंदु 12 बिंदुओं के मांग पत्र के विरुद्ध जाता है, तो उन अधिकार बिंदुओं को आगे बढ़ाकर गंभीरता से विचार किया जा सकता है ताकि मुआवजे के अधिकारों को उचित मांगों के अनुरूप संशोधित करके इसका कोई समाधान निकाला जा सके।

गनराड़ जन सुनवाई बैठकों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ संलग्नक-3 में उल्लिखित है ।

चित्र 4.3: जन सुनवाई बैठक की तस्वीर- ग्राम गनराड़



4.5. पसतौला गाँव

स्थान : पसतौला गाँव

तारीख: 7 मार्च 2020

प्रयोजन: "जमरानी बांध परियोजना के प्रस्तावित डूब क्षेत्र के अंतर्गत पसतौला गाँव के प्रभावित लोगों के विस्थापन और संबंधित मांगों की सहमति के लिए जन सुनवाई"।

उपकरण और सुविधाएं: पेशेवर फोटोग्राफर, ऊंची ध्वनि के लिए माइक और जलपान व बैठने की व्यवस्था।

बैठक की शुरुआत भाषण और सुनवाई की वही प्रक्रिया शुरू हुई जो अन्य गांवों में हुई।

तालिका 4.5: जन सुनवाई बैठक का विवरण (पसतौला गाँव)

क्र.सं.	पसतौला गाँव के प्रतिवादियों के नाम	पसतौला गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
1	प्रतिवादी (पहला)	(i) भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत नौकरी अस्थायी है। (ii) उन घरों के लिए क्या मानदंड हैं जो केवल चिह्नित स्तंभ से थोड़ा ऊपर स्थित हैं, और यदि बांध के संग्रहित पानी के कारण, नमी ऊपर स्थित घरों में फैल जाती है और भूस्खलन के कारण यदि कोई आपात स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या नियम और मानदंड हैं?	सुना और नोट किया गया श्री बी.बी. पांडे ने उठाए गए मुद्दे को समझाया क्योंकि बांध के निर्माण से पहले उच्च-स्तरीय जांच की जाती है, और हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है ताकि भूस्खलन की ऐसी स्थिति न बने। हालांकि, अगर स्थानीय लोगों को बांध से संबंधित किन्ही मुद्दों से कोई खतरा और डर लगता है, तो उन बिंदुओं को उठाया जाना चाहिए, और उस पर ध्यान दिया जाएगा और हमारे द्वारा विचार किया जाएगा।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार, कौशल के आधार पर नौकरी का एक विकल्प है, और सरकार के तहत परियोजनाओं में कौशल विकास और संबंधित रोजगार सृजन का भी प्रावधान है। साथ ही, अधिनियम के अनुसार प्रति परिवार सरकारी नौकरी के लिए रोजगार सृजन को न तो कहीं भी मना किया गया है, न ही अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख है। हालांकि, अंत में प्रभावित लोगों की स्थिति का पूर्वानुमान करने के लिए, जो बांध निर्माण के कारण अपनी भूमि और साथ ही अपने घरों को खो रहे हैं, प्रभावित परिवार के लिए सरकारी नौकरी के विकल्प को कहीं भी मना नहीं किया गया है, और विस्थापित परिवारों के खातिर नौकरियों (सरकारी) के सृजन के दायरे पर विचार किया जा सकता है।

क्र.सं.	पसतौला गॉव के प्रतिवादियों के नाम	पसतौला गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
2	नरेंद्र सिंह	(i) प्रतिवादी ने कहा कि शवगृह नदी के दूसरी तरफ है, इस मामले में क्या होगा?	नोट किया गया	गोला नदी के दोनों सिरों को जोड़ने वाले पुल की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। यहां तक कि कुछ अन्य प्रतिवादियों ने भी यही संकेत दिया। यह न केवल शवगृह के लिए है, बल्कि सामान्य प्रयोजन के लिए भी लोगों को प्राकृतिक संपतियों आदि तक पहुँचने के लिए बांध को पार करना होगा।
3	भरत सिंह मेहता	(i) हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि ईधन की लकड़ी, चारा और वन संसाधनों से गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs) इत्यादि का उपयोग बिना किसी लागत के करते हैं, पुनर्वास स्थल की जगह पर, सरकार से इस तरह के सहयोग के लिए हमारे लिए क्या व्यवस्था होगी?	अगर वन संसाधन पुनर्वास के स्थल पर वहां उपलब्ध हैं, तो फिर आपके उपयोग के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।	यह प्रश्न आता है कि लोग वर्तमान स्थान के संसाधनों का वर्षों से उपयोग कर रहे हैं और बिना लागत के उनका उपयोग कर रहे हैं और इस हेतु पुनर्वास स्थल पर इसी के लिए चिंतित हैं। यहां, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अगर पुनर्वास के स्थलों पर ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, और ऐसे संसाधनों की वहां आवश्यकता पड़ती है, तो मुआवजे का आकलन और तदनुसार गणना कैसे की जाएगी। प्रतिवादी का सवाल वाजिब है और जवाब देने लायक है क्योंकि प्राकृतिक संपत्ति की आवश्यकता एक दीर्घकालिक गतिविधि है, और तदनुसार, व्यय के एक हिस्से का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
4	प्रेम सिंह मेहता	(i) भूमि के बदले भूमि (ii) सरकारी नौकरी	नौकरी का विकल्प नोट किया गया।	

क्र.सं.	पसतौला गाँव के प्रतिवादियों के नाम	पसतौला गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
		(iii) प्रतिवादी ने आगे सरकारी नौकरी के विकल्प का समर्थन किया कि 15 साल पहले जमरानी क्षेत्र में सरकारी नौकरियाँ जमरानी प्राधिकारी द्वारा ही दी जाती थी, तो फिर क्षेत्र के लोगों को आजीविका और निवास के अपने क्षेत्र से विस्थापन के मामले में सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए।		प्रतिवादी सरकारी नौकरी पर जोर दे रहा था और यह तथ्य देकर अपने नौकरी के विकल्प का समर्थन कर रहा था कि 15 साल पहले जमरानी क्षेत्र में सरकारी नौकरीयों हेतु नियुक्तिया जमरानी द्वारा ही की जाती थी।
5	पसतौला के ग्राम प्रधान	(i) यदि प्रभावित लोगों को परियोजना के क्षेत्र में ही बसाया जाता है, तो क्या परिवहन की लागत को वहन करने के मुआवजे का प्रावधान होगा? (ii) यह पूछा गया कि क्या किसी प्रतिवादी ने एस.आइ.ए. सर्वेक्षण के दौरान नया निर्माण शुरू किया है क्या यह विस्थापन मुआवजे के लिए मान्य होगा। (iii)मकान निर्माण के नए मामले आगे भी जारी रहेंगे या नहीं?	सुना और दर्ज किया गया।	यह एक वैध प्रश्न है क्योंकि विस्थापन की पहल बांध निर्माण की परिस्थितियों से हुई थी, अन्यथा प्रभावित लोग हमेशा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए, प्रभावित लोगों के विस्थापन की यह पहल प्रभावित लोगों द्वारा सामना की गई किसी भी कठिनाई के बदले में हर मुआवजे के साथ होनी चाहिए, भले ही वे उसी क्षेत्र में बसे हों। - इस संबंध में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि निकट भविष्य में बांध निर्माण के बारे में प्रभावित लोगों को अधिकारिक समाचार द्वारा सूचित किया गया है, और यहां तक कि एस.आइ.ए. शुरू और समाप्त हो गया है, तो परियोजना स्थल के डूब क्षेत्रों में मकान बनाने की कोई तात्कालिकता नहीं लगती।

क्र.सं.	पसतौला गाँव के प्रतिवादियों के नाम	पसतौला गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
				यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रशासन को प्रभावित लोगों को निकटतम बांध निर्माण की तारीखों या कार्यक्रमों को साझा करना होगा ताकि तदनुसार जनता अपनी योजनाओं का प्रबंधन कर सके। कुछ कारणों से, यदि घर के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो एक निश्चित महत्वपूर्ण अंतराल होना चाहिए क्योंकि यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि बांध निर्माण गतिविधि वर्ष 1975 में प्रारंभ हुई थी। अभी भी, प्रक्रिया निरंतर गतिमान है, और बांध निर्माण गतिविधियों की ऐसी कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। और लोग एक अनिश्चित स्थिति में रहते हैं और अपने निवास और कृषि खेती के मूल स्थान पर अपनी वर्तमान संपतियों और संसाधनों पर अंतिम निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति में, प्रशासन को बांध गतिविधियों की शुरुआत के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रभावित लोगों को एक विशिष्ट अवधि का खुलासा करना चाहिए, जिसमें बांध निर्माण गतिविधियों की शुरुआत होगी। और परिणामस्वरूप, प्रभावित लोग अपनी दिनचर्या और आवासीय मामलों के लिए बेहतर और व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं और तदनुसार अपनी योजनाओं को बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं।

पसतौला की जन सुनवाई बैठकों से सम्बन्धित टिप्पणियों का उल्लेख संलग्नक-3 में किया गया है।

क्र.सं.	पसतौला गाँव के प्रतिवादियों के नाम	पसतौला गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
6	प्रतिवादी (छठां)	(i) हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी व्याप्त है, और लोग बेरोजगार हैं, इसलिए यदि नौकरियाँ जारी की जाती हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए।	सुना और नोट किया गया	यह एक उचित बिंदु लगता है।
7	प्रतिवादी (सातवां)	(i) उस व्यक्ति को कैसे मुआवजा दिया जाएगा, जो ऐसी भूमि पर काम कर रहा है, जो दूसरे व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन डूब क्षेत्र की उस संपत्ति पर लंबी अवधि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है?	सुना और नोट किया गया	यह उस जमीन पर काम करने वालों के हित में वैध प्रश्न है, जो बांध निर्माण के कारण डूब रही है। इसके अलावा, भले ही वह व्यक्ति उस भूमि पर काम कर रहा हो जो उसकी नहीं है लेकिन फिर भी जलमग्न भूमि पर अपनी सेवाएं दे रहा है, उसे पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर वह यह जमीन खो देता है तो साथ ही अपनी नौकरी से भी वंचित हो जायेगा, और यह उचित है कि उस व्यक्ति को पेश की गई नौकरियों की श्रेणियों में शामिल किया जाए या उसे उचित मुआवजा दिया जाए। यदि ऐसे लोगों के पास घर नहीं है और वह वहीं रहता/रहती है, जहां वह कम करता/करती है तो मुआवजे के साथ-साथ उसे रहने के लिए आवास की सुविधा भी दी जानी चाहिए।

चित्र 4.4: जन सुनवाई बैठकों की तस्वीरें- ग्राम पसतौला



क्र.सं.	पसतौला गाँव के प्रतिवादियों के नाम	पसतौला गांव के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
8	प्रतिवादी (आठवां)	(i) प्रतिवादी ने वहाँ उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का वर्णन किया और यह भी कहा कि वे उनके रोजगार से जुड़े हुए हैं। - रोजगार से जुड़े हुए साधन (1) तिमूर, (2) गडेरी (3) क्योला (4) बिच्छू घास (5) खजूर (5) आँवला (6) मसाले और जड़ी-बूटियाँ (तेज पता) (7) गेठी (8) धुला (9) जगर (8) गंगिरा एक एकड़ भूमि को एक उचित सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए जहाँ प्रभावित व्यक्ति/परिवार के सदस्यों के बढ़ने के बाद भी अपना भरण-पोषण कर सकते हैं।	सुना और नोट किया गया	एस.आइ.ए. सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रभावित गांवों के सभी लोग गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) ईधन लकड़ी और चारा, विभिन्न जड़ी-बूटियों और मसालों आदि का उपयोग कर रहे थे और कुछ हल्द्वानी के प्राथमिक बाजार में मसाले बेचने के रोजगार से जुड़े हुए हैं। प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन नि:शुल्क हैं, और प्रभावित लोग ऐसी परिसंपत्तियों के बारे में चिंतित हैं, जो नि: शुल्क हैं और पुनर्वास स्थल पर भी इनकी उम्मीद करते हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में एक एकड़ भूमि सुनिश्चित है, लेकिन कहीं भी इस अधिनियम में इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि भूमि वृद्धि की मात्रा में उचित मांगों पर सुधार नहीं किया जा सकता है।

चित्र 4.5: सार्वजनिक सुनवाई बैठकों की तस्वीरें- ग्राम पसतौला



4.6. मुरकुड़िया गाँव

स्थान : मुरकुड़िया गांव

तारीख: 13 मार्च 2020

प्रयोजन: जमरानी बांध परियोजना के प्रस्तावित डूब क्षेत्र के अन्तर्गत मुरकुड़िया गाँव के प्रभावित लोगों के विस्थापन और सम्बन्धित मांगों की सहमति के लिए जन सुनवाई"।

उपकरण और सुविधाएं: पेशेवर फोटोग्राफर, ऊंची ध्वनि के लिए माइक और जलपान व बैठने की व्यवस्था।

बैठक की शुरूआत

जन सुनवाई का प्रारम्भ बैठक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के साथ जमरानी अधिकारियों के सदस्य, एस.आई.ए. टीम के सदस्य और मुरकुड़िया के लोगों के विवरण को उपस्थिति पत्रक पर दर्ज करके हुआ। जनसुनवाई की सुविधा एस.आइ.ए. टीम लीडर, डॉ. राम चंद्र के द्वारा प्रदान की गई और उसके बाद श्री जयदीप ने एस.आइ.ए. प्रक्रिया के संक्षिप्त परिचय के साथ वक्तव्यों को स्पष्ट किया। यह चर्चा जमरानी बहुउद्देशीय बांध के लिए चल रही परियोजना के अपेक्षित आवश्यकताओं के लिए सहमति प्रपत्रों और इससे संबंधित कारणों पर हुई। उसके बाद, गाँव के लोगों ने अपनी बेहतर आजीविका और पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्थानों और उनकी उपयोगिताओं पर बोलना शुरू किया। लोगों ने अपने पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए सरकारी योजनाओं में देरी के प्रति असंतुष्टि भी दिखाई। जनसुनवाई बैठक के प्रारंभ में श्री बी.बी. पांडे ने भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत लोगों के विभिन्न अधिकारों को अवगत कराया और इसके बाद एक-एक कर प्रश्न सत्र शुरू हो गए और इस प्रक्रिया के तहत, प्रतिवादियों ने अपनी मांगों पर बोलना शुरू किया जैसा की नीचे दिया हैं:

तालिका 4.6: जन सुनवाई बैठक का विवरण (मुरकुड़िया गांव)

क्र.सं.	मुरकुड़िया गॉव के प्रतिवादियों के नाम	मुरकुड़िया के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
1	प्रतिवादी (पहला)	(i) 5 एकड़ जमीन और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी (ii) हम सबसे पहले पुनर्वास स्थलों की भूमि का अधिकार लेगें, और फिर हम अपने मूल क्षेत्र को छोड़ेंगे। (iii) हम भूमि के बदले भूमि, घर, अस्पताल, स्कूल, सड़क, प्राकृतिक संसाधन और जल चाहेंगे।	सुना और नोट किया गया	प्रभावित लोग 5 एकड़ जमीन और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं और 12 बिन्दुओं के मांग पत्र में उल्लिखित मांगों में से इन दो मांगों को प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया है। पुनर्वास की दिशा में आवश्यक कदम पहले ही अपना स्थान बना चुके हैं, लेकिन सुविधाओं के मूल्यांकन के बिना और प्रभावित लोगों को पुनर्वास के प्रस्तावित चार स्थलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
2	दीवान सिंह (दूसरा)	(i)जमीन डूब रही है, लेकिन घर जलमग्न क्षेत्र में नहीं है। (ii) मेरा नाम विस्थापन सूची में नहीं है	सुना और नोट किया गया	अगर जमीन डूब रही है और घर प्रभावित क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसे मामलों की भरपाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी आजीविका खो रहे हैं और जिनके पास एकमात्र घर शेष है, तो यह उन लोगों के लिए उस क्षेत्र में रहने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं हैं। इसलिए, अधिनियम के अधिकारों में सुधार की गुंजाइश के साथ या भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार ऐसे मामलों के लिए पुनर्वास मुआवजे का सुझाव है।

क्र.सं.	मुरकुड़िया गाँव के प्रतिवादियों के नाम	मुरकुड़िया के प्रभावित लोगों की सहमति और मांगों पर मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
3	प्रतिवादी (तीसरा)	(i) हमने 6 अगस्त 2019 को अपने 12 बिन्दुओ को जमा किया था और तब से हम बैठकों में भाग ले रहे हैं और आज यह 37वीं बैठक है। (ii) बांध निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होगी, हमें स्पष्ट नहीं है। आगे हम किसानों को निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है, हम ऐसे निर्माण पर अपने प्रवास को कब तक जारी रख सकते हैं, इसलिए अगर हम निर्माण कार्य करते हैं और बांध का काम प्रारम्भ होता है तो क्या हमें मुआवजा प्रदान किया जाएगा? (iii) अगर हमारी 12 बिन्दुओं की मांगे सरकार को स्वीकार्य है तब हम अपनी सहमति देंगे; अन्यथा हम जमरानी बांध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं (iv) भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में सभी बिंदुओं को हमें समझाया गया था, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में लागू हुआ था और 2020 में जमरानी बांध का निर्माण होने की उम्मीद है, इसलिए लाभों को दोगुना किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान वर्ष के अनुसार मुआवजे की आवश्यकता है	सुना और नोट किया गया	• लोग अब पुनर्वास योजना देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सुझाव दिया है कि हर बार बैठक होती है, लेकिन पुनर्वास की कोई उत्पादक नीति उन्हें नहीं दिखाई गई है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि उनके पास कौन से विकल्प बचे हैं और उनके सामने स्थिति साफ है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित नहीं है कि बांध निर्माण कार्य कब शुरू होगा और तब तक विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में क्या होगा जो वहां रुके हुए हैं क्योंकि बांध निर्माण की कोई निश्चितता नहीं है। यदि व्यक्तिगत घर निर्माण किया जाता है और इस बीच बांध निर्माण का कुछ आदेश जारी किया जाता है, तो निर्माण कार्य की लागत मुआवजे के प्रावधान में होगी या नहीं। • उनकी सहमति का आधार "संघर्ष समिति" नामक समिति के तहत 12 बिन्दुओं का मांग पत्र है। प्रशासन की ओर से यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रभावित लोग अधिनियम की अनुसूचियों 2 और 3 में उल्लिखित अधिकारों के सभी बिंदुओं को समझें। यहां तक कि अधिनियम को उनकी स्थानीय भाषा में विस्तृत और शब्द से शब्द अनुवाद करने की आवश्यकता है वो भी अधिकार के अर्थ को बदले बिना इसकी सुविधा दी जानी चाहिए। यदि संभव हो तो, सामग्री को सचित्र रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि लोग अधिनियम की सामग्री को असल में समझने में असमर्थ हैं।

क्र.सं.	मुरकुड़िया गाँव के प्रतिवादियों के नाम	मुरकुड़िया के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
		(v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमरानी क्षेत्र मे नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। (vi) एक सामान्य व्यक्ति भू-अर्जन अधिनियम 2013 को नहीं समझ सकता हैं इसलिए हमें एक पुनर्व्यवस्थापन योजना की आवश्यकता है और उसके तहत हमें क्या दिया जाता है, उसके बाद ही हमें सहमति की आगे की प्रक्रिया पर विश्वास होगा।		यह एक वैध प्रश्न है; हालाँकि, मुआवजे के अलावा अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों के लिए सरकारी नौकरी का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। परिस्थिति का पूर्ण अवलोकन करने के लिए, अधिकारों के सापेक्ष मांगों के अंतर्निवेश हेतु एक प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावित लोगों को पुनर्वास की प्रस्ताव योजना को पूरी तरह से समझने में सुविधा हो।
4	प्रतिवादी (चौथा)	(i) जमरानी बांध के लिए एक व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और उसका घर किसी अन्य स्थान पर है, जो डूब क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है इस पर भी हम मांग करते हैं, उस व्यक्ति के लिए आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए। (ii) मुआवजा बाजार की दर के अनुसार और वर्तमान वर्ष के अनुसार दिया जाना चाहिए	सुना और नोट किया गया	अगर कोई घर किसी अन्य जगह पर है और प्रतिवादी पुनर्वास स्थल पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी जमीन डूब क्षेत्र में आती है, तो वह अधिनियम में उल्लिखित मुआवजे के अनुसार फिर से बसने का चयन कर सकता है। प्रभावित लोग वर्तमान वर्ष के बाजार दर के अनुसार मुआवजे की गणना पूछ रहे हैं। यह बिंदु अधिनियम में अधिकार प्राप्त करने के लिए वैध है।

5	प्रतिवादी (पांचवां)	(i) हम ए.डी.एम. महोदय से पूछना चाहते हैं कि पुनर्वास योजना क्या है और हमें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।	श्री बी.बी. पांडेय जी ने भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में उल्लिखित अधिकारों के बिंदुओं की व्याख्या की।	हर बैठक में प्रभावित लोगों को मुआवजे के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। प्रतिवादी केवल अपने 12 बिन्दुओं के मांग पत्र तक खुद को सीमित कर रहे हैं।

क्र.सं.	मुरकुड़िया गाँव के प्रतिवादियों के नाम	मुरकुड़िया के प्रभावित लोगों की सहमति और मांग सम्बन्धी मुद्दे	जमरानी बांध प्राधिकारी की ओर से की गई पहल	एस.आइ.ए. अवलोकन और सिफारिशें
			प्रभावित लोगों के साथ हर बिंदु पर चर्चा की गई और सामग्री को एक सरल हिंदी और स्थानीय भाषा के साथ प्रस्तुत किया गया।	
6	धर्मेश शर्मा (छठा)	(i) प्रभावित लोगों को सर्वश्रेष्ठ मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी जमीन और अपने मूल क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न भावनाओं को त्याग रहे हैं।	सुना और नोट किया गया	- प्रशासन को पहले अधिनियम के अंतर्गत उचित मुआवजे की जानकारी लेना आवश्यक है और यदि किसी विशेष मांग पर जहां मांगों के अनुसार अधिकार की मात्रा कम है तो अधिनियम के अधिकारों में सुधार के प्रावधान की मांग की जानी चाहिए।
7	ब्लाक प्रमुख (सांतवा)	(i) प्रभावित लोगों को पुनर्वास के तथ्य को समझना होगा क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में पुनर्वास स्थल पर जाना होगा। (ii) प्रभावित लोगों को प्रशासन की ओर से सर्वोत्तम संभव मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। (iii) वास्तव में मातृभूमि की कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, पुनर्वास स्थलों पर प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। (iv) आज या कल, प्रभावित लोगों को यह क्षेत्र छोड़ना होगा; इसलिए सहमति देने के लिए तैयार रहें तथापि, प्रशासन को पुनर्वास स्थल पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का आश्वासन देना चाहिए। (v) 5 एकड़ की मांग प्रत्येक	-एडीएम महोदय ने स्थानीय लोगों से मदद के बिंदुओं पर बात की और वे एस.आई.ए. टीम के सदस्यों सहित विभिन्न टीम के सदस्यों के शुक्रगुजार थे। -आगे, एडीएम महोदय ने कहा कि पुनर्वास स्थलों के नाम इस प्रकार हैं: 1. सम्पूर्णानन्द जेल- 284 एकड़ का पुनर्वास स्थल 2. बनबसा, सिंचाई विभाग- 334 एकड़ 3. खटीमा उल्हानी- 118 एकड़ 4. बाजपुर, उधम सिंह नगर -50 एकड़ इस पुनर्व्यवस्थापन में यह अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि कितने	उक्त प्रतिवादी ने प्रभावित लोगों की मांगों को उचित ठहराया और प्रभावित लोगों की मांगों के अंतर्दृष्टि का स्पष्ट उल्लेख किया। ब्लाक प्रमुख ने तथ्यों को सामने रखा कि चूंकि बांध निर्माण एक बड़ी परियोजना है और आज या कल लोगों को पुनर्वास स्थलों के लिए तैयार रहना होगा। प्रतिवादी ने 5 एकड़ की मांग पर भी जोर दिया और कहा कि प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 एकड़ की मांग पर संदेह है। - यह सुझाव दिया जाता है कि भू-अर्जन अधिनियम 2013 में उल्लिखित सर्वोत्तम संभव अधिकारों में अधिक या कम पर्याप्त क्षतिपूर्ति होगी अपवाद स्वरुप कुछ स्थानों पर प्रभावित लोगों की मांग पर विशेष विचार करने की जरूरत है, और यह प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी हैं

		व्यक्ति के लिए प्रतीत नहीं होती है इसलिए प्रशासन से पुनर्वास स्थलों पर सबसे अच्छी सम्भावित सुविधाओं के हेतु निवेदन किया जा सकता है।	प्रभावित लोग पुनर्वासित किये जायेंगे तथा उनकी प्रत्येक सुविधाओं के लिए पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जायेगा। 5. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जो भी अधिकार विद्यमान हैं, वह वर्ष 2013 के अनुसार हैं। इसलिए यह आशा की जाती है कुछ बिन्दुओं को सुधार की आवश्यकता है एवं प्रभावित लोगो के पक्ष में संशोधन किया जाए।	

चित्र 4.6: जनसुनवाई बैठको की तस्वीरें- ग्राम मुरकुड़िया



**प्रभावित लोगों की कठिनाई को दूर करने हेतु, जोकि अधिनियम के अन्तर्गत हकदारी के प्राविधानो को नहीं समझते है, 5 स्तम्भ का प्रपत्र तैयार किया जा सकता है

मुआवजे के रूप में पुनर्वास योजना के प्रस्ताव का प्रारूप

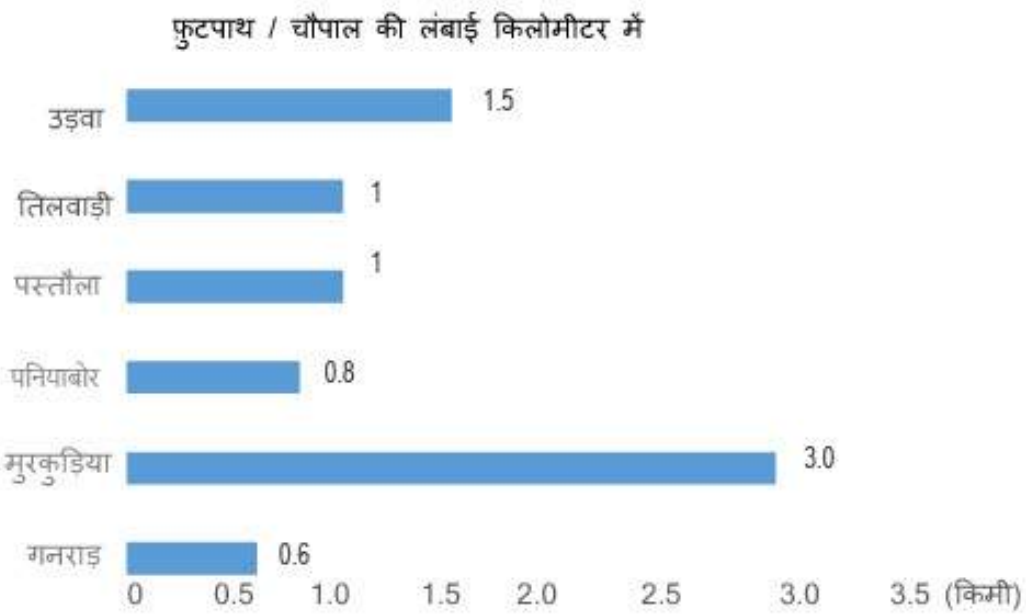
क्र.सं.	प्रभावित लोगों की मांग	अधिनियम के मुआवजे के अधिकार	अधिनियम के उल्लिखित अधिकारों द्वारा मांगों को किस हद तक पूरा किया जा रहा है	अधिनियम के अधिकारों में संभावित हद तक सुधार के साथ प्रभावित लोगों की मांगों को सही ठहराने के लिए और क्या किया जा सकता है	मांग पत्र के प्रत्येक बिंदु के विरुद्ध अंतिम मुआवजा
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

4.7. छः गांवों के प्रभावित व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक परामर्श

4.7.1. फुटपाथ / चौपाल

फुटपाथ / चौपाल की कुल लंबाई, जो डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है 7.9 किमी है। फूटपाथ का ग्रामवार विवरण चित्र 4.7 में दिखाया गया है। मुरकुड़िया वह गाँव है जहाँ की फुटपाथ सबसे लंबी है और जिसकी लंबाई 3 किमी है। उसके बाद उड़वा गाँव है, जहाँ फुटपाथ की लंबाई 1.5 किमी है। फुटपाथ का सबसे कम भाग गाँव गनराड़ (0.6 किमी) और पनियाबोर (0.8 किमी) है। तिलवाड़ी और पसतौला जैसे गाँवों में केवल 1-1 किमी की लंबाई वाले फुटपाथ हैं।

चित्र 4.7: फुटपाथ / चौपाल की लंबाई किलोमीटर में



4.7.2. धार्मिक स्थल / मंदिर

सात मंदिर डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, और वे लुप्त हो जाएंगे। प्रभावित परिवार के सदस्यों के अनुसार, वे वहाँ के पुनर्वास स्थलों पर समान आकार के मंदिरों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं। मुरकुड़िया गाँव में दो मंदिर है, और बाकी सभी गाँवों में एक-एक मंदिर हैं (तालिका 4.7)।

तालिका 4.7: धार्मिक स्थलों / मंदिरों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम	धार्मिक स्थलों / मंदिरों की संख्या
1	गनराड़	1
2	मुरकुड़िया	2
3	पनियाबोर	1
4	पसतौला	1
5	तिलवाड़ी	1
6	उड़वा	1

4.7.3 विद्यालय

अवलोकन और आकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सभी छः गांवों में से, केवल मुरकुड़िया, पसतौला और उडवा गांव प्रत्येक में केवल एक स्कूल है, और बाकी गांवों में कोई स्कूल नहीं हैं। इसके अलावा, इलाके के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए भू-भागों की लंबी दूरी पार करनी पड़ती है।

4.7.4 स्वास्थ्य सुविधाएं

परियोजना के छः गांवों में, केवल मुरकुड़िया में ही एक स्थानीय छोटा अस्पताल है, और बाकी गांवों में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। किसी भी आपात स्थिति के लिए, गांवों के लोगों को हल्द्वानी शहर के अस्पतालों

का उपयोग करना पड़ता हैं।

4.7.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान)

उचित मूल्य की दुकानों की उपलब्धता केवल गांव मुरकुड़िया में देखी गई, और बाकी गांवों में ऐसी कोई दुकानें नहीं हैं। लोग केवल मुरकुड़िया गांव की दुकानों तक सीमित है।

4.7.6 बाजार से जुड़ा हुआ परिवहन माध्यम

जैसा कि परियोजना स्थल के गांवों में देखा गया है कि केवल मुरकुड़िया गांव में परिवहन माध्यम है जो हल्द्वानी शहर के मुख्य बाजार से जोड़ता है, क्षेत्र के लोगों को परिवहन के उद्देश्य से मोटर वाहनों को साझा करने के लिए 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है।

4.7.7 सामुदायिक केंद्र / जन मिलन केंद्र / वन अतिथि गृह

क्षेत्र में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। हालाँकि, एक वन अतिथि गृह मुरकुड़िया गाँव में है, और तिलवाड़ी गाँव में केवल एक जन-मिलन केंद्र है बांकी गाँव में ऐसा कोई केंद्र नहीं है और न ही कोई सरकारी इमारत है।

4.7.8 आर्थिक गतिविधियां

छ: गांवों के डूब क्षेत्र में सार्वजनिक विचार विमर्श के अनुसार यह पता चला कि मछली पकड़ने, स्थानीय होटल और आतिथ्य क्षेत्र मौजूद है। मछली पकड़ने की गतिविधियाँ गनराड़, पनियाबोर, पसतौला, तिलवाड़ी, उडवा और साथ ही मुरकुड़िया में की जाती हैं। हालांकि, मुरकुड़िया गांव में मछली पकड़ने की गतिविधियों के अलावा, अन्य जो गतिविधियां चल रही है, वो पर्यटन, होटल और अस्पताल आदि हैं।

4.7.9 सिंचाई परियोजना

परियोजना स्थल के गांवों में सिंचाई की कोई भी परियोजना उपलब्ध नहीं है।

4.7.10 सामाजिक / धार्मिक मेले / भंडारे

सभी छ: गांवों से प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक मेलों की व्यवस्था होती है। तिलवाड़ी गाँव में मकर सक्रांति के मेले का प्रबंधन होता हैं, और नवरात्रि, शिवरात्रि, क्रिसमस, मकर संक्रांति मेलों का अच्छी तरह से प्रबंधन और संचालन मुरकुड़िया और उडवा गांवों में किया जाता है। इस प्रकार केवल तीन गांवों- तिलवाड़ी, मुरकुड़िया, और उड़वा में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इन मेलों के दौरान, भोजन भंडारा का प्रबंधन भी किया जाता है, और स्थानीय लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। भंडारे के स्थान गाँव मुरकुड़िया और गाँव उड़वा है, जहाँ धार्मिक मेलों के दौरान ऐसी सुविधाएँ दी जाती हैं।

चित्र 4.8: परियोजना क्षेत्र के तहत स्थानीय लोगों की और एक मंदिर की तस्वीर



चित्र 4.9: परियोजना क्षेत्र और एस.आइ.ए. टीम की तस्वीरें



एस.आइ.ए. टीम परियोजना क्षेत्र में तिलवाड़ी गाँव के लोगों के साथ



परियोजना क्षेत्र में तिलवाड़ी गाँव के घर,भूमि ओर लोग



परियोजना क्षेत्र में त्यौहार के दौरान विदेशी भक्त



परियोजना क्षेत्र में मुरकुडिया गाँव के घर, भूमि और लोग



परियोजना क्षेत्र के उड़वा गाँव में सर्वेक्षण करती एस.आई.ए. टीम



परियोजना क्षेत्र में उड़वा गाँव के लोग

5. भूमि का मूल्यांकन

5.1. परियोजना के प्रभाव अन्तर्गत संपूर्ण समाघात क्षेत्र (जो कि अधिग्रहण के लिए भूमि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है)

तालिका 5.1: जलाशय में भूमि के डूबने या बांध से जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या (सर्वे 2008 के अनुसार)

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

क्र.सं.	गांवों के नाम	प्रभावित परिवारों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	तिलवाड़ी	13	अपस्ट्रीम का गॉव
2	मुरकुड़िया	52	अपस्ट्रीम का गॉव
3	गनराड़	12	अपस्ट्रीम का गॉव
4	पनियाबोर	12	अपस्ट्रीम का गॉव
5	उड़वा	11	अपस्ट्रीम का गॉव
6	पसतौला	20	अपस्ट्रीम का गॉव
	उप-योग	**120**	**120 परिवार**
7	पनिया मेहता	11	डाउनस्ट्रीम का गॉव
8	गुमालगॉव	7	डाउनस्ट्रीम का गॉव
9	रौंशिल	20	डाउनस्ट्रीम का गॉव
10	पशौली	11	डाउनस्ट्रीम का गॉव
11	भोरसा	14	डाउनस्ट्रीम का गॉव
12	अना	7	डाउनस्ट्रीम का गॉव
13	कुला	3	डाउनस्ट्रीम का गॉव
14	डेहरा	6	डाउनस्ट्रीम का गॉव
15	अमृतपुर	0	डाउनस्ट्रीम का गॉव
	उप-योग	**79**	**79 परिवार**
	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	**199**	

5.2. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

परियोजना के लिए लगभग 457.19 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इसमें से 33.96 हेक्टेयर भूमि पहले ही अधिग्रहीत की जा चुकी है और 423.23 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष है। 423.23 हेक्टेयर में से, वन क्षेत्र 351.55 हेक्टेयर है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा पहले चरण की मंजूरी मिल गई है। बाकी 71.68 हेक्टेयर निजी भूमि है, जिसे अधिग्रहीत किया जाना है।

तालिका 5.2: जमरानी बांध परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि व प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का विवरण

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

क्र.सं.	विषय	भूमि का विवरण (हेक्टेयर)		
		अधिग्रहित (हेक्टेयर)	अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित (हेक्टेयर)	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	डूब क्षेत्र के गाँवों की भूमि	-	49.34	49.34
2	मुख्य नहर और फीडर नहर नेटवर्क	33.96	17.25	51.21
3	प्रस्तावित बैचिंग प्लांट हेतु	-	1.76	1.76
4	मक डिस्पोजल हेतु	-	3.33	3.33
5	वन भूमि	-	351.55	351.55
	कुल	**33.96**	**423.23**	**457.19**

5.3 परियोजना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग

परिक्षेत्र में ऐसी कोई भूमि नही है जो परियोजना क्षेत्र के इलाके में अनुपयोगी भूमि हो। सभी स्थानीय निवासी सार्वजनिक संपतियों का उपयोग कर रहे हैं। गोला नदी का क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत है।

पहले से खरीदी गई, अलग-थलग, पट्टे पर या अधिग्रहित की गई और परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के प्रत्येक भूखंड के इच्छित उपयोग का ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं मिला।

5.4. बांध स्थल पर अपवाह क्षेत्र के उपयोग का वर्गीकरण

तालिका 5.3 : बांध स्थल पर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित भूमि का भू-उपयोग वर्गीकरण

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

क्र.सं.	भूमि उपयोग वर्ग	हेक्टेयर में क्षेत्र	क्षेत्र प्रतिशत
1	घनी वनस्पति (शीर्ष कवर का घनत्व > 40 %)	25622.41	46.54
2	मध्यम वनस्पति (शीर्ष कवर का घनत्व 10 - 40 %)	14167.68	25.73
3	हल्की वनस्पति (पतित)(शीर्ष कवर का घनत्व < 10 %)	5696.93	10.35
4	कृषि भूमि	5120.04	9.30
5	झाड़ियाँ/छोटे वृक्ष	2234.24	4.06
6	नदी का तल/बंजर इलाका	815.86	1.48
7	जल युक्त स्थल	24.93	0.05
8	बस्ती/निर्मित क्षेत्र	1370.90	2.49
	कुल	55053.00	100.00

(स्रोत: जमरानी बांध की *EIA* रिपोर्ट)

5.5. मौजूदा और प्रस्तावित फसल पद्धति

एक ऐसे क्षेत्र में, जहाँ एक सदाबहार नदी के मानसून प्रवाह का दोहन करना पड़ता है वहां जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई योजना हेतु मुख्य विचारणीय बिंदु प्रवाह का 75% भरोसेमंद पैदावार और सिंचाई हेतु उपलब्धता है, जो कि वर्तमान फसल चक्र तथा सिंचाई साधन को भी ध्यान में रखते हुए हैं।

इस क्षेत्र में 3 उप-क्षेत्र हैं : भाबर, तराई और गंगा के उप-क्षेत्र। इन क्षेत्रों में फसल का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न हैं। उप-क्षेत्रवार फसल स्वरूप तालिका 5.5, 5.6 और 5.7 में विस्तृत हैं।

तालिका 5.4: भाबर उप-क्षेत्र में मौजूदा और प्रस्तावित फसल का स्वरूप

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

ऋतु	फसले	मौजूदा फसल का स्वरूप		प्रस्तावित फसल का स्वरूप		अतिरक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणियाँ
		प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
खारीफ़	धान	27.87	3495	13.9	1743	-1752	क्षेत्र में कमी
	अरहर	0.01	1	0.01	1	0	
	मक्का	8.49	1065	13.9	1743	678	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	चारा	1.74	218	1.74	219	1	
	गन्ना	5.73	718	4.86	609	-109	क्षेत्र में कमी
	सोयाबीन	23.61	2961	45.45	5700	2739	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	उडद	0.41	51	0.41	51	0	
	तिल	0.06	8	0.05	6	-2	
	साँवाँ	0.49	62	0.5	63	1	
	सब्जियां	13.72	1721	13.73	1722	1	
	कुल	82.13	10300	94.55	11857	1557	
रबी	गेहूँ	56.61	7100	32.75	4107	-2993	क्षेत्र में कमी
	आलू	2.31	290	2.32	291	1	
	लही/ सरसों	3.63	455	9.26	1161	706	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	चारा	1.99	249	1.99	249	0	
	मटर	0.13	16	27.8	3486	3470	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	मसूर	1.53	192	1.53	192	0	
	चना	2.85	358	2.22	279	-79	
	ज्वार	0.19	24	0.19	24	0	
	सब्जियां	0.00	0	4.61	579	579	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	दाले	0.00	0	0	0	0	
	कुल	69.24	8684	82.67	10368	1684	
जैद	मूंग	0.00	0	2.75	345	345	
	उड़द	0.00	0	2.75	345	345	
	मक्का	0.00	0	2.75	345	345	
	सब्जियां	0.00	0	2.75	345	345	
	चारा	0.00	0	2.75	345	345	
	कुल	0.00	0	13.75	1725	1725	
	कुल योग	151.38	18984	190.97	23950	4966	

तालिका 5.5: तराई उप-क्षेत्र में मौजूदा और प्रस्तावित फसल का स्वरूप

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

ऋतु	फसले	मौजूदा फसल का स्वरूप		प्रस्तावित फसल का स्वरूप		अतिरक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणियाँ
		प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
खारीफ़	धान	70.68	14146	62.37	12484	-1662	क्षेत्र में कमी
	अरहर	0.00	1	0.01	1	0	
	मक्का	0.35	70	4.08	816	746	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	गन्ना	25.91	5186	25.91	5186	0	
	सोयाबीन	1.27	255	7.01	1659	1404	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	उडद	0.05	11	0.06	11	0	
	मूंगफली	0.02	5	0.02	5	0	
	तिल	0.01	2	0.01	2	0	
	कुल	98.31	19676	99.47	20164	488	
रबी	गेहूँ	72.23	14457	72.23	14457	0	
	आलू	0.36	72	0.36	72	0	
	लही/ सरसों	4.37	875	4.37	875	0	
	मटर	1.25	250	16.25	3253	3003	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	मसूर	0.37	74	0.37	74	0	
	चना	0.02	4	0.02	4	0	
	सब्जियां	0.00	0	5	1001	1001	क्षेत्र में बढ़ोतरी
कुल		78.60	15732	98.6	19736	4004	
कुल योग		**176.91**	**35408**	**198.07**	**39900**	**4492**	

तालिका 5.6: गैंगटिक उप-क्षेत्र में मौजूदा और प्रस्तावित फसल का स्वरूप

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

ऋतु	फसले	मौजूदा फसल का स्वरूप		प्रस्तावित फसल का स्वरूप		अतिरक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	**टिप्पणियाँ**
		प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
खारीफ़	धान	67.99	79864	69.35	81468	1604	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	अरहर	0.02	26	0.02	26	0	
	मक्का	0.05	63	3.76	4421	4358	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	चारा	2.38	2794	2.38	2794	0	
	गन्ना	17.13	2021	17.13	20121	0	
	सोयाबीन	0.01	13	19.33	22707	22694	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	उडद	0.31	360	9.13	10725	10365	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	मूंग	0.04	48	1.22	1431	1383	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	मूंगफली	0.01	13	0.01	13	0	
	तिल	0.02	19	0.02	19	0	
	कुल	87.95	103321	122.35	143725	40404	
रबी	गेहूँ	61.70	72475	61.69	72475	0	
	आलू	0.52	607	0.52	607	0	
	लही/ सरसों	2.78	3261	5.79	6804	3543	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	चारा	1.85	2172	1.85	2172	0	
	मटर	0.83	975	0.83	975	0	
	मसूर	2.65	3109	2.65	3109	0	
	चना	0.01	10	0.01	10	0	
	दाले	0.00	0	3.11	3660	3660	क्षेत्र में बढ़ोतरी
	कुल	70.32	82609	76.45	89812	7203	
	कुल योग	**158.28**	**185930**	**198.8**	**233537**	**47607**	

तालिका 5.7: सिंचाई के तहत उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्र

स्रोत: जमरानी परियोजना की *EIA* रिपोर्ट

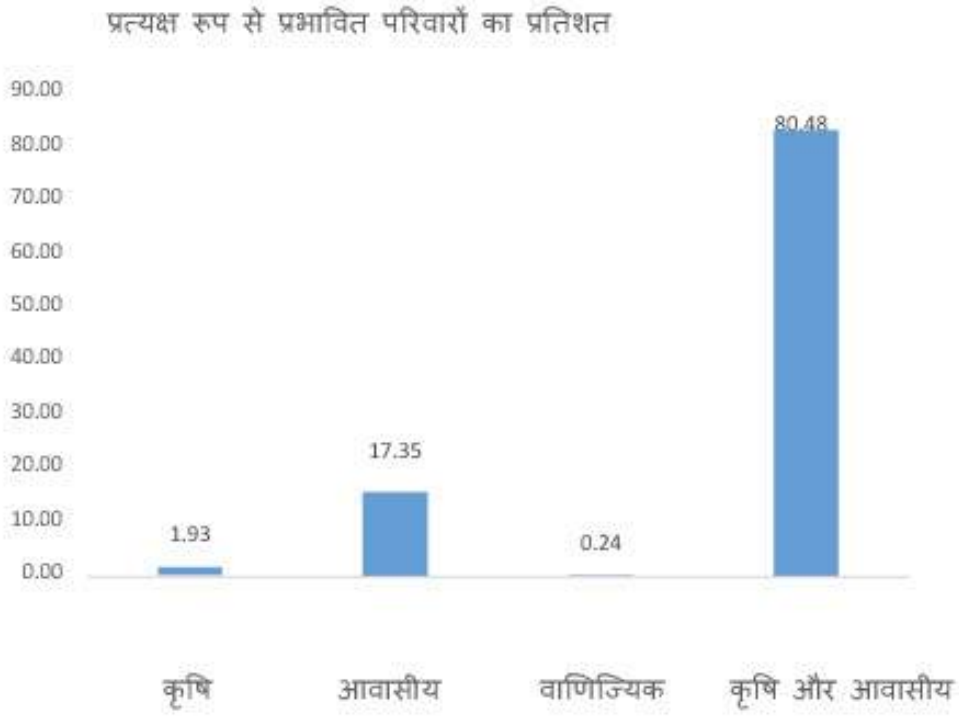
क्र.सं.	उप-क्षेत्र	कुल वार्षिक सिंचित क्षेत्र (हे०)	अतिरिक्त क्षेत्र (हे०)
1	भाबर उप-क्षेत्र	23950	4966
2	तराई उप-क्षेत्र	4492	4492
3	गैंगटिक उप-क्षेत्र	47607	47607
	कुल	**75949**	**57065**

6. प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों और संपत्तियों का अनुमान और गणना

6.1. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों का विवरण

जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ 6.1 में स्पष्ट है की कुल प्रभावित परिवार 80.48% हैं, जिनके पास कृषि और आवासीय दोनों जगहें हैं और दोनों परियोजना क्षेत्र में हैं। अधिग्रहण के तहत 17.35% प्रभावित परिवारों के पास आवासीय स्थान है और केवल 1.93% लोगों के पास ही कृषि भूमि हैं, दूसरे शब्दों में, उनका निवास स्थान परियोजना क्षेत्र से बाहर हैं, और केवल भूमि ही अधिग्रहण के तहत है।

चित्र 6.1: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार



तालिका 6.1: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों का विवरण

क्र.सं.	अधिग्रहण के तहत भूमि	प्रभावित परिवारों की संख्या
1	कृषि	8
2	आवासीय	72
3	वाणिज्यिक	1
4	कृषि और आवासीय	334
	कुल	**415**

6.1.1. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर किरायेदार

डेटा विश्लेषण से पता चला है कि कुल 5 प्रतिवादी हैं जो या तो किराए पर रह रहे हैं या अधिग्रहण के तहत भूमि पर रहते हैं।

6.1.2. अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक रूप से रहने वाले आदिवासी जिन्होंने अपना कोई भी वन अधिकार खोया है

कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी नहीं पाए गए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

6.1.3. अपनी आजीविका के लिए आम संपत्ति/ संसाधनों पर निर्भर रहने वाले प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग जो भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे

डेटा उपलब्ध जानकारी के अनुसार पता चला कि ऐसा कोई प्रतिवादी नहीं है जिनकी ऐसी स्थिति है। हालांकि, यह देखा गया कि लगभग सभी प्रभावित लोग अपनी नियमित गतिविधियों को करने के लिए सड़कों और मार्ग पर निर्भर है।

ऐसी कोई भूमि भी नहीं है जिसे राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया है और यह भूमि अधिग्रहण के अधीन है।

केवल एक प्रतिवादी है जिसका घर परियोजना क्षेत्र में है और वह क्षेत्र के बाहर रहता है।

6.1.4. हैडाखान विश्व महा धाम हैडाखंडी समाज की भूमि का विवरण

1. हर साल आयोजित किए गए कार्यक्रम
   a) जनवरी- मकर संक्रांति- 250 लोग भंडारे में शामिल होते हैं
   b) फरवरी- समाधि दिवस- 250-300 लोग
   c) मार्च- नवरात्र कार्यक्रम और 09 दिन देवी भागवत: -
      i) 300-500 विदेशी
      ii) 600-700 भक्त आश्रम में रहते हैं
      iii) नौ दिनों में 6000-7000 स्थानीय ग्रामीण आश्रम आते हैं
      iv) प्रतिदिन 150-250 भक्त आते-जाते हैं
      v) अंतिम दिन लगभग 5000 लोग भंडारा खाते हैं

   d) दिसंबर- क्रिसमस का जश्न- यह मेला का रूप ले लेता है। स्थानीय लोग नदी के तल पर बहुत सारी दुकानें लगाते हैं।

   e) अगस्त- शिवार्चन अर्थात पार्थिव पूजा 12 दिनों तक की जाती है और रक्षा बंधन के दिन संपन्न होती है। 100-150 लोग आमतौर पर हैडाखान में मौजूद होते हैं। प्रतिदिन 100-150 सामान्य दर्शक होते हैं

   f) 31 दिसंबर नव वर्ष की पूर्व संध्या- 100-150 व्यक्ति

2. अनेक समूहों में लोग पूरे भारत और विदेशों से हैडाखान देखने आते हैं, विवरण अलग से प्रदान किए गए हैं। भक्त क्रिया योग, हठ योग और कई अन्य अभ्यास करते हैं। ये समूह महारतस बाबा और योगानंद के अनुयायी हैं।
3. लोगों के कई समूह ध्यान और योग साधनाओं के लिए आते हैं और जीने की कला/ आर्ट ऑफ़ लिविंग सीखने के लिए गुरुदेव श्री रवि शंकर के अनुयायी यहाँ आते है ।
4. यहाँ पर 100-150 की संख्या में लोग प्रतिदिन दर्शन पूजन करने आते हैं शनिवार को संख्या बढ़कर 250-300 तक हो जाती है इसमें से कुछ लोग पिकनिक के लिए भी आते है तथा रविवार को 150-200 लोग मंदिर के दर्शन करते है ।
5. आतिथ्य-आश्रम विदेशी भक्तों / आगंतुकों / पर्यटकों के साथ-साथ भारतीयों को भी निम्न तरीके से प्रदान करता है।
    a. आश्रम, इसमें रहने वाले भक्तों / आगंतुकों को आवास, बिस्तर और भोजन सेवा कराता है।
    b. जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं।
    c. बाथरूम में लगे गीजर और सोलर वॉटर हीटर से स्नान के लिए गर्म पानी
    d. पंचकर्म
    e. योग और ध्यान की सुविधाएं
    f. साफ़-शुद्ध पीने का पानी
    g. कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए यात्राएं आयोजित करता है और मार्गदर्शक प्रदान करता है
    h. नदी स्थलों पर स्नान करने योग्य स्थलों की व्यवस्था करता है
    i. कुमाऊं के अन्य तीर्थस्थलों जैसे कैंची में नीमकरोली आश्रम, द्वाराहाट के पास दसनागिरि मंदिर, जागेश्वर धाम, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर इत्यादि में तीर्थयात्रा का आयोजन कराना।
    j. हवन अग्नि संस्कार, धूम योग, कर्म योग, ध्यान और प्राकृतिक उपचार के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठानों पर कक्षाएं आयोजित करता है।
    k. भारतीय धार्मिक पुस्तकों, बाबाजी पर साहित्य, विभिन्न आरती के रिकॉर्ड कैसेट, भजन आदि के साथ पुस्तकालय प्रदान करता है।
    l. उचित लागत पर भारतीय देवी-देवताओं की संगमरमर की मूर्तियाँ प्रदान करता है
    m. हैडाखान से विभिन्न स्थानों पर यात्रा और आने जाने की सुविधा का आयोजन करता है।
    n. अनुरोध करने पर श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन/बस टिकट बुक करने में कार्यालय मदद करता है।
    o. पूजा भंडार की दुकान में बहुत ही उचित कीमत पर कपड़े, पूजा-सामग्री, संगीत वाद्ययंत्र और आध्यात्मिक गीतों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है।
    p. योग और ध्यान की सुविधाएं
    q. श्रद्धालुओं, पर्यटकों, दर्शकों और स्थानीय लोगों और उन सभी को जिन्हे तत्काल आवश्यकता है, को आंतरिक सुविधाएं प्रदान करती हैं,

r. आकस्मिक दर्शकों और हर रोज़ आने-जाने वाले स्थानीय लोगों और पिकनिक पार्टी करने वाले लोगो को टॉयलेट की सुविधा प्रदान की जाती है।

6. आश्रम द्वारा अपनी परियोजनाए व सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय लोगों का उत्थान करने का प्रयास:

बालिका परियोजना - आश्रम बालिकाओं के उत्थान के लिए वितीय सहायता प्रदान करता है, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्रवृत्ति है कि लड़कियां को घर पर काम करना है और गरीबी के कारण वे 5 वर्ष के बाद बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं। हैडाखान समाज लड़कियों को पढ़ाई के लिए वितीय सहायता प्रदान करता है, जो लड़कियां इंटर-पास करने के बाद उच्च प्रशिक्षण करना चाहती हैं, यह उन्हें वितीय सहायता प्रदान करती है। यहां तक कि पर्वतीय क्षेत्र के निम्न-आय वाले परिवार अपने बच्चों के विवाह की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें वितीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

7. श्री हैडाखान महाराज इंटरमीडिएट कॉलेज, बाबाजी द्वारा हैडाखान में पोषित है इसमें सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ हैडाखंडी समाज द्वारा एक नया बहुमंजली भवन स्थापित किया जाना है, वर्तमान में यह योजना नियोजन के चरण पर है।

8. चिकित्सा सुविधाएं-चिकित्सा सुविधाएं और उपचार स्थानीय लोगों को मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। पैदल यात्री यहां तक पहुंचने के लिए 10-12 किमी की दूरी तय करते हैं। दूरस्थ इलाके में सरकारी चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। हैडाखानी अस्पताल स्थानीय लोगों के लिए एक वरदान है।

9. विदेशी लोग सफ़ाई और स्वच्छता पर स्थानीय लोगों के लिए सेमिनार और कक्षाएं आयोजित करते हैं। वे स्थानीय लोगों को स्वस्थ रहने और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं।

10. आश्रम हर साल 13 प्राथमिक विद्यालयों और चार आँगनवाडियों के बच्चों और कर्मचारियों को ऊनी स्वेटर वितरित करता है। साथ ही, आश्रम के कर्मचारियों और आकस्मिक मजदूरों को हर साल जर्सी वितरित की जाती है।

11. विदेशियों की मदद से, सभी स्थानीय स्कूलों में पीने का पानी, पानी का संचयन, स्कूल के फर्नीचर, किताबें और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

12. इस आश्रम के अनुरोध पर दिल्ली के रोटरी क्लब द्वारा अंग्रेजी पुस्तकें, कहानी पुस्तकें और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

13. ग्रामीणों को इंटरनेट, फोटोकॉपी और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं।

14. स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास

a) इस आश्रम के अस्तित्व के कारण सड़क, बिजली और कई विद्यालय निर्मित और प्रदान किए गये। सड़क के कारण स्थानीय लोग अपने कृषि उत्पाद को बिक्री के लिए हल्द्वानी मंडी में ले जा सकते हैं।

b) मासिक वेतन के आधार पर 32 से अधिक स्थानीय लोगों को हैडाखान विश्व महाधाम में नियुक्त किया गया है।

c) आश्रम में निर्माण / रखरखाव के काम के लिए 8-10 मजदूर हमेशा लगे रहते हैं।

d) आश्रम ने गाँव ग्रामीणों के लिए 10-12 दुकानें स्थापित करने की सुविधा प्रदान की और वे अपनी आजीविका कमा रहे हैं।

e) हल्द्वानी से माल को अपने गाँवों तक पहुँचाने और आवागमन के लिए स्थानीय लोगों द्वारा 8-10 छोटे ट्रक खरीदे गए हैं।

f) इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण आश्रम उन सात शिक्षकों को मासिक वेतन प्रदान करता है जो प्राथमिक स्कूलों और आंगन बाड़ियों में कार्यरत हैं।

6.2. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

सार्वजनिक परामर्श के आंकड़ों के अनुसार, द्वितीय चरण के हितधारक व्यक्ति बांध निर्माण से प्रभावित नहीं होंगे और न ही उनकी भूमि या मकान अधिग्रहण के क्षेत्रों में हैं। इन हितधारक व्यक्तियों की आजीविका के विकल्पों के संदर्भ भी नहीं बदले है। सार्वजनिक परामर्श बैठकों और सामाजिक समाघात मूल्यांकन सर्वेक्षण ने सुझाव दिया कि द्वितीय चरण के हितधारक सुरक्षित और लाभकारी स्थिति में हैं। चूंकि बांध के परिचालन के चरण के दौरान, इन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के पास रोजगार के अवसरों से लेकर स्वच्छ पर्यावरण और पर्यटन स्थल के निर्माण के कारण भी विभिन्न अवसर होंगे।

6.3. उत्पादक परिसंपत्तियां और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

हैडाखान एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी जमीन भूमि अधिग्रहण के तहत हैं और उसी का विवरण हैड़ाखान विश्व महा धाम हैडाखंडी समाज भूमि के शीर्षक के रूप में वर्णित किया गया है।

चित्र 6.2: परियोजना क्षेत्र में गतिविधियां



7- प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विवरण

सामाजिक समाघात मूल्यांकन, परियोजना के अंतर्गत आने वाले अपस्ट्रीम के छ: गाँवों के सम्बन्ध में है, इनसे सम्बंधित परिवारों, जनसँख्या और उनके विभिन्न सामाजिक- आर्थिक और सांस्कृतिक रूप रेखा का विवरण नीचे दिया गया है।

7.1. परियोजना क्षेत्र के छ: अपस्ट्रीम गांवों के प्रभावित परिवारों और जनसंख्या का विवरण

कुल 415 प्रभावित परिवार पाए गए और छ: गांवों की कुल प्रभावित आबादी 965 पायी गयी। सभी परिवार परियोजना क्षेत्र में हैं और इन परिवारों की जमीन और मकान भूमि अधिग्रहण के तहत आती हैं, जिसमें, मुआवजा प्राप्त करने और उनके पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन करने के बाद प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए सहमत नए स्थलों में विस्थापित करना होगा।

आंकड़ों से पता चला है कि विस्थापित होने वाले परिवारों में सबसे कम प्रतिशत गनराड़ और पनियाबोर गांव के हैं जैसा कि तालिका 7.1. में दिखाया गया है। मुरकुड़िया और तिलवाड़ी गाँवों से सबसे अधिक परिवारों को विस्थापित किया जाएगा और उनके संबंधित प्रतिशत 34.2% और 22.9% हैं। बाकी परिवार पसतौला में 14.9%; उड़वा में 13.5% प्रतिशत का विस्थापित होना होगा। विस्थापित होने वाले परिवारों के सबसे कम प्रतिशत, 7.2% के साथ गनराड़ और पनियाबोर गांवों में हैं।

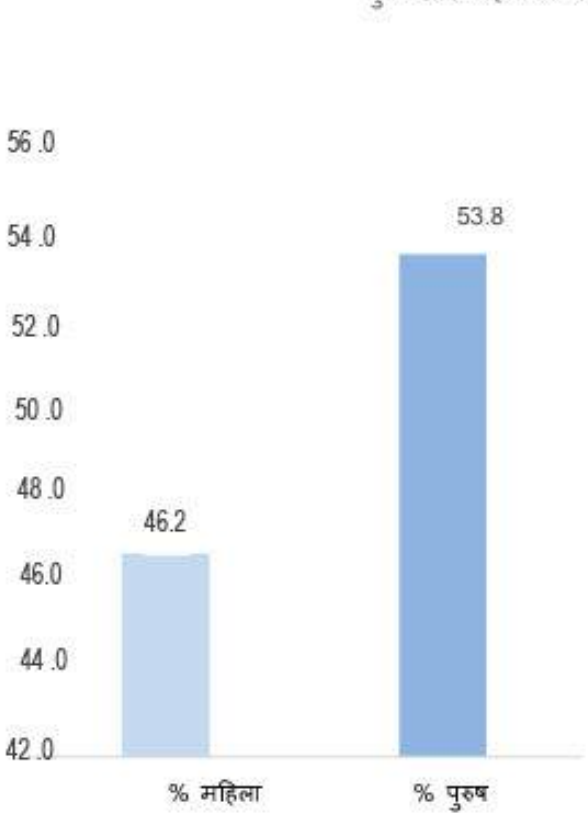
तालिका 7.1: प्रभावित परिवारों और जनसंख्या का विवरण

क्र.सं.	गांव	कुल प्रभावित परिवार	कुल परिवारों का प्रतिशत	कुल जनसंख्या	जनससंख्या का प्रतिशत
•	तिलवाड़ी	95	22.9	235	24.4
•	मुरकुड़िया	142	34.2	301	31.2
•	उड़वा	56	13.5	133	13.8
•	पस्तौला	62	14.9	165	17.1
•	गनराड़	30	7.2	71	7.4
•	पनियाबरे	30	7.2	60	6.2
	कुल	**415**		**965**	

7.2. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों का विवरण

प्रभावित क्षेत्र में, 46.2% महिलाएं हैं, और 53.8% पुरुष हैं; इसलिए परियोजना स्थल पुरुष-प्रधान है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े चित्र 7.1 में दिखाया गया है।

चित्र 7.1: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पुरुष और महिला जनसंख्या



तालिका 7.2: पुरुषों और महिलाओं की ग्रामवार जनसंख्या

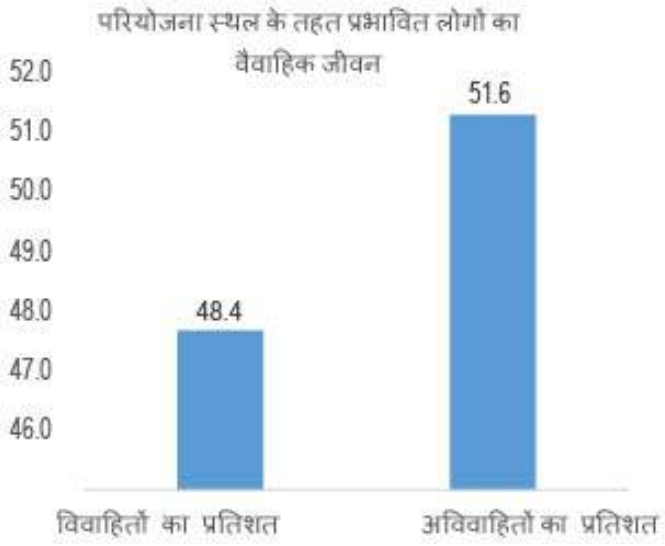
(कुल महिला व पुरुष के सापेक्ष प्रतिशत)

क्र.सं.	गांव	महिला जनसंख्या	महिलाओं का प्रतिशत	पुरुष जनसंख्या	पुरुषों का प्रतिशत
1	तिलवाड़ी	113	25.3	122	23.5
2	मुरकुडिया	142	31.8	159	30.6
3	उड़वा	59	13.2	74	14.3
4	पसतौला	76	17.0	89	17.1
5	गनराड	29	6.5	42	8.1
6	पनियाबोर	27	6.1	33	6.4
	कुल	**446**		**519**	

7.3. परियोजना क्षेत्र के गांवों में लोगों की वैवाहिक स्थिति

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कुल जनसंख्या 965 पाई गई, तथा यह ज्ञात हुआ की इनमे से 48.4% लोग विवाहित और 51.6% लोग अविवाहित हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र 7.2 में देखा जा सकता है। गांवों में विवाहित और अविवाहित लोगों के बारे में तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि मुरकुड़िया वह गाँव है जहाँ विवाहित लोगों का प्रतिशत उच्चतम पाया गया, यानी 29.3% और पनियाबोर गाँव में सबसे कम 6.2% विवाहित लोग पाए गये, उसके बाद गनराड़ गाँव जहाँ विवाहितों का प्रतिशत 6.9%, जैसा कि तालिका 7.3 में दिखाया गया है।

चित्र 7.2: प्रभावित परिवारों में विवाहित और अविवाहित व्यक्ति



तालिका 7.3: प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों की ग्रामवार वैवाहिक स्थिति (कुल विवाहित एवं अविवाहित के सापेक्ष प्रतिशत)

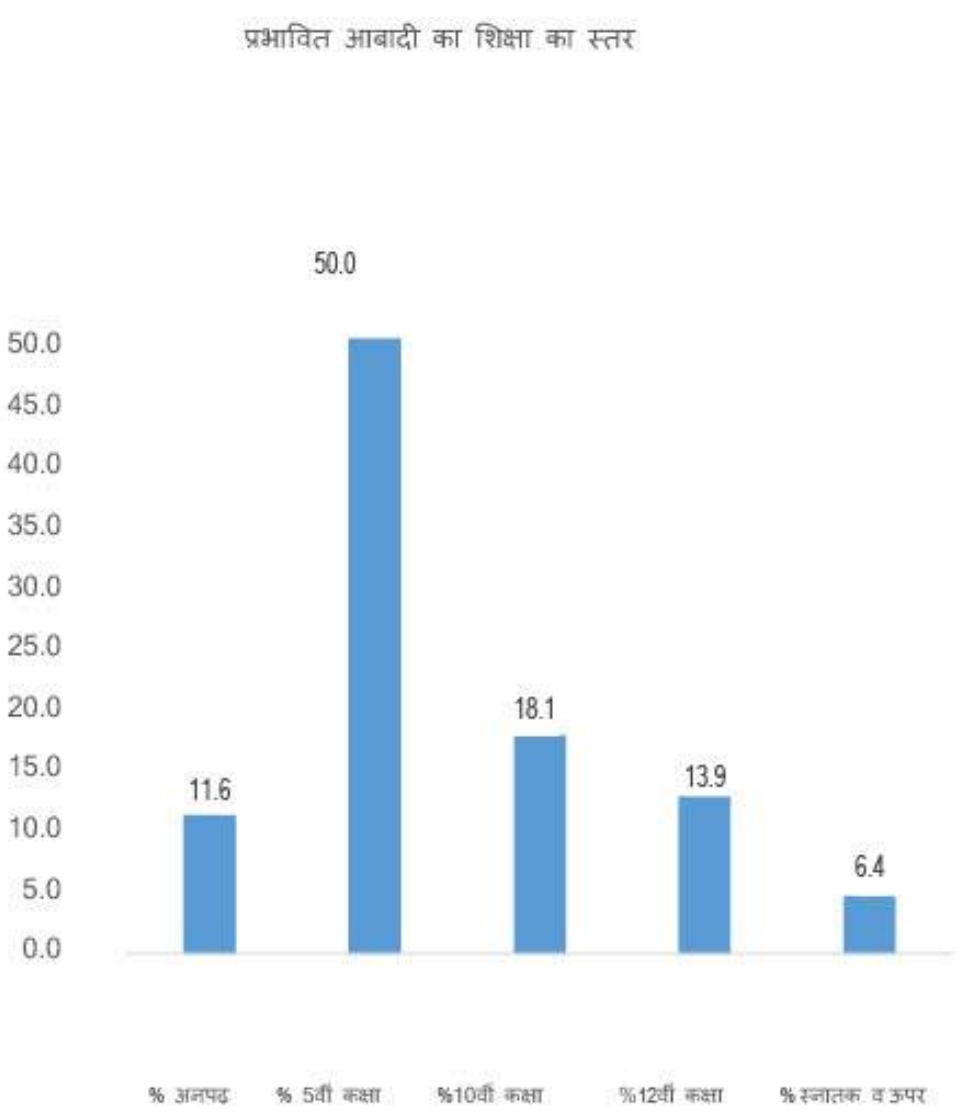
क्र.सं.	गांव	विवाहित	विवाहितों का प्रतिशत	अविवाहित	अविवाहितों का प्रतिशत	कुल
1	तिलवाड़ी	126	27.0	109	21.9	235
2	मुरकुड़िया	137	29.3	164	32.9	301
3	उडवा	67	14.3	66	13.3	133
4	पसतौला	76	16.3	89	17.9	165
5	गनराड़	32	6.9	39	7.8	71
6	पनियाबोर	29	6.2	31	6.2	60
	कुल	467		498		965

7.4. परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति

क्षेत्र में प्रचलित पांच शैक्षणिक श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां अनपढ़, 5वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा स्नातक व उससे ऊपर की हैं। नीचे दिए गए बार चार्ट 7.3 में शिक्षा की विशेष श्रेणियों में आने वाले लोगों का प्रतिशत दिया गया है। इस बार चार्ट के अनुसार 50.0% आबादी केवल 5वीं तक शिक्षित है,10वीं तक 18.1% 12वीं तक 13.9% और स्नातक तथा इससे ऊपर 6.4% है। 11.6% लोग अनपढ़ हैं।

यह भी देखा गया है कि तुलनात्मक रूप से महिला और बच्चे अपेक्षित रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक रूचि लेते हैं।

चित्र 7.3: प्रभावित जनसंख्या की शैक्षणिक स्थिति



तालिका 7.4: परियोजना क्षेत्र के प्रभावित गावों की शैक्षणिक स्थिति

क्र.सं	गाँव	% अनपढ़	% 5 वीं कक्षा	% 10 वीं कक्षा	% 12 वीं कक्षा	% स्नातक और उससे ऊपर
1	तिलवाड़ी	9.4	57.7	14.1	11.3	7.5
2	मुरकुड़िया	6.4	47.2	16.8	21.0	8.6
3	उड़वा	1.6	50.0	25.0	7.8	15.6
4	पसतौला	9.8	61.8	19.6	6.8	2.0
5	गनराड़	7.70	38.5	26.1	24.6	3.1
6	पनियाबोर	34.5	44.8	6.9	12.1	1.7

जैसा कि उपरोक्त तालिका 7.4 से स्पष्ट है, पसतौला गाँव के 61.8% लोग 5वीं कक्षा तक सबसे अधिक शिक्षित हैं और उसके बाद तिलवारी गाँव के 57.7% लोग इस वर्ग में शिक्षित हैं। सबसे कम निरक्षर लोग 1.6 % उड़वा गाँव में हैं। पनियाबोर गाँव के लोग सबसे अधिक 34.5% निरक्षर हैं। गनराड गाँव के 26.1% लोग 10वीं कक्षा तक के वर्ग में एवं 24.6% लोग 12वीं कक्षा के वर्ग में सबसे अधिक शिक्षित हैं। स्नातक एवं इससे ऊपर के वर्ग में उड़वा गाँव के 15.6% शिक्षित हैं जो कि सभी गांवों से अधिक हैं।

7.5. परियोजना क्षेत्र के छः गांवों की धार्मिक स्थिति

एस.आई.ए. सर्वेक्षण ने प्रभावित क्षेत्र के छह गांवों में धार्मिक प्रणाली की जानकारी दी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा गया है। यह ज्ञात हुआ कि 100% लोग हिंदू धर्म के हैं। चूंकि मुरकुड़िया छः गांवों में सबसे बड़ा है, यहां हिंदू परिवारों की संख्या 143 थी, (तालिका 7.5)।

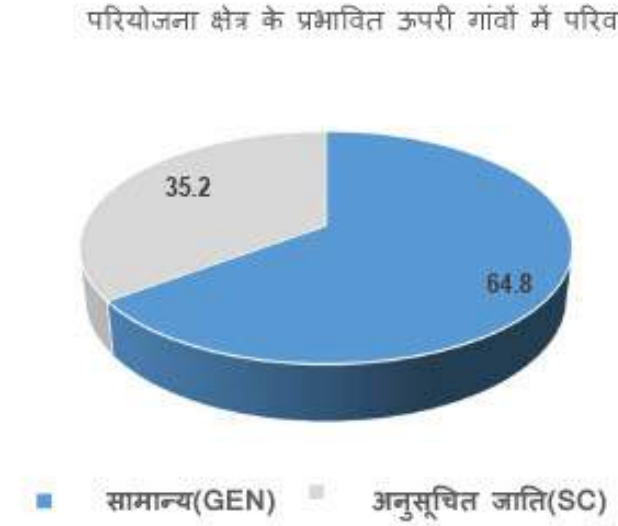
तालिका 7.5: प्रभावित क्षेत्र के गांवों में धर्म व्यवस्था

क्र.सं.	गाँव	अन्य	हिंदू
1	तिलवाड़ी	0	95
2	मुरकुड़िया	0	143
3	उड़वा	0	57
4	पसतौला	0	62
5	गनराड़	0	30
6	पनियाबोर	0	30
	कुल		415

7.6. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में परिवारों के जाति श्रेणियों का विवरण

क्षेत्र में प्रभावित लोगों के बीच दो मुख्य जाति की श्रेणियां ज्ञात हुई हैं। जैसा कि नीचे दिखाए गए "पाई" चार्ट में स्पष्ट है, इसमें 64.8% परिवार सामान्य श्रेणी के हैं और 35.2% परिवार अनुसूचित जाति के हैं जिन्हें डेटा संग्रह की एस.आइ.ए. प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र से दर्ज किया गया। जातियों की अन्य श्रेणियां नहीं मिलीं (तालिका 7.6)

चित्र 7.4: प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जाति श्रेणियों का विवरण



तालिका 7.6: **प्रभावित क्षेत्र में परिवारों की जाति श्रेणियों का ग्रामवार विवरण**

	गाँव	सामान्य श्रेणी (जनरल)	%सामान्य श्रेणी (जनरल)	अनुसूचित जाति (SC)	% अनुसूचित जाति (SC)
1	तिलवाड़ी	21	22.1	74	77.9
2	मुरकुड़िया	113	79.6	29	20.4
3	उड़वा	45	80.4	11	19.6
4	पसतौला	53	85.5	9	14.5
5	गनराड़	30	100.0	0	0.0
6	पनियाबोर	7	23.3	23	76.7
	कुल	269		146	

लोगों की ग्रामवार जाति श्रेणियां, जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, गनराड़ के 100% लोग सामान्य जाति के हैं, उसके बाद पसतौला (85.5%), मुरकुड़िया (79.6%) और उड़वा (80.4%) हैं। सामान्य जाति के प्रभावित परिवारों की सबसे कम आबादी तिलवाड़ी में दर्ज की गई थी, जो केवल 22.1% थी, उसके बाद पनियाबोर (23.3%) में। इसी तरह, अनुसूचित जाति ज्यादातर तिलवाड़ी (77.9%) तक सीमित है, उसके बाद पनियाबोर (76.7%) हैं; गनराड़ वह गाँव है जहाँ अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया था, और कम से कम अनुसूचित जाति परिवारों का प्रतिशत पसतौला में था, जो केवल 14.5% पाया गया। परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत बाँध के अपस्ट्रीम के गांवों में सामाजिक जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसी कोई अन्य जाति नहीं मिली। (तालिका 7.6)

7.7. गांवों के प्रभावित व्यक्तियों का गरीबी स्तर

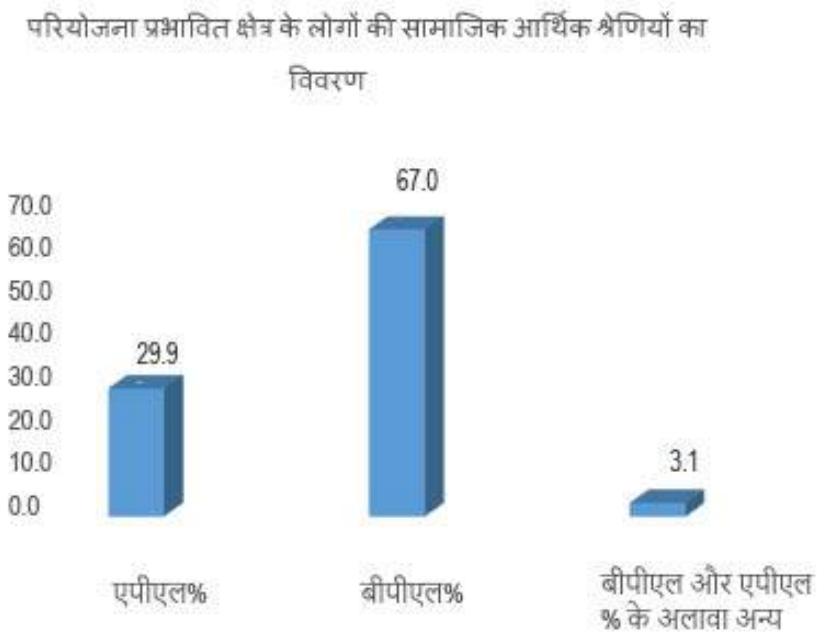
एस.आई.ए. के वर्तमान अध्ययन ने क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों को प्रतिबिंबित किया, जिसका मूल्यांकन उनके स्वामित्व वाले राशन कार्डों की उपलब्धता के साथ किया गया। जैसा कि चित्र 7.5 में देखा गया है, 67% घर बी.पी.एल. , और केवल 29.9% ए.पी.एल. थे, 3.1% परिवारों के पास एस.आइ.ए. सर्वेक्षण के दौरान राशन कार्ड की कोई विशिष्ट श्रेणी उपलब्ध नहीं थी।

लोगों के संबंधित सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के ग्रामवार रिकॉर्ड से पता चला कि पनियाबोर गांव में सबसे अधिक बी.पी.एल. घर हैं, यानी 76.7%। तिलवाड़ी वह गाँव है जहाँ 72.6% बी.पी.एल., 13.7% ए.पी.एल. और 13.7% बिना राशन कार्ड (तालिका 7.7) के हैं। इसी तरह, पसतौला गाँव के आँकड़े लगभग तिलवाड़ी के समान थे, हालाँकि, पसतौला गाँव के सभी व्यक्तियों के पास ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के लिए संबंधित राशन कार्ड थे और बिना किसी विशिष्ट श्रेणी के राशन कार्ड के कोई प्रतिवादी नहीं मिला। गनराड़ एक ऐसा गाँव है जहाँ, ए.पी.एल. और बी.पी.एल. की श्रेणियों के परिवारों को बराबर- अर्थात 50% पाया गया। दूसरे

शब्दों में, गनराड़ गांव में बी.पी.एल. कार्ड सबसे कम हैं या गरीबी का स्तर प्रभावित परियोजना क्षेत्र के गांवों में तुलनात्मक रूप से यहाँ सबसे कम है। उड़वा गाँव गनराड़ के बाद है, जहाँ बी.पी.एल. 60.7%, उसके बाद मुरकुड़िया गाँव जिसमें 64.8% बी.पी.एल. लोग हैं।

निष्कर्षानुसार, गनराड़ सबसे कम बी.पी.एल. वाला गांव है, जिसके बाद उडवा और मुरकुड़िया गांव में कम बी.पी.एल. हैं। इसके विपरीत, पनियाबोर गांव में बी.पी.एल. कार्ड वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है या दुसरे शब्दों में गरीबी का स्तर पनियाबोर (तालिका 7.7) में सबसे अधिक है।

चित्र 7.5: परियोजना क्षेत्र में प्रभावित लोगों की आर्थिक स्थिति



तलिका 7.7: परिवारों की ग्रामवार सामाजिक-आर्थिक श्रेणियां

क्र.सं.	गाँव	एपीएल (सं)	ए.पी.एल. %	बीपीएल (सं)	बीपीएल %	बीपीएल और एपीएल % के अलावा अन्य
1	तिलवाड़ी	13	13.7	69	72.6	13.7
2	मुरकुड़िया	50	35.2	92	64.8	0.0
3	उडवा	22	39.3	34	60.7	0.0
4	पसतौला	17	27.4	45	72.6	0.0
5	गनराड़	15	50.0	15	50.0	0.0
6	पनियाबोर	7	23.3	23	76.7	0.0
	कुल	**124**		**278**		

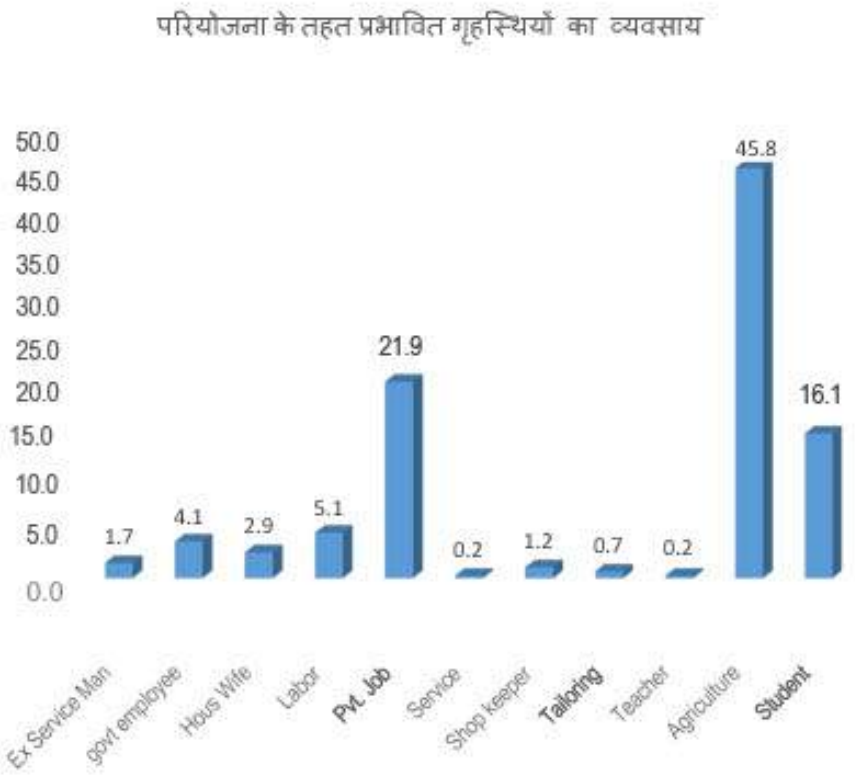
7.8. प्रभावित परिवारों के व्यक्तियों का व्यवसाय

परियोजना क्षेत्र में ग्रामवासियों के व्यवसाय का 'डाटा' विश्लेषण करने पर इसे 11 श्रेणियों में विभक्त किया गया है जैसा कि तालिका 7.8 में उल्लेखित है। बाँध के 'अपस्ट्रीम' स्थित गांवों के कुल 415 परिवार प्रभावित हैं। इनमें से 190 परिवार कृषि कार्य में शामिल हैं तथा बाकी परिवार निजी नौकरी, छात्रों, श्रमिक, सरकारी कर्मचारी, गृहिणी, भूतपूर्व सैनिक, सिलाई, और शिक्षक की श्रेणी में हैं।

चित्र 7.6 में निम्नानुसार यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कुल परिवारों में से 45.8% ने कृषि को व्यवसाय अपनाया है। अवशेष परिवारों में 21.9% निजी नौकरी कर रहे हैं तथा 16.1% छात्र हैं एवं बाकी परिवारों के सदस्य राजकीय कर्मचारी, श्रमिक आदि हैं।

निष्कर्षानुसार, क्षेत्र के 45.8% परिवार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और इनकी आजीविका पूर्णतया अन्न एवं मसालों के फसल उत्पादन पर निर्भर है, जिन्हें वे भविष्य हेतु संग्रहित करते हैं और स्थानीय बाजार में बेचते हैं। प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत बाकी परिवार अन्य व्यवसायों में शामिल हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं।

चित्र 7.6: परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों का व्यवसाय



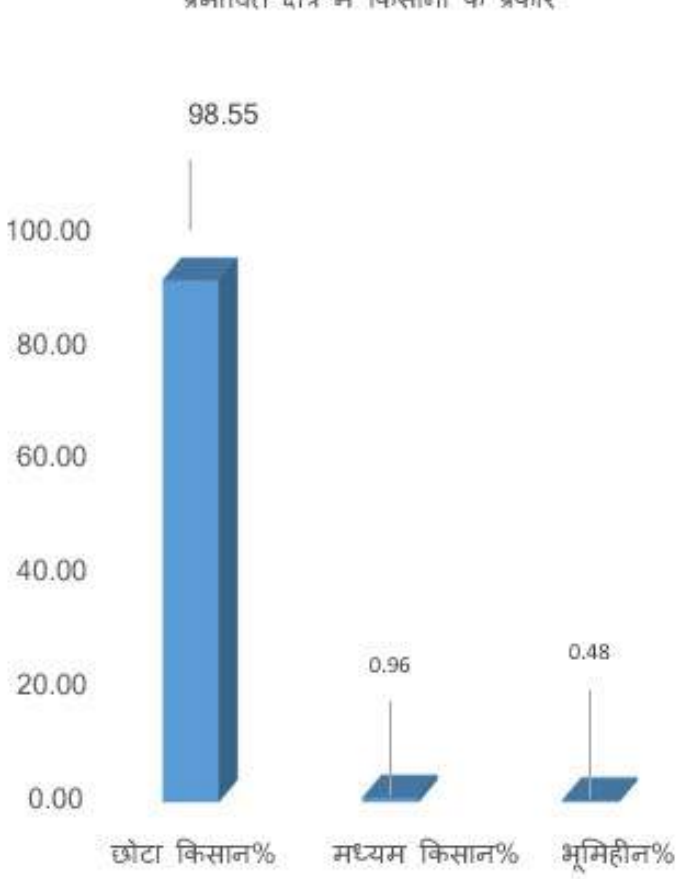
तालिका 7.8: प्रभावित लोगों के व्यवसाय का प्रकार

क्र.सं.	व्यवसाय का प्रकार	व्यवसाय में शामिल प्रतिवादियों का %
1	भूतपूर्व सैनिक	1.7
2	सरकारी कर्मचारी	4.1
3	गृहिणी	2.9
4	श्रमिक	5.1
5	निजी नौकरी	21.9
6	सेवा	0.2
7	दुकानदार	1.2
8	सिलाई	0.7
9	अध्यापक	0.2
10	कृषि	45.8
11	छात्र	16.1

7.9. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में किसानों के प्रकार

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में किसानों के प्रकार के बारे में एस.आई.ए. विश्लेषण में दर्शाया गया है कि 98.55% से अधिक घरो में छोटे किसान हैं। एक छोटे किसान का अर्थ वह किसान जो 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य खेत (स्वामी या किरायेदार या खेती में भागीदार के रूप) में खेती करता है। मध्यम किसानों का प्रतिशत केवल 0.96 है, और भूमिहीन का केवल 0.48% हिस्सा है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र 7.7 में दर्शाया गया है। ग्रामवार किसानों का वर्गीकरण तालिका 7.9 में निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

चित्र 7.7: अधिग्रहण से प्रभावित भूमि में किसानों के प्रकार



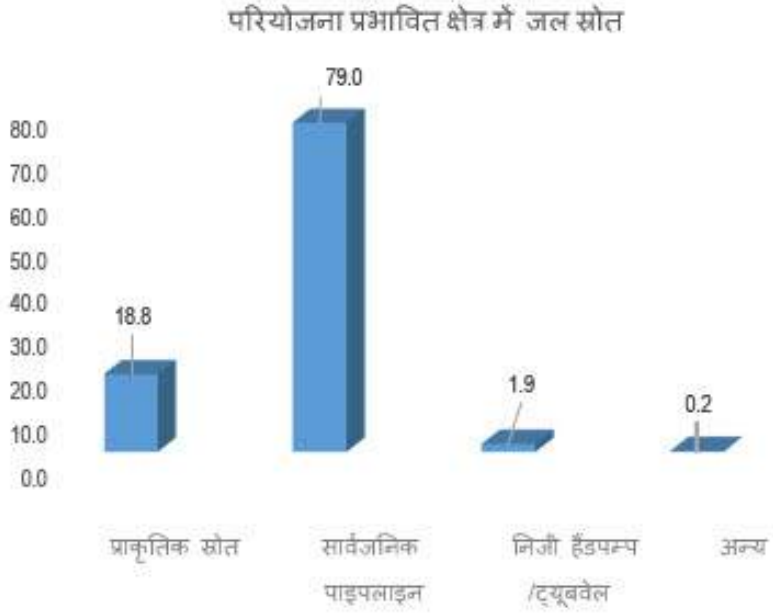
तालिका 7.9: प्रभावित क्षेत्र के घरों के किसानों के ग्रामवार प्रकार

क्र.सं.	गाँव	छोटे किसान	छोटे किसानों का %	मध्यम किसान	मध्यम किसानों का %	भूमिहीन	% भूमिहीन	कुल
1	तिलवाड़ी	93	97.9	0	0.0	2	2.1	95
2	मुरकुड़िया	140	98.6	2	1.4	0	0.0	142
3	उड़वा	55	98.2	1	1.8	0	0.0	56
4	पसतौला	62	100.0	0	0.0	0	0.0	62
5	गनराड़	29	96.7	1	3.3	0	0.0	30
6	पनियाबोर	30	100.0	0	0.0	0	0.0	30
	कुल	409		4		2		415

7.10 परियोजना प्रभावित क्षेत्र में घरेलू जल का स्रोत

परियोजना प्रभावित क्षेत्र घरेलू पानी के स्रोतों से युक्त है, जो प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक पाइपलाइन, निजी हैंड पंप, और नलकूप इत्यादि हैं। (चित्र 7.8)। एस.आइ.ए. सर्वेक्षण के दौरान यह अभिलेखीकरण किया गया कि 79.0% परिवार सार्वजनिक पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं और इसका उपयोग पीने और अपनी नियमित गतिविधियों के लिए करते हैं। घरेलु पाइप लाइन के स्रोत के बाद जो प्राकृतिक स्रोत या जलाशय हैं, को प्रभावित लोग घरेलू जानवरों के लिए उपयोग करते हैं। परियोजना क्षेत्र में निजी हैण्ड पम्प भी पाए गए जिन्हें अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किया गया था तथा स्थानीय लोग इस तरह के स्रोत का भी उपयोग करते हैं।

चित्र 7.8: घरेलू जल के स्रोतो का विवरण



ग्रामवार पानी के स्रोत के विवरण से पता चला है कि सार्वजनिक पाइपलाइन का उपयोग करने वाले सबसे अधिक प्रभावित घर पनियबोर से हैं और उसके बाद गनराड़ और पासतौला गाँव के घरों से हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 100.0%, 96.7% और 91.9% है। हालांकि, घरेलू गणना से पता चला कि मुरकुड़िया गांव सभी अपस्ट्रीम के गांवों में 94 घरों के साथ अधिकतम था। यद्यपि अन्य गांवों में मुरकुड़िया की तुलना में कम प्रभावित घर हैं, इसलिए विशेष गतिविधियों से सम्बंधित आंकड़े प्रतिशत में अधिक प्रकट हो रहे हैं। इस विषय के गहन अध्ययन के बाद देखा गया कि यह केवल आबादी के कारण नहीं है बल्कि क्षेत्र विशेष में लोगों की पुरानी व्यवस्थाएँ भी प्रभाव डालती हैं, जैसे-जैसे समय बीतता गया, सुविधाओं का अपस्ट्रीम के गांवों द्वारा लाभ उठाया गया। किसी गाँव में परिवारों की कम संख्या का मतलब यह नहीं है कि उनकी सामाजिक स्थिति केवल उस गाँव की छोटी आबादी के कारण कम है। हालांकि, यह एक तथ्य है कि एक बड़ी आबादी बड़ी उपलब्ध जगह के साथ विभिन्न हित धारकों का ध्यान आकर्षित करती है। तदनुसार, लोगों

की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाता है।

घरेलू जल स्रोतों के विभिन्न अन्य उदाहरण नलकूप, हैंड पंप और अन्य हैं। यहां अन्य स्रोत का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं का ऊपर उल्लिखित कोई स्रोत नहीं है, लेकिन पीने और पानी के घरेलू उपयोग के लिए स्थापित मानक सुविधाओं का उपयोग करते हैं (तालिका 7.10)।

तालिका 7.10: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में घरेलू जल उपलब्धता का ग्रामवार स्रोत

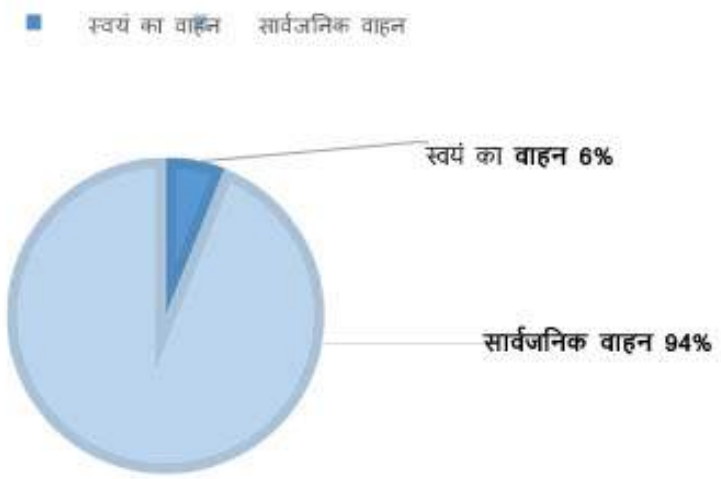
क्र.सं.	गाँव	प्राकृतिक स्रोत वाले घर	प्राकृतिक स्रोत वाले घरों का %	सार्वजनिक पाइपलाइन वाले घर	सार्वजनिक पाइपलाइन वाले घरों का %	निजी हैंडपंप / ट्यूबवेल वाले घर	निजी हैंडपंप / ट्यूबवेल वाले घरों का %	पानी के अन्य सोतों वाले घर	अन्य सोतों वाले घरों का %	योग
1	तिलवाड़ी	7	7.4	86	90.5	2	2.1	0	0.0	95
2	मुरकुड़िया	41	28.9	94	66.2	6	4.2	1	0.7	142
3	उड़वा	24	42.9	32	57.1	0	0.0	0	0.0	56
4	पसतौला	5	8.1	57	91.9	0	0.0	0	0.0	62
5	गनराड़	1	3.3	29	96.7	0	0.0	0	0.0	30
6	पनियाबोर	0	0.0	30	100.0	0	0.0	0	0.0	30
	कुल	78	18.8	328	79.0	8	1.9	1	0.2	415

7.11 परिवहन के साधन

अपस्ट्रीम के गांवों के लोग बहुधा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करते हैं, और केवल 6% घरों के लोगों के पास परिवहन के लिए अपना वाहन है। जैसा कि चित्र 7.9 में दर्शाया गया है, 94% घरेलू लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, परियोजना के तहत क्षेत्र का प्राकृतिक भूगोल सहज नहीं है और भू-भागों से भरा हुआ है। केवल मुरकुड़िया ही वह गाँव है जो सड़क से जुड़ा हुआ दिखाई दिया।

ग्रामवार परिवहन के साधन के आँकड़े जैसा कि 7.11 में दिखाया गया है तिलवाड़ी वह गाँव है जहाँ 9.5% घरेलू लोगों के पास अपना वाहन है, और गाँव की बाकी आबादी परिवहन सुविधा के रूप में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती है ताकि वे क्षेत्र के अंदर या बाहर की नियमित गतिविधियों तक पहुँच सके या पहुँच बना सकें।

चित्र 7.9: परियोजना क्षेत्र के सभी ऊपरी क्षेत्र के गावों में परिवहन का साधन



निष्कर्षानुसार, अपस्ट्रीम के गांवों की एक महत्वपूर्ण आबादी बाजार से जुड़ी अपनी नियमित गतिविधियों में शामिल होने और वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती है। एस.आई.ए. सर्वेक्षण के दौरान सार्वजनिक परिवहन के औसत प्रतीक्षा अवधि 1 से लेकर 3 घंटे दर्ज की गई और देखी गई है। इसके अलावा, 6 गाँवों में से, तिलवाड़ी, मुरकुड़िया, पसतौला और पनियाबोर ऐसे गाँव हैं जहाँ कुछ ग्रामीणों के पास वाहन हैं, क्रमशः प्रत्येक गाँव के लिए- 9, 5, 5, और 4 हैं। दो गाँव हैं - उड़वा और गनराड़, जहां केवल दो व्यक्ति हैं, प्रत्येक गांव में एक, जिनके पास बाजार या नियमित परिवहन तक पहुंचने के लिए अपने वाहन है (तालिका 7.11)।

तालिका 7.11: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	गाँव	ऐसे घरों की संख्या जिनके पास अपने वाहन हैं	स्वयं का वाहन %	घरों की संख्या, जिसके लोग सार्वजनिक वाहन का उपयोग करते हैं	सार्वजनिक वाहन%	कुल
1	तिलवाड़ी	9	9.5	86	90.5	95
2	मुरकुड़िया	5	3.5	137	96.5	142
3	उड़वा	1	1.8	55	98.2	56
4	पसतौला	5	8.1	57	91.9	62
5	गनराड़	1	3.3	29	96.7	30
6	पनियाबोर	4	13.3	26	86.7	30

7.12. बहुउद्देशीय बांध निर्माण परियोजना के बारे में जागरूकता

बांध निर्माण अनुसंधान कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1975 में हुआ और विभिन्न अनुसंधानों के बाद अन्ततः जमरानी बांध बहुउद्देशीय बांध स्थल का चयन हुआ, जो बांध निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल के संदर्भ में समय-समय पर विभिन्न निजी और सरकारी एजेंसियों द्वारा किये गए निरीक्षण पर आधारित था, इस क्षेत्र के सामाजिक, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के पहलुओं पर बांध निर्माण के विभिन्न वर्तमान और बाद के प्रभावों पर अनुसंधान किया गया। इसी तरह, परियोजना के विकास के प्रभाव से लोगों के जीवन और उनके विस्थापन पर परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अनुसंधान करना अनिवार्य था। अन्ततः अंतिम निर्णयों के परिपेक्ष में, परियोजना को अंतिम रूप देने का काम बांध निर्माण के उपयुक्त स्थल के साथ पूरा किया गया। परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से नैनीताल जिले में स्थित अपस्ट्रीम के गाँव आते हैं। जलमग्न गांवों को दो वर्गों में उनके जलमग्न होने की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है- अपस्ट्रीम गाँव और डाउनस्ट्रीम गाँव।

जनवरी 2020 में सम्बन्धित क्षेत्र में एस.आई.ए. निरीक्षण किया गया एवं तदुपरांत इसके विभिन्न चरणों की शुरुआत हुई। सर्वेक्षण के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि लोगों को कई स्रोतों से बांध निर्माण के बारे में पूर्व सूचना थी, जिसमें समाचार पत्र, आधिकारिक दौरों पर बातचीत, टीवी, बांध निर्माण अधिकारी और गांवों के बीच लोगों का आपसी जुड़ाव शामिल था।

जैसा कि तालिका 7.12 में परिलक्षित होता है, कुल 415 घरों में से 180 घरों के लोगों ने स्थानीय समाचार पत्रों, सरकारी कर्मियों के दौरे और टीवी से जागरूकता प्राप्त की, दूसरे शब्दों में 43.4% लोगों की बांध निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी उल्लिखित तीन स्रोतों पर आधारित थी। 92 परिवारों के लोगों ने कहा कि वे स्थानीय समाचार पत्रों और अपने गांवों में आधिकारिक दौरे से परियोजना के बारे में अवगत थे। इसी तरह, प्रतिवादियों के एक अन्य समूह ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (E.I.A.) से सम्बन्धित आधिकारिक यात्रा के दौरान हुए विचार विमर्श और परियोजना के सम्बन्ध में अन्य अनुसंधान युक्त अध्ययन के उपरान्त बांध निर्माण परियोजना के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। बांध परियोजना के बारे में जानकारी के इन विभिन्न स्रोतों के अलावा, कुछ प्रतिवादियों ने केवल दूरदर्शन से जानकारी प्राप्त की। प्रतिवादियों के एक अन्य समूह ने अन्य गांवों के साथ बातचीत की तथा इस प्रकार गांवों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव द्वारा बहु उद्देश्य परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

तालिका 7.12: बांध निर्माण परियोजना के बारे में स्थानीय लोगों के पास उपलब्ध जानकारी का स्रोत

क्र.सं.	बांध निर्माण के बारे में जानकारी का स्रोत	घरों की संख्या	घरों का %
1	स्थानीय समाचार पत्र	40	9.6
2	निजी और सरकारी आधिकारिक दौरे के दौरान बातचीत	80	19.3
3	टेलीविजन	2	0.5
4	गांवों का आपसी जुड़ाव	12	2.9
5	समाचार पत्र, आधिकारिक दौरा ,	92	22.2
6	स्थानीय समाचार पत्र, आधिकारिक यात्रा, टेलीविजन		
		180	43.4
7	बांध निर्माण अधिकारी	1	0.2
8	ग्राम सभा	8	1.9
	कुल	415	

7.13 परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों की विभिन्न संगठनों में सदस्यता

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रतिवादी पाए गए जो कुछ संगठनों के सदस्य थे, इन सदस्यों का विवरण नीचे दी गई तालिका 7.13 और 7.14 में वर्णित है। अभिलेख के अनुसार, दस प्रतिवादियों के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ कि वह सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ पंजीकृत थे।

तालिका 7.13: प्रभावित परिवारों का सदस्यता सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	संगठन का नाम	तिलवाड़ी	मुरकुड़िया	उड़वा	पसतौला	गनराड़	पनियाबोर	कुल
1	सेना (स्व)	0	1	0	0	1	0	1
2	बी जे पी	0	1	0	0	0	0	1
3	ग्राम प्रधान	0	0	0	0	0	1	1
4	भारतीय सेना	0	1	0	0	0	1	2
5	सिंचाई विभाग	0	1	0	0	0	0	1
6	जनकल्याण समिति	1	0	0	0	0	0	1
7	कोई सदस्यता नहीं	93	138	56	62	27	28	405

8	सेवानिवृत सेना हवलदार	0	0	0	0	1	0	1
9	UKFDC (पिता जी)	0	0	0	0	1	0	1
10	वन विकाश निगम	1	0	0	0	0	0	1
		95	**142**	**56**	**62**	**30**	**30**	**415**

तालिका 7.14: परियोजना क्षेत्र के चयनित गाँव में विभिन्न संगठनों की सदस्यता वाले लोगों का विवरण

क्र.सं.	परिवार का मुखिया	पिता या पति का नाम	गाँव का नाम	लिंग	सदस्यता	सदस्यता का नाम
1	भुवन चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पु.	शासकीय संगठन	वन विकाश निगम
2	राम सिंह	धन सिंह	मुरकुड़िया	पु.	राजनीतिक संगठन	बीजेपी
3	नैन लाल	पूरन राम	मुरकुड़िया	पु.	प्रशासनिक संगठन	भारतीय सेना
4	मोहन राम	भोला राम	मुरकुड़िया	पु.	प्रशासनिक संगठन	सिंचाई विभाग
5	नर सिंह सम्मल	स्वर्गीय खड़क सिंह	मुरकुड़िया	पु.	प्रशासनिक संगठन	कृषि विभाग
6	अक्षिता भट्ट	खड़क देव	पसतौला	म	सामाजिक	जनकल्याण समिति
7	हिमांश सम्मल	गोपाल सिंह सम्मल	गनराड़	पु.	प्रशासनिक संगठन	भारतीय सेना
8	कैलाश सिंह सम्मल	गोपाल सिंह सम्मल	गनराड़	पु.	प्रशासनिक संगठन	UKFDC (पिता)
9	मयंक बोरा	स्वर्गीय खेम सिंह	पनियाबोर	पु.	राजनीतिक संगठन	ग्राम प्रधान
10	कमल सिंह बोरा	नारायण सिंह	पनियाबोर	पु.	प्रशासनिक संगठन	भारतीय सेना

7.14. पारिवारिक रुपरेखा

परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत बाँध के अपस्ट्रीम स्थित गांवों में, औसत चार सदस्य प्रति परिवार हैं। एक परिवार में, परिवार के मुखिया, पत्नी, बेटे, बेटियाँ, बहनें, बच्चे और चचेरे भाई थे। यहां की महिलाएं चारा इकट्ठा करने में योगदान देती हैं और चारा प्राप्त करने हेतु पतियों को इकट्ठा करने के लिए पेड़ों की डालों की छटाई करती हैं। पुरुष सदस्य या तो कृषि गतिविधियों में लगे हैं या निजी नौकरी करते हैं।

7.15. पलायन की प्रवृति

सार्वजनिक परामर्श बैठकों के दौरान यह पता चला कि प्रत्येक गाँव में पलायन हुआ है। अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ की एक व्यक्ति मुरकुड़िया में और एक व्यक्ति उडवा में गाँव छोड़ कर चला गया।

7.16. पारिवारिक आय स्तर

एस.आइ.ए. सर्वेक्षण के द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) के विभिन्न आय स्तरों को बताया गया है। PAPs की वार्षिक आय रु. 2400 रु. से रु. 5,00,000 तक है। हालांकि, तीन प्रतिवादी ऐसे पाए गये हैं जिनके पास किसी भी स्रोत से कोई आय नहीं आती है।

7.17. खाद्य सुरक्षा

क्षेत्र के लोग कृषि का कार्य एवं नौकरी करते हैं। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति कृषि या नौकरी-अध्यापन, श्रम, निजी नौकरी इत्यादि का काम करता हैं। इस प्रकार लोग खाद्य सुरक्षा से संतुष्ट हैं। अधिकांश लोगों के पास बी.पी.एल. कार्ड है।

7.18. निर्धनता का भय

सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त आंकड़े यह परिलक्षित करते हैं कि परियोजना क्षेत्र के गाँव में भूमि की हानि, पेड़-पौधों की हानि, घरों की हानि, प्राकृतिक संपत्ति की हानि आदि का भय बना रहता है।

7.19. अपराध और हिंसा

एस.आई.ए. के आंकड़ों से क्षेत्र में अपराध और हिंसा का एक भी उदाहरण नहीं दिखा। किसी भी प्रतिवादी ने क्षेत्र में किसी भी अपराध और हिंसक गतिविधियों का संकेत नहीं दिया।

7.20. स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

जलमग्न क्षेत्र के छः गांवों में सार्वजनिक परामर्श के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि मछली पकड़ने, स्थानीय होटल और आतिथ्य व्यवसाय का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। मछली पकड़ने की गतिविधियाँ गनराड़, पनियबोर, पसतौला, तिलवाड़ी, उडवा और मुरकुड़िया में वर्तमान में चल रही हैं। हालांकि मुरकुड़िया गांव में मछली पकड़ने के अलावा अन्य गतिविधियां- पर्यटन, होटल और अस्पताल आदि संवर्धन की स्थिति में है।

7.21. स्थानीय आजीविका में योगदान देने वाले कारक

गांवों का वातावरण गोला नदी के किनारे और उसके आस-पास स्थित प्राकृतिक छटाओं- पेड़ों की हरियाली और झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियों से सम्बन्धित पौधों से युक्त होने तथा मछली पकड़ने के आकर्षक स्थानों के होने के कारण सराहनीय है। हालांकि, सड़कों की मुख्य सड़क से कोई उचित संयोजकता (Connectivity) नहीं है जो बाजार तक जाती है। यद्यपि ग्रामवासियों की पहुँच बाजारों तक है परन्तु उचित संयोजकता के अभाव में बाजार तक पहुंचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। मुरकुड़िया एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ मुख्य सड़क से संयोजगता पाई गयी। पानी की कोई कमी नहीं होने के कारण फसलों हेतु सिंचाई सुविधाएं अच्छी तरह सुलभ हैं। कोई आजीविका संवर्धन कार्यक्रम नहीं पाए गए और मुरकुड़िया गांव में एक एकल सहकारी और संबंधित संघ पाया गया।

7.22. पर्यावरण की गुणवत्ता

परियोजना क्षेत्र का वातावरण प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। ग्रामवासी पास के खुले जंगलों से ईंधन की लकड़ी और चारा इकट्ठा करते हैं। वे गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) भी एकत्र करते हैं। हालांकि, सड़कें उबड़-खाबड़ हैं और ट्रैकटर्स इत्यादि के आवागमन हेतु मुख्य सड़क से ठीक प्रकार से नहीं जुड़ी हैं। ग्रामवासी विभिन्न जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं और निकटवर्ती बाजार में इनके विक्रय करने की अभिरुचि भी रहती है। चीड़ (Pine) और साल वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के साथ यहाँ की प्राकृतिक संपदा समृद्ध है।

7.23. बिजली कनेक्शनों का विवरण

जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है 40 घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। हालांकि, 224 प्रतिवादियों के घर विद्युत कनेक्शन युक्त थे तथा 150 घर विद्युत कनेक्शन युक्त ऐसे हैं जिनमें प्रतिवादी के माता-पिता भी साथ में रहते हैं। इसके अतिरिक्त केवल ऐसे एक घर में विद्युत कनेक्शन है जिसमें प्रतिवादी अपने बेटे के साथ रहता है।

तालिका 7.15: परियोजना के तहत प्रभावित गांवों में बिजली कनेक्शन वाले और बिना बिजली कनेक्शन वाले घरों का विवरण

क्र. सं.	गाँव	बिना बिजली कनेक्शन वाले प्रतिवादी	बिजली कनेक्शन वाले प्रतिवादी	माता-पिता के साथ बिजली का कनेक्शन	बेटे के साथ बिजली का कनेक्शन	कुल
1	तिलवाड़ी	21	73	1	0	95
2	मुरकुड़िया	2	67	73	0	142
3	उड़वा	4	20	32	0	56
4	पसतौला	13	28	21	0	62
5	गनराड़	0	25	4	1	30
6	पनियाबोर	0	11	19	0	30
	कुल	40	224	150	1	415

तालिका 7.16: उन लोगों की सूची, जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है

क्र.सं.	परिवार का मुखिया	पिता या पति का नाम	गाँव का नाम	लिंग	बिजली
1	दीवान राम	प्रेम राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
2	गंगा राम	दीवान राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
3	कृष्ण चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
4	कृष्ण राम	बिशन राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
5	मनोज राम	धरम राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
6	नंदी देवी	धरम राम	तिलवाड़ी	म	नही
7	प्रकाश चंद्र	संतोष राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
8	रमेश चंद्र	विशन राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
9	रेणु	प्रकाश चंद्र	तिलवाड़ी	पु.	नही
10	शेरी राम	प्रेम राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
11	सुंदर लाल	धरम राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
12	सुरेश चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
13	भुवन चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
14	हरीश चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
15	महेश चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
16	रमेश चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
17	विपिन चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पु.	नही
18	हरीश चंद्र	रमेश चंद्र	तिलवाड़ी	पु.	नही
19	प्रेमा आर्य	कृष्ण राम	तिलवाड़ी	म	नही

20	राकेश	सुरेश चंद्र	तिलवाड़ी	पु.	नही
21	नवीन चंद्र	लक्ष्मी दत्त	तिलवाड़ी	पु.	नही
22	श्याम सिंह	चतुर सिंह	मुरकुड़िया	पु.	नही
23	पंकज सिंह	बाजे सिंह संमल	मुरकुड़िया	पु.	नही
24	जीवन सिंह	चंदन सिंह	उड़वा	पु.	नही
25	नवीन सिंह	जीवन सिंह	उड़वा	पु.	नही
26	चंदनसिंह	धन सिंह	उड़वा	पु.	नही
27	भूपाल सिंह	प्रेम सिंह	उड़वा	पु.	नही
28	देव राम	गुलाब राम	पसतौला	पु.	नही
29	दीवान राम	ख़ुशी राम	पसतौला	पु.	नही
30	हरक सिंह	स्वर्गीय भोला सिंह	पसतौला	पु.	नही
31	देवी दत्त	लक्ष्मी दत्त	पसतौला	पु.	नही
32	महेंद्र सिंह	हरक सिंह	पसतौला	पु.	नही
33	उत्तम राम	गुलाब राम	पसतौला	पु.	नही
34	दिनेश चंद्र	दुर्गा दत्त	पसतौला	पु.	नही
35	कांति बल्लभ	स्वर्गीय दुर्गा दत्त	पसतौला	पु.	नही
36	यशपाल	उत्तम राम	पसतौला	पु.	नही
37	अक्षिता भट्ट	खड़क देव	पसतौला	म	नही
38	खड़क देव	स्वर्गीय लीला धर	पसतौला	पु.	नही
39	प्रकाश राम	उत्तम राम	पसतौला	पु.	नही
40	तारा सिंह	हरक सिंह	पसतौला	पु.	नही

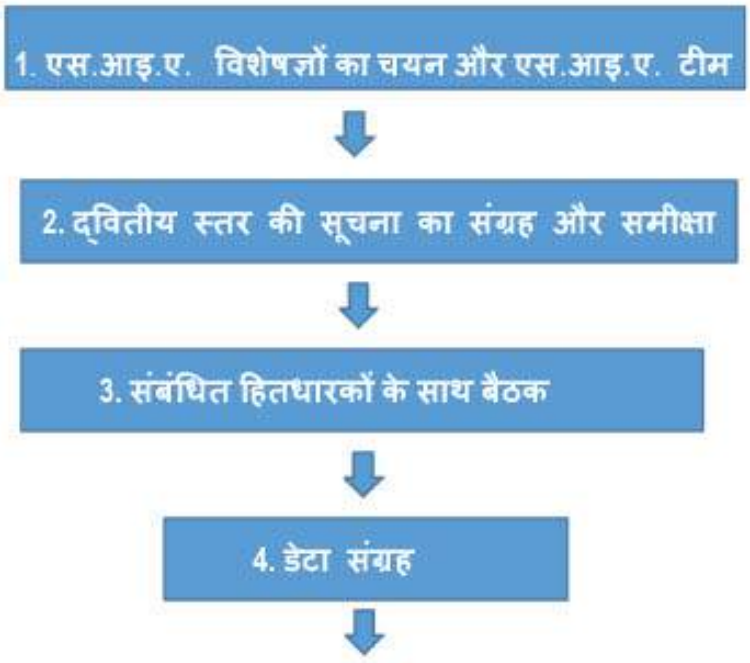
8. सामाजिक समाघात

8.1. प्रभाव की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात मूल्याकन एक प्रक्रिया है जिससे बांध निर्माण, उद्योग, शहरी विकास, और राजमार्ग आदि जैसी परियोजनाओं से उत्पन्न वाले विभिन्न नकारात्मक प्रभावों का अनुमान पूर्व में किया जा सकता है। एस.आइ.ए. का उपयोग परियोजना निर्माण की प्रारंभिक स्थिति से पूर्व किया जाता है ताकि परियोजना के परिचालन चरण के दौरान या बाद में जो भी नकारात्मक प्रभाव सामने आएं उनका शमन अग्रिम रूप से किया जा सके। एस.आई.ए., नीति नियंताओं हेतु विशेष रूप से सहायक है ताकि उनके द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों का अनुमान समुचित रूप से करने के उपरान्त तदुनुसार पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन अथवा नियंत्रण हेतु विधि ज्ञात कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। सामाजिक समाघात मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है और उस जानकारी के आधार पर, परियोजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों के लिए नीति बनाना आसान हो जाता है।

सामाजिक समाघात मूल्याकन की प्रक्रिया में मुख्यतः प्राथमिक हितधारक शामिल हैं। हालांकि, वर्तमान अध्ययन में, सार्वजनिक परामर्श के अन्तर्गत द्वितीय स्तर के हितधारकों की भागीदारी भी शामिल है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण निम्नलिखित तरीके से तैयार किए गए हैं:





जमरानी गाँव में प्राथमिक हितधारक विभिन्न निवासी हैं जिनकी भूमि और मकान अधिग्रहण के अधीन हैं। परियोजना से प्रभावित लोगों में से 45% से अधिक कृषि में लगे हुए हैं और अवशेष व्यक्ति निजी नौकरी, सरकारी रोजगार, श्रम, शिक्षण, आदि जैसे अन्य काम कर रहे हैं। यद्यपि लोगों ने परिवार में अन्य व्यवसायों को अपनाना शुरू कर दिया, तथापि कम से कम एक व्यक्ति कृषि में लगा हुआ है या जमीन किराए पर दी है। चूंकि जमरानी बांध निर्माण के कारण कृषि भूमि और मकान अधिग्रहण के अधीन हैं, इसलिए लोगों को इस क्षेत्र को खोने के तनाव का सामना करना पड़ रहा है और नए स्थलों पर पुनर्वास एक बोझ के रूप में है जहां उन्हें पता नहीं कि क्या स्रोत उपलब्ध हैं। दूसरे शब्दों में, लोग अनिश्चितता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं।

8.2. परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभावों का विवरण

चूंकि वर्तमान परियोजना बांध निर्माण की है, इसलिए इसका निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व और परिचालन करने की स्थिति तक विभिन्न चरणों का वर्णन निम्नानुसार किया गया है तथा परिणामस्वरुप नकारात्मक और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव तालिका 8.1 में दिए गए हैं।

तालिका 8.1: परियोजना के विभिन्न चरणों पर सामाजिक समाघात का मूल्यांकन

बांध निर्माण के चरण		सामाजिक प्रभाव	
चरण	प्रक्रियाएं	नकारात्मक	सकारात्मक
चरण 1	निर्माण से पूर्व	-जमीन, मकान, सामुदायिक सामान्य संपति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सुविधायें, और आजीविका के विकल्पों का अधिग्रहण	–
चरण 2	निर्माण चरण	-धूल और ध्वनि प्रदूषण। कुछ मामलों में पर्यावरण प्रदूषण। निर्माण कार्य के कारण मार्गों का अवरुद्ध होना। **स्वास्थ्य संबंधित** - ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चो और वृद्ध लोगों पर सीधा प्रभाव होगा क्योंकि उच्च डेसीबल की ध्वनि को वे सहन नहीं कर सकते हैं। - धूल प्रदूषण के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव हो सकते हैं। धूल जो बस्तियों में और उसके आस-पास इकट्ठा होती है, साँस लेने में समस्या पैदा करेगी, और इस प्रदूषण के कारण, सभी श्रेणियों के लोगों को नुकसान होगा। वातावरण में धूल का जमाव वायु और जल की शुद्धता पर अपना कुप्रभाव दिखाएगा।	- बाँध निर्माण पूर्ण होने की अवधि तक अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे एवं तदनुसार कुशल व अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अतः यह सकारात्मक प्रभाव के रूप में है।

बांध निर्माण के चरण		सामाजिक प्रभाव	
चरण	प्रक्रियाएं	नकारात्मक	सकारात्मक
		- धूल के कण जो आकार में सूक्ष्म होते हैं और इस कारण आबादी द्वारा साँस में लिए जाने से खाँसना, छींकना, परागज-बुखार, अस्थमा के दौरे और आँखों की विभिन्न समस्याओं का कारक हो सकते हैं। - धूल सीधे फेफड़ों के संचालन को प्रभावित करती है और यह हृदय रोग का कारण हो सकता है। - आस-पास के क्षेत्रों में धूल की एक परत होगी जो छोटे कणों के कारण इमारतों और घरों को अस्वच्छ बनाती है और परिणामस्वरूप साँस में ली जाती है।	
चरण 3	परिचालन चरण	निर्माण चरण की तुलना में नौकरी का सृजन कम हो सकता है। नौकरियों के विकल्प के कारण पलायन की प्रवृति विकसित होगी और उसी को रोकने की आवश्यकता है। क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।	**लोक कल्याण और रोजगार सृजन** - जल का संग्रहण और संरक्षण, यह उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के जिलों में समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभान्वित करता है। - प्रदेशों के जिलो हेतु पेयजल की उपलब्धता, यह सीधे रूप से लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ताकि बेहतर स्वास्थय और जीवन स्तर हो। - बिजली का उत्पादन। यह बांध निर्माण का एक अतिरिक्त लाभ है क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य उत्तराखंड में पेयजल एवं दोनों प्रदेशों- उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हेतु लक्षित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति का लाभ देना है। बांध, पर्यटक स्थल के रूप में जनता को आकर्षित करता है। यह स्थानीय और बाहरी लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में काम करेगा और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटक गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। - बाँध निर्माण के दौरान परोक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा जो कि

			स्थानीय व्यक्तियों के लिए लाभकारी होगा यदि उन्हें उक्त रोजगार हेतु चयन के लिए ध्यान में रखा जाय। - जमरानी बाँध निर्माण के बाद उद्योग एवं बाजार केन्द्रों का विस्तार होगा जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं जीवन स्तर में सुधर होगा। - स्वच्छ पर्यावरण के साथ अवस्थापना कार्यों के विकास से लोगों के जीवन स्तर में सुधार की आशा है।

वर्तमान सामाजिक समाघात मूल्यांकन (SIA) में 415 परिवार उपलब्ध हैं जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों / प्रतिवादियों के साथ किए गए सर्वेक्षणों में कई तथ्यों से अवगत कराया गया है जो उनके वर्तमान आजीविका विकल्पों को बताते हैं और उनकी भूमि और संसाधन जिस पर वे निर्भर हैं के अधिग्रहण पर उनकी मांगों के विभिन्न बिंदुओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हैं।

8.3. परियोजना प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण

जमरानी क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के अन्तर्गत निम्न प्रकार के लोग पाए गए। ये लोग भूमि अधिग्रहण के कारण और इसके परिणामस्वरूप विस्थापन के डर, आजीविका के विकल्पों का नुकसान, नए स्थलों पर पुनर्वास के डर से प्रभावित हैं:-

a) एकमात्र घर वाले लोग
b) लोग जिनके पास केवल जमीन है और कोई घर नहीं है
c) लोग जिनके पास घर और जमीन दोनों है
d) लोग जिनके पास स्वयं के घर, जमीन और पेड़ और अन्य प्राकृतिक संपत्ति हैं
e) लोग जिनके पास स्वयं का कोई घर और जमीन नहीं है लेकिन उस जमीन पर केवल सेवा प्रदान करते हैं
f) विभिन्न सुविधाओं, सड़क, कुएं, मंदिर, अस्पताल, स्कूल, चौपाल और फुटपाथ आदि के साथ सामुदायिक भूमि
g) लोग जोकि पालतू पशुओं एवं स्वयं हेतु प्राकृतिक संपदा पर निर्भर है

प्राथमिक और द्वितीय स्तर के हितधारकों पर प्रभावों की विस्तार से चर्चा की गई है उसे तालिका 8.2 में दिया गया है।

तालिका 8.2: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न प्रभावों की सूची

प्रभावों का प्रकार	प्रभावित परिवारों पर प्रभाव (प्राथमिक हितधारक)	अप्रभावित परिवारों पर प्रभाव (द्वितीय स्तर के हितधारक)
भूमि अधिग्रहण	जमरानी क्षेत्र के लोग जो सबसे अधिक प्रभावित हैं, वे बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण हैं। - सभी श्रेणियों के लोग भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भूमि खो जाती है, भले ही वह कृषि भूमि है या आवासीय भूमि है, यह लोगों को चरम पर प्रभावित करती हैं। विस्थापन के डर के रूप में विभिन्न कठिनाइयाँ हैं तथा पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित होने का तनाव भी है। बांध निर्माण में देरी और तदुनुसार परियोजना की अनिश्चितता के कारण यह परियोजना क्षेत्र में घरों और अन्य परिसरों के नव निर्माण न हो पाने का कारण होगा।	- परियोजना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले द्वितीय स्तर के हित धारकों को अपनी जमीन खोनी नहीं पड़ेगी और वे विस्थापन के तनाव तथा डर से मुक्त हैं। - लोगों के बीच भावनात्मक संबंध टूट जायेंगे, जिसे उन्हें प्रभावित लोगों के विस्थापन के बाद सहन करना पड़ेगा
	भूमि अधिग्रहण के कारण, लोगों के पास अनुसरण करने के लिए विशिष्ट मापदंड नहीं होगा, और ऐसे में प्रगति धीमी हो जाती है।	

आजीविका और आय	- आजीविका का स्रोत कृषि भूमि है जिससे प्रभावित लोग अपनी आजीविका अर्जित कर सकते हैं यदि वह खोई हुई नहीं है। यदि वही क्षेत्र अधिग्रहण के अधीन है, तो आजीविका और आय का नुकसान भी होता है। - प्रतिवादी जो भूमि अधिग्रहण के तहत कुछ किराए की जमीनों पर काम कर रहे हैं, तो अपनी आजीविका और आय खो देगा, जब तक कि उसे क्षतिपूर्ति के रूप में आस-पास के क्षेत्र या अन्यत्र रोजगार नहीं मिलता है ताकि उसकी आजीविका और आय सुरक्षित रहे। - प्रभावित लोग जो श्रम आधारित हैं भूमि अधिग्रहण से पीड़ित होंगे क्योंकि भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उनकी आजीविका खो जाएगी। - उचित मूल्य की दुकानें, जहां लोग काम पर रखे जाते थे और ऐसी दुकानों के नुकसान में, दोनों तरह के प्रतिवादियों की आजीविका और आय समाप्त हो जाएगी।	- ऐसा लगता है कि अप्रभावित लोगों के लिए आजीविका के नुकसान का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनकी भूमि उसी स्थान पर है और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। - द्वितीय हितधारकों के लिए बांध निर्माण की गतिविधियां पूरी होने तक एक अवधि के लिए जोखिम है। यह इस कारण है क्योंकि बांध के निर्माण के चरण के दौरान, धूल और ध्वनि प्रदूषण होगा और उन्हें अपने स्वास्थ्य पर इन मानव निर्मित खतरों को सहन करना होगा। - द्वितीय हितधारकों के लिए बांध के परिचालन चरण के दौरान रोजगार के लिए पुनरावृत अवसर और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। इस तरह के अवसर पर्यटक देख-रेख, मछली पकड़ना एवं नाव चलाने के रोजगार के रूप में होंगे।

		सेवा की नौकरी को अपनाकर इन अवसरों को काम में लाया जा सकता है और मछली पकड़ने और नाव चलाने के संसाधन नौकरी के बेहतर विकल्पों को बनाते है|
भौतिक संसाधन	- बाँध निर्माण के कारण निश्चित रूप से मंदिरों, सामुदायिक सुविधाओं, सड़कों, हैंडपंपों, पंचायत जन मिलन केंद्र जैसी भौतिक संरचनाओं का नुकसान होगा। - मुरकुड़िया गांव का सबसे लोकप्रिय हैडाखान मंदिर का लोप हो जाएगा। इस मंदिर से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्तों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सद्भावना और श्रद्धा की अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा।	-हालांकि उनके पक्ष से भूमि का कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु, विभिन्न सुविधाओं, मंदिरों, सड़कों, और सामान्य संपत्ति संसाधनों का उनके जीवन पर सीधा कुप्रभाव पड़ेगा जब तक कि वे आस-पास के क्षेत्रों में विकसित नहीं होते।
निजी परिसंपत्तियाँ	परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में संग्रहालय या पुरातात्विक इमारतें आदि जैसी कोई परिसंपत्तियाँ नहीं पाई गई हैं।	द्वितीयक हितधारक के पास उपलब्ध निजी परिसंपत्तियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

सार्वजनिक एवं जनउपयोगी सेवाएँ	-हैडाखान में स्थित हेल्थकेयर सैंटर का मंदिर के साथ लोप हो जाएगा, इसलिए अप्रभावित लोगों के लिए एक समस्या होगी क्योंकि प्रभावित लोग नए पुनर्वास स्थलों पर चले जाएंगे। सड़कों आदि का लोप हो जायेगा और सभी प्रकार के लोग इससे प्रभावित होंगे। परियोजना क्षेत्र में फल और बिना फल वाले पेड़ों का नुकसान होगा तथा यह उन लोगों को प्रभावित करेगा जो वहां निवास कर रहे हैं। -इससे मछली पकड़ने आदि के स्थलों का नुकसान होगा, जिसका असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। कृषि वस्तुओं और सब्जियों से संबंधित सेवाएँ लुप्त हो जाएगी, और कृषि भूमि के जलमग्न होने के कारण फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा परिणामस्वरूप स्थानीय बाजारों में इन वस्तुओं की कम आपूर्ति होगी।	द्वितीय हितधारक भी सार्वजनिक सेवाओं और संबंधित जनउपयोगी सेवाओं की क्षति से पीड़ित होंगे, जैसा कि "भौतिक संसाधन बिंदु" के अन्तर्गत भी उल्लेख किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि खोने पर वे भी सार्वजनिक सेवाओं की क्षति से प्रभावित होंगे।

स्वास्थ्य	- स्वाथ्य में तब सुधार होता है जब किसी प्रकार की हानि न हो और चीजें प्राप्त हों। चूंकि भूमि का अधिग्रहण होना है, तो अपनी मूल भूमि से विस्थापन का तनाव और भय होगा, और परिणामस्वरूप, यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। - वृद्ध लोग जो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग अपनी मूल भूमि में रहकर गुजारते हैं और जब वे विस्थापित होंगे, तब तक उनकी दिनचर्या में अस्थिरता रहेगी जब तक कि वे पुनर्वास के नए स्थलों के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो पाते।	- द्वितीयक हितधारकों के स्वास्थ्य पर इस तरह के कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हैं।
संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य	-संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं	-संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर कोई प्रभाव नहीं
लिंग	चूंकि समुदायों के सभी लोग हिंदू धर्म के हैं और यदि पुनर्वास होता है, तो किसी भी लिंग-आधारित प्रभाव की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे पुनर्वास के स्थलों पर अन्य जाति व्यवस्था के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता हो।	- द्वितीयक हितधारकों पर लिंग-विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. लाभ और लागत विश्लेषण

9.1. परिचय

लाभ और लागत विश्लेषण (BCA) सामाजिक समाघात मूल्यांकन (SIA) अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक है। लाभ लागत विश्लेषण में पर्यावरण के हर तत्व तथा सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय प्रभावों में क्षेत्र की पारिस्थितिकी के विकृत होने की सीमा का मूल्यांकन शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, पारिस्थितिक व्यवस्था में उन कारणों का पता करना है जो पौधों और पशुओं को अपना जीवन चक्र पूरा करने एवं सह अस्तित्व बनाये रखने में बाधक हैं। बांध का निर्माण पानी की गुणवत्ता में बदलाव लाता है, जो शायद स्थानीय पौधों और जानवरों के लिए उपयुक्त न हो क्योंकि नदी प्रणाली में मूल पानी विकसित होता रहता है। बांध निर्माण के अन्तर्गत पर्यावरण लाभ और लागत का विश्लेषण करते समय इन कारकों को शामिल करना आवश्यक हो जाता है। नदी के प्राक्रतिक बहाव में बदलाव तथा बाँध निर्माण की गतिविधियों के कारण सामाजिक संसाधन भी प्रभावित होते हैं।

सामाजिक आधार पर, लाभ-लागत विश्लेषण हेतु बांध निर्माण के परिणामस्वरुप सामाजिक प्रभाव के हर पहलू के आकलन की आवश्यकता है। वर्तमान अध्ययन ने विभिन्न प्रभावों को इंगित किया जो भूमि और घरों की हानि, विस्थापन और स्थानीय लोगों का पुनर्वास; प्राकृतिक संसाधनों का संभावित नुकसान; आम संपत्ति संसाधन (CPRs) की अव्यवस्था; और विभिन्न मौजूदा सामान्य समूहों का विघटन और आजीविका विकल्पों का नुकसान है।

9.2. सार्वजनिक उद्देश्यों का मूल्यांकन

प्रस्तावित जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना की पहल 1975 में हुई। तब से, पर्यावरण पर और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर न्यूनतम प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए बहुउद्देशीय बांध परियोजना के बाँध स्थल की उपयुक्तता के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अनुसंधान किये गए। गहन अनुसंधान के बाद अंत में, प्रस्तावित बांध निर्माण के लिए वर्तमान बाँध स्थल का अंतिम रूप से चयन किया गया। इस प्रकार बाँध निर्माण के फलस्वरूप पानी के प्रस्तावित भंडारण एवं वितरण से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों के दूर-दराज के इलाकों में तदुनुसार प्राप्त होने वाले लाभ का मार्ग प्रशस्त हुआ।

परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करना है, जहां वर्तमान में सार्वजनिक स्थान/ बस्ती है। बांध से आस-पास और दूर स्थित उन क्षेत्रों को लाभ प्रदान किये जाने की संभावना है जहाँ उचित सिंचाई सुविधा का अभाव है। साथ ही परियोजना के अन्तर्गत लघु विद्युत उत्पादन इकाई का निर्माण भी प्रस्तावित है।

9.3. परियोजना के लाभ

काठगोदाम में गोला नदी में प्रवाहित होने वाले जल की क्षमता लगभग 470.21 दस लाख घ0 मी0 (MCM) में से लगभग 208.00 दस लाख घ0 मी0 (MCM) जल का उपयोग वर्तमान में गोला नहरों द्वारा किया जा रहा है। अवशेष अप्रयुक्त पानी की मात्रा नदी में प्रवाहित होती है जिसे ऊपरी दिशा में उपयुक्त चयनित स्थल पर एक जलाशय का निर्माण करके उपयोगी रूप में संग्रहित किया जा सकता है। संग्रहित पानी का उपयोग 13

वर्तमान नहरों के कृषि योग्य क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर अतिरिक्त सिंचन क्षमता (57065 हेक्टेयर) की वृद्धि तथा इसके अतिरिक्त सिंचाई की सघनता (intensity of irrigation) में 158.85% से 196.88% वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार आस-पास के क्षेत्रवासियों के सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आयेंगे। कालान्तर में निश्चय ही परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास का परिदृश्य सम्पूर्ण रूप से बदलेगा। परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न लाभ निम्नानुसार हैं:-

i शुष्क काल में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता और पानी की कमी वाले क्षेत्र में भी पानी का वितरण

ii. सिंचाई की क्षमता में वृद्धि से विभिन्न अन्य परियोजनाओं को लाभ होगा जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि बागवानी फसलें और सजावटी पौधे

iii. 14MW का बिजली उत्पादन

iv. कृषि, औद्योगीकरण और मवेशियों के पालन-पोषण में पानी की उपलब्धता और शुष्क क्षेत्रों हेतु

पानी का व्यपवर्तन (Diversion)

v. भू-जल स्तर में सुधार

vi. आर्थिक उत्थान

vii. सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरूप उर्वरता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण जीवन स्तर में सुधार

viii. बाजार सुविधाओं में सुधार - बांध के आस-पास के क्षेत्र में विभिन्न बाजार पोर्टलों के बेहतर जुड़ाव के लिए सड़क अवस्थापना कार्यों का विकास

ix. संभावित रोजगार / मत्स्य पालन- बांध का विकास रोजगार और आय सृजन को उत्पन्न करने के लिए अन्य गतिविधियों को आकर्षित करेगा

x. पर्यटन / मनोरंजन सुविधाएँ

xi. हरियाली में वृद्धि - बेहतर जल तटीकरण (Channelisation) वाले मूल क्षेत्र में नमी का सकारात्मक प्रसार होगा, जिससे जड़ी-बूटियों और झाड़ियों की वृद्धि से क्षेत्र को वनस्पतियों की विविधता से समृद्ध करेगा।

xii. स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि

xiii. जीवन शैली, स्तर और आत्मविश्वास निर्माण में सुधार

xiv. कृषि योग्य क्षेत्र का विकास

xv. पलायन की समस्या का समाधान- अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन से पलायन की गतिविधियाँ कम होंगी

xvi. वन और संबंधित संसाधनों का संरक्षण-

xvii. सामाजिक वानिकी- बाँध निर्माण के उपरान्त क्षेत्र में एवं प्राकृतिक संसाधनों को पानी की बढ़ती उपलब्धता का लाभ मिलने पर सामाजिक वानिकी के परिदेश्य में सुधार दृष्टिगोचर

होगा। परिणामस्वरूप ऐसे दृष्टांत भी होंगे जब वृक्ष रहित भूमि में वहां पुनः वृक्षारोपण तथा अनुपयुक्त भूमि का उपयोग ग्रामीण एवं पर्यावरण विकास के सुदृणीकरण के रूप में किया जा सकेगा।

9.4 प्रभावित लोगों को मिलने वाले तत्काल लाभ

यह परियोजना न केवल पानी की आवश्यकता में यथासंभव अधिकतम वृद्धि करेगी, बल्कि पर्यटन स्थलों का केंद्र और इसके परिणामस्वरूप आय सृजन का भी एक स्रोत बनेगी। इसके अलावा, बांध निर्माण के लिए कुशल और अकुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिससे परियोजना क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। धीरे-धीरे उपरोक्तानुसार वर्णित अन्य लाभ भी मिलने लगेंगे।

9.5 सामाजिक प्रभाव और शमन के उपाय

बांध निर्माण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का उन लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। दबावपूर्वक विस्थापन और अज्ञात स्थान पर पुनर्वास तनाव और भय का कारण बनता है। इस परियोजना की स्थापना से सामाजिक सामंजस्य और भूमि के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव में व्यवधान होगा। साथ ही आजीविका का नुकसान प्रभावित लोगों पर बोझ बन जाता है - विशेष रूप से प्राथमिक हितधारकों पर।

हालांकि, परियोजना स्थल के पास रहने वाले द्वितीय हितधारक अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभकारी स्थिति में होंगे। यह इस कारण से है कि इन लोगों को परियोजना क्षेत्र के आस-पास के अपने क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और भूमि और आजीविका के विकल्पों के नुकसान की आशंका के बिना स्वच्छ वातावरण का आनंद मिल सकता हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के अवसर पर प्रभावित लोगों पर इन नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों पर हुए नुकसानो की भरपाई भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम के दायरे में, राज्य सरकार की अनुमति के साथ प्राविधानों के तहत संभावित संशोधन लाया जाना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजे देने में कोई त्रुटि न हो सके।

9.6 न्यूनतम विस्थापन विकल्प

यह तथ्य है कि कृषि से जुड़े लोगों और पेयजल संकट का सामना करने वाले लोगों के कल्याण के लिए काठगोदाम और अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां सिंचाई की समस्या बनी रहती है, वहां पानी की कमी के नियंत्रण की दिशा में एक बहुउद्देशीय बांध निर्माण परियोजना एक आवश्यक कदम है। पानी की कमी को नियंत्रण में करने के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है; हालाँकि, इन उपायों को पूरा करने के लिए, विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों का भूमि अधिग्रहण एक आवश्यकता बन गया है। प्रभावित लोगों के विस्थापन का एहसास करने पर, संबंधित प्राधिकरण को प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए लगभग 49.34 हैक्टेयर (लगभग 122

एकड़) जमीन की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के बदले में, संबंधित भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार विस्थापित परिवार के लिए मुआवजे को पूरा करने के लिए बाध्य है। (तालिका .1)

परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उनकी उचित मांगों को पुनर्वास के लिए विचार करने की आवश्यकता हो। प्रभावित लोगों ने निम्नलिखित कम विस्थापित विकल्पों का सुझाव दिया है:

i. पुनर्वास हेतु एक गहन पुनर्वास योजना की आवश्यकता है, जो कि उनके भविष्य की सुरक्षा और आजीविका के विकल्पों के लिए विस्थापित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) की आवश्यकताओं के सभी पहलुओं से संबंधित है।
ii. विस्थापित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAP) के पास परियोजना क्षेत्र के आस-पास में पुनर्वास का एक विकल्प है जहां की भूमि कृषि और निवास के लिए भी उपयुक्त है।
iii. परियोजना क्षेत्र के आस-पास की भूमि की अनुपलब्धता में, सृजित होने वाली सरकारी नौकरियों में प्रभावित परिवारों के उम्मीदवारों का ही चयन किया जाना चाहिए।
iv. चूंकि प्रभावित परिवार तराई क्षेत्र के बजाय भाबर क्षेत्रों के संसाधनों के अनुरूप ढले हुए हैं अतः इनके पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक पुनर्वास स्थल को उचित सुविधाओं के लिए खोजने की आवश्यकता है। इस संबंध में, परियोजना के तहत अधिग्रहण हेतु अधिकृत निकाय ने पुनर्वास के हेतु चार स्थलों को चिन्हित किया है- 1) सम्पूर्णानंद जेल स्थल के समीप, 2) बनबसा, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत, 3) खटीमा उलहानी, 4) बाजपुर, उधमसिंह नगर। हालाँकि, प्रभावित लोगों की अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्वास के लिए चुने गए ऐसे स्थलों पर गहन जांच की आवश्यकता है।
v. प्रभावित लोगों की भूमि और आजीविका और अन्य संबंधित की क्षतिपूर्ति पूरी तरह से भूमि अर्जन अधिनियम 2013 पर निर्भर है। इस अधिनियम में परियोजना के तहत पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति करने के सभी अधिकार हैं। चूंकि अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आया था, अधिनियम के तहत अधिकारों के मुआवजे के लिए किसी भी विकार को नियंत्रित करने के लिए संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।
vi. हालांकि, प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने उक्त अधिनियम के विरुद्ध प्रतिरोध किया और अपनी बारह सूत्रीय मांगों पर जोर दिया। अधिनियम के अधिकारों के सूक्ष्म विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह प्रभावित लोगों हेतु सभी समानांतर रूप से मांगे गए मुआवजे के अनुरूप हैं। अधिनियम के क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारों की भाषा को उनकी स्थानीय भाषा में अनुवादित करने की अहम आवश्यकता है।

9.7. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक समाघात, प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा

सामाजिक समाघातों, प्रतिकूल लागत और उनसे संबंधित शमन उपायों का विवरण तालिका 9.1 में उल्लिखित है। विभिन्न प्रकार के भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों का अधिनियम के अनुसार मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है और चूंकि अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आया, जहां उपयुक्त हों, अधिकारों के आवश्यक संशोधनों हेतु परीक्षण कर, तदनुसार ही उक्त अधिनियम में मुआवजे के विस्तार को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में विचाराधीन भूमि अधिग्रहण, घरों के नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों, आजीविका, आदि से सम्बन्धित विवरण और इसकी क्षतिपूर्ति तालिका 9.1 में दी गई है।

तालिका 9.1: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक समाघात, प्रतिकूल लागत और शमन उपायों की सीमा

क्र.सं.	दावा करने वाली इकाई / प्रतिवादी	सामाजिक समाघात और प्रतिकूल लागतों की पूरी श्रृंखला की विस्तृत सूचना	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत पात्रता के अनुसार मुआवजा / शमन उपायों की सीमा
1	खतौनी में खाताधारक परिवार / अभिलेख	(i) घरों का नुकसान	(i) स्वामित्व वाले घर के सापेक्ष परियोजना द्वारा प्रस्तावित घर हेतु सहमत न होने पर परियोजना द्वारा पेश किये गए नवनिर्मित आवास के समतुल्य लागत प्रदान की जा सकती है।
		(ii) पशु शाला/ छोटे दुकान की लागत	(ii) एक बार की रु.25,000/- की सहायता
2	खतौनी में उपाधि खाताधारक परिवार / अभिलेख	(iii) भूमि की हानि (कृषि भूमि / वाणिज्यिक / आबादी या कब्जे वाली कोई अन्य भूमि)	- भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर निम्नानुसार मुआवजे का भुगतान किये जाने पर पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा:- (i) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो, या निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत जो कि ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों को ध्यान में रखकर किया जायेगा। निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, जिनमें उच्चतम विक्रय कीमत का उल्लेख किया गया है, कुल संख्या के आधे को हिसाब में लिया जायेगा, अथवा प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के मामले में दिए गये प्रतिकर की धनराशि, इनमें से जो भी अधिक हो। (ii) अधिनिर्णय की तिथि से 100 प्रतिशत तोषण धनराशि और 12 प्रतिशत ब्याज (iii) गुणांक कारक अधिनियम के अनुसार लागू किया जाएगा। - उन प्रभावित परिवार को रु.3,000 के हिसाब से 12 माह तक निर्वाह भत्ता जिन्हें परियोजना के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी है। - प्रति प्रभावित परिवार को रु.50,000/- स्थानांतरण की सहायता जिन्हे परियोजना के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी है। - प्रभावित परिवार के लिए 50,000/- रुपये का एक बार पुनर्वास भत्ता।

क्र. नं.	दावा करने वाली इकाई / प्रतिवादी	सामाजिक समाघात और प्रतिकूल लागतों की पूरी श्रृंखला की विस्तृत सूचना	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत अधिकारों के अनुसार मुआवजा / शमन उपायों की सीमा
3	अभिलेखों पर दर्ज परिवार/ व्यक्ति	IV) रोजगार / वार्षिकी भत्ता	परियोजना के अन्तर्गत रोजगार सृजित होने की दशा में प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के बाद रोजगार दिया जाने का अधिनियम में प्राविधान है जिसमें मजदूरी की दर उस समय प्रभावी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। अथवा, हर प्रभावित परिवार को रू० 5,00,000/- का एक मुस्त भुगतान या वार्षिक भत्ता पालिसी के रूप में रू० 2000 प्रति माह 20 वर्षों तक भुगतान होगा जो कि प्रति वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा।
4	निजी कर्मचारी / श्रमिक / सरकारी कर्मचारी या परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत मजदूरी अर्जित करने वाला कोई कर्मचारी	V) रोजगार का नुकसान	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार।
5	कमजोर समूह / स्वयं सहायता समूह (SHGs)	VI) भूमि अधिग्रहण के बाद महिलाएं और समूह को संकट	परियोजना द्वारा रोजगार सृजित किये जाने की दशा में प्रभावित परिवार के न्यूनतम एक वयस्क सदस्य को अधिनियम के अनुसार रोजगार का प्राविधान है, वह कौशल विकास का हकदार होगा और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी देय होगा।
6	परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित परिवार	VII) अप्रत्याशित / अनिश्चित प्रभाव	परियोजना के अन्तर्गत मुआवजे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत अधिकारों का विस्तार एवं संशोधन या अनअपेक्षित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लागत का औचित्य तय करना होगा।

9.8. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की लागत का मात्रात्मक विश्लेषण

विस्तृत लाभ-लागत विश्लेषण के लिए एक स्पष्ट परियोजना प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। परियोजना लागत, चरण और विभिन्न अन्य संबंधित प्रक्रियाएं जिसमें प्रत्येक घटक की लागत का उल्लेख किया गया। हालांकि, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना लागत की गणना निम्नानुसार की गयी :-

(i) यूनिट I कार्यों की लागत (यानी, मुख्य बांध और इससे जुड़े विभिन्न कार्य) = रू० 203370.17 लाख

(ii) यूनिट II कार्यों की लागत (जैसे, वितरण कार्य) = रू० 55039.42 लाख

(iii) कुल लागत = रू० 258409.59 लाख

अथवा रू० 2584.10 करोड़ रुपए

गणना कर परियोजना का लाभ-लागत 1.09:1 आँका गया।

तालिका 1.1 में विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

9.8.1. कृषि भूमि, वाणिज्यिक / सामान्य संपति संसाधन (C.P.R.) / अन्य भूमि की लागत

वर्तमान वर्ष की दरों के अनुसार कृषि भूमि की लागत तय की जानी है। इस संबंध में परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित कृषि भूमि की कुल लागत के लिए तालिका 9.2 का अवलोकन किया जाय और तदानुसार मुआवजे का आगणन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुसूची-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना है।

तालिका 9.2: अवयव जिन पर वर्तमान वर्ष के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि की लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा

• कृषि भूमि / वाणिज्यिक / अधिग्रहित की जाने वाली अन्य भूमि का कुल क्षेत्रफल	** प्रति एकड़ / नाली भूमि की लागत	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की कुल लागत	*** कुल कृषि भूमि के लिए मुआवजे की लागत

* वाणिज्यिक/ सामान्य संपति संसाधन (CPR's) के तहत परिवारों और क्षेत्र के अनुसार कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल;

** वर्तमान वर्ष की वर्तमान दरों के अनुसार भूमि की लागत;

*** भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजे की गणना

9.9. सामाजिक समाघात मूल्यांकन (S.I.A.) का निष्कर्ष

सामाजिक समाघात मूल्यांकन (S.I.A.) का निष्कर्ष है कि विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय लागत अपूरणीय है। हालांकि, जमरानी बांध का निर्माण कई समुदायों के लोगों के कल्याण के लिए है जो बड़े पैमाने पर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभावित परिवार या व्यक्ति अपने मुआवज़े को बेहतर रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं तथा किसी भी स्थिति में इसे कम नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रदत्त सुझाव और अनुसंधान के आधार पर परियोजना अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है।

यह भी इंगित करना है कि परियोजना स्थापित करने हेतु भूमि का अधिग्रहण अपरिहार्य है तथा परियोजना प्रभावित परिवारों को संबंधित क्षतिपूर्ति का भुगतान पूर्णतया किया जाना औचित्य पूर्ण एवं आवश्यक है।

इस विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि पुनर्वास हेतु समस्त प्रभावित परिवार अपनी सहमति देने को तैयार हैं बशर्ते उनकी मांगों को पूर्ण करने हेतु एक स्पष्ट पुनर्वास नीति बनाकर उन्हें आश्वस्त किया जाये।

सभी मुआवजों की लागत का आगणन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 (संलगनक-5) के अनुसार है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 से वर्तमान तक के वर्षों के अंतर को देखते हुए, निष्पक्ष रूप से वर्तमान वर्ष में हकदारी की गणना को अद्यतन करना आवश्यक है।

10. सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की बारह बिन्दुओं की मांगों का सामाजिक समाघात मूल्यांकन (S.I.A.) विश्लेषण

10.1. शमन हेतु दृष्टिकोण

समाघात प्रबंधन योजना अधिग्रहित विभिन्न प्रकार की भूमि, सामुदायिक परिसंपतियों- कृषि, आवासीय, सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं, मंदिर, चौपाल, पैदल मार्ग, तालाब, कुएं, पौध, पेड़ और अन्य जुड़ी हुई ग्रामों की परिसम्पतियों के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए परिकल्पित एवं तैयार की गयी है। सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना परियोजना के उद्भव के उपरान्त इससे सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों पर आधारित है तथा परिणामस्वरुप क्षेत्र के प्रभावित लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है। जमरानी बाँध क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में विद्यमान 'अपस्ट्रीम' स्थित छः गांवों एवं तत्संबंधित सभी परिसम्पतियों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, का आंशिक या पूर्णरूप से इनका लोप हो जायेगा। सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का उद्देश्य परियोजना के उद्भव के उपरान्त सभी प्रतिकूल प्रभावों का शमन करना है।

सार्वजनिक सुनवाई, जो कि प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में हुई, के दौरान विभिन्न प्रकार के समाघातों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में शमन हेतु विभिन्न उपायों के विषय में तालिका 9.1 में वर्णन किया गया है।

10.2. नकारात्मक सामाजिक समाघात को कम करने के लिए शमन के उपाय

जमरानी बाँध क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित बाँध के 'अपस्ट्रीम' स्थित 6 गांवों में से प्रत्येक प्रभावित गाँव आबादी युक्त है। इस क्षेत्र में दो श्रेणी के लोग रहते हैं- सामान्य एवं अनुसूचित जाति। सभी लोग बाँध निर्माण के कारण भूमि, मकान, सामुदायिक एवं प्राकृतिक परिसम्पतियों की होने वाली हानि से प्रभावित होंगे। सभी हितधारक जिनकी भूमि एवं मकान इस डूब क्षेत्र में आ रहे हैं वे मूल स्थान से दूर संभावित पुनर्वास के कारण सामान रूप से तनाव ग्रस्त हैं। उक्त हितधारकों ने एकमत रूप से विचारोपरांत बारह बिंदुओं का मांग पत्र दिया है। इस सम्बन्ध में नकारात्मक सामाजिक समाघतों के न्यूनीकरण हेतु निम्नानुसार आकस्मिक कदम उठाये जाने आवश्यक हैं:-

(i) सभी हितधारकों से मांग पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उन हितधारकों का वर्गीकरण करना प्राथमिक रूप से आवश्यक होगा जिनकी मांगें बारह बिंदुओं की मांगों से भिन्न हों। तदुपरांत भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के दृष्टिगत विभिन्न मांगों को सूचीबद्ध करना होगा। द्वितीय चरण में, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची-2 और 3 में वर्णित हकदारी के प्राविधानों के सापेक्ष प्रत्येक मांग का विश्लेषण करना होगा। तृतीय चरण में विभिन्न मांग जिनका मिलान अधिनियम में उल्लेखित किसी हकदारी प्राविधान से होता हो तथा प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति हो सके, को नोट कर विचार-विमर्श करने के उपरान्त अंततः प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना में समावेशित किया जाय। चतुर्थ चरण में, जहाँ मांगें अधिनियम के अनुसार नहीं हैं तब मांग विशेष को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का सघन विश्लेषण कर परिस्थिति विशेष में हकदारी के परिधि में विस्तार हेतु विचार किया जाना आवश्यक होगा ताकि यथा संभव प्रभावित लोगों को अधिकतम लाभ दिलाया जा सके। अन्ततः, यदि प्रभावित व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तब इसका समाधान किया जाना चाहिए। तदुपरांत विभिन्न मांगों एवं उत्पन्न समस्याओं के अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में इनका सूक्ष्म रूप से स्थानीय भाषा में उल्लेख किया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि प्रभावित क्षेत्र में उन्हीं को क्षतिपूर्ति का लाभ मिले जिनकी भूमि के सम्बन्धित उचित अभिलेख हों।

(ii) वर्ष 2013 में भूमि अर्जन अधिनियम प्रभाव में आया, वर्ष 2020 में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार वर्ष 2013 और 2020 के मध्य की अवधि को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा जिसके आधार पर वास्तवित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाएगी।

(iii) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार प्रभावित लोगों की श्रेणियां हैं :-

1. केवल घर वाले लोग
2. लोग जिनके पास केवल जमीन है और कोई घर नहीं है
3. लोग जिनके पास घर और जमीन दोनों हैं
4. लोग जिनके पास घर, जमीन, पेड़ और अन्य प्राकृतिक सम्पति है
5. लोग जिनके पास स्वयं का कोई घर और जमीन नहीं है लेकिन उस जमीन पर केवल सेवा प्रदान करते हैं
6. सामुदायिक भूमि विभिन्न सुविधाओं से युक्त, सड़क, कुंए, मंदिर, अस्पताल, स्कूल, चौपाल तथा पैदल मार्ग इत्यादि।

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुसूची-2 और 3 में हकदारी के विभिन्न बिंदु उपरोक्त वर्णित श्रेणियों को आच्छादित करते हैं। विभिन्न श्रेणियों से प्रभावित व्यक्तियों का उल्लेख सार्वजनिक सुनवाई की बैठकों में है, जिसका विवरण तत्संबंधित अनुभागों में दिया गया है।

(iv) सामाजिक समाघात मूल्यांकन सर्वेक्षण से उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह लाभकारी सूचना मिली जो फलदार पेड़ और बिना फल के पेड़ों के स्वामी हैं। वर्तमान वर्ष में यह आवश्यक है कि स्थिर वृक्षों की जैव मात्रा (biomass) का आगणन कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत मात्रा तालिकाओं (volume tables) का उपयोग कर वृक्षों का बाजार मूल्य तय किया जाय। एक ही आकार और ऊंचाई वाले पेड़ों की जैवमात्रा अंत में पेड़ों की कुल जैवमात्रा देंगी, तदनुसार, लकड़ी का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार जैवमात्रा के आधार पर कुल पेड़ों के लागत का मूल्यांकन किया जा सकेगा जो जिसके स्वामी परियोजना प्रभावित लोग हैं।

(v) जमरानी क्षेत्र के अन्तर्गत भूस्खलन एवं चट्टानों की संरचना का परीक्षण करने की आवश्यकता है जिससे कि भूस्खलन के दृष्टिकोण से जोखिमरहित क्षेत्र के रूप में आश्वस्त हुआ जाय। भूस्खलन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के अंतिम सर्वेक्षण के साथ चट्टानों की संरचना एवं परीक्षण सम्बन्धित रिपोर्ट को भी संलग्न करने की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूस्खलन की आशंका है विभिन्न सुरक्षात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। मिट्टी व पानी के सर्वेक्षण हेतु आवश्यक उपाय करने से मिट्टी के विकृतीकरण (degradation) को कम किया जा सकता है ताकि इसकी उर्वरता शक्ति सुरक्षित रहे।

(vi) बांध के निर्माण से पूर्व, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद के चरण बांध की स्थापना की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इसलिए बांध के पानी की पहुंच वाले विभिन्न क्षेत्रों में बांध के पानी के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त रूप से आकलन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसा कि जमरानी बाँध क्षेत्र के कई प्रभावित लोगों ने संदेह व्यक्त किया है कि जो घर चिह्नित स्तंभ के ऊपर स्थित हैं, उनमें भूस्खलन हो सकता है। इस प्रकार उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नकारात्मक प्रभाव के किसी भी संदेह को दूर करने के लिए एक उचित वैज्ञानिक गणना किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) परियोजना के बांध निर्माण चरण के दौरान जल और ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम से कम करने की आवश्यकता है।

(viii) अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र में जलमग्न हो रहे आजीविका उत्पादन के स्थान और संबंधित परिसंपतियों पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(ix) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विकलांग व्यक्तियों को क्षेत्र में नौकरियों के लिए जहां तक संभव हो आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(x) उन लोगों के लिए मुआवजे के प्रावधान की भी अपेक्षा की गयी है जो परियोजना प्रभावित जमरानी क्षेत्र में भूमिहीन हैं परन्तु किसी तरह इस क्षेत्र में अपनी आजीविका का प्रबन्ध करते हैं।

(xi) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में हाल ही में लोगों ने घरों का निर्माण किया है। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि जमरानी बाँध के निर्माण के सम्बन्ध में वर्ष 1975 से विचार हो रहा है तथापि बांध निर्माण की अनिश्चितता के कारण क्या उन्हें लम्बी अवधि हेतु प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा एवं अपनी प्रगति को रोकना पड़ेगा। अतः इस श्रेणी के लोगों के विषय में भी विचार किया जाना चाहिए और अधिनियम के अन्तर्गत हकदारी के उचित प्राविधानों के तहत उचित मुआवजा दिए जाने की अपेक्षाएं की गयी हैं।

तालिका 10.1: विभिन्न नकारात्मक समाघातों और उनके संभावित शमन और नियंत्रण के उपायों का विवरण

क्र.सं.	समाघात के प्रकार	समाघात का परिणाम	नकारात्मक सामाजिक समाघात के शमन और नियंत्रण हेतु उपाय
1	भूमि की हानि	परियोजना स्थल के अंतर्गत की भूमि लुप्त हो जाएगी और लोग अपनी मूल भूमि से विस्थापित हो जाएंगे।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त मुआवजा और जहां आवश्यक हो, प्रभावित लोगों को इष्टतम लाभ का आश्वासन देने के लिए हकदारी के बिंदुओं में सुधार की आवश्यकता है।
2	घर / निर्मित आवासीय स्थान की हानि	घरों, आवासीय स्थानों की हानि अवश्य होनी है	- मुआवजे के प्राविधान भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार हैं।

क्र.सं.	समाघात के प्रकार	समाघात का परिणाम	नकारात्मक सामाजिक समाघात के शमन और नियंत्रण के उपाय
3	जमीन और घर दोनों की हानि	-यहां ऐसी परिस्थितियां हैं, जहां लोगों को परियोजना के क्षेत्र में अपनी जमीन के साथ-साथ घरों को भी खोना होगा और विस्थापन का तनाव भी होगा।	-अधिकांश हानि और इससे संबंधित क्षतिपूर्ति का समाधान अधिनियम की अनुसूची-2 और 3 के हकदारी के बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही हकदारी के बिंदुओं में सुधार करके हानि के स्तर का मूल्यांकन कर उचित क्षतिपूर्ति तय की जाय।
4	प्राकृतिक परिसंपतियों की हानि	- परियोजना के स्थलों में उपलब्ध प्राकृतिक परिसंपतियों को हानि होगी, और जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा।	- जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा - या तो उन्हें वर्तमान स्थलों से हटाना पड़ेगा अथवा इनका परियोजना क्षेत्र में अन्यत्र उपयोग करना होगा। -जैव ईंधन की मात्रा को मूल्यांकन कर मौजूदा बाजार दर के अनुसार उसे विक्रय किया जा सकता है। जड़ी-बूटियों और झाड़ियाँ, यदि उन्हें स्थानांतरण कर रोपित किया जा सकता है तो आस-पास के क्षेत्र में स्थित चिन्हित वृक्षारोपण स्थलों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
5	आजीविका की हानि	- यदि लोग परियोजना के डूब क्षेत्र में रहते हैं तब आजीविका के समस्त विकल्प समाप्त हो जायेंगे। यदि लोग प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और रह भी रहे हैं तब आवास एवं आजीविका दोनों की हानि होगी।	-भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आजीविका की क्षतिपूर्ति हेतु प्राविधान हैं।
6	प्रतिवादी के स्वामित्व वाले पेड़ों का नुकसान	-वृक्षों और साथ की जड़ी-बूटियाँ लुप्त हो जाएगी, जिन्हें प्रभावित लोग कृषि भूमि की उत्पादकता के लिए चारे, छाया, औषधीय मूल्यों, सौंदर्य मूल्यों, प्रदूषण मुक्त वातावरण और जैविक गीली घास के रूप में लाभ ले रहे थे।	-इस तरह के संसाधनों के लिए भी मुआवजा अपेक्षित है, जिसका प्रतिवादियों द्वारा दीर्घ अवधि तक उपयोग किया गया है। यहां भी, भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्रदान किया जा सकता है।

क्र० सं०	समाघात का प्रकार	समाघात का परिणाम	नकारात्मक सामाजिक समाघात के शमन और नियंत्रण हेतु उपाय
7	सामुदायिक संसाधनों का नुकसान	-इस तरह के संसाधन जैसे फुटपाथ, चौपाल, सामुदायिक सड़क, हैंडपंप, मंदिर, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि जलमग्न क्षेत्र में आ रहे हैं।	-सामुदायिक संसाधनों की क्षतिपूर्ति भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नए पुनर्वास स्थलों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपयोगिता अनुसार नवनिर्माण के रूप में प्रदान की जाएंगी।
8	कमजोर समूहों का विस्थापन	- बिना घर और जमीन के लोग, और केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले सबसे अधिक पीड़ित होंगे -अब तक, सामाजिक समाघात मूल्यांकन सर्वेक्षण के दौरान किसी भी कमजोर समूह की जानकारी परियोजना क्षेत्र में नहीं मिली और न ही निरीक्षण में देखने को मिला क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना जमीन का नहीं पाया गया। हालांकि, एक व्यक्ति परियोजना क्षेत्र में कार्यरत है तथा इसके आजीविका खोने की संभावना है।	- ऐसे लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है और प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें अधिनियम के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा यह SIA सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था इस तरह का एक प्रतिवादी ऐसी श्रेणी में आता है और यदि जमीन खो जाती है तो प्रतिवादी के पास आजीविका के लिए कही जाने का विकल्प नहीं है।
9	सांस्कृतिक संपतियों की हानि	- मुड़कुड़िया गांव में हैडाखान नाम मंदिर है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है और परियोजना क्षेत्र में है।	- इस प्रकार की संपति को अधिनियम के अन्तर्गत उचित रूप से प्राविधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा तथा इस तरह के धार्मिक महत्व की संरचना की छवि के अनुकूल यदि संभव हो तो हकदारी के प्राविधान में सुधार हेतु भी विचार किया जाना उचित होगा।
10	महिला समूहों का विस्थापन	- निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कार्यरत महिला समूह बैठकें आयोजित कर चर्चा करती हैं हालाकि, इनका स्तर स्वयं सहायता समूह के बराबर नहीं है। इस तरह भूमि अधिग्रहण के उपरान्त इनके आपसी सामाजिक लगाव का भी लोप हो जायेगा।	-भूमि अर्जन अधिनियम में इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्राविधान नहीं हैं। हालाकि, यदि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करे तो हकदारी के प्राविधानों में आवश्यक सुधार कर इन महिला समूह के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

हकदारी के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा सामाजिक समाघात मूल्यांकन की रिपोर्ट में 12 बिंदुओं की मांग पत्र के विश्लेषण के अन्तर्गत की गयी है। इनका उल्लेख सार्वजनिक बैठकों में भी किया गया है जहाँ प्रभावित लोगों ने अपने से सम्बन्धित विशेष व्यक्तिगत मुद्दे, विभिन्न प्रकार की संपतियों को नुकसान एवं प्राकृतिक परिसंपतियों को होने वाली क्षति के सम्बन्ध में सूचित किया है।

• भूमि अर्जन अधिनियम वर्ष 2013 में लागू हुआ था, और तब से अब तक हकदारी के विभिन्न बिंदुओं पर क्षतिपूर्ति की लागत स्थिर है। अतः प्रभावित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की लागत वर्तमान वर्ष में आगणन हेतु यह औचित्य पूर्ण है कि वर्ष 2013 से 2020 तक की अवधि को ध्यान में रखते हुए हकदारी के बिंदुओं पर आवश्यक संशोधन किया जाय।

10.3. जमरानी क्षेत्र के परियोजना प्रभावित परिवारों की बारह (12) सूत्रीय मांगें

जमरानी बांध के निर्माण के लिए परियोजना क्षेत्र में भूमि और विभिन्न संपतियों के अधिग्रहण की आवश्यकता है। क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हितधारकों की कई श्रेणियां हैं। भूमि अधिग्रहण और अपने मूल स्थान से विस्थापन के बदले में, प्रभावित लोगों ने सहमति देने से पूर्व 12 बिंदुओं का सशर्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इन मांगों का हिंदी में उल्लेख नीचे दी गई तालिका 10.2 में दिया गया है।

तालिका 10.2: जमरानी क्षेत्र के प्रभावित लोगों की बारह सूत्रीय मांगे

१२ सुत्रिय मांगे प्रत्येक गांव के निवासीओं की तरफ़ से

१. बांध निर्माण से प्रभावित परिवारों के प्रत्येक घर से एक सदस्य को उसकी योगप्तानुसार नौकरी (सरकारी नौकरी)।
२. प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच एकड जमीन।
३. मकान का मुआवजा नगदीये मापदण्ड के अनुसार दिया जाये।
४. विस्थापन के बाद स्थानिय समुदायों (ग्राम व पुरवा) को यथा रूप मे बसाया जाये।
५. प्रत्येक प्रभावित परिवार को सभी सुविधायें समान रूप से प्रदान कि जांये।
६. प्रत्येक परिवारों का पुनर्वास अपने जिले में ही किया जाये (खुर्बिया फ़ार्म व प्रयाग फ़ार्म मे)।
७. पुनर्वासित स्थानों पर भी वन पंचायत तथा वनोपज संबन्धी अधिकार यथाभूत रहें।
८. पानी और घास (चारागाह) जैसी आवश्यक प्राकृतिक सुविधायें निशुल्क और बिना कष्ट के प्राप्त हों।
९. जिनकी अधिकांश जमीन बांध परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित की जा रही है उन्हे पूर्ण प्रभावित की श्रेणी मे रखा जाये।
१०. बांध परियोजना मे मत्स्य पालन एंव पर्यटन संबन्धी सभी अधिकार डूब क्षेत्र के प्रभावित लोगों को ही प्रदान किया जाये।
११. लारा एक्ट २०१३ मे वर्तमान परिद्रश्य के अनुरूप संशोधन करके मंहगाई संम्बन्धी मुआवजा और अनुदान तथ किये जायें।
१२. अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तथा राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था वाले विद्यालय, आधुनिक चिकित्सालय तथा आवागमन के साधनों की निशुल्क व्यवस्था हो।

10.4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के संदर्भ में 12 सूत्रीय मांग का सामाजिक समाघात मूल्यांकन विश्लेषण

सभी प्रभावित लोगों के बारह बिंदुओं की मांग उनके विस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा और गंभीर विचार का विषय है। उनकी सभी मांगों के लिए, इन मांगों का गहन सामाजिक समाघात मूल्यांकन विश्लेषण किया गया है। 12 बिंदुओं के विश्लेषण का विवरण तालिका 10.3 में दिया गया है।

तालिका 10.3: प्रभावित व्यक्तियों की बारह सूत्रीय मांगे और भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में उपलब्ध तत्संबंधित मुआवजे का सामाजिक समाघात मूल्यांकन विश्लेषण

क्र.सं.	परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा बारह बिंदुओं की मांग	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में मुआवजे की संभावना पर अवलोकन	टिप्पणियाँ
1	बांध निर्माण से प्रभावित परिवारों के प्रत्येक घर से एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार नौकरी (सरकारी नौकरी)	अधिनियम की अनुसूची-2 के क्रम संख्या 4 में कौशल के आधार पर रोजगार के सृजन के बारे में उल्लेख है। जहाँ परियोजना के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाता है तब उपयुक्त प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करने के बाद प्रभावित परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार हेतु विचार किया जा सकता है, तथा उसकी मजदूरी उस समय प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगी। अधिनियम के अंग्रेजी प्रति में schedule 2 के clause 4(a) में उल्लिखित "for the time being in force" का स्पष्टीकरण आवश्यक है जोकि प्रभावित व्यक्तियों के रोजगार के सम्बन्ध में है। रोजगार के विकल्प के रूप में अनुसूची-2 के प्रस्तर (ख) व प्रस्तर (ग) में हकदारी के प्राविधानों का उल्लेख किया गया है।	प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी के प्राविधान के अलावा निजी नौकरियों / अन्य निजी परियोजनाओं में / या विभिन्न सरकारी परियोजनाओं तक सीमित रोजगार के अधिकारों का कोई विवरण नहीं है। इसके बजाय, सरकारी नौकरियों में रोजगार के सृजन का विकल्प प्रभावित परिवारों के सदस्यों के लिए भी खुला हैं। प्रभावित व्यक्ति अपने परिवार सदस्यों हेतु सरकारी परियोजनाओं में कौशल पर आधारित स्थायी रोजगार पर जोर देते हैं। अधिनियम में समान अधिकार का न तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और न ही खंडन किया गया है।

क्र.सं.	परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा बारह बिंदुओं की मांग	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में मुआवजे की संभावना पर अवलोकन	टिप्पणियाँ
2	प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5 एकड़ जमीन	अधिनियम की अनुसूची-2 की क्रम संख्या 2 में, प्रत्येक प्रभावित परिवार को परियोजना के कृषि योग्य क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का हक प्रदान किया गया है, जो दोनों मामलों में है (क) जहां प्रतिवादी की भूमि अधिग्रहित की गयी है या खो गयी है (ख) या भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप भूमिहीन हो गया है।न्यूनतम शब्द का उपयोग भूमि के नुकसान के लिए सुझाए गए अधिकारों के लिए किया जाता है। ऐसे प्रतिवादियों के लिए के लिए इष्टतम / अधिकतम मुआवजे का दायरा अधिनियम में स्पष्ट किया जाना चाहिए, या हकदारी की विस्तारित सीमाएं जिन्हें प्रभावित परिवारों के मामले में पूरी तरह से विचार करने के बाद अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।	प्रतिवादी के जमीन की जो भी हानि हुई हो उसका ध्यान न रखते हुए 5 एकड़ जमीन की मांग- प्रभावित परिवारों की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए और अधिनियम में संभावित मानदंड लाभों को शामिल किए जाने के साथ, यदि 5 एकड़ नहीं तो 2-5 एकड़ के अन्तर्गत औचित्य पूर्ण मानदंड निर्धारित कर हकदारी के विस्तारित करने हेतु इस पर चर्चा की जानी चाहिए।
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सम्बन्धित प्राविधान तथा परिणामस्वरूप विरोधाभासी मुद्दे	इस सम्बन्ध में अनुसूची-2 के क्रम संख्या 2 पर स्थिति स्पष्ट की गयी है- "परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यकियों को जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध करायी जाएगी।" उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति हेतु क्रम संख्या 2 के प्रस्तर 2 में वर्णित कथन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है जो कि मुआवजा अन्तिमीकरण से पूर्व हो।	अनुसूचित जाति / जनजाति मुआवजा प्राविधान न्यूनतम भूमि को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि अन्य जातियों से अधिक का प्राविधान अनुसूचित जाति / जनजाति को किया गया है। प्रभावित परिवारों के हकदारी के आवंटन में किसी प्रकार का विकार न हो इस हेतु तत्संबंधित प्राविधानों में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

क्र.स.	परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा बारह बिंदुओं की मांग	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में मुआवजे के संभावना पर अवलोकन	टिप्पणियाँ
3	मकान का मुआवजा नगदी मापदंड के अनुसार दिया जाय	-अनुसूची-2 के क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत प्रस्तर 2 में इस मांग का समाधान निहित है। हालाँकि, उल्लिखित राशि वर्ष 2013 के अनुसार है; इसलिए, मुआवजे को वर्तमान दर पर विचार करके तदनुसार अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।	-इसी प्रस्तर के अन्तर्गत "शहरी क्षेत्रों" शब्दों का भी उल्लेख किया गया है, जिस पर बांध परियोजना स्थल पर प्रभावित परिवारों के हकदारी पर विचार करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है।
4	विस्थापन के बाद स्थानीय समुदायों (ग्राम व पुरवा) को यथारूप में बसाया जाय।	-अधिनियम की अनुसूची-2 के क्रम संख्या 5 के प्रस्तर 3 में, तत्संबंधित हकदारी के प्राविधान का उल्लेख किया गया है जो प्रभावित लोगों द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुरूप प्रतीत होता है।	-इस मांग को प्रभावित लोगों की ओर से और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि पुनर्वास का स्वरुप यथा संभव स्थापित किया जा सके।
5	प्रत्येक प्रभावित परिवार को सभी सुविधायें समान रूप से प्रदान की जाय।	-अधिनियम की अनुसूची-2 में समस्त विस्थापितों के लिए हकदारी अधिकार हैं। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मामले में अनुसूची-2 के क्रमांक 2 के प्रस्तर 2 में अधिनियम में प्राविधान है जो सामान्य श्रेणियों / ओबीसी, आदि (तालिका10.4) की तुलना में ऐसी श्रेणियों के लोगों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।	भूमि अर्जन अधिनियम में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अन्य सभी श्रेणियों की तुलना में कुछ विस्तारित अधिकार हैं। (तालिका 10.4 और तालिका 10.5)

क्र.स.	परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा बारह बिंदुओं की मांग	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में मुआवजे के संभावना पर अवलोकन	टिप्पणियाँ
6	परिवारों का पुनर्वास अपने जिले में ही किया जाये (खुर्पिया फ़ार्म व प्रयाग फ़ार्म में)।	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार, हकदारी प्राविधानों में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है जहाँ अपने जिले में ही पुनर्वास की व्यवस्था हो।	क्योंकि यह प्रभावित लोगों के उनके मूल क्षेत्र से विस्थापन की प्रक्रिया है, इसलिए उस क्षेत्र में पुनर्वास की यदि कोई गुंजाइश होती है, तो इसे प्रभावित लोगों के पुनर्वास के अंतिम रूप को चुनने से पहले जांच, चर्चा और विचार किया जाना चाहिए। -अभी तक जमरानी अधिकारियों के साथ मौजूदा योजना के बारे में जो चर्चा की गई है, उसके अनुसार प्रभावित लोगों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जहां उन्हें अपने मूल निवास वाले इलाके में ही बसाया जा सके।
7	पुनर्वासित स्थानों पर भी वन पंचायत तथा वनोपज संबंधी अधिकार यथाभूत रहे।	-अधिनियम की अनुसूची-2 के क्रम संख्या 5 के प्रस्तर 3 के अनुसार उनके मूल आर्थिक अवसरों, भाषा, संस्कृति और जनजातीय समुदायों के सामुदायिक जीवन के समान व्यवस्था को संरक्षित करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूची-3 के क्रम संख्या 5,7 व 23 में वर्णित प्राविधान भी इस मांग को आच्छादित करते हैं। (तालिका 10.5)	-प्रस्तुत की गयी इस मांग का अधिनियम के अन्तर्गत किये गए प्राविधान के साथ समानता है परन्तु इस प्रकार की सुविधा का स्वरुप जमरानी अधिकारियों के साथ ही चर्चा के अनुसार पुनर्वास के चयनित स्थानों पर निर्भर करता है।

क्र.स.	परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा बारह बिंदुओं की मांग	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में मुआवजे के संभावना पर अवलोकन	टिप्पणियाँ
			उठाया गया बिंदु इस अर्थ में मान्य है कि प्रभावित लोग अब तक अपने जन्म के मूल स्थान पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन जुटा रहे हैं, जो कि उनके घरेलू पशु, कृषि-खेती, जड़ी-बूटी, ईंधन की लकड़ी, चारा और मसाले आदि हो सकते हैं और अब जब वे अपने स्थान से विस्थापित हो रहे हैं, तो ऐसी परिसंपतियों से संबंधित बेहतर मुआवजे के लिए आगे विचार किया जाना चाहिए जो प्रभावित लोगों के लिए पूर्व में मुफ्त उपलब्ध हैं। तदनुसार अधिनियम में उल्लिखित हकदारी के प्राविधानों में छूट दी जानी चाहिए ताकि क्षतिपूर्ति में सुधार हो सके।
8	पानी और घास (चारागाह) जैसी आवश्यक प्राकृतिक सुविधाये निशुल्क और बिना कष्ट के प्राप्त हो।	- प्रभावित लोगों की मांग अधिनियम की अनुसूची-3 के क्रम संख्या 4, 5 और 23 में दिए गए प्राविधान के अनुरूप है।	-पुनर्वास के चयनित क्षेत्रों में इस मांग पर विचार किया जा सकता है। यह मांग अधिनियम में उल्लिखित हकदारी के प्राविधान के अनुरूप है।
9	जिनकी अधिकांश जमीन बांध परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही है उन्हें पूर्ण प्रभावित की श्रेणी में रखा जाये।	उक्त अधिनियम में कहीं से भी मांग पर आपत्ति नहीं की गई है। हालाँकि, भूमि अर्जन अधिनियम में, उठाई गई माँग की ऐसी कोई परिभाषा / व्याख्या नहीं मिलती है फिर भी यह माँग अधिनियम में उल्लिखित मुआवजे से अलग नहीं है।	पात्रता को लागू करने के लिए उक्त अधिनियम में उल्लिखित अधिकतम भूमि हानि की परिभाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

क्र.स.	परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा बारह बिंदुओं की मांग	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में मुआवजे के संभावना पर अवलोकन	टिप्पणियाँ
10	बांध परियोजना में मत्स्य पालन एवं पर्यटन संबंधी सभी अधिकार डूब क्षेत्र के प्रभावित लोगों को ही प्रदान किया जाये।	अधिनियम की अनुसूची-2 के क्रम संख्या 9 में, मछली पकड़ने के अधिकारों के बारे में पात्रता का उल्लेख है जो कि इस प्रकार है- "सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।" अधिनियम में विभिन्न हकदारी के प्राविधानो का सापेक्ष वर्णन है जोकि इस मांग के अतिरिक्त है	अधिनियम की पात्रता अनुसूची में उल्लिखित पर्यटक प्रबंधन अधिकारों की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। हालांकि, जैसा कि मछली पकड़ने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, 2013 के अधिनियम में कुछ संशोधन विकसित किए जा सकते हैं।

11	लारा एक्ट 2013 में वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप संशोधन करके महंगाई संबंधी मुआवजा और अनुदान तय किए जाये।	अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची में हकदारी के प्राविधानों हेतु महंगाई के मुआवजे के लिए कोई प्रत्यक्ष प्राविधान नहीं है; तथापि, अनुसूची में विभिन्न दिशानिर्देशों का गहन अध्ययन कर इस मांग का विश्लेषण किया जा सकता है।	इस अधिनियम के हकदारी सम्बन्धित अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न क्षतिपूर्ति दिशानिर्देशों पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता है, जिस पर सरल स्थानीय भाषा में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर भूमि अर्जन अधिनियम 2013 (तालिका 10.4 और 10.5) के तहत उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, अधिनियम में किसी भी सुधार के बारे में कोई इनकार नहीं किया गया है, जो पुनर्वास स्थानों पर चयनित स्थितियों को बेहतर बना सकता है।
12	अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तथा राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था वाले विद्यालय, आधुनिक चिकित्सालय तथा आवागमन के साधनों की निशुल्क व्यवस्था हो।	अधिनियम की अनुसूची-3 में वान्छित मांग के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।	प्रभावित परिवारों को नि:शुल्क सुविधाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हालांकि, अधिनियम के अनुसूची-3 में प्रत्येक सुविधा का उल्लेख किया गया है एवं 12 बिंदुओं के मांग पत्र के 12वीं मांग भी इसका एक अंश है। हालांकि, विशिष्ट सुविधाएं जिनके बारे में स्थानीय प्रभावित लोग बात कर रहे हैं, उन्हें पुनर्वास योजना के अंतिम रूप देने से पहले पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

10.5. परियोजना प्रस्ताव में कार्यदायी निकाय द्वारा बताए गए उपाय

किसी भी राहत उपायों या किसी अन्य प्रबंधन उपायों को कार्यदायी निकाय द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया,

10.6. संस्थागत संरचनाएं, लागत और मुआवजे के निर्धारण में शामिल प्रमुख व्यक्ति

समुचित सरकार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पालिसी/प्लान की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक समाघातों और लागतों के मुआवजे के लिए सभी शमन उपाय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के तहत हैं। परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया के तहत गतिविधियों के मुआवजे का ध्यान रखने के लिए कलक्टर मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति है। उक्त अधिनियम एक राजस्व जिले के कलक्टर को परिभाषित करता है। इसमें एक उपायुक्त और अन्य अधिकारी शामिल हैं जो विशेष रूप से कलक्टर के कार्यों को करने के लिए समुचित सरकार द्वारा पद नामित हैं।

मुआवजे और उसके अधिनिर्णय से संबंधित कार्य में कलक्टर का आवश्यक दायित्व :-

i) भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के बाद कलक्टर, भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियों को सम्मिलित करके भूमि मालिक (जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है) को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की कुल राशि की गणना करेगा।

ii) इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में, कलक्टर विचार करेगा :-

1. धारा 26 के तहत निर्धारित बाजार मूल्य और प्रथम और द्वितीय अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णय राशि;

2. कलक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय भूमि पर किसी भी तरह की खड़ी फसलों और पेड़ों को लेने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति;

3. कलक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय ऐसी भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग करने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति (यदि कोई हो);

4. कलक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, अधिग्रहण या किसी अन्य कारण द्वारा उसकी अन्य संपति, चल या अचल, या उसकी कमाई बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण, हितबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति (यदि कोई हो);

5. कलक्टर द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, हितबद्ध व्यक्ति को अपने निवास या व्यवसाय के स्थान को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, इस तरह के आकस्मिक परिवर्तन के लिए उचित धनराशि का व्यय होना (यदि कोई हो);

6. सेक्शन 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय के बीच भूमि के लाभ में कमी से उत्पन्न वास्तविक क्षति (यदि कोई हो);

7. कोई अन्य आधार जो प्रभावित परिवारों हेतु निष्पक्षता, न्याय और हित में हो सकता है।

10.6.1. भूमि या भवन से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण

1. कलक्टर द्वारा भूमि या भवन से जुड़े अन्य अचल संपति या परिसम्पति जो अधिग्रहण कि जानी है, उस

भवन के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक सक्षम इंजीनियर या संबंधित क्षेत्र के किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग किया जाय, जो वह आवश्यक समझते हों।

2. अधिग्रहण की जाने वाली भूमि से जुड़े पेड़ों और पौधों के मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कलक्टर द्वारा कृषि, वानिकी, बागवानी, रेशम उत्पादन या कोई अन्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जाय जो वह आवश्यक समझते हों।

3. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से कलक्टर द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जाय, जो वह आवश्यक समझते हों।

10.6.2. तोषण

1. कलक्टर द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल मुआवजे को निर्धारित कर, अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए, मुआवजा राशि के एक सौ प्रतिशत के बराबर तोषण (solatium) की राशि अधिरोपित (impose) की जाएगी।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया गया है कि देय मुआवजे के अतिरिक्त तोषण केवल ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है।

2. कलक्टर, संदेय प्रतिकर की विशिष्टियों का ब्यौरा और पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर के संदाय के ब्यौरे देते हुए पृथक-पृथक अधिनिर्णय जारी करेगा।

3. धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में, उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्ज़ा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा।

तालिका 10.4: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 के अनुसार अधिकारों का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)
		स्पष्टीकरण—शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिले भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।	
2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से संबंधित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी : परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।	
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	यदि भूमि को शहरीकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाता है तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुंबों को, उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर, प्रस्थापना की जाएगी : परंतु यदि भूस्वामित्व परियोजना से प्रभावित कुटुंब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे जो भूमि अर्जन प्रतिकर पैकेज संदेय है उससे समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी।	
4.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प।	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है: (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना	

(1)	(2)	(3)	(4)
		स्पष्टीकरण—शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिले भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।	
2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से संबंधित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी :	
		परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।	
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	यदि भूमि को शहरीकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाता है तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुंबों को, उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर, प्रस्थापना की जाएगी :	
		परंतु यदि भूस्वामित्व परियोजना से प्रभावित कुटुंब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे जो भूमि अर्जन प्रतिकर पैकेज संदेय है उससे समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी।	
4.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प।	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है:	
		(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना	

123

(1)	(2)	(3)	(4)
		में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना; या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपए का एक बारगी संदाय; या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा।	
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा । इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पचास हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे । अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की दशा में, यथा संभव, प्रभावित कुटुंबों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों को, उनकी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सके।	
6.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जो विस्थापित हुआ है, कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में पचास हजार रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी।	
7.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ।	
8.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान	किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है,	

(1)	(2)	(3)	(4)
		ऐसी रकम की एकबारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।	
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।	
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपए का एक बारगी "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।	
11.	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।	
		(2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।	
		(3) आबंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।	

तालिका 10.5: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची -3 के अनुसार प्रविष्टियों का विवरण

तीसरी अनुसूची

[धारा 32 (2), 38(1) और 105(3) देखिए]

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएं कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए ऐसी न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन, जो समुचित हों, उपलब्ध कराना उचित होगा :—

क्रम सं.	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई/ उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के संघटक	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्थ सभी मौसमों में उपयुक्त सड़क–लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।	
2.	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन किया जाना।	
3.	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक आश्वासित स्रोत।	
4.	पशुओं के लिए पेय जल की व्यवस्था ।	
5.	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह ।	
6.	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।	
7.	यथोचित पंचायत घर ।	
8.	बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर यथोचित डाकघर ।	
9.	बीज सह उर्वरक भंडारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।	
10.	पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों को आबंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाएं, यदि सिंचाई परियोजना से संबंधित न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सरकारी स्कीम या विशेष सहायता द्वारा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं ।	
11.	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिएं ।	

126

(1)	(2)	(3)
12.	स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रस्तान या श्मशान घाट ।	
13.	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल ।	
14.	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) ।	
15.	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।	
16.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।	
17	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।	
18.	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।	
19.	बच्चों के लिए क्रीड़ास्थल ।	
20.	प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।	
21.	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा ।	
22.	परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि का चिन्हित किया जाना।	
23.	वन में रहने वाले कुटुंबों को, जहां संभव हो, गैर-काष्ठ वनोत्पाद संबंधी उनके वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन, यदि वे व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हों, उपलब्ध कराए जाएं और यदि ऐसे कोई कुटुंब बेदखली के ऐसे स्थान के समीप के क्षेत्र में की ऐसे वन या सामान्य संपत्ति में अपनी पहुंच या प्रवेश को जारी रख सकता है तो वे आजीविका के पूर्वोक्त स्रोतों के अपने पूर्व अधिकारों के उपभोग को जारी रख सकेंगे ।	
24.	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था का यदि आवश्यक हो, उपबंध किया जाना चाहिए।	
25.	सन्नियमों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।	

टिप्पण—क्रम सं॰ 1 से 25 के सामने स्तंभ (2) में वर्णित आवश्यकतात्मक सुख-सुविधाओं के प्रत्येक संघटक के बारे स्तंभ (3) में भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपदर्शित किए जाने चाहिए ।

परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों का विवरण

संलग्नक 1

क्र. सं.	परिवार का मुखिया	पिता या पति का नाम	गाँव का नाम	लिंग	वैवाहिक स्थिति	आयु	आधार संख्या	व्यवसाय
१	बच्चुली देवी	स्व० सुदी राम	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	72	959291058828	कृषि
२	दीवान राम	बची राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	55	935869412883	कृषि
३	जगदीश चंद्र	स्व० बच्ची राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	46	296242097459	कृषि
४	कमला देवी	स्व० रतन सिंह	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	65	236587681699	गृहिणी
५	मणि राम	स्व० बच्ची राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	73	305579076386	कृषि
६	मोहन राम	स्व० बच्ची राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	67	229110672999	मजदूर
७	मुन्नी देवी	कृष्णचंद्र	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	45	941342333062	कृषि
८	पाणि राम	नंद राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित		700741388190	कृषि
९	पार्वती देवी	स्व० जसी राम	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	50	454915308785	कृषि
१०	बिशन राम	दुगर राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	73	450716214433	कृषि
११	चंद्र शेखर	मोहन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	28	596675735772	निजी उद्योग में नौकरी
१२	चनी राम	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	36	381007204778	कृषि
१३	दीवान राम	प्रेम राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	70	539398414957	कृषि
१४	धनी राम	नदी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	70	230066134617	कृषि
१५	दिनेश चंद्र आर्य	ईश्वरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	26	627920665653	मजदूर
१६	गंगा राम	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	31	245075440033	कृषि
१७	गिरीश चंद्र	विपिन चंद्रा	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	20	376200666625	कृषि
१८	हरीश चंद्र आर्य	स्व० त्रिलोक चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	27	919810003670	कृषि
१९	इंदर लाल	मणि राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	26	367150765243	कृषि
२०	ईश्वरी राम	स्व० भीम राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	53	684049652843	कृषि
२१	जीवन चंद्र	पाणि राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	31	473459910934	कृषि
२२	कृष्ण चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	35	83827731892	कृषि
२३	कृष्ण राम	बिशन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	44	419820988367	कृषि
२४	ललित मोहन	मोहन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	29	569806312140	निजी उद्योग में नौकरी
२५	मणि राम	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	40	973368191644	कृषि
२६	मनोज चंद्रा	पाणि राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	24	640116187386	कृषि

२७	मनोज कुमार	संतोष राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	24	789551713556	कृषि
२८	मनोज राम	धरम राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	25	623255318725	कृषि
२९	मोहन चंद्र	मणि राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	39	940354667332	कृषि
३०	मोहन चंद्र	स्व० सुदी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	37	486315334897	मजदूर
३१	नंदी देवी	धर्म राम	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	52	896234067893	कृषि
३२	नवीन चंद्र	बिशन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	33	301677083413	कृषि
३३	नवीन चंद्र	पाणि राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	30	989994199419	कृषि
३४	पार्वती देवी	स्व० त्रिलोक राम	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	60	572813688671	कृषि
३५	पार्वती देवी	स्व० लक्ष्मी दत	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	65	836697717219	कृषि
३६	प्रकाश चंद्र	धनी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	28	479285305585	कृषि
३७	प्रकाश चंद्र	संतोष राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	40	538584746882	कृषि
३८	राजेन्द्र प्रसाद	स्व० उदय राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	40	216167155063	निजी उद्योग में नौकरी
३९	रमेश चंद्र	स्व० चंद्र बल्लभ	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	58	791421755957	सरकारी नौकरी
४०	रमेश चंद्र	विशन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	45	686231018645	कृषि
४१	रेणु	प्रकाश चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	19	370317183791	कृषि
४२	रेवाधर	रामलाल	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	35	811758979397	कृषि
४३	संतोष राम	डूंगर राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	65	802431757507	कृषि
४४	शेरी राम	प्रेम राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	60	589790534309	कृषि
४५	शोभन राम	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	43	579809613944	कृषि
४६	सुभाष चंद्रा	त्रिलोक राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	27	2756024275	कृषि
४७	सुंदर लाल	धरम राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	29	699556679482	कृषि
४८	सुनीता देवी	मणि राम	तिलवाड़ी	स्त्री	अविवाहित	23	986311481427	कृषि
४९	सुरेश चंद्रा	भीम राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	NA		कृषि
५०	सुरेश चंद्रा	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	58	898058786798	कृषि
५१	विपिन चंद्रा	संतोष राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	33	635137204147	कृषि
५२	विशन राम	स्व० नंद राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	72	906287115173	कृषि
५३	बसंती सम्मल	स्व० गोकुल सिंह सम्मल	तिलवाड़ी	स्त्री	विवाहित	29	355665551662	गृहिणी
५४	भवन सिंह	स्व० रतन सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	75	200187085897	कृषि
५५	भूपाल सिंह	स्व० शेर सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	47	612392213496	कृषि
५६	भुवन चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	54	736661283697	सरकारी नौकरी
५७	भुवन चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	28	695020051259	कृषि
५८	हरीश चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	34	503143164927	कृषि

५९	जगत राम	मोहन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	23	310951107759	निजी उद्योग में नौकरी
६०	माधव नंद	रमेश चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	37	867167611338	कृषि
६१	महेश चंद्र	शेरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	32	626737669467	कृषि
६२	महेश चंद्र	मणि राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	30	527689113229	कृषि
६३	नवीन चंदर	स्व० सुदी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	35	726547220973	निजी उद्योग में नौकरी
६४	प्रताप राम	स्व० शेरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	37	350616985139	कृषि
६५	रमेश चंद्र	बिशन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	44	605332073547	कृषि
६६	रमेश चंद्र	दीवान राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	45	501702734195	कृषि
६७	सूरज कुमार	रमेश चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	18	895166929261	कृषि
६८	तुला सिंह	भवन सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	53	674877333544	निजी उद्योग में नौकरी
६९	विकाश चंद्र	भुवन चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	18	957151671541	छात्र
७०	विपिन चंद्रा	शेरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	34	281092855784	कृषि
७१	अनीता आर्य	भुवन चंद्र	तिलवाड़ी	स्त्री	अविवाहित	19	329521420788	छात्र
७२	हरीश चंद्र	रमेश चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	18	854711579153	कृषि
७३	कैलाश चंद्र	रमेश चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	32	897851555749	निजी उद्योग में नौकरी
७४	ममता आर्य	ईश्वरी राम	तिलवाड़ी	स्त्री	अविवाहित	22	556606249132	छात्र
७५	मुकेश सिंह	तुला सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	21	949188752411	निजी उद्योग में नौकरी
७६	नरेंद्र सिंह सम्मल	भूपाल सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	18	822423709578	छात्र
७७	नीरज सिंह सम्मल	तुला सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	18	701206071380	छात्र
७८	पान सिंह	रतन सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	63	373316081733	सेवानिवृत
७९	पंकज आर्य	मोहन राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	23	407656210537	निजी उद्योग में नौकरी
८०	प्रेमा आर्य	कृष्ण राम	तिलवाड़ी	स्त्री	अविवाहित	18	686301966753	छात्र
८१	राकेश	सुरेश चंद्रा	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	19	262174230657	कृषि
८२	विद्या सागर	स्व० सुदी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	29	998017737410	मजदूर
८३	विकाश सिंह सम्मल	भूपाल सिंह सम्मल	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	18	334923155621	छात्र
८४	दीपक चंद्रा	स्व० जसी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	29	972296217651	कृषि
८५	हिना आर्य	भुवन चंद्र	तिलवाड़ी	स्त्री	अविवाहित	21	462005021026	छात्र
८६	जीवन सिंह	भवन सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	45	848808128932	निजी उद्योग में नौकरी
८७	कमल चंद्र	कृष्णचंद्र	तिलवाड़ी	स्त्री	अविवाहित	24	317840551121	निजी उद्योग में नौकरी

८८	कमल सिंह	पान सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	35	486618141051	सरकारी नौकरी
८९	कुबेर सिंह	भवन सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	30	323558562933	निजी उद्योग में नौकरी
९०	लक्ष्मण सिंह सम्मल	पान सिंह सम्मल	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	38	568367109447	सरकारी नौकरी
९१	मोहन सिंह	पान सिंह	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	31	968829784777	कृषि
९२	मुकेश कुमार	ईश्वरी राम	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	19	390427718180	छात्र
९३	नवीन चंद्र	लक्ष्मी दत्त	तिलवाड़ी	पुरुष	विवाहित	41	683731929107	कृषि
९४	विनोद चंद्रा	जगदीश चंद्र	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	20	672491081628	छात्र
९५	युगल किशोर पलारिया	स्व० लक्ष्मी दत	तिलवाड़ी	पुरुष	अविवाहित	22	791526604224	छात्र
९६	लीला वती देवी	स्व० चंदन सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	53	376246686422	कृषि
९७	राजू बेलवाल	नित्यानंद बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	42	706464434075	नौकरी
९८	खीम सिंह सम्मल	धन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	40	379878870682	कृषि
९९	खीम सिंह सम्मल	भीम सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	66	423785638644	कृषि
१००	खिमूली	चतुर सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	70	788226105964	कृषि
१०१	खिमुली देवी	भवन सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	60	236681543088	गृहिणी
१०२	किशोर राम	मोहन राम	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	37	418440125290	मजदूर
१०३	कृष्ण सिंह	गोपाल सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	38	982105254258	कृषि
१०४	कृष्ण सिंह	चंदन	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	25	900105576881	कृषि
१०५	लक्ष्मण सिंह	मोहन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	34	461671977274	निजी उद्योग में नौकरी
१०६	लक्ष्मण सिंह	चन्द्र सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	40	33202471410	निजी उद्योग में नौकरी
१०७	महेश प्रसाद आर्य	गिरीश चन्द्र	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	27	799561754033	मजदूर
१०८	मान सिंह	खड़क सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	75	737604780224	कृषि
१०९	मोहन सिंह	सोबन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	62	807476340147	सरकारी नौकरी
११०	मोहन सिंह	राम सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	37	468515673104	कृषि
१११	मोहन सिंह	हिम्मत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	37	875734058148	निजी उद्योग में नौकरी
११२	मुन्नी	स्व० रघुवर दत उदराती	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	81	652115622446	गृहिणी
११३	नंद लाल	जगत राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	34	983177110288	निजी उद्योग में नौकरी
११४	नंदन सिंह	भवन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	66	834513126757	सेवानिवृत
११५	नंदन सिंह	स्व० खैराज सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	46	949238835767	निजी उद्योग में नौकरी

११६	पान सिंह	स्व० चंदन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	817280452354	कृषि
११७	पान सिंह	मोहन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	42	540508696284	दुकानदार
११८	पाणि राम	धनी राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	33	568716196725	कृषि
११९	पंकज कुमार	प्रेम राम	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	18	603192629476	मजदूर
१२०	पूरन राम	चुनार राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	67	817007514564	दरजी
१२१	प्रदीप	दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	34		कृषि
१२२	प्रताप सिंह	हरक सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	46	898857863650	कृषि
१२३	प्रतिमा देवी	स्व० खैराज सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	70	942206393808	गृहिणी
१२४	प्रीतम सिंह सम्मल	चंदन सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	37	263233710834	निजी उद्योग में नौकरी
१२५	प्रीति सम्मल	स्व० गणेश सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	20	235742088135	छात्र
१२६	पुष्पा देवी	स्व० गणेश सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	40	337342650108	गृहिणी
१२७	पुष्पा देवी	स्व० गणेश सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	40	337342650108	गृहिणी
१२८	राधिका देवी	स्व० कुंदन सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	68	359918885716	गृहिणी
१२९	राजेन्द्र प्रसाद	दीवान राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	40	465049099070	कृषि
१३०	राजेन्द्र प्रसाद	सोबन राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	44	522559543210	निजी उद्योग में नौकरी
१३१	राजेन्द्र सिंह	दिवंगत दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	28	537726653897	मजदूर
१३२	राजेन्द्र सिंह	चंदन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	31	908442267562	दुकानदार
१३३	राजेन्द्र सिंह	स्व० कुंदन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	32	738453066194	कृषि
१३४	राम सिंह	खड़क सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	73	831709056082	कृषि
१३५	राम सिंह	धन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	47	621165330223	कृषि
१३६	रमेश सिंह सम्मल	मोहन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	31	813404784168	कृषि
१३७	संजय आर्य	राजेन्द्र प्रसाद	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	21	202209716170	कृषि
१३८	संजय सिंह सम्मल	राम सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	25	640527401721	कृषि
१३९	सरस्वती देवी	स्व० नर सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	57	506891329661	गृहिणी
१४०	सतीश चंद्र	मोहन राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	43	775079990344	दरजी
१४१	शेर सिंह	मान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	28	586233674445	कृषि
१४२	शिव सिंह	चंदन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	36	501339288842	मजदूर
१४३	श्याम सिंह	प्रताप सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	25	896406249856	कृषि

१४४	श्याम सिंह	हिम्मत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	37	715274163363	निजी उद्योग में नौकरी
१४५	सोबन सिंह सम्मल	जगत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	39	722430136792	कृषि
१४६	सूरज कुमार आर्य	गिरीश चन्द्र	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	21	267917358368	कृषि
१४७	त्रिलोक सिंह	स्व० जय सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	77	717902931452	कृषि
१४८	तुलसी देवी	स्व० मन मोहन पडलिया	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	71	997907328072	कृषि
१४९	विद्यावती देवी	धनी राम	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	70	30943346422	कृषि
१५०	कोमल	हरीश चंद्र	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	19	707248941990	छात्र
१५१	कुलदीप सिंह	आनंद सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	380137881925	निजी उद्योग में नौकरी
१५२	लक्ष्मण सिंह	स्व० मोहन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	52	706926160863	कृषि
१५३	लक्ष्मण सिंह	मोहन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	52	706926160863	कृषि
१५४	महेश चंद्र	पनी राम	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	22	869944109580	मजदूर
१५५	महेश चंद्र	सोबन राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	49	780184526563	मजदूर
१५६	मनोज सिंह सम्मल	स्व० नर सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	32	764957923073	कृषि
१५७	नैन लाल	पूरन राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	41	543136399184	सरकारी नौकरी
१५८	नारायण	स्व० खैराज	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	38	275367070805	निजी उद्योग में नौकरी
१५९	नारायण सिंह	हिम्मत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	29	987903675327	निजी उद्योग में नौकरी
१६०	नवीन चंद्र आर्य	पाणि राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	28	398931249347	निजी उद्योग में नौकरी
१६१	पान सिंह सम्मल	जगत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	51	485320182238	निजी उद्योग में नौकरी
१६२	पनी राम	ईश्वरी राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	50	417559379609	कृषि
१६३	प्रताप सिंह	सोबन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	56	431472120773	कृषि
१६४	प्रीति आर्य	सतीश चंद्र	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	18	643640524338	छात्र
१६५	राम सिंह	मान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	40	820092045576	कृषि
१६६	शोभा सिंह	मान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	31	822729560227	कृषि
१६७	श्याम सिंह	चतुर सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	40	504122537242	कृषि
१६८	सोबन राम	स्व० हिम्मत राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	70	388774686866	दरजी
१६९	तेज सिंह	स्व० कुंवर सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	72	556532781044	कृषि

१७०	टीकम सिंह	स्व० खैराज सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	42	291741993600	निजी उद्योग में नौकरी
१७१	कुमारी कविता सम्मल	नर सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	27	577412151551	छात्र
१७२	ललित मोहन	स्व० हरि नंदन बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	50	869615862602	निजी उद्योग में नौकरी
१७३	लक्ष्मण सिंह	स्व० श्री बैज सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	52	420807437469	कृषि
१७४	लकी सिंह	दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	19	314254312075	छात्र
१७५	महेंद्र प्रताप सिंह	राघवेंद्र सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	22	683945250797	छात्र
१७६	ममता	दिवानी राम	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	24	516243846842	छात्र
१७७	ममता सम्मल	बच्ची सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	22	391147402350	छात्र
१७८	मनीषा	हरीश चंद्र	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	18	988877576860	छात्र
१७९	मंजू	हरक सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	20	512374741057	छात्र
१८०	मोहन राम	भोला राम	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	54	762124037457	सरकारी नौकरी
१८१	मोहन सिंह	भवन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	48	247757301983	सरकारी नौकरी
१८२	मोहन सिंह	बलदेव सिंहसम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	200684301914	छात्र
१८३	मोनिका बेलवाल	अनिल कुमार	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	20	812163342366	छात्र
१८४	नर सिंह सम्मल	स्व० खड़क सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	61	955735582538	सेवानिवृत
१८५	नवीन सिंह	दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	28	511259979059	निजी उद्योग में नौकरी.
१८६	नीरज सिंह	प्रताप सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	22	559055231087	निजी उद्योग में नौकरी
१८७	नीरज सिंह सम्मल	धर्म सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	24	604411376547	सरकारी नौकरी
१८८	पान सिंह सम्मल	स्व०भवन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	61	426609455859	छात्र
१८९	पंकज	हरीश चंद्र	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	21	705264453864	छात्र
१९०	पंकज कुमार	नैन लाल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	18	572919089895	छात्र
१९१	पवन सिंह	जीवन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	21	692770003420	निजी उद्योग में नौकरी
१९२	पूजा	आनंद सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	22	689933840823	छात्र
१९३	पूजा सम्मल	स्व० चंदन सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	24	859534353988	छात्र
१९४	पूनम	हरीश चंद्र	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	22	602554466482	छात्र

१९५	प्रदीप सिंह	दिवंगत दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित			कृषि
१९६	प्रदीप सिंह	दिवंगत दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	31	444224568612	निजी उद्योग में नौकरी
१९७	प्रमोद सम्मल	हीरा सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	30	799326210893	दुकानदार
१९८	प्रेम सिंह	स्व० कुंदन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	40	335020059000	कृषि
१९९	प्रियंका सम्मल	पान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	25	922074515613	निजी उद्योग में नौकरी
२००	रघवेंद्र सिंह	भवन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	35	970299113169	निजी उद्योग में नौकरी
२०१	राघवेंद्र सिंह	हरक सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	52	925156296414	कृषि
२०२	राहुल बेलवाल	मदन मोहन बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	30	937362555822	निजी उद्योग में नौकरी
२०३	राजेंद्र सिंह सम्मल	चतुर सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	32	727242090084	निजी उद्योग में नौकरी
२०४	राकेश चंद्रा	महेश चंद्र	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	228763121578	निजी उद्योग में नौकरी
२०५	रवींद्र सिंह	लक्ष्मण सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	705644886266	छात्र
२०६	सरिता	नैन लाल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	19	719819776411	छात्र
२०७	सुनीता	बच्ची सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	19	366205765780	छात्र
२०८	सूरज सिंह सम्मल	हरीश सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	20	494853929156	छात्र
२०९	सूरज सिंह सम्मल	पान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	19	674841637180	छात्र
२१०	सुरेन्द्र सिंह सम्मल	स्व० भवन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	26	921087974917	निजी उद्योग में नौकरी
२११	सुषमा सम्मल	पान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	18	250707119678	छात्र
२१२	त्रिलोक सिंह	नंदन सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	21	702509436769	छात्र
२१३	त्रिलोक सिंह	दीवान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	39	990745550071	निजी उद्योग में नौकरी
२१४	विकाश सिंह	आनंद सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	26561959893	निजी उद्योग में नौकरी
२१५	यश चंद्र बेलवाल	कमल चंद्र बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	20	827133335481	छात्र
२१६	यशपाल सम्मल	हरक सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	23	231822077911	निजी उद्योग में नौकरी
२१७	यतेंद्र बेलवाल	स्व० हरि नंदन बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	54	253359349189	निजी उद्योग में नौकरी

२१८	कुमारी हेमा सम्मल	नर सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	स्त्री	विवाहित	30	845315347855	छात्र
२१९	लक्ष्मण सिंह सम्मल	पान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	22	236944201097	छात्र
२२०	मदन मोहन बेलवाल	स्व० हरि नंदन बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	58	302607030684	सेवानिवृत
२२१	मान सिंह	स्व०जय सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	67	838384367329	कृषि
२२२	नीरज सिंह	दीवान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	20	689150792325	छात्र
२२३	नेहा सम्मल	दीवान सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	22	538665670580	छात्र
२२४	निकिता बेलवाल	ललित मोहन बेलवाल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	20	946250000177	छात्र
२२५	पान सिंह	प्रेमसिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	43	940339762972	कृषि
२२६	पंकज सिंह	बाजे सिंह सम्मल	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	30	209536592658	सरकारी नौकरी
२२७	प्रकाश सिंह सम्मल	तेज सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	31	325415568826	कृषि
२२८	प्रवीण बेलवाल	यतेंद्र बेलवाल	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	22	767925411173	छात्र
२२९	प्रीति बेलवाल	यतेंद्र बेलवाल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	21	736511583221	छात्र
२३०	प्रियंका सम्मल	राघवेंद्र सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	25	287122473631	निजी उद्योग में नौकरी
२३१	पुष्पा सम्मल	पान सिंहसम्मल	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	25	230119461838	छात्र
२३२	रमेश सिंह सम्मल	स्व० कुंवर सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	विवाहित	59	956378633953	कृषि
२३३	रेणु सम्मल	स्व० नर सिंह	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	24	970543729289	मजदूर
२३४	तारा सिंह	जगत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	31	662072811389	कृषि
२३५	तुलसी	मोहन राम	मुरकुड़िया	स्त्री	अविवाहित	23	444393396626	छात्र
२३६	तुषार सिंह	दीवान सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	24	746166669945	कृषि
२३७	योगेंद्र सिंह	जगत सिंह	मुरकुड़िया	पुरुष	अविवाहित	30	474721252208	कृषि
२३८	भुवन सिंह	चंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	47	519912268209	कृषि
२३९	चानी राम	बची राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	67	345561503134	कृषि
२४०	धीरज सिंह	जीवन सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	18	533981227426	छात्र
२४१	हरन सिंह	चंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	43	226588190765	कृषि
२४२	हरीश सिंह	चंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	63	632959374453	कृषि

२४३	जगत सिंह	त्रिलोक सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	28	368916616810	निजी उद्योग में नौकरी
२४४	जीवन सिंह	चंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	56	498695433659	कृषि
२४५	नवीन सिंह	जीवन सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	31	785505413049	कृषि
२४६	प्रेम सिंह	शेर सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	74	704688735455	कृषि
२४७	आन सिंह	स्व० दलीप सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	38	683882361932	कृषि
२४८	बची राम	हरि राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	86	373558144670	कृषि
२४९	बाला देवी	प्रेम सिंह	उड़वा	स्त्री	अविवाहित	21	327424470823	कृषि
२५०	भवान सिंह	लक्ष्मण सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	63	754209444402	कृषि
२५१	चंदन सिंह	धन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	88	350583901201	कृषि
२५२	चानी राम	स्व० सादी राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	50	828086263243	कृषि
२५३	दीवान चंद्रा	चन्नी राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	20	501621762665	कृषि
२५४	दीवान सिंह	धन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	62	959677370598	सेवानिवृत
२५५	मणि राम	स्व० भीम राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	65	696232529909	कृषि
२५६	मोहन राम	बची राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	47	525071300775	कृषि
२५७	नवीन चंद्र	मणि राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	25	544653232914	निजी उद्योग में नौकरी
२५८	प्रताप सिंह	दीवान सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	50	880994073897	कृषि
२५९	प्रताप सिंह	लक्ष्मण सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	48	684987103077	कृषि
२६०	त्रिलोक सिंह	लक्ष्मण सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	65	319571200194	कृषि
२६१	त्रिलोक सिंह	दीवान सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	35	348850454930	कृषि
२६२	तुसी देवी	स्व० कुंवर सिंह	उड़वा	स्त्री	विवाहित	43	999045441180	गृहिणी
२६३	भवन सिंह	दीवान सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	36	929645377167	कृषि
२६४	भुवन चंद्र	चानी राम	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	27	56330284	निजी उद्योग में नौकरी
२६५	दिनेश सिंह सम्मल	भवान सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	23	878910371190	निजी उद्योग में नौकरी
२६६	मणि राम	बची राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	55	960181619458	कृषि
२६७	नंदन सिंह	लछम सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	45	247747730640	कृषि
२६८	रमेश सिंह	दलीप सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	43	557884308495	कृषि
२६९	संजय शर्मा	स्व० कुंवर सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	26	789636102146	निजी उद्योग में नौकरी
२७०	तारा सिंह	भवान सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	24	200410872286	निजी उद्योग में नौकरी
२७१	विनोद चंद्र आर्य	चानी राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	31	412207417712	कृषि

२७२	भूपाल सिंह	प्रेम सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	28	595981603872	कृषि
२७३	देवेंद्र सिंह सम्मल	प्रताप सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	19	834535895890	छात्र
२७४	गणेश चंद्र	चानी राम	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	20	630654054011	निजी उद्योग में नौकरी
२७५	गोपाल सिंह सम्मल	दीवान सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	56	861572328961	कृषि
२७६	हरीश सिंह	त्रिलोक सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	26	341142248242	निजी उद्योग में नौकरी
२७७	हेमंत सिंह	गोपाल सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	26	798016103025	कृषि
२७८	ललित मोहन	मणि राम	उड़वा	पुरुष	विवाहित	26	538777531551	निजी उद्योग में नौकरी
२७९	मदन सिंह	भवान सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	26	234309109045	निजी उद्योग में नौकरी
२८०	ममता सम्मल	रमेश सिंह	उड़वा	स्त्री	अविवाहित	21	425910321525	छात्र
२८१	नंदन सिंह	धन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	66	845620995128	निजी उद्योग में नौकरी
२८२	पान सिंह सम्मल	नंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	20	974299969379	निजी उद्योग में नौकरी
२८३	पूनम सम्मल	त्रिलोक सिंह	उड़वा	स्त्री	अविवाहित	18	570705018014	छात्र
२८४	प्रदीप सिंह	गोपाल सिंह सम्मल	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	29	480270636742	कृषि
२८५	रजनी सम्मल	त्रिलोक सिंह	उड़वा	स्त्री	अविवाहित	18	862973740061	छात्र
२८६	चन्द्र सिंह सम्मल	प्रताप सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	20	714143784222	निजी उद्योग में नौकरी
२८७	गणेश सिंह सम्मा	भवान सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	29	825521217692	निजी उद्योग में नौकरी
२८८	ममता	नंदन सिंह	उड़वा	स्त्री	अविवाहित	27	857733029772	अध्यापक
२८९	मोहन सिंह	नंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	33	253246117249	दुकानदार
२९०	मोहित सिंह सम्मल	प्रताप सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	25	572216154870	निजी उद्योग में नौकरी
२९१	राजेन्द्र सिंह	नंदन सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	25	538565114786	निजी उद्योग में नौकरी
२९२	उत्तम सिंह	लक्ष्मण सिंह	उड़वा	पुरुष	विवाहित	43	751678936132	कृषि
२९३	यशपाल सिंह	प्रताप सिंह	उड़वा	पुरुष	अविवाहित	26	616545234534	निजी उद्योग में नौकरी
२९४	चानी राम	भीम राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	63	972337397659	मजदूर
२९५	देव राम	गुलाब राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	35	897596267110	कृषि

२९६	देवकी देवी	स्व० भवानी दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	67	929596626561	गृहिणी
२९७	दीवान राम	ख़ुशी राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	61	875553442722	कृषि
२९८	हरक सिंह	स्व० भोला सिंह	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	67	628366568178	कृषि
२९९	ईश्वरी राम	स्व० मणि राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	40	842553964839	मजदूर
३००	शांति देवी	स्व० मोहन राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	47	426559343972	कृषि
३०१	अंबा दत	स्व० राम दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	67	213149667405	कृषि
३०२	आनंद बल्लभ	गंगा दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	47	613089138650	कृषि
३०३	आनी राम	गोवर राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	37	610690677977	कृषि
३०४	भोला राम	स्व० गोबर राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	46	360375305841	मजदूर
३०५	देवी दत	स्व० दुर्गा दत	पसतौला	स्त्री	विवाहित	43	394160136396	कृषि
३०६	देवी दत	लक्ष्मी दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	57	366930429571	कृषि
३०७	दीवान कुमार	चानी राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	22	852720654808	मजदूर
३०८	दुर्गा दत	स्व० गिरधर	पसतौला	पुरुष	विवाहित	46	887020900195	कृषि
३०९	गंगा दत	स्व० दयानंद	पसतौला	पुरुष	विवाहित	49	286049220709	कृषि
३१०	गंगा दत	स्व० झेग दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	84	414996098467	कृषि
३११	गोपाल दत	चन्द्र मणि	पसतौला	पुरुष	विवाहित	37	933140541378	निजी उद्योग में नौकरी
३१२	गोविंदी देवी	स्व० दुर्गा दत	पसतौला	स्त्री	विवाहित	72	558815900128	कृषि
३१३	हरि राम	स्व० मणि राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	46	287014334509	मजदूर
३१४	महेंद्र सिंह	हरक सिंह	पसतौला	पुरुष	विवाहित	29	534199359681	निजी उद्योग में नौकरी
३१५	नंदन बल्लभ	गंगा दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	73	245084495438	कृषि
३१६	नंदी देवी	स्व० लीला धर	पसतौला	स्त्री	विवाहित	57	579945730301	गृहिणी
३१७	नारायण दत	स्व० भवानी दत	पसतौला	पुरुष	विवाहित	42	936670639995	कृषि
३१८	प्रकाश	हरि कृष्ण	पसतौला	पुरुष	विवाहित	49	693944154836	कृषि
३१९	पूरन राम	स्व० मोहन राम	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	25	223884739858	मजदूर
३२०	रमेश	स्व० मोहन राम	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	21	720891513652	मजदूर

३२१	रेवाधर	हरि कृष्ण	पसतौला	पुरुष	विवाहित	58	401711203186	कृषि
३२२	रेवती देवी	स्व० केशव भट्ट	पसतौला	स्त्री	विवाहित	52	370340030000	कृषि
३२३	शेखर चंद्रा	दुर्गा दत्त	पसतौला	पुरुष	विवाहित	33	488889665515	मजदूर
३२४	उत्तम राम	गुलाब राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	52	358960656165	कृषि
३२५	चंद्र बल्लभ भट्ट	केशव भट्ट	पसतौला	पुरुष	विवाहित	26	747355154726	कृषि
३२६	दिनेश चंद्र	दुर्गा दत्त	पसतौला	पुरुष	विवाहित	34	895909635012	निजी उद्योग में नौकरी
३२७	कांति बल्लभ	स्व० दुर्गा दत्त	पसतौला	पुरुष	विवाहित	53	537422081091	कृषि
३२८	शंकर दत्त	अंबा दत्त	पसतौला	पुरुष	विवाहित	35	357280810937	कृषि
३२९	तिलोचन भट्ट	रेवाधर	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	22	818232706072	निजी उद्योग में नौकरी
३३०	यशपाल	उत्तम राम	पसतौला	पुरुष	विवाहित	31	576355845499	निजी उद्योग में नौकरी
३३१	आनंद बल्लभ	स्व० लक्ष्मी भट्ट	पसतौला	पुरुष	विवाहित	49	869601872211	निजी उद्योग में नौकरी
३३२	चेतन चंद्रा	आनंद बल्लभ	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	21	485274579398	छात्र
३३३	दीप चंद्र	स्व० लीला धर	पसतौला	पुरुष	विवाहित	35	769764206013	कृषि
३३४	दिनेश चंद्र	केशव भट्ट	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	24	855990478107	छात्र
३३५	दिनेश चंद्र	स्व० जय दत्त शर्मा	पसतौला	पुरुष	विवाहित	33	844249248022	निजी उद्योग में नौकरी
३३६	गौरव भट्ट	आनंद बल्लभ	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	19	363462530007	मजदूर
३३७	हरीश चंद्र	अंबा दत्त	पसतौला	पुरुष	विवाहित	37	383849375668	कृषि
३३८	हेम चंद्र पलारिया	अंबा दत्त	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	27	640787404085	कृषि
३३९	हेमचन्द्र	रेवाधर	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	26	650012712539	निजी उद्योग में नौकरी
३४०	मनोज राम	उत्तम राम	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	29	600633671299	निजी उद्योग में नौकरी
३४१	नरेश चंद्र	नारायण दत्त	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	20	984463930864	छात्र
३४२	प्रेम बल्लभ	लीला धर	पसतौला	पुरुष	विवाहित	40	531156440894	कृषि
३४३	रमेश चंद्र	दुर्गा दत्त	पसतौला	पुरुष	विवाहित	29	746053503332	निजी उद्योग में नौकरी
३४४	सतीश चंद्र	अंबा दत्त	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	30	663392918285	कृषि
३४५	शोभा भट्ट	रेवाधर	पसतौला	स्त्री	अविवाहित	27	438372511033	दुकानदार
३४६	तनुज भट्ट	देवी दत्त	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	24	551938285521	निजी उद्योग में नौकरी

३४७	तारा भट्ट	प्रकाश चंद्र	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	23	471978019207	निजी उद्योग में नौकरी
३४८	अक्षिता भट्ट	खड़क देव	पसतौला	स्त्री	अविवाहित	19	791242565943	छात्र
३४९	चंद्र प्रकाश	स्व० जय दत्त शर्मा	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	31	376328857790	निजी उद्योग में नौकरी
३५०	खड़क देव	स्व०लीला धर	पसतौला	पुरुष	विवाहित	42	271874789716	सरकारी नौकरी
३५१	खीमानंद पलरिया	गंगा दत्त पलारिया	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	23	849354194764	निजी उद्योग में नौकरी
३५२	मोहन चंद्र	देवी दत्त	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	23	690148391305	निजी उद्योग में नौकरी
३५३	प्रकाश चंद्र पलारिया	गंगा दत्त पलारिया	पसतौला	पुरुष	विवाहित	28	436369697076	निजी उद्योग में नौकरी
३५४	प्रकाश राम	उतम राम	पसतौला	पुरुष	अविवाहित	23	438296849939	छात्र
३५५	तारा सिंह	हरक सिंह	पसतौला	पुरुष	अविवाहित			कृषि
३५६	हरेंद्र सिंह	राम सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	53	336621943138	सरकारी नौकरी
३५७	जीवन सिंह	स्व० जय सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	51	407168048671	कृषि
३५८	लक्ष्मी देवी	स्व० जय सिंह	गनराड़	स्त्री	विवाहित	78	96644418356	गृहिणी
३५९	मुन्नी देवी	स्व० रतन सिंह	गनराड़	स्त्री	विवाहित	32	549088746440	सरकारी नौकरी
३६०	नारायण सिंह	स्व० जय सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	36	715371470459	निजी उद्योग में नौकरी
३६१	राजेंद्र सिंह सम्मल	स्व० जय सिंह सम्मल	गनराड़	पुरुष	विवाहित	33	500440506465	निजी उद्योग में नौकरी
३६२	राम सिंह	स्व० कुमार सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	87	572100825444	कृषि
३६३	उर्मिला देवी	स्व०रघुबर सिंह	गनराड़	स्त्री	विवाहित	51	452105336011	कृषि
३६४	चंदन सिंह	स्व० देव सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	62	956576943920	सेवानिवृत
३६५	दलीप सिंह सम्मल	जोधा सिंह समाल	गनराड़	पुरुष	विवाहित	37	882019632804	कृषि
३६६	देवेंद्र सिंह सम्मल	चंदन सिंह	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	27	965769228705	निजी उद्योग में नौकरी
३६७	जोध सिंह सम्मल	कुवर सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	80	593939839572	सेवानिवृत
३६८	मोहन सिंह	नर सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	39	851967144000	निजी उद्योग में नौकरी
३६९	मोहित सम्मल	लक्ष्मण सिंह सम्मल	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	18	415085872654	छात्र

३७०	राजेन्द्र सिंह	स्व० रघुबर सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	30	627678163353	निजी उद्योग में नौकरी
३७१	संजय सिंह	चंदन सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	30	449153615502	कृषि
३७२	तेज सिंह	स्व० नोर सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	50	318830526883	सरकारी नौकरी
३७३	भीपाल सिंह	स्व० नोर सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	57	309121684113	सरकारी नौकरी
३७४	बीरेंद्र सिंह सम्मल	भीपाल सिंह	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	24	234315327283	निजी उद्योग में नौकरी
३७५	दिनेश सिंह	हरेंद्र सिंह	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	20	605721996149	छात्र
३७६	गणेश सिंह सम्मल	भीपाल सिंह	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	26	837831885225	निजी उद्योग में नौकरी
३७७	गोपाल सिंह सम्मल	नर सिंह सम्मल	गनराड़	पुरुष	विवाहित	63	338330031021	कृषि
३७८	गुंजन सम्मल	लक्ष्मण सिंह सम्मल	गनराड़	स्त्री	अविवाहित	24	912560704007	छात्र
३७९	हिमांश सम्मल	गोपाल सिंह सम्मल	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	25	221990796475	सरकारी नौकरी
३८०	नेहा सम्मल	तेज सम्मल	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	18	957594315917	छात्र
३८१	प्रमोद सिंह	हरेंद्र सिंह	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	19	885845240029	छात्र
३८२	प्रेम सिंह	राम सिंह	गनराड़	पुरुष	विवाहित	33	220887327416	कृषि
३८३	प्रियंका	जीवन सिंह	गनराड़	स्त्री	अविवाहित	19	361816648747	छात्र
३८४	कैलाश सिंह सम्मल	गोपाल सिंह सम्मल	गनराड़	पुरुष	अविवाहित	26	607882475362	निजी उद्योग में नौकरी
३८५	लक्ष्मण सिंह सम्मल	जोध सिंह सम्मल	गनराड़	पुरुष	विवाहित	44	685769215483	निजी उद्योग में नौकरी
३८६	भगवती	स्व० राम लाल	पनियाबोर	स्त्री	विवाहित	47	648144790237	कृषि
३८७	चिन्ता राम	घंनि राम	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	46	782786639430	कृषि
३८८	जीवंती देवी	स्व० धनी राम	पनियाबोर	स्त्री	विवाहित	60	788725632999	कृषि
३८९	किशन राम	स्व०विजय राम	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	73	619888187732	कृषि
३९०	मोहन राम	स्व० राम लाल	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	55	301786086090	कृषि
३९१	शांति देवी	स्व० चनी राम	पनियाबोर	स्त्री	विवाहित	55	240642500415	कृषि
३९२	आशा	किशन राम	पनियाबोर	स्त्री	अविवाहित	23		कृषि
३९३	भूपेश	चिन्ता राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	18	974326814744	छात्र
३९४	हरीश चंद्र	स्व० चनी राम	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	31	397757370637	कृषि

३९५	जगदीश चंद्रा	स्व० धनी राम	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	41	208657259143	निजी उद्योग में नौकरी
३९६	जसी राम	स्व० राम लाल	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	50	793031234670	कृषि
३९७	कैलाश चंद्रा	स्व० धनी राम	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	35	742866415728	कृषि
३९८	मोहन चंद्र	स्व० प्रताप राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित		528294455957	निजी उद्योग में नौकरी
३९९	नारायण सिंह	स्व० बिशन सिंह	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	60	509387332429	सरकारी नौकरी
४००	प्रकेश चंद्र	स्व० राम लाल	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	40	845300336030	कृषि
४०१	प्रेम राम	स्व० राम लाल	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	43	523255057599	कृषि
४०२	सरस्वती	स्व० खेम सिंह	पनियाबोर	स्त्री	विवाहित	60	952929459882	कृषि
४०३	देवेंद्र चंद्र	स्व० प्रताप राम	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	29	559835500886	कृषि
४०४	मयंक बोरा	स्व०खेम सिंह	पनियाबोर	पुरुष	विवाहित	23	642733627303	कृषि
४०५	प्रमोद चंद्र आर्य	किशन राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	26	678913984472	निजी उद्योग में नौकरी
४०६	रोहित कुमार आर्य	जसी राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	20	521549005706	निजी उद्योग में नौकरी
४०७	भास्कर सिंह	नारायण सिंह	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	19	701489346067	छात्र
४०८	चिराग सिंह बोरा	स्व०खेम सिंह	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	20	234588279544	छात्र
४०९	दिव्या आर्य	जसी राम	पनियाबोर	स्त्री	अविवाहित	21	621550799855	कृषि
४१०	कमल सिंह बोरा	नारायण सिंह	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	22	363698998029	सरकारी नौकरी
४११	ललित कुमार	मोहन राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	26	717834541601	निजी उद्योग में नौकरी
४१२	नवीन चंद्रा	चनी राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	28	649800530692	कृषि
४१३	रमेश चंद्र	चिन्ता राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	21	876770780132	निजी उद्योग में नौकरी
४१४	गोपाल सिंह	नारायण सिंह	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	34	347066682020	कृषि
४१५	राजेन्द्र प्रसाद	स्व० प्रताप राम	पनियाबोर	पुरुष	अविवाहित	24	451837866000	निजी उद्योग में नौकरी

संलग्नक 2

पेज-1 जन सुनवाई, ग्राम- पनियाबोर (लोक सभला) दि॰- 05-3-2019

क्र०स०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	फोन नं०	हस्ताक्षर
1-	चिरंजी सिंह बोरा	स्व॰ खीम सिंह	पनियाबोर	9536557091	
2-	हरेन्द्र सिंह बोरा	स्व॰ नरसिंह	- - - -	8954675147	
3-	गोपाल सिंह बोरा	जी॰ नारायण सिंह बोरा	पनियाँ बोर	8006001294	
4-	प्रेम राम	स्व रूप लाल	- - - -	9411549008	प्रेम राम
5-	जसी राम	स्व॰ राम लाल	" " "	9410781906	जसीराम
6-	चिन्ता राम	स्व॰ धनी राम	"	7579211539	
7-	नवीन चन्द्र	स्व॰ चनी राम	"	9410570661	नवीन चन्द्र
8-	हरीश चन्द्र	"	"	"	हरीश चन्द्र
9-	केशर सिंह बोरा	स्व॰ नर सिंह	"	8394873916	केशर सिंह
10-	मोहन राम	स्व॰ श्री राम लाल	"		मोहन राम
11-	देश सिंह बोरा	स्व॰ देव सिंह बोरा	"	7895733617	देश सिंह
12-	दिवान राम	श्री शेरी राम	पनियाँ भेटता	9410140120	दीवान राम
13-	शेरी राम	स्व॰ विजेय राम	"	"	शेरी राम
14-	कैलाश चन्द्र	स्व॰ धनी राम	पनियाँ बोर	9412908801	कैलाश चन्द्र
15-	किशन राम	स्व॰ विजेय राम	"	9540418506	किशन राम
16			"	7818011n77	
17-	प्रकाश चन्द्र	स्व॰ श्री राम लाल	"	9411540398	प्रकाश चन्द्र
18-	उमेद सिंह बोरा	स्व॰ श्री नर सिंह	"	9410515146	उमेद सिंह
19	हेम सिंह बोरा	स्व॰ श्री देव सिंह	"	8279355480	हेम सिंह

पेज०-2 | जन सुनवाई, ग्राम:- पनियाबोर (तोक खत्तजला). | दि०- 05-03-2019

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग/ग्राम का नाम	फोन नं०	हस्ताक्षर
1.	श्री बी० बी० पाण्डे अधि० अभि० (पुनर्वास)	सिंचाई विभाग जे० बा० वि० खं-2, हल्द्वानी	9719477071	
2.	श्री संजय सिंह सहायक अभियन्ता	" "	9410348034	
3.	श्री शाहनवाज सहा० अभि०	" "	7599999777	
4.	श्री नवीन चं० पंचोली	सदस्य समिती अध्यक्ष ग्राम पंचायत हैड़ाखान	9458547445	
5.	सुनील महर	अमर सहायक अभियन्ता	8006639637	
6.	[illegible]	पिथौरागढ़	9548391806	
7.	विजेन्द्र कुमार आर्य	जल संस्थान खंड-2 हल्द्वानी	9627333089	
8.	गिरीजा लाल	— " —	9410051173	
9	गंगा दत्त पलडिया	उपनिदेशक तकनीकी	9411541065	
10	Jai Deep Singh	Mantec Noida (SIA)	9915148304	Jai Deep Singh 05/03/2019

जन सुनवाई दि० 6-3-2020 ग्राम - जानराड़
तहसील - नैनीताल, जनपद - नैनीताल।

{ Attendance Sheet }

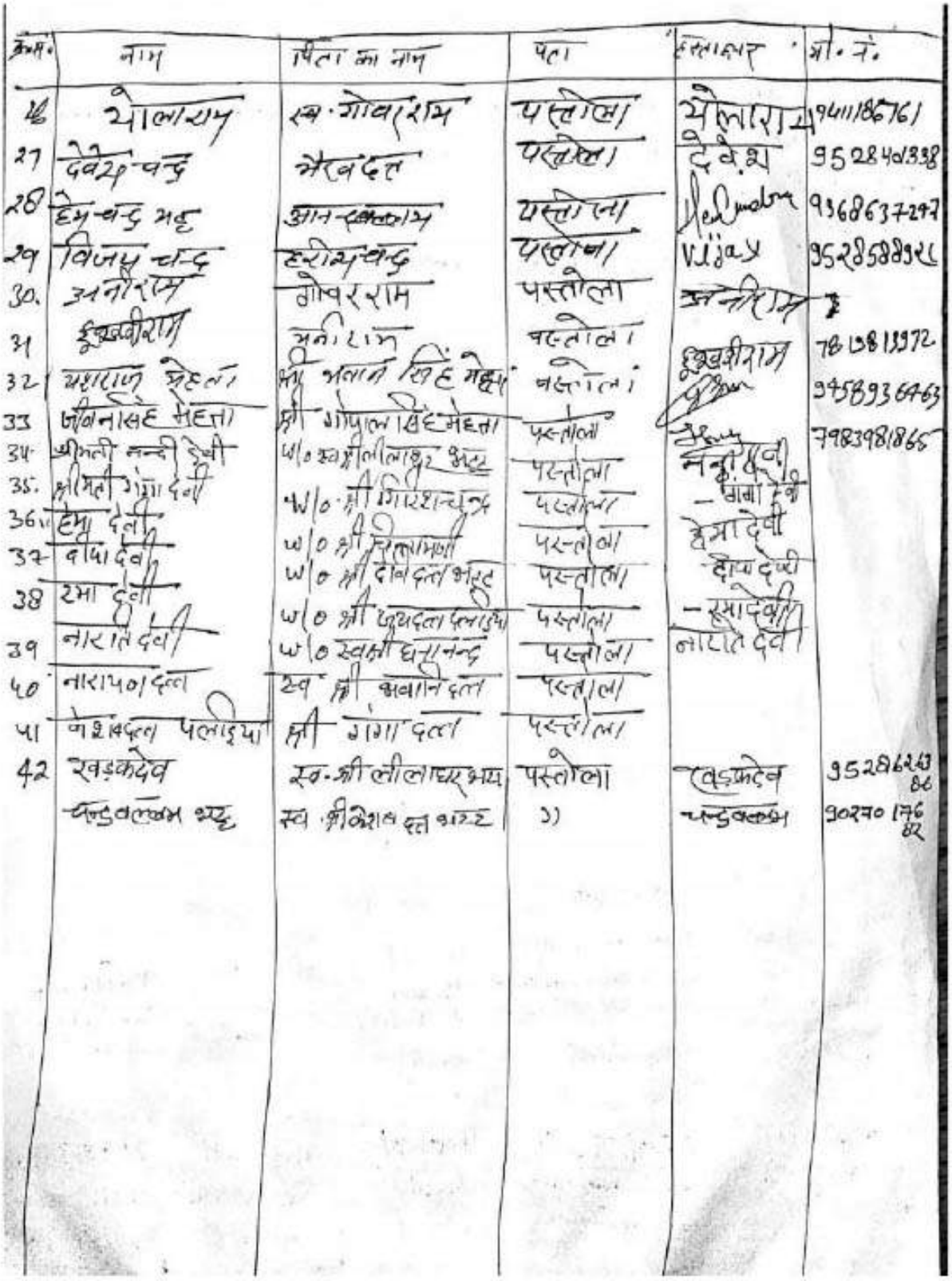
क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	हस्ताक्षर	पता / मोबाइल नं.
1-	गोपाल सिंह	लक्ष्मी नारायण		ग्राम-जानराड़ - 9410555264
2-	प्रेम सिंह	श्री राम सिंह		ग्राम-जानराड़ 8958713844
3-	संजय सिंह	श्री चंदन सिंह		" "
4-	नेहा	श्री तेज सिंह		" 9528923435
5-	निर्मला देवी	संजय सिंह (पती)	निर्मला देवी	" 7818814186
6-	श्रीमती विमला देवी	श्री दलीप सिंह (पती)	विमला देवी	
7-	खष्टी देवी	श्री तेज सिंह (पती)	खष्टी देवी	
8-	चम्पा देवी	जीवन सिंह		
9-	जीवन सिंह	स्व० जय सिंह		
10-	आनंदी देवी	श्री गोपाल सिंह (पती)	आनंदी देवी	7819929228
11	श्री दलीप सिंह	श्री जोध सिंह सम्माल		9456113940
(12)	श्रीमती रुकमा देवी	श्री हरेन्द्र सिंह (पती)		
13	उर्मिला देवी	स्व० श्री रघुवर सिंह (पती)		
14				

जन सुनवाई दि० 6-3-2020 ग्राम - गनराई तहसील - नैनीताल
जनपद ~~नैनीताल~~ नैनीताल

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मो० नं.
Bharat Bhushan Pandey	Executive Engineer		9719477071
Dr. Ram Chandra	Team Leader		9015379055
Mohan Singh Faityal	zildar		9548391806
Dr Deep Singh	(SIA) Project incharge	Dr Deep Singh	9415448304
Sanjay Kumar Singh	Assistant Engineer		9410348034
Pramod Kumar	AAE		8474911119
Ganga Dutt	Revenue S.I. Roshil Nainital		9411524065

जनसुनवाई दि०7-3-2020 ग्राम - पस्तोला, तहसील व जिला - नैनीताल

क्रम सं	नाम	पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर	मो० नं०
1.	श्रीमती खष्टी राघव	स्व० खीमानन्द भट्ट	पस्तोला		9411493434
2.	श्री गंगा दत्त पलड़िया	स्व० दयानन्द	"		
3.	" देवीदत्त भट्ट	" लक्ष्मीदत्त			9458920041
4.	" दीपचन्द्र भट्ट		"		
①	मल्लेश्वरी मेहरा	स्व० श्री नरोत्तम जी	पस्तोला		9411011197
6	भीम सिंह	कुन्दन सिंह	पस्तोला	भीमा सिंह	
7	उत्तम राम	गुलाब राम	पस्तोला	उत्तम राम	
8	प्रेमवल्लभ	स्व० लीलाधर	पस्तोला	प्रेमवल्लभ	9368900441
9	प्रकाश चन्द्र	स्व० हरिकृष्ण	पस्तोला	प्रकाश चन्द्र	
10	प्रेमसिंह	मौलासिंह	पस्तोला	प्रेमसिंह	9458938451
11	नन्दवल्लभ	गंगा दत्त	पस्तोला	नन्दवल्लभ	
12.	हरीश चन्द्र	अम्बादत्त	पस्तोला	हरीश चन्द्र	9528456499
13	दीवानसिंह	मौलासिंह	पस्तोला	दीवानसिंह	9528445209
14	हरकसिंह	मौलासिंह	पस्तोला	हरकसिंह	7579288491
15	फूरन	फूरन	पस्तोला	फूरन	
16	नन्दनसिंह		पस्तोला	नन्दनसिंह	
17	Hem Ch. Bhatt	Late S.D BHATT			9639340377
18	Arjun Bhatt	Shree Hemish chandra Bhatt	पस्तोला		9760084683
19	चन्दन सिंह	स्व: हेमेश चन्द्र भट्ट	Pastola पस्तोला	चन्दन सिंह	8958176228
20	हीरासिंह	स्व निनाकसिंह	पस्तोला	हीरासिंह	9971580708
21	दीपचन्द्र	स्व श्री लीलाधर	पस्तोला	Dipak	
22.	बाली राम	स्व श्री मीरा राम	पस्तोला	बाली राम	9759283270
23.	मोहन चन्द्र भट्ट	स्व हरिकृष्ण भट्ट	पस्तोला	मोहन चन्द्र	7088518544
24.	केवल सिंह	मि. जगत सिंह	पस्तोला		9411321890
25.					8077568542



क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर	मो. नं.
26	भोलाराम	स्व. गोवर राम	पस्तोला	भोलाराम	9411186761
27	देवेन्द्र चन्द्र	भैरव दत्त	पस्तोला	देवेश	9528401338
28	हेम चन्द्र भट्ट	आनन्दराम	पस्तोला	[illegible]	9368637297
29	विजय चन्द्र	हरीश चन्द्र	पस्तोला	Vijay	9528588921
30.	अनीराम	गोवरराम	पस्तोला	अनीराम	[illegible]
31	दुखुवीराम	अनीराम	पस्तोला	दुखुवीराम	7830813972
32	महाराज मेहता	श्री भवान सिंह मेहता	पस्तोला	[illegible]	9458936463
33	जीवनसिंह मेहता	श्री गोपाल सिंह मेहता	पस्तोला	[illegible]	7983981866
34	श्रीमती नन्दी देवी	w/o स्व श्री लीलाधर भट्ट	पस्तोला	नन्दी देवी	
35.	श्रीमती गंगा देवी	W/o श्री गिरधारी चन्द्र	पस्तोला	– गंगा देवी	
36.	हेमा देवी	w/o श्री त्रिलोचन	पस्तोला	हेमा देवी	
37	दीपा देवी	w/o श्री दीवान दत्त भट्ट	पस्तोला	दीपा देवी	
38	रमा देवी	w/o श्री जयदत्त पलड़िया	पस्तोला	– रमा देवी	
39	नारायती देवी	w/o स्वश्री घनानन्द	पस्तोला	नारायती देवी	
40	नारायण दत्त	स्व श्री भवानी दत्त	पस्तोला		
41	नरेश दत्त पलड़िया	श्री गंगा दत्त	पस्तोला		
42	खड़कदेव	स्व. श्री लीलाधर भट्ट	पस्तोला	खड़कदेव	9528626386
	चन्द्रवल्लभ भट्ट	स्व श्री केशव दत्त भट्ट	11	चन्द्रवल्लभ	9027017682

जनसुनवाई दि० 7-3-2020 ग्राम- पटीलेला तहसील व जिला -नैनीताल।

क्रम सं	नाम	पदनाम	पता	हस्ताक्षर	फोन नं
1.	श्री संजय गुप्ता	अतिरिक्त अभियन्ता	परियोजना प्रबन्धक जमरानी।		9412958261
2.	श्री० डी० पाण्डे	अधिशासी अभियन्ता	जमरानी बाँध निर्माण खण्ड-2 जमरानीबाँध निर्माण खण्ड-2.		9719477071
3.	संजय कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता			9410348034
4.	Dr. Ram Chandra	Team Leader	Mantec Consultants		9015379055
5.	दिनेश डंगवाल	अपर महाप्रबन्धक(सि०)	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2		BK6652615
6.	अनिल महर	अपर सहायक अभि०	हल्द्वानी		B006639637
7.	मोहम्मद अरशद	सिविल ठेकेदार	— do —		9548391806
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9411518232
9.	Raj Deep Singh	SIA (Project Incharge)	Mantec Noida		9411248304
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9897090954
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9411306957
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9654722872

जनसुनवाई दि० 8-3-2020 ग्राम-उड़वा तहसील व जिला-नैनीताल

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर	फोन नं०
1-	इन्द्रा देवी	चन्द्र उकसा	उड़वा	इन्द्रा देवी	7217747488
2-	चन्द्र उकास	रतनराम	उड़वा	Chandra K.	9821230178
3-	गोपालराम	चिन्तामणि	उड़वा	गोपालराम	9456546720
4-	दिलीप सिंह	धोरा सिंह	उड़वा	[illegible]	9456546722
5-	भानसिंह	[illegible]	उड़वा	[illegible]	
6-	वीरबलसिंह	[illegible]	उड़वा	[illegible]	
7-	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	9837763178
8-	पूरनसिंह	मानसिंह	उड़वा	[illegible]	9837967209
9-	पूरन सिंह	मानसिंह	उड़वा	पानसिंह	9456547450
10-	विपिन चंद्र	रामबाबा	उड़वा	[illegible]	7017915675
11-	हेमन्त कुमार	गोपालराम	उड़वा	[illegible]	9456546720
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	चन्दीराम	चन्दीराम	उड़वा	चन्दीराम	[illegible]
14	शिवमोहन सिंह	[illegible]	उड़वा	[illegible]	9458353078
15	रमेश सिंह	स्व० दलीप सिंह	उड़वा	Ramesh Singh	9458316993
16	चनीराम	स्व० भीमराम	उड़वा	चनीराम	9+1154 3137
17	भान सिंह	स्व० दलीप सिंह	उड़वा	भान सिंह	9458316993
18	प्रेमसिंह सावित्री देवी	चूड़ासिंह [illegible]	उड़वा	दिवानसिंह	
19	दिवानसिंह	स्व० चन्दीसिंह	उड़वा	[illegible]	9410945552
20	[illegible]	स्व० हिम्मतसिंह	उड़वा	[illegible]	
21	खीमसिंह	स्व० [illegible]	[illegible]	[illegible]	7579181506
22	[illegible]	स्व० [illegible]	पस्तोला	[illegible]	
23	इन्द्रसिंह	दलीपसिंह	उड़वा	इन्द्रसिंह	9410301352
24	[illegible]	चनीराम	उड़वा	[illegible]	9411543527
25					
26					
27					

जन सुनवाई दिनांक 8-3-2020 ग्राम- उदल तहसील व जिला- नैनीताल

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पता	हस्ताक्षर	फोन नं.
1.	भारत भूषण कण्डेरे	अधिशासी अभियन्ता	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2		9719477071
2.	संजय कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता	" "		9410348034
3.	[illegible]	सिविल	—"—		9548391806
4.	धीरज कुमार वोरी	[illegible]	—"—		[illegible]
5.	Raj Deep Singh	(SIA) Project Incharge	Newtec Noida Secg		8859898540
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9897090954
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9411350981
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9639722872

पब्लिक हियरिंग मे उपस्थित गांव के लोगों का हाजिरी पत्र अनुबंध -2

जन सुनवाई दिनांक 12.3.2020 ग्राम- तिलवाड़ी/ तहसील व जिला- नैनीताल

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर	फोन नं.
1-	[illegible]	श्री ओरीराम	तिलवाड़ी	[illegible]	9456122516
2-	[illegible]	श्री ओरीराम	तिलवाड़ी		
3-	सुन्दरलाल	श्री धरमराम	तिलवाड़ी	सुन्दरलाल	9A565417608
4-	मनोज	श्री धरमराम	"	मनोजवर्मा	9411551982
5	सन्दी देवी	श्री धरमराम	"	सन्दी देवी	9456547608
6.	हनीराम	श्री चन्द राम	"	हनीराम	9410190470
7	दीवान राम	श्री. हनीराम	"	दीवानराम	9411553167
8.	मोहन राम	श्री. हनीराम	"	मोहन राम	9412943592
9.	इन्दरी राम	श्री. भीम राम	"	इन्दरी राम	6395012507
10.	धनसिंह	श्री. [illegible]	"	धनसिंह	
11-	हरीश राम	श्री. हनीराम	"	हरीश राम	
12.	चन्देश्वर राम	श्री. हिम्मत राम	"	चन्देश्वर राम	9528497950
13-	पान्डे दुलाराम	श्री. [illegible]	"	दुलाराम	
14.	हरीराम	श्री. श्री नरिराम	तिलवाड़ी		
15	रमेश चन्द्र	श्री. श्री ओरीराम	तिलवाड़ी	[illegible]	8057751588
16-	हनीराम	श्री. श्री दीवान राम	तिलवाड़ी	हनीराम	
17.	हीरा चन्द्र	श्री हनीराम	तिलवाड़ी		
18.	देवी राम	श्री श्री रामलाल	तिलवाड़ी	देवीराम	9456778617
19	पार्वती देवी	श्री. तिलोक राम	तिलवाड़ी		
20	बालम सिंह राना	श्री दान सिंह		बालम सिंह	9690569117
21.	हरीश चन्द्र	[illegible]	तिलवाड़ी	सुभाष चन्द्र	9456549034S
22.	सुभाष चन्द्र	तिलोक राम		धनीराम	9411517343
23.	धनीराम	श्री चन्द राम			
24.	हरीश चन्द्र	श्री. तिलोक राम	तिलवाड़ी	हरीश राम	9569586906
25.	शंभू राम	श्री [illegible]	तिलवाड़ी	शंभू राम	[illegible]
26.	रमेश चन्द्र	श्री तिलोक राम	तिलवाड़ी	[illegible]	9411955447
27	[illegible]	श्री ओरीराम	तिलवाड़ी	गंगाराम	9411553167
28.	[illegible]				9411553167

जन सुनवाई दि० 12-3-2020 ग्राम- तिलवाड़ी तहसील व जिला- नैनीताल

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पता	हस्ताक्षर	मो० नं.
1.	भरत भूषण पांडे	E.E.	JDCD-2, Haldwani		9719477071
2.	संजय कुमार सिंह	A.E.	JDCD-2, Haldwani		9410348034
3.	गंगा दत्त पलड़िया	राजस्व उप निरीक्षक	पट्टी- रौंतेल तल्ला		9411541065
4.	नेहा सिंह फर्त्याल	पैमाइश	जल संस्थान डिवीजन II		9548391806
5	विजेन्द्र कुमार आर्य	A.A.E	—do—		9627333088
6.	धीरज कुमार लोधी	A.A.E	—do—		8859878540
7.	चिरंजी लाल	A.A.E	—do—		9410051173
8.	मनिल मेहर	जल सहायक अभियन्ता	—do—		

जन सुनवाई दिनांक - 13.03.2020 ग्राम मुरकुड़िया (डैरांखान) तहसील व जिला नैनीताल

उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

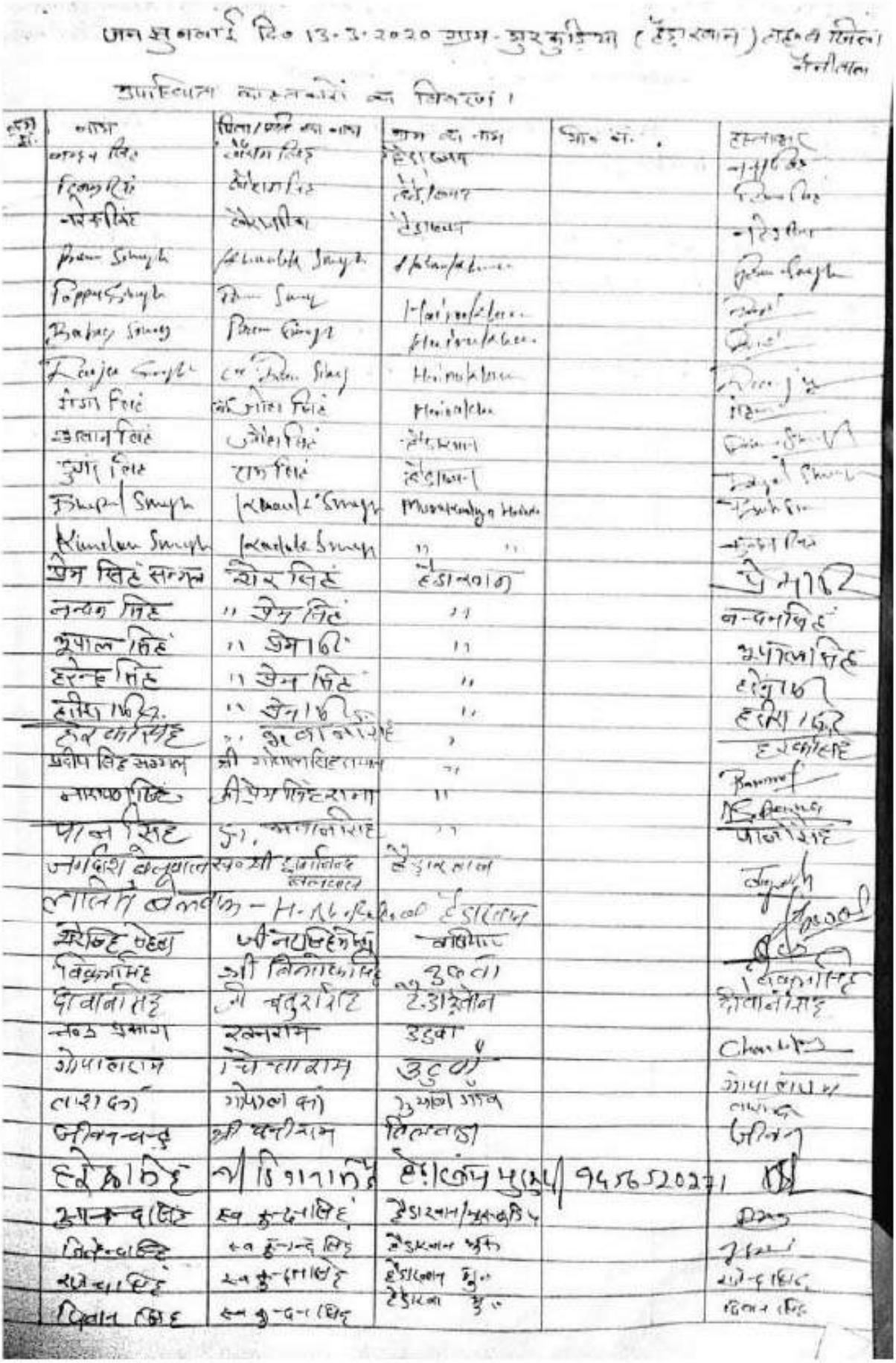
क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग का नाम	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी	असर / सिंचाई अधिशासी अभियन्ता	पशुपालन	9412928024	
2.	शरद भूषण जोशी	अधिशासी अभियन्ता	सिंचाई	9719477071	
3.	संजय कुमार सिंह	सहायक, लेखा परीक्षक	सिंचाई विभाग	9410348034	
4.	Dr. Ram Chandra	Team Leader	Mantec Consultants (P) Ltd.	9015379055	
5.	Mohan Singh Kathayat	Zila Adhikari	उ.ख. (SIA) सिंचाई - अभियान्त्रिकी	9548391806	
6	Dheeraj Kumar Rai	A.A.E	Irrigation Department	8859898540	
7	Baijendra Kumar Arya	AAE	— do —	9627333089	
8	Ganga Dutt	R.S.I	Revenue Deptt.	9411528 1065	
9.	[illegible]	R.S.I.	Revenue Dept.	9411518232	
10	Gaurav Singh Rawat	R.S.I	Revenue Dept	9654722872	
11	[illegible]	A.S.I	[illegible]	9411350951	
12	Jai Deep Singh	Project Engineer (JE)	Mantec Noida	9315153609	
13	Anil Mahal	A.A.E	Irrigation Department	8006639637	
14	संजय शुक्ल	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई (सिंचाई)	सिंचाई विभाग	9412958261	



क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	गाँव का नाम	फोन नंबर	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	इन्द्र सिंह	श्री दीवान सिंह	हैड़ाखान	7396908503	इन्द्र सिंह
16	प्रेम सिंह	श्री गोविन्द सिंह	पटौला	9458938451	प्रेम सिंह
17	देवेन्द्र सिंह	श्री भवान सिंह	हैड़ाखान	7817832941	देवेन्द्र सिंह
18	इन्द्र सिंह	[illegible]	उदला	9410301352	इन्द्र सिंह
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	कमल सिंह	[illegible]	हैड़ाखान	6397229256	Kamal
22	मान सिंह	[illegible]	[illegible]	[illegible]	मान सिंह
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



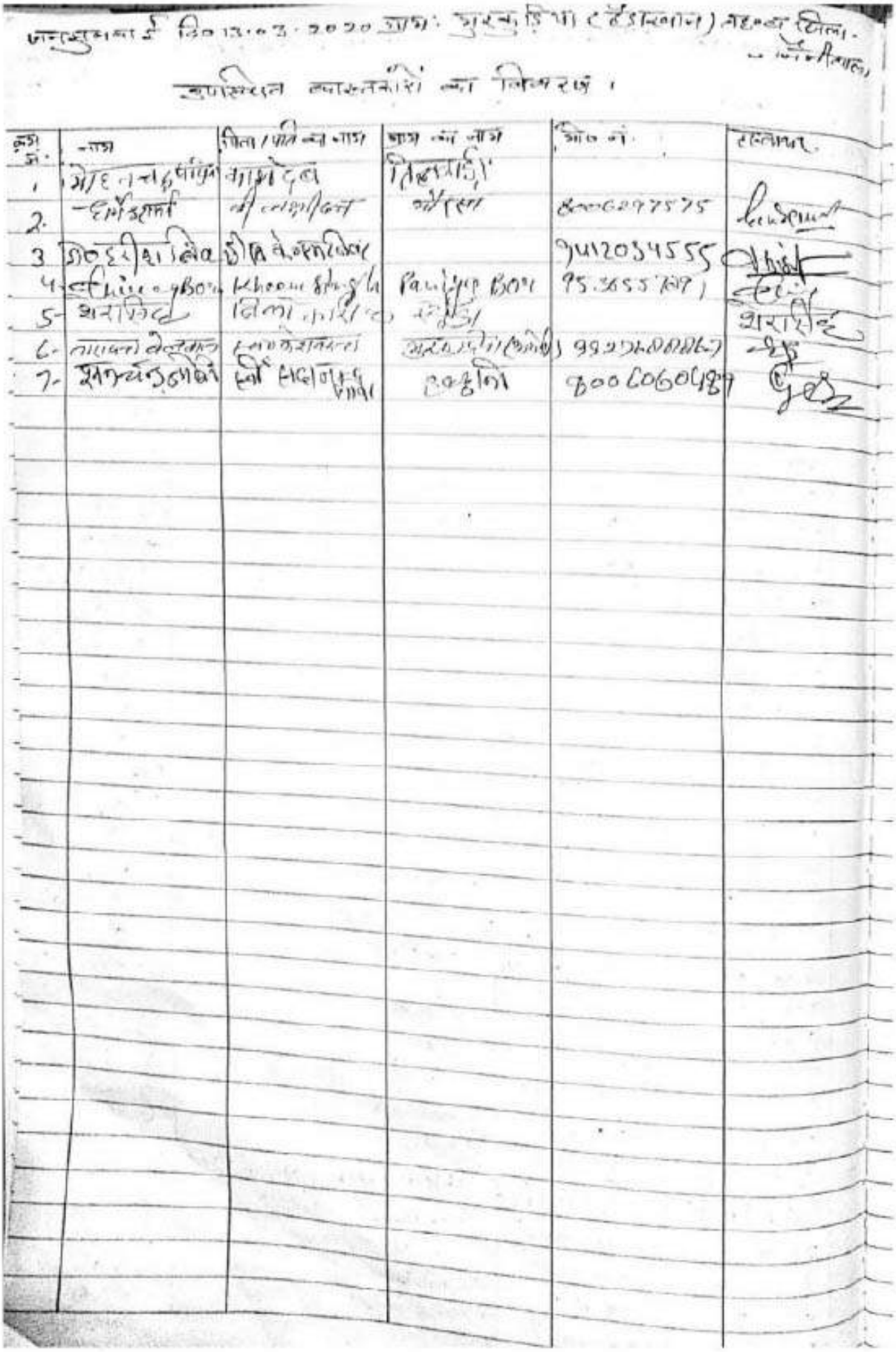
क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम	फोन नं.	हस्ताक्षर
35	[illegible]	श्री बची सिंह	36	9410[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	श्री भगत सिंह	[illegible]	9456[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9410353106	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



ग्राम सुनवाई दि० 13.3.2020 ग्राम - भुरकुड़िया (हैड़ाखान) तहसील नैनीताल

प्रभावित व्यक्तियों का विवरण।

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम	फोन नं.	हस्ताक्षर
	नरपत सिंह	[illegible] सिंह	हैड़ाखान		
	दिलकी देवी	[illegible] सिंह	हैड़ाखान		
	नरसिंह	[illegible]	हैड़ाखान		
	Prem Singh	[illegible] Singh	Hairakhan		
	Pappu Singh	Prem Singh	Hairakhan		
	Babay Singh	Prem Singh	Hairakhan		
	Ranjan Singh	[illegible] Singh	Hairakhan		
	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह	Hairakhan		
	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह	हैड़ाखान		
	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह	हैड़ाखान		
	Sharmi Singh	[illegible] Singh	Murarisingh Hairakhan		
	Kimlesh Singh	[illegible] Singh	" "		
	प्रेम सिंह सनवाल	[illegible] सिंह	हैड़ाखान		
	नरपत सिंह	" प्रेम सिंह	"		
	भूपाल सिंह	" प्रेम सिंह	"		
	हरदेव सिंह	" प्रेम सिंह	"		
	हरीश चन्द्र	" प्रेम सिंह	"		
	हरकोल सिंह	" हरकोल सिंह	"		
	प्रदीप सिंह सनवाल	श्री [illegible] सिंह राणा	"		
	नारायण सिंह	श्री प्रेम सिंह राणा	"		
	पान सिंह	पु० [illegible] सिंह	"		
	जगदीश चन्द्र पाल	स्व० श्री [illegible] पाल	हैड़ाखान		
	लीलिमे बेलवाल	H. No. [illegible]	हैड़ाखान		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	विक्रम सिंह	श्री [illegible] सिंह	[illegible]		
	दीवान सिंह	श्री [illegible] सिंह	हैड़ाखान		
	[illegible]	रतनराम	[illegible]		
	गोपालराम	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	गोपाल [illegible]	[illegible]		
	जीवन चन्द्र	श्री [illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	हैड़ाखान मुक्तेश्वर	9456520271	
	[illegible]	[illegible]	हैड़ाखान/मुक्तेश्वर		
	[illegible]	[illegible]	हैड़ाखान मुक्तेश्वर		
	[illegible]	[illegible]	हैड़ाखान मुक्तेश्वर		
	[illegible]	[illegible]	हैड़ाखान मुक्तेश्वर		



जनसुनवाई दि० 13.03.2020 ग्राम: सुरचुड़िया (हैडसिंगाना) तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

उपस्थित व्यक्तियों का विवरण।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम	मो० नं०	हस्ताक्षर
1.	मोहन चन्द्र पांडे	बाबू राम	हैडसिंगाना		
2.	हेमंत शर्मा	श्री लालमणि	"	8006297575	
3	डा० दुर्गा सिंह	डी० के० रतूड़ी		9412034555	
4	[illegible]	Khoom Singh	Pauri	9568557497	
5-	शशि	[illegible]	[illegible]		शशि
6-	नागेन्द्र [illegible]	[illegible]	[illegible]	9927400867	
7-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8006060489	

संलग्नक 3

जनसुनवाई-समाधान मसला

I. पनियाबोर गांव

1. प्राकृतिक संसाधनों को अनदेखा किया गया है।
2. हमारे 12 मांगों को प्रशासन व बांध के अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है कृपया इसके बारे में बताने की कृपा करें।
3. हम नगदीकरण पर जमीन नहीं देंगे।
4. हम लोगों को भाबर क्षेत्र में बसाया जाए क्योंकि हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैदान में रहने में हम लोगों को अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
5. हम लोगों को मकान के बदले मकान व जमीन के बदले जमीन ही चाहिए |
6. हम लोगों के कंसेंट के फार्म हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं लेकिन अभी तक पुनर्वास नीति का कोई भी अता पता नहीं है पहले हमें पुनर्वास नीति बतायी जाए फिर हमसे सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराया जाए।
7. बांध बनने के लिए जल्द से जल्द निर्णय हो और जो भी कार्रवाई है जल्द से जल्द पूरी की जाए क्योंकि यह बांध बहुत पहले से बनने के कार्यवाही में है और पता नहीं चल रहा है कि कब तक बनेगा जिससे कि हमारे ग्राम का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है।

II. गनराड गांव

1. कितने बिंदुओं पर अमल हुआ जो हम लोगों ने बांध विभाग के लोगों के समक्ष अपने 12 बिंदु मांगों को रखा है।
2. हमारी जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान और हमें सरकारी नौकरी दी जाए।

III. पस्तोला गांव

1. बांध परियोजना में ही हम लोगों को नौकरी दी जाए।
2. हमारे खेत सीढ़ी नुमा है जब आप लोग बांध का निर्माण करेंगे तो हमारे खेतों के भूस्खलन होने का खतरा होगा तथा इसके लिए पूर्ण रूप से बांध परियोजना के लोग एक नियोजन बनाएं और हमारी इस समस्या का समाधान करें।
3. हमारे यहां पर वन पंचायत की सुविधा है यदि हमें कही पर पुनर्वास किया जाएगा वहां पर वन पंचायत की सुविधा नहीं होने पर क्या हमें हमारे वन पंचायत के बदले मुआवजा मिलेगा।
4. हमें जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत ही सरकारी नौकरी का प्रावधान हो, हर प्रभावित परिवार के घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्राप्त हो।
5. अभी तक कोई भी कानूनी तौर पर सूचना हमें नहीं मिली है किसी भी निर्माण को रोकने या तो पुराने निर्माण का मरम्मत करवाने के लिए तो क्या अभी जो नए मकान बनेंगे उन मकानों के बदले भी हमें मुआवजा मिलेगा।

IV. उड़वा गांव

1. कृपया यह बताने की कृपा करें कि हमारे ग्राम सभा का जो संपर्क मार्ग खत्म हो जाएगा इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी।

2. हमारे गांव के 9 मंदिर परिसर को हमारे ही गांव में बनाया जाए।
3. जिन लोगों के अधिकतम जमीन का भाग बाँध परियोजना के अंतर्गत अर्जित किया जा रहा है उन परिवारों को भी पूर्ण रूप से प्रभावित माना जाए क्योंकि डूब क्षेत्र से ऊपर उनके कुछ जमीन तथा मकान ही बच रहे हैं।
4. हमारे पनचक्कियो को भी दर्ज किया जाए क्योंकि हमारी पनचक्की हमारे जीवन अर्जन का एकमात्र संसाधन है।
5. हमारे गांव का जुड़ाव मुरकुडिया गांव से है तथा हम लोगों की कनेक्टिविटी मरकुड़िया गांव से किया जाए और मरकुड़िया से उडवा के लिए पुल बनाया जाए।
6. प्रभावित लोगों को विशेष रुप से एक साथ नियोजन पूर्वक पुनर्वास किया जाए जिससे कि किसी भी प्रकार का अघात किसी को ना हो यहां से पुनर्वास करने पर जिनके जो भी रोजगार हैं उसके बदले उनको नियोजित तरीके से रोजगार प्रदान किया जाए ।

V. तिलवाड़ी गांव

1. लारा एक्ट में संशोधन होना चाहिए तथा हमारे गांव वालों के अनुकूल लारा एक्ट को संशोधित करना चाहिए जैसे कि लारा एक्ट 2013 में बना है तथा लारा एक्ट में आज का महंगाई भत्ता जोड़ा जाना चाहिए।
2. 5 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को नौकरी मकान के बदले मकान या मकान के बदले पैसा। दिव्यांगों की दवा को विशेष रूप से सरकार को योजना बनाकर उनके लिए निश्चित पुनर्वास की व्यवस्था तथा उनको सरकारी विशेष भते का भी प्रावधान हो ।
3. जमरानी बांध परियोजना के अधिकारी हम लोगों को पुनर्वास नीति का किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं प्रदान कर रहे हैं तथा हम ग्राम वासियों का निवेदन है कि पहले पुनर्वास नीति को बनायें और गांव वालों की सहमति उसके पश्चात लें।
4. बाँध द्वारा छोटे-छोटे मीटिंग के कारण हमारे 363 दिन बर्बाद हुए हैं जिसमें हमारे परिवार को चलाने के लिए व रोजमर्रा की चीज को एकत्र करने की हमारी श्रम शक्ति का दोहन हुआ है।
5. जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत सरकारी नौकरी दी जाए और जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत ही आरक्षण भी दिया जाए जिस तरीके से टिहरी बाँध में दिया गया है।
6. क्या हम लोग यहाँ नया गृह निर्माण कर सकते हैं क्या हम इंदिरा आवास के मकान बनाये या नहीं। जमरानी बांध बांध परियोजना में मत्स्य का अधिकार प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही हो।

VI. मरकुड़िया गांव

1. हमारे पुनर्वास में क्या क्या व्यवस्था होंगी सबसे पहले इसे बताएं फिर उसके बाद ही हम यहां से अपने निवासो को छोड़कर जाएंगे।
2. इंदिरा आवास लोगों का लंबित है हम यहाँ घर बनाएं या नहीं।
3. लारा एक्ट में भी संशोधन हो।
4. पुनर्वास नीति स्पष्ट हो।
5. बांध के बनने से उड़वा गांव का संपर्क मार्ग एकदम से शून्य हो जाएगा कृपया यह बताने की कृपा करें कि किस तरीके से हमारे गांव को जुड़ने के लिए सरकार इस परियोजना में कदम उठाएगी।

संलग्नक 4

फार्म न0. A

जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना, नैनीताल - प्राथमिक डाटा संग्रह के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रश्नावली

परिवार/ फॉर्म नं
मकान नं.

1.गाँव का नाम..... 2.विकास खण्ड का नाम .....

3. परगना (उपखंड)..... 4.तहसील / जिला.....

5. परिवार के मुखिया का नाम..... पिता का नाम.....

6 राशन कार्ड संख्या..... राशन कार्ड का प्रकार (कृपया)... BPL / बिना BPL

7. परिवार के मुखिया की बैंक संबंधी जानकारियाँ:

i. बैंक का नाम ..... ब्रांच.....

ii. खाता नं... iii. IFSC कोड.....

iv. पैन कार्ड नंबर..... v. आधार कार्ड सं० .....

8 परिवार के मुखिया एवं सदस्यों का विवरण

क्रम संख्या	परिवार के मुखिया और सदस्यों के नाम	लिंग	विवाहित / अविवाहि	जन्म तिथि	आयु वर्षों में	परिवार के मुखिया के साथ संबंध	शैक्षणिक विवरण a.5 वीं तक b.10 उत्तीर्ण c. 12 वीउत्तीर्ण d. स्नातक	व्यवसाय का प्रकार	आधार कार्ड नं	खाता सं०	IFSC कोड	कोई भी अन्य विवरण / टिप्पणी
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

9. धर्म ..... 10. जाति ..... 11 घर का प्रकार .....

12. मवेशियों के प्रकार और संख्या

क्रम संख्या	मवेशियों / जानवरों के प्रकार	हाँ / नही	पशु / मवेशियों की संख्या
1	गाय		
2	भैंस		
3	बकरी भेड़		
4	बैल		
5	घोड़ा		
6	खच्चर		
7	अन्य		

13. बिजली है या नहीं .....।

14. सभी स्रोतों से वार्षिक आय .....।

15. परिवहन का प्रकार (स्वयं / किराए पर) .....।

16. किसान का प्रकार (कृपया √टिककरें)

a. (I) भूमिहीन (ii) सीमांत (iii) छोटा (iv) मध्यम (v) बड़ा

b. सिंचित भूमि .....। क्षेत्र .....।

c. असिंचित / वर्षा आधारित भूमि .....। क्षेत्र .....।

d. भू-खाताधारक का नाम .....।

e. कोई अन्य विवरण .....।

f. भूमि पर पेड़ों की संख्या .....।

g. भूमि पर कोई अन्य संसाधन .....।

17. आप अपने उस क्षेत्र का उपयोग कैसे करते हैं जिसे अर्जन करना है?

(i) कृषि .....(ii) आवासीय ..... (iii) वाणिज्यिक .....

(iv) कोई अन्य .....।

18. आपके घर में घरेलू जल स्रोत क्या है?

19. क्या पानी की आपूर्ति में कोई समस्या है? यदि हाँ, तो क्या समस्या है? कृपया विस्तार में बताएं।

(i) हाँ..... (ii) नही.....

20. क्या आपके साथ कोई स्वास्थ्य समस्या है?

1).....

2).....

21. क्या आपके क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या या विवाद है?

1).....

2).....

22. क्या आप अपने क्षेत्र में बांध निर्माण परियोजना के बारे में जानते हैं?

a) हाँ b) नहीं यदि हाँ तो कैसे?

1) समाचार पत्र 2) आधिकारिक मुलाकात 3) टीवी समाचार / इंटरनेट 4) कोई अन्य स्रोत

23. क्या आप जानते हैं कि आपके लिए बांध निर्माण परियोजना के लाभों के साथ-साथ पूरे समुदाय के लोगो को लाभ होगा ।

a) हाँ b) नहीं यदि हाँ तो क्या हैं?

1).....

2).....

3).....

24. क्या आप बांध निर्माण परियोजना द्वारा आपके और पूरे समुदाय के लिए होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से अवगत हैं?

a) हाँ b) नहीं यदि हाँ तो क्या हैं?

1).....

2).....

25. बांध निर्माण परियोजना के तहत प्राप्त की जाने वाली सामान्य सामुदायिक संपति / संसाधन क्या हैं? कृपया उस से संबंधित विवरण प्रदान करें।

i) स्थानीय सड़कें.....।

ii) मंदिर / धार्मिक स्थान .....।

iii) फुटपाथ / चौपाल .....।

iv) स्कूल .....।

v) स्वास्थ्य सुविधाएं .....।

vi) आंगनवाड़ी केंद्र .....।

vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली .....।

viii) कुआ .....।

ix) बाजार से जुड़ा परिवहन माध्यम .....।

x) संपति या संसाधन आदि से संबंधित कोई अन्य जानकारी, जो अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए महत्वपूर्ण है

.....।

26. क्या उस क्षेत्र में सिंचाई की कोई परियोजना है जिसे अधिग्रहित किया जाना है?

1) हाँ 2) नहीं

27. यदि बांध निर्माण की गतिविधियाँ होती हैं, तो क्या आप विस्थापित होने के लिए अपनी सहमति देते हैं?

1) हाँ 2) नहीं

28. क्या आप कैश या अन्य रूप में भुगतान पसंद करते हैं?

a) जमीन पर घर बनाने के लिए भूमि b) पुनर्वास स्थल पर घर c) पुनर्वास स्थल में दुकान

d) कुछ अन्य तो कृपया बताये

29. क्या आप अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले मिलने वाले मुआवजे पर पूरी तरह से निर्भर हैं?

a) हां b) आंशिक रूप से c) नहीं d) मुझे नहीं पता

30. क्या सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है?

1) हाँ 2) नहीं

31. क्या सरकार ने आपको आपकी आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजे की पेशकश की?

1) हाँ 2) नहीं

32. क्या आप को दिए जा रहे मुआवजे से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो क्यों?

1) हाँ 2) नहीं

33. अपनी आजीविका के नुकसान हेतु किस प्रकार से क्षतिपूर्ति पसंद करते हैं? कृपया अपनी समस्त उपयुक्त मांगों का उल्लेख करें।

.....

.....

.....

34. आपकी भूमि, संसाधनों या किसी भी चीज़ से जुड़ी कोई अन्य जानकारी जिससे आपको बांध गतिविधियों के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा?

1).....

2).....

3).....

4).....

५).....

दिनांक:.....

उत्तरदाता का नाम

सर्वेक्षणकर्ता का नाम

मोबाइल नंबर:

हस्ताक्षर

मोबाइल नंबर:

हस्ताक्षर

फार्म न0. B

जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना, नैनीताल

सामाजिक प्रभाव आकलन प्रश्नावली-प्राथमिक डेटा संग्रह

1. गाँव का नाम ..... 2. ब्लॉक का नाम.....

3. परगना ..... 4. तहसील जिला .....

5. डाकघर .....

6. बांध निर्माण परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण की जाने वाली सामान्य सामुदायिक संपत्ति / संसाधन क्या हैं? कृपया उस से संबंधित विवरण प्रदान करें

a) स्थानीय सड़कें .....। b) मंदिर / धार्मिक स्थल/ पर्यटक स्थल आदि .....। c) फुटपाथ / चौपाल.....। d) स्कूल .....। e) स्वास्थ्य सुविधाएं.....। f) आंगनवाड़ी केंद्र .....। g) सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य और पानी .....। h) आजीविका गतिविधि बैंक सहकारी बैंक आदि .....। i) परिवहन माध्यम बाजार से जुड़ा हुआ है.....। j) सामुदायिक केंद्र पंचायत घर / सरकारी इमारत .....। K) संसाधन / आदि संपत्ति से संबंधित कोई अन्य जानकारी, जो अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए महत्वपूर्ण है

7. प्रभावित क्षेत्र में आजीविका के प्रकार

a) कृषि मजदूर b) खेती c) आय के अन्य स्रोत के साथ खेती करना d) नाइयों e) नर्सों f) शिक्षक g) कोई अन्य

8. सहकारी समितियां या प्रभावित क्षेत्र में प्रोग्राम जैसे

a) दुग्ध महासंघ (डेयरी) b) हैंडीकैम (हाथकरघा) c) महिला बुनाई समूह d) किसी भी अन्य समूह / सोसायटीज.....

9. जंगली जानवरो के प्रकार प्रभावित क्षेत्र में

a) नीलगाय b) हिरण c) जैकाल d) तुर्की / (मुर्गियाँ के साथ) e) तेंदुआ/ बाघ f) कोई अन्य जंगली जानवर.....

10. प्रभावित क्षेत्र में आम सीवर प्रणाली क्या है?

a) ओपन b) सार्वजनिक शौचालय c) आंतरिक स्वयं शौचालय d) कोई अन्य सीवर सिस्टम

11. प्रभावित क्षेत्र में खराब जोखिम (जो संबंधित समुदाय के लोगों की गरीबी का कारण है)

a) भूमि की हानि b)अपने क्षेत्र में पेड़ों / वृक्षारोपण की हानि c) कोई अन्य

12 क्या आपके क्षेत्र से कोई प्रवास है a) नहीं ..... हाँ..... हाँ, प्रवास का क्या कारण हैं?

b) प्रवास के वर्ष का समय।.....

13. प्रवास एक वर्ष में कितनी बार होता है?

14. क्या आप ऋण प्राप्त करते हैं i a) नहीं ..... हाँ ..... यदि हाँ तो ऋण के स्रोत क्या हैं?

ii। क्या आपको आसानी से लोन मिल जाता है अगर नहीं तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? .....

15. आपके क्षेत्र में अपराध का स्तर

यह? .....

a) उच्च b) मध्यम c) कम

16. आपके क्षेत्र में कौन से बड़े अपराध हुए हैं? .....

17. क्या पानी केवल आपकी कृषि फसलों के लिए उपलब्ध है a) हाँ ..... b) ..... यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण हैं? .....

18 क्या कोई एनजीओ / एजेंसियां समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए प्रभावित क्षेत्र में काम कर रही हैं? a) नहीं ..... b) हाँ .....। अगर हाँ वो कौन से एनजीओ / एजेंसियां हैं?.....

19 पुनर्वास के कारण मनोवैज्ञानिक प्रभाव

a) विस्थापन का तनाव b) आजीविका के नुकसान का तनाव c) मूल समुदाय के भीतर स्थानीय रीति-रिवाजों के नुकसान का तनाव d) कोई अन्य

20. स्थानीय लोग डैम बांध निर्माण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते है

a) कैचमेंट फ़ॉरेस्ट (अपर क्रीम फ़ॉरेस्ट) की गिरावट b) अन्य वन संसाधनों तक पहुँच फिर पारिस्थितिक

21. क्या क्षेत्र में कोई परियोजना गतिविधि है जिसे रोकना या बंद करना है? a) नहीं..... b) हाँ..... हां वो क्या हैं?

22. क्या इलाके में हिंसा की कोई घटना प्रचलित है? a) नहीं .....। ..... b) हाँ ..... यदि हाँ, तो क्या हैं

23. क्या आप आपको बांध निर्माण गतिविधियों को स्थानांतरित करने के लिए सहमति देते हैं?

a) हां b) नहीं

24. अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि जो बांध के लिए अधिग्रहित की जानी है

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....

25. आपके गाँव क्षेत्र में मेले की संख्या जो बांध परियोजना के तहत प्राप्त की जानी है

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....

26. आपके गाँव में भंडारे की संख्या जो बांध के लिए अधिग्रहित की जानी है।

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....

27. आपके गाँव के क्षेत्र में सामुदायिक उपासना स्थानो की संख्या जो बाँध के लिए अधिग्रहित की जानी है (जैसे- दुर्गापूजा)

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....

गाँव का नक्शा (हाथ से)

तारीख:

सर्वे इंवेस्टिगेटर का नाम ..... प्रतिवादी का नाम। .....

मोबाइल नंबर: ..... मोबाइल नंबर: .....

हस्ताक्षर ..... हस्ताक्षर....

संलग्नक 5

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(ACT NO. 30 OF 2013)

सूची सं० डी०-221

REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2— अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

2] नई दिल्ली, गुरुवार, 8 मई, 2014/ 18 वैशाख, 1936 (शक) [खंड L
2 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2014/VAISHAKHA 18, 1936 (SAKA) Vol. L

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 2014/18 वैशाख, 1936 (शक)

दि राइट टू कंपेन्सेशन एंड ट्रांसपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन, रिहैबीलिटेशन एंड रिसेटलमैंट ऐक्ट, 2013 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, May 8, 2014/*Vaishakha* 18, 1936 *(Saka)*

The translation in Hindi of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

[26 सितम्बर, 2013]

उद्योगीकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और नगरीकरण के लिए भू-स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों को कम से कम बाधा पहुंचाए बिना भूमि अर्जन के लिए मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया, संविधान के अधीन स्थापित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और ग्राम सभाओं के परामर्श से, सुनिश्चित करने तथा उन प्रभावित कुटुम्बों को, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है या जो ऐसे अर्जन से प्रभावित हुए हैं, न्यायोचित और ऋजु प्रतिकर देने और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए, उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य भूमि अर्जन का समुच्चय परिणाम ऐसा होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति ऐसे विकास में भागीदार बनें जिससे अर्जन के बाद की उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में सुधार हो सके, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का पर्याप्त उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु केंद्रीय सरकार उस तारीख से, जिसको भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन मास के भीतर ऐसी तारीख नियत करेगी ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. (1) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए है, और लोक प्रयोजन के लिए भी है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजन भी हैं जिनके लिए, अर्थात्:—

(क) नौसेना, सेना, वायु सेना और संघ के सशस्त्र बलों से, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल भी हैं संबंधित सामरिक प्रयोजनों के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा अथवा राज्य पुलिस, जनसाधारण की सुरक्षा के महत्वपूर्ण किसी कार्य के लिए; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (अवसंरचना अनुभाग) की तारीख 27 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं 13/6/2009–आईएनएफ में सूचीबद्ध सभी क्रियाकलाप या मदें, प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और प्राइवेट होटलों को छोड़कर;

(ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि में निवेशों के प्रदाय, भांडागारण, शीतागार सुविधाओं, कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों जैसे कि दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग के लिए विपणन अवसंरचना और मांस प्रसंस्करण से संबद्ध परियोजनाएं, जो समुचित सरकार द्वारा या किसी कृषि सहकारिता द्वारा या किसी कानून के अधीन स्थापित किसी संस्था द्वारा स्थापित की गई हों या उसके स्वामित्वाधीन हों;

(iii) औद्योगिक कोरिडोर अथवा खनन क्रियाकलाप, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में यथा अभिहित राष्ट्रीय विनिधान और विनिर्माण परिक्षेत्र के लिए परियोजना;

(iv) जल सिंचाई और जल संरक्षण अवसंरचना, स्वच्छता के लिए परियोजना;

(v) सरकार द्वारा प्रशासित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक और अनुसंधान स्कीमों या संस्थाओं के लिए परियोजना;

(vi) क्रीड़ा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना;

(vii) कोई अवसंरचना सुविधा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् में ऐसी अधिसूचना रखे जाने के पश्चात् इस संबंध में अधिसूचित की जाए;

(ग) परियोजना से प्रभावित कुटुंबों की परियोजना के लिए;

(घ) ऐसे आय समूहों के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, गृह निर्माण की परियोजना के लिए;

(ङ) ग्रामीण स्थलों या नगरीय क्षेत्रों में किसी स्थल के योजनाबद्ध विकास या सुधार के लिए अथवा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि की व्यवस्था सम्बन्धी परियोजना के लिए;

(च) निर्धन या भूमिहीन व्यक्तियों या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा आरंभ की गई किसी स्कीम के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित हुए व्यक्तियों के आवासीय प्रयोजनों की परियोजना के लिए,

भूमि का अर्जन करती है।

(2) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, सहमति, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) में यथा परिभाषित लोक प्रयोजनार्थ, पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है;

(ख) उपधारा (1) में यथा परिभाषित लोक प्रयोजनार्थ, प्राइवेट कंपनियों के लिए,

भूमि का अर्जन करती है:

परंतु,—

(i) प्राइवेट कंपनियों के लिए अर्जन की दशा में, धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (v) में यथा परिभाषित प्रभावित कुटुंबों के कम से कम अस्सी प्रतिशत कुटुंबों की पूर्व सहमति; और

(ii) पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए अर्जन की दशा में, धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (v) में यथा परिभाषित प्रभावित कुटुंबों के कम से कम सत्तर प्रतिशत कुटुंबों की पूर्व सहमति,

ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिप्राप्त की जाएगी:

परन्तु यह और कि सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ कार्यान्वित की जाएगी:

परंतु यह भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन के रूप में कोई भी भूमि ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यमान भूमि अंतरण से संबंधित किसी विधि का (जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय का ऐसा कोई आदेश या निर्णय भी है, जो अंतिम बन गया है) उल्लंघन करके अंतरित नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उन मामलों में लागू होंगे, जहां,—

(क) कोई प्राइवेट कंपनी धारा 46 के उपबंधों के अनुसार भूमि के स्वामी से प्राइवेट बातचीत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में ऐसी सीमाओं के, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, बराबर या उनसे अधिक भूमि का क्रय या अर्जन करती है;

(ख) कोई प्राइवेट कंपनी किसी लोक प्रयोजन के लिए इस प्रकार विहित किए गए किसी क्षेत्र के किसी भाग के अर्जन के लिए समुचित सरकार से अनुरोध करती है:

परंतु जहां प्राइवेट कंपनी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के आंशिक अर्जन हेतु समुचित सरकार से अनुरोध करती है, वहां दूसरी अनुसूची के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां संपूर्ण क्षेत्र के लिए, जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनी द्वारा क्रय की गई और सरकार द्वारा संपूर्ण परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि भी है, लागू होंगी।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रभावित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए ;

(ग) "प्रभावित कुटुंब" के अंतर्गत,—

(i) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है;

(ii) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किंतु ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य या वे सदस्य ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है ;

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यताप्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है ;

2007 का 2

(iv) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है और इसके अंतर्गत वन उपज बटोरने वाले, आखेटक, मत्स्यिक जनसमूह और केवट भी हैं और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है ;

(v) ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन है ;

(vi) ऐसा कोई कुटुंब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है ;

(घ) "कृषि भूमि" से—

(i) कृषि या उद्यान कृषि ;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट-पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियां ;

(iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद ; और

(iv) पशुओं के चरागाह,

के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है ;

(ङ) "समुचित सरकार" से—

(i) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार ;

(ii) किसी संघ राज्यक्षेत्र (पुडुचेरी के सिवाय) के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, केंद्रीय सरकार ;

(iii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ;

(iv) एक से अधिक राज्यों में लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से, केंद्रीय सरकार ; और

(v) संघ के ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भूमि के अर्जन के संबंध में, केंद्रीय सरकार,

अभिप्रेत है :

परंतु किसी जिले के कलक्टर को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के संबंध में समुचित सरकार समझा जाएगा;

(च) "प्राधिकरण" से धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) "कलक्टर" से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उपायुक्त तथा समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहित कोई अधिकारी भी है;

(ज) "आयुक्त" से धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(झ) "अर्जन की लागत" के अंतर्गत निम्नलिखित आता है —

(i) प्रतिकर की रकम जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित तोषण, कोई वर्धित प्रतिकर तथा उस पर संदेय ब्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित कुटुंबों को संदेय रूप में अवधारित कोई अन्य रकम भी है;

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए संदत्त किया जाने वाला डेमरेज ;

(iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुंबों के व्यवस्थापन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत ;

(iv) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत ;

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत ;

(vi) (अ) भूमि, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल की भूमि तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि, दोनों आती हैं, के अर्जन के लिए प्रशासनिक खर्च, जो प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक न हो ;

(आ) भूमि के स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुंबों के, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है अथवा ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक खर्च ;

(vii) "सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन" करने का खर्च;

(ञ) "कंपनी" से अभिप्रेत है,—

1956 का 1 (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी, जो सरकारी कंपनी से भिन्न हो ;

1860 का 21 (ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी ;

(ट) "विस्थापित कुटुंब" से ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ;

(ठ) किसी व्यक्ति के संबंध में "कार्य करने के लिए हकदार" के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जाएंगे, अर्थात्:—

(i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक, जिस तक फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निःशक्तता से ग्रस्त न होता;

(ii) अवयस्कों के संरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबंधक, उस सीमा तक, जिस तक अवयस्क, पागल या अन्य विकृत चित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निःशक्तता से ग्रस्त न होते:

1908 का 5 परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 32 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी वादमित्र द्वारा या मामले के संरक्षक द्वारा किसी कलक्टर या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(ड) "कुटुंब" के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहिनें हैं :

परन्तु विधवाओं और विवाह-विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुंबों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक् कुटुंब माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण—किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हों या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक् कुटुंब माना जाएगा ;

(ढ) "भू-धृति" से किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी, अधिभोगी या अभिधारी के रूप में या अन्यथा धारित कुल भूमि अभिप्रेत है ;

(ण) "अवसंरचना परियोजना" के अंतर्गत धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक मदें भी आएंगी;

(त) "भूमि" के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं ;

(थ) "भूमिहीन" से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिसे—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन उस रूप में माना जाए या विनिर्दिष्ट किया जाए, या

(ii) उपखंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट न किए जाने वाले किसी भूमिहीन की दशा में, वह जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(द) "भू-स्वामी" के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,—

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है; या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पट्टा अधिकार दिए गए हैं ; या 2007 का 2

(iii) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अंतर्गत समनुदेशित भूमि भी है, वनाधिकार दिए जाने का हकदार है ; या

(iv) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ;

(ध) "स्थानीय प्राधिकारी" के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई नगर योजना प्राधिकरण (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन यथापरिभाषित कोई पंचायत और अनुच्छेद 243त में यथापरिभाषित नगरपालिका है ;

(न) "सीमांत कृषक" से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जिसके पास एक एकड़ तक की असिंचित भू-धृति है या आधे एकड़ तक की सिंचित भू-धृति है ;

(प) "बाजार मूल्य" से धारा 26 के अनुसार अवधारित भूमि का मूल्य अभिप्रेत है ;

(फ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ब) "पट्टा" का वही अर्थ होगा जो सुसंगत केंद्रीय या राज्य अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में उसका है ;

(भ) "हितबद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है—

(i) ऐसे सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन बदले दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं ;

(ii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन किन्हीं वन्य अधिकारों को खो दिया है; 2007 का 2

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति;

(iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधृति अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत फसल में बटाईदार, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं ; और

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(म) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(य) "परियोजना" से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का प्रभावित व्यक्ति की संख्या को विचार में लिए बिना, अर्जन किया जा रहा है ;

(यक) "लोक प्रयोजन" से धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(यख) "अपेक्षक निकाय" से ऐसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है और इसके अंतर्गत ऐसी समुचित सरकार भी है यदि भूमि का, ऐसी सरकार के अपने स्वयं के उपयोग के लिए या ऐसी भूमि का, लोक प्रयोजन के लिए, बाद में, यथास्थिति, किसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को पट्टे, अनुज्ञप्ति के अधीन या भूमि अंतरण करने के किसी अन्य ढंग के माध्यम से अंतरण किए जाने के लिए, अर्जन किया जाता है ;

(यग) "पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रभावित कुटुंबों को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है ;

(यघ) "अनुसूचित क्षेत्र" से पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 2 में यथापरिभाषित अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; 1996 का 40

(यङ) "छोटा कृषक" से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है, जिसके पास दो एकड़ तक की असिंचित भू-धृति है या एक एकड़ तक की सिंचित भू-धृति है, किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धृति है ;

अध्याय 2

सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन का अवधारण

अ. सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना ।

4. (1) जब कभी समुचित सरकार का, किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का आशय हो, वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से, ऐसी रीति में और ऐसी तारीख से, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराएगी।

(2) समुचित सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन परामर्श तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रारंभ होने संबंधी जारी की गई अधिसूचना, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी:

परंतु समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने के प्रक्रम पर, यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के प्रतिनिधि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए:

परंतु यह और कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट धारा 6 के अधीन विहित रीति में जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अंतर्गत, अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ;

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है ;

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, बंदोबस्तों और अन्य समान संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है ;

(घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है ;

(ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ;

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन :

परंतु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और यह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

(5) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य हाथ में लेते समय अन्य बातों के साथ उस समाघात पर विचार करेगी, जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना, विशिष्टतया सड़कों, लोक परिवहन, जल-निकास, स्वच्छता, पेयजल के स्रोतों, पशुओं के लिए जल के स्रोतों, सामुदायिक जलाशयों, चरागाह भूमि, बागानों, जन सुविधाओं पर जैसे कि डाकघर, उचित दर दुकानें, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं और कब्रस्थान तथा श्मशान घाट के लिए भूमि, पर पड़ने की संभावना है ।

(6) समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने वाले प्राधिकारी से उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट घटक के लिए समाघात को ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे उपाय, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की उस प्रभावित क्षेत्र में प्रवर्तित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन जो कुछ उपलब्ध कराया गया है उससे कम नहीं होंगे ।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई ।

5. जब कभी धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण तैयार कराया जाना अपेक्षित हो, समुचित सरकार, लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात्, प्रभावित कुटुंबों के मतों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अभिलिखित और सम्मिलित किया जाना अभिनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के किए जाने को सुनिश्चित करेगी ।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन ।

6. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तथा धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जाए और, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाए और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(2) जहां कहीं भी पर्यावरण समाघात निर्धारण किया जाए वहां सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति पर्यावरणीय समाघात निर्धारण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत समाघात निर्धारण अभिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

आ. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन।

7. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा, जो कि उसके द्वारा गठित किया जाए कराया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(क) दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक ;

(ख) यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ग) पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ ; और

(घ) परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ ।

(3) समुचित सरकार विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस समूह का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह की यह राय है कि—

(क) उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा नहीं होता है; या

(ख) परियोजना के सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक नहीं हैं,

तो वह उसके गठन की तारीख से दो मास के भीतर इस आशय की सिफारिश करेगी कि परियोजना का तुरंत परित्याग कर दिया जाए और उसकी बाबत भूमि का अर्जन करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाए जाएं:

परंतु ऐसी सिफारिश के आधारों को, विशेषज्ञ समूह द्वारा उसके ब्यौरे और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण देते हुए, लेखबद्ध किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां समुचित सरकार, ऐसी सिफारिशों के बावजूद, अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे करने के उसके कारण लेखबद्ध किए जाएं।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह की यह राय है कि—

(क) उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा होगा, और

(ख) संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक हैं,

तो वह उसके गठन की तारीख से दो मास के भीतर इस बारे में विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगी कि क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि की सीमा, जिसकी कि परियोजना के लिए आवश्यकता है, पूर्णतया यथार्थ-न्यूनतम सीमा तक की है और क्या इससे कम विस्थापित किए जाने संबंधी कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है :

परंतु ऐसी सिफारिश के आधारों को विशेषज्ञ समूह द्वारा ऐसे विनिश्चय के ब्यौरे और कारण देते हुए अभिलिखित किया जाएगा ।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराई जाएंगी तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएंगी।

समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं की और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा।

8. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,—

(क) प्रस्तावित अर्जन का ऐसा विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट संभाव्य फायदों और लोक प्रयोजन का सामाजिक खर्चों और ऐसे प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में अधिक प्रभाव होगा, जिसे सामाजिक समाघात निर्धारण, जो किया गया है, द्वारा अवधारित किया जाए ;

(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापना की जाए ;

(घ) ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में अर्जन किया गया है,

(ङ) पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि, यदि कोई हो, का उपयोग उस लोक प्रयोजन के लिए किया जाए और वह उसकी बाबत सिफारिशें करेगी।

(2) समुचित सरकार, कलक्टर की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर विचार करेगी और सभी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिससे लोगों का न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में कम से कम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता हो ।

(3) समुचित सरकार का विनिश्चय, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा :

परंतु जहां धारा 2 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन किए जाने की ईप्सा की जाती है, वहां समुचित सरकार यह भी अभिनिश्चित करेगी कि क्या प्रभावित कुटुंबों की पूर्व सहमति, जैसी धारा 2 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अपेक्षित है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिप्राप्त कर ली गई है ।

सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट ।

9. जहां धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता संबंधी उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है वहां समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी ।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध

खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध ।

10. (1) उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसी भूमि का इस शर्त के अधीन रहते हुए अर्जन किया जा सकेगा कि ऐसा आपवादिक परिस्थितियों में निरूप्य अंतिम उपाय के रूप में किया जा रहा है, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि का अर्जन किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं है, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्यीय विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाए।

(3) जब कभी बहु-फसलीय सिंचित भूमि उपधारा (2) के अधीन अर्जित की जाती है, तब खेती योग्य बंजर भूमि के समान क्षेत्र को कृषि के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाएगा या अर्जित की गई भूमि के मूल्य के बराबर रकम खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि में विनिधान करने के लिए समुचित सरकार के पास जमा कराई जाएगी ।

(4) ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) के अंतर्गत नहीं आता है, कृषि भूमि का अर्जन ऐसे किसी जिले या राज्य में की सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में कुल

मिलाकर उस जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र की उस सीमा से अधिक नहीं होगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परन्तु इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं, जो दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, जैसे कि रेल, राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, सिंचन नहरों, विद्युत लाइनों, आदि की दशा में लागू नहीं होंगे।

अध्याय 4

अधिसूचना और अर्जन

प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदुपरि अधिकारियों की शक्ति।

11. (1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, तब उस आशय की, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों सहित, एक अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारंभिक अधिसूचना कहा गया है) निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) राजपत्र में ;

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा ;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात् ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सभा या सभाओं, नगरपालिका क्षेत्रों की दशा में नगरपालिकाओं और संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों की दशा में स्वायत्त परिषदों को, भूमि अर्जन के सभी मामलों में, उक्त उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना की अंतर्वस्तुओं के बारे में, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में, सूचित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अंतर्वलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, उन कारणों का, जिनके कारण प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रशासक की विशिष्टियों का एक कथन भी अन्तर्विष्ट होगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :

परंतु कलक्टर इस प्रकार अधिसूचित भूमि के स्वामी द्वारा किए गए आवेदन पर विशेष परिस्थितियों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे स्वामी को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस उपबंध का किसी व्यक्ति द्वारा, स्वयं जानबूझकर किए गए अतिक्रमण के कारण उसको हुए किसी नुकसान या क्षति की पूर्ति कलक्टर द्वारा नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन सूचना के जारी किए जाने के पश्चात् कलक्टर, धारा 19 के अधीन घोषणा जारी किए जाने के पूर्व, यथादिहित भूमि अभिलेखों को दो मास की अवधि के भीतर अद्यतन करने का कार्य अपने हाथ में लेगा और उसे पूरा करेगा ।

भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण करने की शक्ति ।

12. समुचित सरकार को अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसे ऐसी सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, तथा उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए—

(क) ऐसे परिक्षेत्र में की किसी भूमि में प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना तथा तलमापन करना ;

(ख) अवभूदा के भीतर खोदना या वेधन करना ;

(ग) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना ;

(घ) उस भूमि की, जिसे लिए जाने की प्रस्थापना है, सीमाएं और उस संकर्म की, यदि कोई हो, जो उस पर किया जाना प्रस्तावित है, आशयित रेखांक नियत करना; और

(ङ) ऐसे तलों को, ऐसी सीमाओं को और रेखा को चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर चिह्नांकित करना और जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिह्नित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और साफ करना,

विधिपूर्ण होगा :

परंतु भूमि की बाबत खंड (क) से खंड (ङ) के अधीन कोई कार्य भूमि के स्वामी की अनुपस्थिति में या स्वामी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को स्वामी की अनुपस्थिति में उस दशा में अपने हाथ में लिया जा सकेगा, यदि स्वामी को उस सर्वेक्षण के कम से कम साठ दिन पूर्व एक सूचना देकर ऐसे सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दिया गया हो :

परंतु यह भी कि कोई भी व्यक्ति किसी भवन के भीतर या निवास-गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में जब तक कि उसके अधिभोगी की सहमति न हो ऐसे अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम सात दिन की लिखित सूचना पहले से दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा।

नुकसानी के लिए संदाय ।

13. धारा 12 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारित किसी नुकसानी के भुगतान का संदाय या निविदान धारा 12 के अधीन प्रवेश के समय करेगा और इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में, वह उस विवाद को तत्क्षण जिले के कलक्टर या अन्य मुख्य राजस्व अधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का व्यपगत होना ।

14. जहां धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना, धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के अंकन की तारीख से बारह मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी रिपोर्ट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह व्यपगत हो गई है और धारा 11 के अधीन अर्जन की कार्यवाहियां करने के पूर्व नए सिरे से सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य किया जाना अपेक्षित होगा :

परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह और कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलिखित किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

अक्षेपों की सुनवाई।

15. (1) ऐसी किसी भूमि में, जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है और जिसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर—

(क) अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ;

(ख) लोक प्रयोजन के लिए दिए गए औचित्य के प्रति ;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति,

आक्षेप कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप कलक्टर को लिखित रूप में किया जाएगा और कलक्टर आक्षेपकर्ता को, स्वयं या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी भी वह आवश्यक समझे या तो उस भूमि की बाबत, जो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई है, एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न भागों की बाबत विभिन्न रिपोर्टें, जिसे या जिनमें आक्षेपों के संबंध में उसकी सिफारिशें अंतर्विष्ट हों, उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख तथा भूमि के अर्जन की अनुमानित लागत तथा उन प्रभावित कुटुंबों की, जिनका पुनर्व्यवस्थापन किए जाने की संभावना है, संख्या के बारे में विशिष्टियां देते हुए एक पृथक् रिपोर्ट के साथ उस सरकार के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आक्षेपों पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना ।

16. (1) कलक्टर द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रभावित कुटुंबों का एक सर्वेक्षण कराएगा तथा उनकी जनगणना का कार्य हाथ में लेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा :—

(क) ऐसी भूमि और स्थावर संपत्तियों की विशिष्टियां, जिनका प्रत्येक प्रभावित कुटुंब से अर्जन किया जा रहा है ;

(ख) ऐसे भूमि खोने वालों और भूमिहीनों की बाबत, जिनकी जीविका अर्जित की जा रही भूमि पर मुख्यतः निर्भर है, खो गई जीविका ;

(ग) ऐसे लोकोपयोगी और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है जहां कि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन का कार्य अंतर्वलित है ;

(घ) ऐसी सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जिन पर प्रभाव पड़ा है या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, जहां कि प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन कार्य अंतर्वलित है ; और

(ङ) ऐसे किन्हीं सामान्य संपत्ति स्रोतों के ब्यौरे, जिनका अर्जन किया जा रहा है।

(2) प्रशासक, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, विहित किए गए अनुसार एक प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक भू-स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है और जहां प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन में निम्नलिखित अंतर्वलित है—

(i) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची ;

(ii) ऐसी लोक सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जो पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जानी हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सम्मिलित होगी ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार द्वारा स्थानीय रूप में अवगत कराया जाएगा और संबंधित ग्राम सभाओं या नगरपालिकाओं में विचार-विमर्श किया जाएगा ।

(5) लोक सुनवाई, प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी:

परंतु ऐसे मामले में जहां किसी प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभाएं या नगरपालिकाएं अंतर्वलित हैं, वहां लोक सुनवाई ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा और नगरपालिका में की जाएगी जहां कि उस ग्राम सभा या नगरपालिका की पच्चीस प्रतिशत से अधिक भूमि का अर्जन किया जा रहा हो :

1996 का 40

परंतु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ विचार-विमर्श पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(6) प्रशासक, लोक सुनवाई के पूरा होने पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रारूप स्कीम लोक सुनवाई में किए गए दावों और आक्षेपों से संबंधित विनिर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ कलक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन ।

17. (1) कलक्टर, धारा 45 के अधीन परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के पास प्रशासक द्वारा धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत की गई प्रारूप स्कीम का पुनर्विलोकन करेगा ।

(2) कलक्टर, प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त को स्कीम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना।

18. आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा और वह प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन।

19. (1) जब समुचित सरकार को धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन दी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, तो प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए "पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र" के रूप में पहचान किए गए किसी क्षेत्र की घोषणा के साथ, इस आशय की एक घोषणा उस सरकार के सचिव के या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन की जाएगी और उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि के भिन्न-भिन्न खंडों की बाबत, इस बात को विचार में लिए बिना कि एक रिपोर्ट दी गई है या विभिन्न रिपोर्टें (जहां कहीं अपेक्षित हो) दी गई हैं, समय-समय पर, विभिन्न घोषणाएं की जा सकेंगी ।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार ऐसी घोषणा के साथ प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक अपेक्षक निकाय भूमि के अर्जन की लागत मद, ऐसी कोई रकम, पूर्णतः या भागतः जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा नहीं कर देता है :

परंतु यह भी कि अपेक्षक निकाय रकम को तत्परता से जमा कराएगा जिससे समुचित सरकार धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर घोषणा को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके।

(3) ऐसी परियोजनाओं में, जहां कि भूमि प्रक्रमों में अर्जित की जाती है, अर्जन संबंधी आवेदन में ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के विभिन्न प्रक्रमों को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और सभी घोषणाएं इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रक्रमों के अनुसार की जाएंगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) राजपत्र में;

(ख) उस क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित किए जा रहे दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करके;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा में निम्नलिखित उपदर्शित होगा,—

(क) वह जिला या अन्य राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है, उसका अनुमानित क्षेत्र; और

(ग) जहां भूमि के लिए कोई योजना बनाई जानी होगी, वहां वह स्थान, जहां ऐसी योजना का बिना किसी खर्च के निरीक्षण किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् समुचित

सरकार भूमि का, ऐसी रीति में जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, अर्जन कर सकेगी ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है :

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि या किन्हीं अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा, जिनके दौरान भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक अथवा व्यादेश के कारण रोक दिया गया हो :

परंतु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह भी कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के चिह्नांकन सहित भूमि का चिह्नांकन किया जाना, उसका मापमान और रेखांकन किया जाना ।

20. कलक्टर तदुपरांत भूमि को, जब तक कि उसे धारा 12 के अधीन पहले से चिह्नांकित न किया गया हो, चिह्नांकित और उसका मापमान कराएगा और यदि उसका कोई रेखांक तैयार नहीं किया गया है तो उसका रेखांक तैयार कराया जाएगा ।

हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना ।

21. (1) कलक्टर, इस बात का कथन करते हुए कि सरकार का आशय उस भूमि का कब्जा लेने का है और यह कि ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे उसको किए जाएं, लोक सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और ली जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर लोक सूचना दिलवाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सूचना में उस भूमि की, जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है, विशिष्टियों का कथन होगा और उस भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से सूचना में वर्णित स्थान और समय पर, जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् तीस दिन से अन्यून और छह मास से अनधिक का न हो कलक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने और उसमें भूमि में उनके अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावों का, उनके आक्षेपों, यदि कोई हों, के साथ कथन करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) कलक्टर किसी भी दशा में उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसा कथन पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित में और हस्ताक्षरित रूप में किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) कलक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगी पर, यदि कोई हो, और उन सभी व्यक्तियों पर, जिनकी बाबत यह ज्ञात हो या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि वे उसमें हितबद्ध हैं, इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए कार्य करने के हकदार हैं, जो उस राजस्व जिले के भीतर, जिसमें भूमि स्थित है, निवास करते हैं या उनकी ओर से तामील प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखते हैं, उस आशय की सूचना की भी तामील करेगा ।

(5) यदि इस प्रकार हितबद्ध कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र निवास करता है और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, तो कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि वह सूचना उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, कारबार के पते या स्थान पर भेजी जाए और उसे कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में तथा अपनी वेबसाइट पर भी उसे प्रकाशित करेगा ।

नामों और हितों के बारे में कथन करने की अपेक्षा करने और उसे प्रवृत्त करने की शक्ति ।

22. (1) कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक कथन सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके किसी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित की प्रकृति और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उस लेखे प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ, यदि कोई हों और जहां तक साध्य हो, अंतर्विष्ट हों, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के तीस दिन से अन्यून का नहीं होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन कथन करने और उसे परिदत्त करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थांतर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर समझा जाएगा । 1860 का 45

कलक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय ।

23. इस प्रकार नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को, जिसके लिए जांच स्थगित की गई है, कलक्टर उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हों, जो धारा 21 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में हितबद्ध किसी व्यक्ति ने धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में किए हैं और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के मूल्य और प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा, और—

(क) भूमि के सही क्षेत्र के बारे में ;

(ख) धारा 31 के अधीन यथा पारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय सहित धारा 27 के अधीन यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के बारे में, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए ; और

(ग) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं या उन व्यक्तियों में से उनमें जिनके संबंध में या जिनके दावों की उसे सूचना है, चाहे वे स्वयं उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा।

कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में , — 1894 का 1

(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहां प्रतिकर का अवधारण किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे; या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी : 1894 का 1

परन्तु जहां अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू-धृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा ।

25. कलक्टर धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं व्यपगत हो जाएंगी :

परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं:

परन्तु यह और कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण ।

26. (1) कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात् :—

(क) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय
99 का 2 के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो ; या

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या

(ग) प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम,

इनमें से जो भी अधिक हो :

परन्तु बाजार मूल्य के अवधारण की तारीख वह तारीख होगी, जिसको धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

स्पष्टीकरण 1—खंड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों को हिसाब में रख कर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, जिनमें उच्चतम विक्रय कीमत का उल्लेख किया गया है, कुल संख्या के आधे को हिसाब में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिले में किसी पूर्ववर्ती अवसर पर अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4—इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय, ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य की सूचक नहीं है, बाजार मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बाजार मूल्य निम्नलिखित कारण से अवधारित नहीं किया जा सकता है कि,—

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां भूमि संबंधी संव्यवहार उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन निर्बंधित है ; या

(ख) उसी प्रकार की भूमि के लिए उपधारा (1) के खंड (क) में यथादर्णित पूर्ववर्ती ठीक तीन वर्ष पूर्व के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय-करार उपलब्ध नहीं हैं ; या

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा बाजार मूल्य भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, 1899 का 2.

वहां संबंधित राज्य सरकार, ठीक लगे हुए क्षेत्रों में स्थित उसी प्रकार की भूमि की बाबत उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित कीमत के आधार पर, उक्त भूमि की भू-क्षेत्र कीमत या प्रति यूनिट क्षेत्र न्यूनतम कीमत विनिर्दिष्ट करेगी :

परन्तु ऐसी दशा में, जहां अपेक्षित निकाय भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर के भागरूप भूमि के स्वामियों को (जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है) अपने शेयर प्रस्थापित करता है, वहां किसी भी दशा में, ऐसे शेयर, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संगणित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि अपेक्षित निकाय किसी भी दशा में, भूमि के किसी स्वामी को (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) अपने ऐसे शेयर लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जिनका मूल्य उपधारा (1) के अधीन संगणित भूमि के मूल्य में कटौती योग्य है :

परन्तु यह भी कि कलक्टर, किसी क्षेत्र में भूमि अर्जन की कोई कार्यवाहियां आरंभ करने के पूर्व, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा :

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भूमि या संपत्ति के अर्जन के लिए अवधारित बाजार मूल्य ऐसा होगा जिससे उनका अपने विकल्प की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो।

प्रतिकर की रकम का अवधारण ।

27. कलक्टर, अर्जन की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करने पर, भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके, भूमि के स्वामी (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की संगणना करेगा ।

पैमाइश, जिन पर कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण करने में विचार किया जाएगा।

28. कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में निम्नलिखित पर विचार करेगा —

पहले, धारा 26 के अधीन यथा अवधारित बाजार मूल्य और पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णीत की रकम;

दूसरे, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी खड़ी फसलों और वृक्षों को, जो कलक्टर द्वारा उनका कब्जा लिए जाने के समय उस भूमि पर हों, कब्जे में लेने के कारण हुआ नुकसान;

तीसरे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को, उस भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण हुआ नुकसान (यदि कोई हो);

चौथे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे अर्जन के कारण, जिससे उसकी अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति पर किसी अन्य रीति से या उसके उपार्जनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हो, हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

पांचवें, हितबद्ध व्यक्ति को कलक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास-स्थान या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए विवश होने की दशा में, ऐसे परिवर्तन के आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) ;

छठे, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में कमी होने के परिणामस्वरूप होने वाला कोई वास्तविक नुकसान (यदि कोई हो); और

सातवें, ऐसा कोई अन्य आधार, जो प्रभावित कुटुंबों के लिए साम्यापूर्ण, न्याय के हित में और उनके लिए फायदाप्रद हो।

भूमि या भवन से संलग्न वस्तुओं के मूल्य का अवधारण।

29. (1) कलक्टर, ऐसी भूमि या ऐसे भवन से जिनका अर्जन किया जाना है संलग्न भवन और अन्य स्थावर संपत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने में सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की ऐसी सेवाओं का जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

(2) कलक्टर, अर्जित भूमि से संलग्न वृक्षों और पौधों के मूल्य का अवधारण करने में, कृषि, वनविज्ञान, उद्यानकृषि, रेशम कीट पालन के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

(3) कलक्टर, भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान नुकसानग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसे अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

तोषण का दिया जाना।

30. (1) कलक्टर, संदत्त किए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए और शत-प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य "तोषण" की रकम अधिरोपित करेगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि तोषण की रकम, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है, संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(2) कलक्टर, संदेय प्रतिकर की विशिष्टियों का ब्यौरा और पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर के संदाय के ब्यौरे देते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय जारी करेगा ।

(3) **धारा 26** के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में, उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर **धारा 4** की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

अध्याय 5

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

प्रभावित व्यक्तियों के लिए कलक्टर द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय ।

31. (1) कलक्टर, दूसरी अनुसूची में उपबंधित हकदारियों के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय में निम्नलिखित सभी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) कुटुंब को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम;

(ख) उस व्यक्ति का, जिसको पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय की रकम अंतरित की जानी हो, बैंक खाता संख्यांक;

(ग) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, आबंटित किए जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टियां;

(घ) विस्थापित कुटुंबों को आबंटित भूमि की विशिष्टियां;

(ङ) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, एक बारगी जीवन-निर्वाह भत्ते और परिवहन भत्ते की विशिष्टियां;

(च) पशु शेड और छोटी दुकानों के लिए संदाय की विशिष्टियां;

(छ) शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टियां;

(ज) प्रभावित कुटुंबों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले आजीपक नियोजन के ब्यौरे ;

(झ) ऐसे किन्हीं नत्स्य अधिकारों की, जो अन्तर्वलित हों, विशिष्टियां ;

(ञ) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों की विशिष्टियां;

(ट) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले विशेष उपबंधों की विशिष्टियां ;

परन्तु यदि खंड (क) से खंड (ट) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों में से कोई विषय किसी प्रभावित कुटुंब को लागू नहीं होता है तो उसे "लागू नहीं होता" के रूप में उपदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, कीमत सूचकांक में बढ़ोतरी को हिसाब में लेते हुए, प्रभावित कुटुंबों को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम की दर में वृद्धि कर सकेगी।

पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं का उपबंध।

32. कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित प्रत्येक पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सुख-सुविधाओं के उपबंध को सुनिश्चित करेगा।

कलक्टर द्वारा अधिनिर्णयों को शुद्ध किया जाना।

33. (1) कलक्टर, किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के अपश्चात् या जहां उससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारा 64 के अधीन प्राधिकरण को निर्देश करने की अपेक्षा की गई है वहां, ऐसा निर्देश करने के पूर्व, आदेश द्वारा, अधिनिर्णयों में की किन्हीं लिपिकीय या गणित संबंधी भूलों अथवा उसमें होने वाली गलतियों को, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, शुद्ध कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शुद्धि, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) कलक्टर इस प्रकार शुद्ध किए गए अधिनिर्णय में की गई किसी शुद्धि की सभी हितबद्ध व्यक्तियों को तुरन्त सूचना देगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई शुद्धि के परिणामस्वरूप यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी अधिक रकम का संदाय कर दिया गया है, वहां इस प्रकार संदत्त आधिक्य रकम प्रतिसंदेय होगी और संदाय करने में कोई व्यतिक्रम या उससे इंकार की दशा में, उसकी वसूली समुचित सरकार द्वारा यथाविहित रूप में, की जा सकेगी।

जांच का स्थगन।

34. कलक्टर, ऐसे किसी कारण से, जो वह ठीक समझे, समय-समय पर, जांच को ऐसे किसी दिन के लिए स्थगित कर सकेगा, जो उसके द्वारा नियत किया जाए।

साक्षियों को समन करने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश करने की शक्ति।

35. कलक्टर को, इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत उनमें से कोई हितबद्ध पक्षकार भी हैं, उन्हीं साधनों द्वारा और यथाशक्य उसी रीति में, जो किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपबंधित है, समन करने, उनको हाजिर कराने और दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी। 1908 का 5

अभिलेख आदि मगाने की शक्ति।

36. समुचित सरकार, धारा 30 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व किसी भी समय, किन्हीं कार्यवाहियों का (चाहे जांच के रूप में हों या अन्यथा) अभिलेख किन्हीं निष्कर्षों या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परन्तु समुचित सरकार उस व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगी या ऐसा निदेश जारी नहीं करेगी जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा।

37. (1) अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किए जाएंगे और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच, चाहे वे कलक्टर के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए हों या नहीं, इस प्रकार अवधारित किए गए भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल तथा उससे संलग्न आस्तियों के बाजार मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगा।

(2) कलक्टर अपने अधिनिर्णयों की सूचना ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों में से उनको तत्काल देगा, जो अधिनिर्णय किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे।

(3) कलक्टर, भूमि के अर्जन की दशा में की गई संपूर्ण कार्यवाहियों का सार, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए प्रतिकर की रकम भी है, इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से अर्जित की गई भूमि के ब्यौरों के साथ, जनता के लिए खुला रखेगा और इस प्रयोजन के लिए सृजित वेबसाइट पर संप्रदर्शित करेगा।

अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति।

38. (1) कलक्टर यह सुनिश्चित करने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेगा कि प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के पूर्ण भुगतान का प्रतिकर के लिए धारा 30 के अधीन किए गए अधिनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन मास की अवधि के भीतर और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के घटकों के लिए छह मास की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है या निविदान कर दिया गया है :

परंतु दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के घटकों का, जो अवसंरचनात्मक हकदारियों से संबंधित हैं, अधिनिर्णय की तारीख से अठारह मास की अवधि के भीतर उपबंध किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सिंचाई या जल परियोजना, जो एक लोक प्रयोजन है, के लिए भूमि के अर्जन की दशा में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अर्जित भूमियों के निमज्जन के छह मास पूर्व पूरी की जाएगी।

(2) कलक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रभावित कुटुंबों को विस्थापित करने के पूर्व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया उसके सभी पहलुओं में पूरी की जाए।

बहुस्थानिक विस्थापनों की दशा में अतिरिक्त प्रतिकर।

39. कलक्टर, यथासंभव, ऐसे किसी कुटुंब को, जिसे समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जन के प्रयोजनार्थ पहले ही विस्थापित किया जा चुका है, विस्थापित नहीं करेगा और यदि उसे इस प्रकार विस्थापित किया गया है तो वह इस अधिनियम के अधीन जो प्रतिकर अवधारित किया गया है उसके समतुल्य अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय द्वितीय या उत्तरवर्ती विस्थापनों के लिए करेगा।

कतिपय दशाओं में भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में विशेष शक्तियां।

40. (1) अत्यावश्यकता की दशाओं में, जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे, कलक्टर यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया हो, धारा 21 में वर्णित सूचना के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि का कब्जा ले सकेगा और ऐसा होने पर, ऐसी भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त, पूर्णतया सरकार में निहित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किन्हीं आपातों के लिए या संसद् के अनुमोदन से किसी अन्य आपात के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र तक निर्बंधित होंगी :

परन्तु कलक्टर इस उपधारा के अधीन किसी भवन या किसी भवन के भाग का कब्जा, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना या ऐसे अधिक समय की सूचना, जो ऐसे अधिभोगी को किसी अनावश्यक असुविधा के बिना ऐसे भवन से अपनी जंगम संपत्ति को हटाने में समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, दिए बिना नहीं लेगा।

(3) कलक्टर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने के पूर्व ऐसी भूमि के लिए उसके द्वारा प्राक्कलित प्रतिकर के अस्सी प्रतिशत का उसके लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को संदाय निविदत्त करेगा।

(4) ऐसी किसी भूमि की दशा में, जिसको समुचित सरकार की राय में, उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, समुचित सरकार यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 2 से अध्याय 6 के कोई या सभी उपबंध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय धारा 19 के अधीन उस भूमि की बाबत घोषणा की जा सकेगी।

(5) धारा 27 के अधीन यथा अवधारित कुल प्रतिकर के पचहत्तर प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का कलक्टर द्वारा ऐसी भूमि और संपत्ति की बाबत, जिसके अर्जन के संबंध में इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की जा चुकी हैं, संदाय किया जाएगा :

परन्तु यदि परियोजना ऐसी है जो भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सामरिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करती है, तो किसी अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध।

41. (1) भूमि का कोई भी अर्जन, यथासंभव, अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा।

(2) यदि ऐसा अर्जन होता है तो ऐसा केवल साध्य अंतिम अवलम्ब के रूप में किया जाएगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन या अन्यसंक्रामण की दशा में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन के अनुसूचित क्षेत्रों में, यथास्थिति, संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वशासी जिला परिषदों की पूर्व सहमति ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के, जिनके अन्तर्गत अत्यावश्यकता की दशा में अर्जन भी है, सभी मामलों में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व समुचित स्तर पर अभिप्राप्त की जाएगी :

परंतु पंचायतों और स्वशासी जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में अभिप्राप्त की जाएगी, जहां ग्राम सभा अस्तित्व में नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है।

(4) किसी अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि के अर्जन को अंतर्वलित करने वाली ऐसी किसी परियोजना की दशा में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कुटुंबों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित है, एक विकास योजना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उनमें भूमि संबंधी उन अधिकारों का, जो शोध्य हैं किन्तु जिनका परिनिर्धारण नहीं किया गया है, परिनिर्धारण करने तथा भूमि अर्जन सहित एक विशेष अभियान चलाकर अन्यसंक्रामित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अनुसूचित जातियों के हकों को बहाल करने संबंधी प्रक्रिया के ब्यौरे अधिकथित करते हुए, तैयार की जाएगी।

(5) विकास योजना में गैरवन्य भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक ईंधन, चारे और गैरकाष्ठ वन्य उपज संसाधनों का विकास करने संबंधी एक ऐसा कार्यक्रम भी होगा, जो जनजातीय समुदायों और साथ ही अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि का अर्जन किए जाने की दशा में, शोध्य प्रतिकर की कम से कम एक-तिहाई रकम का संदाय प्रभावित कुटुंबों को प्रारंभ में ही पहली किस्त के रूप में किया जाएगा और शेष रकम का संदाय भूमि का कब्जा ग्रहण किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(7) अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित कुटुंबों को अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक संहत ब्लाक में पुनःव्यवस्थापित किया जाएगा जिससे कि वे अपनी जातीय, भाषीय और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें।

(8) ऐसे पुनर्वासित क्षेत्रों को, जिनमें प्रधानतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, सामुदायिक और सामाजिक समूहन के लिए निःशुल्क भूमि मिलेगी।

(9) जनजातीय लोगों की भूमि या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमियों का तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना करके किया गया कोई अन्यसंक्रामण अकृत और शून्य माना जाएगा और ऐसी भूमियों के अर्जन की दशा में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी फायदे मूल जनजातीय भू-स्वामियों अथवा अनुसूचित जाति से संबद्ध भू-स्वामियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(10) प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों और अनुसूचित जातियों को, जिनको प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त है, सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

(11) जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावित कुटुंबों को जिले के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, वहां उन्हें पचास हजार रुपए की एक बारगी हकदारी के साथ अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन फायदे सदत्त किए जाएंगे जिन्हें वे धनीय रूप में पाने के हकदार होंगे।

आरक्षण और अन्य फायदे।

42. (1) वे सभी फायदे, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी उपलब्ध फायदे भी हैं, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे।

(2) जब कभी अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध प्रभावित कुटुंबों को, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, तो उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपयोग किए जा रहे सभी कानूनी रक्षोपाय, हकदारियां और फायदे उन क्षेत्रों में भी, जहां उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, इस बात पर विचार किए बिना कि पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र उक्त पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र है या नहीं, प्रदान किए जाते रहेंगे।

(3) जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन सामुदायिक अधिकारों का परिनिर्धारण किया जा चुका है, वहां उनको धनीय राशि में परिगणित किया जाएगा और ऐसे संबद्ध व्यष्टिक को, जिसको भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया गया है, ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में उसका संदाय किया जाएगा।

का 2

अध्याय 6

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और रीति

प्रशासक की नियुक्ति।

43. (1) जहां समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों का अस्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, वहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस परियोजना के संबंध में, संयुक्त कलक्टर या अपर कलक्टर या उप कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी या राजस्व विभाग के समतुल्य पदधारी को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) प्रशासक को, दक्षतापूर्वक कृत्य करने और विशेष समय-सीमा को पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं, तथा कार्यालय अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी ऐसे उतने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा, जितने समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, सहायता की जाएगी, जो उसके अधीनस्थ होंगे ।

(3) समुचित सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और मानीटरीकरण प्रशासक में निहित होगा।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त।

44. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जाएगा ।

(2) आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का पर्यवेक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) आयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति।

45. (1) जहां ऐसी भूमि, जिसका अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है, एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, वहां समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए कलक्टर की अध्यक्षता के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी ।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में, समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का एक प्रतिनिधि ;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि ;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि ;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती ;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) संबंधित क्षेत्र का संसद् सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशिती;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि ; और

(ञ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ।

(3) इस धारा में वर्णित प्रक्रिया के निर्वहन को विनियमित करने की प्रक्रिया और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के उससे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में लागू होना ।

46. (1) जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति प्राइवेट बातचीत के माध्यम से किसी क्षेत्र के लिए ऐसी सीमाओं के, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्य के उन विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाएं जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन खर्च का संदाय किया जाना अपेक्षित है, बराबर या उससे अधिक भूमि क्रय कर रहा है, वहां वह जिला कलक्टर को उसे निम्नलिखित के बारे में सूचना देते हुए एक आवेदन फाइल करेगा,—

(क) क्रय करने का आशय ;

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए ऐसा क्रय किया जा रहा है ;

(ग) क्रय की जाने वाली भूमियों की विशिष्टियां ।

(2) कलक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह उस मामले को इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी सुसंगत उपबंधों के समाधान के लिए आयुक्त को निर्दिष्ट करे ।

(3) कलक्टर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के आधार पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों को सम्मिलित करते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(4) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का पूर्णतया पालन न किए जाने की दशा में भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के उपबंधों का अनुपालन किए बिना, भूमि का कोई क्रय आरंभ से ही शून्य होगा:

परंतु समुचित सरकार अपने राज्य में भूमि के विक्रय या क्रय के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का उपबंध कर सकेगी और उक्त प्रयोजन के लिए सीमाएं अथवा अधिकतम सीमा भी नियत करेगी।

(6) यदि ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति द्वारा 5 सितंबर, 2011 को या उसके पश्चात् प्राइवेट बातचीत के माध्यम से क्रय की गई है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी सीमाओं से अधिक है और यदि उसी भूमि का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्जन किया जाता है, तो ऐसी अर्जित भूमि के लिए संदत्त प्रतिकर का चालीस प्रतिशत हिस्सा मूल भू-स्वामियों के साथ बांटा जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "मूल भू-स्वामी" पद, 5 सितंबर, 2011 को जो भू-स्वामी है उसके प्रति निर्देश करता है;

(ख) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद के अंतर्गत—

(i) समुचित सरकार ;

(ii) सरकारी कंपनी ;

(iii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति-संगम, न्यास या सोसाइटी, जो पूर्णतः या भागतः समुचित सरकार द्वारा सहायता पाती है या समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन है,

से निम्न कोई व्यक्ति आता है।

60 का 21

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन राशि का परिमाणन और जमा किया जाना।

47. जहां कलक्टर का यह मत है कि अपेक्षक निकाय की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी बाध्यताओं को धनीय राशि में परिमाणित किया जा सकता है, वहां वह ऐसी राशि का उन बाध्यताओं को पूर्णतया पूरा करने में, ऐसे किसी खाते में संदाय करने की अनुज्ञा देगा, जिसको धारा 43 के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा कलक्टर के पर्यवेक्षणाधीन प्रशासित किया जाएगा।

अध्याय 7

राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति

राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की स्थापना।

48. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने और उनको मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराज्यिक परियोजनाओं के लिए, जब कभी आवश्यक हो, एक राष्ट्रीय मानीटरी समिति का गठन कर सकेगी।

(2) समिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होने के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयोजित कर सकेगी ।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) केन्द्रीय सरकार समिति को उसके दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी ।

रिपोर्ट करने की अपेक्षाएं ।

49. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय मानीटरी समिति को नियमित और समयबद्ध रीति में तथा तब भी, जब कभी भी अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सभी सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएंगे ।

राज्यीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की स्थापना।

50. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको मानीटर करने के लिए एक राज्यीय मानीटरी समिति का गठन करेगी।

(2) समिति, राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होने के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयोजित कर सकेगी।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते ऐसे होंगे, जो राज्य द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार समिति को उसके दक्षतापूर्वक कार्यकरण के लिए आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 8

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना।

51. (1) समुचित सरकार, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" के नाम से ज्ञात एक या अधिक प्राधिकरणों की, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, स्थापना करेगी ।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन क्षेत्रों को भी विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके भीतर प्राधिकरण द्वारा धारा 64 के अधीन उसे किए गए निर्देशों को या धारा 64 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किए गए आवेदनों को ग्रहण करने और उनका विनिश्चय करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकेगा ।

प्राधिकरण की संरचना।

52. (1) प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहा गया है) होगा जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, एक प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को किसी दूसरे प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

53. (1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,—

(क) वह जिला न्यायाधीश है या रहा है ; या

(ख) वह कम से कम सात वर्ष से अर्हित विधि व्यवसायी है ।

(2) किसी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा ऐसे किसी उच्च न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता में प्राधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी ।

पीठासीन अधिकारी की पदावधि ।

54. किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द ।

55. (1) समुचित सरकार प्राधिकरण को एक रजिस्ट्रार तथा उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह सरकार ठीक समझे ।

(2) प्राधिकरण का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित किए जाएं ।

पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

56. किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु उक्त पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् उनके न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनके लिए अलाभप्रद रूप में परिवर्तन किया जाएगा ।

रिक्तियों का भरा जाना ।

57. यदि किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो समुचित सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकेंगी, जिस प्रक्रम पर रिक्ति भरी जाती है ।

त्यागपत्र और हटाया जाना ।

58. (1) किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, समुचित सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु पीठासीन अधिकारी, जब तक समुचित सरकार द्वारा उसे अपना पद शीघ्र त्यागने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

(2) किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में ऐसी जांच किए जाने के

पश्चात्, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) समुचित सरकार, नियमों द्वारा, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कदाचार या अक्षमता की अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

प्राधिकरण का गठन करने संबंधी आदेशों का अंतिम होना और उनसे उसकी प्रक्रियाओं का अधिविमान्य न होना।

59. किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने संबंधी समुचित सरकार का कोई आदेश किसी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और प्राधिकरण के समक्ष के किसी कार्य या कार्यवाही को मात्र इस आधार पर किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि है ।

प्राधिकरण की शक्तियां और उसके समक्ष कार्यवाही ।

60. (1) प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों का पुनर्विलोकन करना ;

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) प्राधिकरण को धारा 64 के अधीन उसे किए गए प्रत्येक निर्देश पर न्यायनिर्णयन करने की आरंभिक अधिकारिता होगी ।

(3) प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए मार्गदर्शित होगा, प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी । 1908 का 5

(4) प्राधिकरण, धारा 64 के अधीन निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् और संबंधित सभी पक्षकारों को ऐसे निर्देश की सूचना देने के पश्चात् तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश का उसकी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा और तदनुसार अधिनिर्णय करेगा ।

(5) प्राधिकरण ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संबंधित पक्षकारों को अधिनिर्णय की प्रतियां परिदत्त करने की व्यवस्था करेगा ।

प्राधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना ।

61. प्राधिकरण के समक्ष की सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाएगा और प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1860 का 45 1974 का 2

प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

62. प्राधिकरण के सदस्यों और अन्य अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जित होना।

63. किसी सिविल न्यायालय को (संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से भिन्न) भूमि अर्जन से संबंधित ऐसे किसी विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसकी बाबत कलक्टर या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त है और किसी ऐसे मामले की बाबत किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।

प्राधिकरण को निर्देश।

64. (1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा उस मामले को चाहे उसका आक्षेप, यथास्थिति, भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसको यह संदेय है, अध्याय 5 और अध्याय 6 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए :

परंतु कलक्टर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को निर्देश करेगा :

परंतु यह और कि जहां कलक्टर ऐसा निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहां आवेदक, यथास्थिति, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा कि कलक्टर को तीस दिन की अवधि के भीतर उसे निर्देश करने का निदेश दिया जाए ।

(2) आवेदन में उन आधारों का कथन होगा, जिन पर अधिनिर्णय के प्रति आक्षेप किया गया है :

परंतु प्रत्येक ऐसा आवेदन,—

(क) यदि उसे करने वाला व्यक्ति उस समय कलक्टर के समक्ष, जब उसने अपना अधिनिर्णय दिया था, उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था तो कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा ;

(ख) अन्य मामलों में, धारा 21 के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर या कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के भीतर, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, किया जाएगा :

परंतु यह और कि कलक्टर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।

प्राधिकरण को कलक्टर का कथन।

65. (1) कलक्टर, निर्देश करने में, प्राधिकरण की जानकारी के लिए निम्नलिखित के बारे में स्वहस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा,—

(क) भूमि की, उस पर किन्हीं वृक्षों, भवनों, खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित, अवस्थिति और सीमा ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, जिनके बारे में उसके पास यह समझने का कारण है कि वे ऐसी भूमि में हितबद्ध हैं ;

(ग) धारा 13 के अधीन नुकसानियों के लिए अधिनिर्णीत और संदत्त या निविदत्त रकम और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम;

(घ) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम ; और

(ङ) यदि आक्षेप प्रतिकर की रकम के प्रति है तो वे आधार, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गई थी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कथन के साथ हितबद्ध व्यक्तियों पर तामील की गई सूचनाओं और उनके द्वारा लिखित में किए गए या परिदत्त कथनों की विशिष्टियां देते हुए एक अनुसूची संलग्न की जाएगी ।

प्राधिकरण द्वारा सूचना की तामील ।

66. प्राधिकरण, तदुपरांत वह दिन विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसको प्राधिकरण आक्षेप का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा, और उस दिन को, प्राधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति का निदेश देने संबंधी सूचना की, निम्नलिखित व्यक्तियों पर, अर्थात् :—

(क) आवेदक पर ;

(ख) आक्षेप में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर, उनमें से ऐसे व्यक्तियों के सिवाय (यदि कोई हों) जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय अभ्यापत्ति किए बिना प्राप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं ; और

(ग) यदि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के संबंध में है तो कलक्टर पर,

तामील कराएगा।

कार्यवाहियों की परिधि पर निर्बंधन ।

67. ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जांच की परिधि को, उन व्यक्तियों के हित पर विचार किए जाने तक निर्बंधित किया जाएगा जिन पर आक्षेप का प्रभाव पड़ता है।

कार्यवाहियों का सार्वजनिक होना ।

68. प्रत्येक ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की जाएगी और सब्य में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार सभी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में (यथास्थिति) उपस्थित होने, अभिवाक् करने और कार्य करने के लिए हकदार होंगे ।

प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण ।

69. (1) अर्जित की गई भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का, जिसके अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां भी हैं, अवधारण करने में प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि कलक्टर ने इस अधिनियम की धारा 26 से धारा 30 और अध्याय 5 के अधीन के उपबंधों के अधीन उपवर्णित मापदंडों का पालन किया है अथवा नहीं।

(2) प्राधिकरण, भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा ऊपर उपबंधित है, प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि की बाबत धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उससे ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख या भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित रकम अधिनिर्णीत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि या अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थी ।

(3) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त जैसा ऊपर उपबंधित है, प्राधिकरण प्रत्येक मामले में संपूर्ण प्रतिकर की रकम पर एक सौ प्रतिशत का तोषण अधिनिर्णीत करेगा।

अधिनिर्णय का प्रारूप।

70. (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित में और प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें धारा 28 के पहले खंड के अधीन अधिनिर्णीत रकम तथा उसी धारा के अन्य खंडों में से प्रत्येक के अधीन क्रमशः अधिनिर्णीत रकमों को भी (यदि कोई हों), उक्त रकमों में से प्रत्येक का अधिनिर्णय किए जाने के आधारों सहित विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खंड (2) तथा खंड (9) के अर्थांतर्गत प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय को क्रमशः डिक्री तथा प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय के आधारों के कथन को निर्णय समझा जाएगा। 1908 का 5

खर्च ।

71. (1) प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय में, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही में उपगत खर्चों की रकम का और उन व्यक्तियों का, जिनके द्वारा और उन अनुपातों का, जिनमें उनका संदाय किया जाना है, कथन होगा ।

(2) जब कलक्टर के अधिनिर्णय को मान्य नहीं ठहराया जाता है तो खर्चे का, जब तक कि संबंधित प्राधिकरण की यह राय न हो कि आवेदक का दावा बहुत ही अपरिमित है या कलक्टर के समक्ष अपना यह पक्षकथन रखने में उसने बहुत उपेक्षा बरती कि उसके खर्चों से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चों के कुछ भाग का संदाय करना चाहिए, संदाय साधारणतया कलक्टर द्वारा किया जाएगा।

कलक्टर को अधिक्य प्रतिकर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश दिया जाना ।

72. यदि ऐसी राशि, जो संबंधित प्राधिकरण की राय में, कलक्टर द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से अधिक है, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, तो संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह निदेश दिया जा सकेगा कि कलक्टर द्वारा ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया था, ऐसे आधिक्य का प्राधिकरण को संदाय किए जाने की तारीख तक, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय किया जाए :

परंतु संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह भी निदेश हो सकेगा कि जहां ऐसे आधिक्य या उसके किसी भाग का उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया गया था, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण को संदाय किया जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जिसका उस समाप्ति की तारीख के पूर्व प्राधिकरण को संदाय नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा ।

प्राधिकरण के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनः अवधारण ।

73. (1) जहां इस अध्याय के अधीन किसी अधिनिर्णय में, संबंधित प्राधिकरण, आवेदक को धारा 23 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता है, वहां धारा 11 के अधीन उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली सभी अन्य भूमियों में हितबद्ध व्यक्ति और जो कलक्टर के अधिनिर्णय से व्यथित भी हैं, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने कलक्टर को कोई आवेदन नहीं किया था, संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम का, प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर, पुनः अवधारण किया जाए:

परंतु तीन मास की अवधि की, जिसके भीतर इस उपधारा के अधीन कलक्टर को आवेदन किया जाएगा, संगणना करने में उस दिन को, जिसको अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय हो, अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करेगा और आवेदकों को संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करने संबंधी अधिनिर्णय करेगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा उस मामले को संबंधित प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाए ।

उच्च न्यायालय को अपील ।

74. (1) धारा 69 के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय से व्यथित अपेक्षक निकाय या कोई व्यक्ति, अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था, तो वह साठ दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर उसके फाइल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक अपील की सुनवाई यथासाध्य शीघ्रता से की जाएगी और उस अपील का निपटारा उस तारीख से, जिसको अपील उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है, छह मास के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता के भीतर अर्जित की गई या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि स्थित है ।

अध्याय 9

प्रतिकर का प्रभाजन

प्रभाजन की विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट किया जाना।

75. जब अनेक व्यक्ति हितबद्ध हैं तो यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर के प्रभाजन से सहमत हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियों को अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के बीच अधिनिर्णय प्रभाजन की शुद्धता का निश्चायक साक्ष्य होगा ।

प्रभाजन के बारे में विवाद ।

76. जब प्रतिकर की रकम परिनिर्धारित कर दी गई है तो यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

अध्याय 10

संदाय

प्रतिकर का संदाय या प्राधिकरण में उसका जमा किया जाना ।

77. (1) कलक्टर, धारा 30 के अधीन कोई अधिनिर्णय करने पर उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का उसके लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को अधिनिर्णय के अनुसार संदाय निविदत्त करेगा और जब तक उन्हें उपधारा (2) में वर्णित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा निवारित न किया गया हो, उनके बैंक खातों में रकम जमा करके उसका उनको संदाय करेगा ।

(2) यदि प्रतिकर के लिए हकदार व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देता है या यदि भूमि का अन्यसंक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर प्राप्त करने के हक के बारे में या उसके प्रभाजन के बारे में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम को उस प्राधिकरण में जमा करेगा, जिसको धारा 64 के अधीन निर्देश प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु हितबद्ध माना जाने वाला कोई व्यक्ति रकम की पर्याप्तता के बारे में अभ्यापति के अधीन ऐसे संदाय को प्राप्त कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभ्यापति न करके उससे भिन्न रूप में रकम प्राप्त की है, धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा :

परंतु यह भी कि इसमें अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसने इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत संपूर्ण प्रतिकर या उसके किसी भाग को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को उसका संदाय करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अन्यसंक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्ति की भूमियों की बाबत जमा किए गए धन का विनियोग ।

78. (1) यदि कोई धन धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन संबंधित प्राधिकरण में जमा किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि वह भूमि, जिसकी बाबत वह अधिनिर्णीत किया गया था, ऐसे किसी व्यक्ति की है, जिसे उसका अन्यसंक्रामण करने की शक्ति नहीं थी, तो संबंधित प्राधिकरण,—

(क) वैसे ही हक और स्वामित्व की ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अधीन वह भूमि धारित की गई थी बाबत ऐसा धन जमा किया गया हो, धारित की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में; या

(ख) यदि ऐसा क्रय तुरंत नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जो संबंधित प्राधिकरण ठीक समझे,

उस धन का विनिधान किए जाने का आदेश देगा और ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो तत्समय उक्त भूमि का कब्जा लेने के लिए हकदार हों, संदाय करने का निदेश देगा और ऐसे धन तब तक इस प्रकार जमा और विनिहित बने रहेंगे जब तक कि उनका,—

(i) पूर्वोक्तानुसार ऐसी अन्य भूमियों का क्रय करने में; या

(ii) उसके लिए पूर्णतः हकदार होने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में,

उपयोजन न कर दिया जाए।

(2) जमा किए गए धन के सभी मामलों में, जिनको यह धारा लागू होती है, संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों के खर्चों का, अर्थात्:—

(क) यथा पूर्वोक्त ऐसे विनिधानों के खर्चों का;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों के, जिनमें ऐसे धन का तत्समय विनिधान किया गया है, ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के लिए और ऐसे मूलधन का संबंधित प्राधिकरण के बाहर के संदाय आदेशों के और उनसे संबंधित सभी कार्यवाहियों के, उनको छोड़कर, जो परस्पर विरोधी दावाकर्ताओं के बीच मुकदमेबाजी द्वारा हुए हों, खर्चों का,

जिनके अंतर्गत उनमें के सभी युक्तियुक्त प्रभार और उसके आनुषंगिक व्यय भी हैं, संदाय कलक्टर द्वारा किए जाने का आदेश देगा।

अन्य मामलों में जमा किए गए धन का विनिधान।

79. जब धारा 78 में वर्णित हेतुकों से भिन्न किसी हेतुक के लिए इस अधिनियम के अधीन संबंधित प्राधिकरण में कोई धन जमा किया गया है, तब प्राधिकरण, ऐसे धन में हितबद्ध या किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसका ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जो वह उचित समझे, विनिधान करने और ऐसी रीति में संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जिससे उसके विचार में उसमें हितबद्ध पक्षकारों को वही या यथाशक्य उसके निकटतम फायदा देगा, जो ऐसी भूमि से, जिसकी बाबत ऐसा धन जमा किया गया है, उन्हें हुआ होता।

ब्याज का संदाय।

80. जब ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उसके पूर्व संदत्त या जमा नहीं की जाती है, तो कलक्टर अधिनिर्णीत रकम का, ऐसा कब्जा लेने के समय से उस समय तक जब उसका इस प्रकार संदाय या उसे जमा नहीं करा दिया जाता है, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित संदाय करेगा :

परंतु यदि ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग का, उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर संदाय या उसे जमा नहीं किया जाता है, तो प्रतिकर की ऐसी रकम या उसके भाग पर, जिसको ऐसी समाप्ति की तारीख को पूर्व संदत्त या जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

अध्याय 11

भूमि का अस्थायी अधिभोग

बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग, जब प्रतिकर के संबंध में मतभेद हो तब प्रक्रिया ।

81. (1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी कब्जा लेना और उपयोग करना किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है तब समुचित सरकार, उसका अधिभोग और उपयोग, ऐसे अधिभोग के प्रारंभ से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधियों के लिए, जो वह ठीक समझे, उपाप्त करने का कलक्टर को निदेश दे सकेगी।

(2) कलक्टर तदुपरि ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रयोजन की, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है लिखित सूचना देगा और यथापूर्वोक्त ऐसी अवधि तक उस पर अधिभोग रखने और उसका उपयोग करने के लिए और उसमें से ली जाने वाली सामग्रियों (यदि कोई हो) के लिए उनको या तो कुल धनराशि के रूप में या मासिक या अन्य कालिक संदायों के रूप में उतने प्रतिकर का संदाय करेगा जितना क्रमशः उसके और ऐसे व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में करार पाया जाए।

(3) यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद होता है, तो कलक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर ।

82. (1) कलक्टर ऐसे प्रतिकर का संदाय किए जाने पर या ऐसे करार के निष्पादन पर या धारा 64 के अधीन निर्देश किए जाने पर, उस भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा और उक्त सूचना के निबंधनों के अनुसार उसका उपयोग कर सकेगा या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) कलक्टर उस अवधि के अवसान पर, हितबद्ध व्यक्तियों को उस नुकसान के लिए (यदि कोई हो) जो उस भूमि को पहुंचा हो और जिसके लिए कलक्टर द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, प्रतिकर का संदाय या उसका निविदान करेगा और वह भूमि उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर देगा :

परंतु यदि वह भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए ऐसी अवधि के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व वह उपयोग में लाई जाती थी, उपयोग में लाए जाने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो गई है और यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो समुचित सरकार उस भूमि को अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसे अग्रसर होगी मानो उसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए स्थायी रूप से आवश्यकता हो ।

भूमि की दशा के संबंध में मतभेद ।

83. यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में उस अवधि के अवसान पर उस भूमि की दशा के संबंध में या उक्त करार से संबंधित किसी विषय के संबंध में मतभेद है, तो कलक्टर ऐसे मतभेद को संबंधित प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

मिथ्या जानकारी, असद्भावपूर्वक कार्रवाई, आदि के लिए दंड ।

84. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा या निदेश के संबंध में कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो मिथ्या या भ्रामक है या कोई मिथ्या दस्तावेज पेश करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से उठाया गया कोई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधित फायदा समुचित सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वसूल किए जाने के दायित्वाधीन होगा ।

(3) अनुशासनिक कार्यवाहियां अनुशासन प्राधिकारी द्वारा ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध की जा सकेंगी जो, यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध की बाबत असद्भावपूर्वक कार्रवाई का दोषी साबित होता है, ऐसे दंड के लिए जिसके अंतर्गत जुर्माना भी है, दायी होगा जो अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए।

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

85. यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर के संदाय या पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति छह मास के दंड से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

86. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी समयक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम तथा अपेक्षक निकाय है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध ।

87. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभाग का प्रधान, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभाग के प्रधान से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान ।

88. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं होगा ।

अपराधों का असंज्ञेय होना ।

89. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध को असंज्ञेय समझा जाएगा । 1974 का 2

अपराधों का कतिपय व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई शिकायत पर ही संज्ञेय होना ।

90. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि वह अपेक्षक निकाय द्वारा किया गया है, संज्ञान, कलक्टर या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्रभावित कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा लिखित शिकायत पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यर्पण प्रवर्तित कराया जाना।

91. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने में कलक्टर का विरोध किया जाता है या उसके समक्ष अड़चन डाली जाती है, तो वह, यदि वह मजिस्ट्रेट है, उस भूमि का उसे अभ्यर्पित किया जाना प्रवर्तित करा लेगा और यदि वह मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह मजिस्ट्रेट से या पुलिस के आयुक्त से आवेदन करेगा और, यथास्थिति, ऐसा मजिस्ट्रेट या आयुक्त कलक्टर को उस भूमि का अभ्यर्पण किया जाना प्रवर्तित कराएगा ।

सूचना की तामील ।

92. (1) धारा 66 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी भी सूचना की तामील किसी सूचना की दशा में उसमें वर्णित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और किसी अन्य सूचना की दशा में कलक्टर के आदेश द्वारा हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी ।

(2) सूचना की तामील, जब कभी ऐसा करना साध्य हो, उसमें नामित व्यक्ति पर की जाएगी ।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है तब तामील उसके कुटुंब के किसी ऐसे वयस्क सदस्य पर, जो उसी के साथ में निवास करता है, की जा सकेगी और यदि ऐसा वयस्क सदस्य नहीं पाया जा सकता है तो सूचना की तामील उस गृह के, जिसमें वह व्यक्ति, जो उस सूचना में नामित है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है, बाहरी द्वार पर उसकी प्रति लगाकर या पूर्वोक्त अधिकारी के या कलक्टर के कार्यालय में या न्यायसदन में के किसी सहजदृश्य स्थान पर और अर्जित की जाने वाली भूमि के किसी सहजदृश्य भाग में भी उसकी एक प्रति लगाकर की जा सकेगी :

परंतु यदि कलक्टर या न्यायाधीश ऐसा निदेश दे तो सूचना ऐसे पत्र में, जो उसमें नामित व्यक्ति के, जिसे उसने संबोधित किया गया हो, अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, पते या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और कम से कम दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में और उसकी वेबसाइट पर भी उसे प्रकाशित किया जाएगा ।

अर्जन का पूरा किया जाना अनिवार्य न होना किंतु यदि अर्जन पूरा नहीं किया जाए तो प्रतिकर का अभिनिर्धारित किया जाना ।

93. (1) समुचित सरकार ऐसी किसी भूमि का, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है अर्जन करने से प्रत्याहृत हो जाने के लिए स्वतंत्र होगी ।

(2) जब कभी समुचित सरकार ऐसा अर्जन करने से अपने को प्रत्याहृत कर ले, तब कलक्टर सूचना के या तदधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो नुकसान स्वामी को पहुंचा है, उसके लिए शोध्य प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा और हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी रकम का उन सब खर्चों सहित संदाय करेगा जो उस व्यक्ति ने उक्त भूमि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के अभियोजन में युक्तियुक्त रूप से उठाए हैं ।

गृह या भवन के एक भाग का अर्जन।

94. (1) इस अधिनियम के उपबंध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य भवन के केवल एक भाग के अर्जन के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे, यदि स्वामी यह वांछा करता है कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा भवन इस प्रकार अर्जित किया जाए :

परंतु यदि इस संबंध में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी भूमि, जिसका इस अधिनियम के अधीन लिया जाना प्रस्थापित है इस धारा के अर्थांतर्गत किसी गृह, विनिर्माणशाला या भवन का भाग है या नहीं तो कलक्टर द्वारा ऐसे प्रश्न का अवधारण संबद्ध प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह ऐसी भूमि का तब तक कब्जा नहीं लेगा जब तक कि उस प्रश्न का अवधारण न हो जाए ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन किए गए ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करने में संबद्ध प्राधिकारी इस प्रश्न का ध्यान रखेगा कि क्या उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना है, उस गृह, विनिर्माणशाला या भवन के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा है ।

(3) यदि समुचित सरकार की, अर्जित की जाने वाली भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी दावे की दशा में यह राय है कि दावा अयुक्तियुक्त या अत्यधिक है तो वह, कलक्टर द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के पूर्व, किसी भी समय उस संपूर्ण भूमि के अर्जन का आदेश दे सकेगी जिसका कि वह भूमि, जिसका अर्जन सर्वप्रथम ईप्सित था, एक भाग है।

(4) इस प्रकार अपेक्षित भूमि के किसी अर्जन की दशा में धारा 11 से धारा 19 के अधीन (जिनके अंतर्गत यह दोनों धाराएं भी आती हैं) कोई भी नई घोषणा या अन्य कार्यवाहियां आवश्यक नहीं होंगी; किंतु कलक्टर समुचित सरकार के आदेश की प्रति हितबद्ध व्यक्ति को अविलंब देगा और तत्पश्चात् धारा 23 के अधीन अपना अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा ।

किसी स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय के खर्चे पर भूमि का अर्जन ।

95. (1) जहां इस अधिनियम के उपबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि के या किसी अपेक्षक निकाय के खर्चे पर भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित किए जाते हैं वहां ऐसे अर्जन के आनुषंगिक भूमि संबंधी प्रभार ऐसी निधि में से या अपेक्षक निकाय द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

(2) ऐसे मामलों में, जहां कोई कार्यवाही कलक्टर या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष होती है, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय हाजिर हो सकेगा और प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य पेश कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय धारा 64 के अधीन संबंधित प्राधिकारी को निर्देश कराने की मांग करने का हकदार नहीं होगा ।

आय-कर, स्टाप-शुल्क या फीस से छूट ।

96. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या करार पर कोई आय-कर या स्टाप-शुल्क, धारा 46 के अधीन के सिवाय, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी किसी प्रति के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में प्रतिग्रहण ।

97. इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी ऐसे दस्तावेज की, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, कोई प्रमाणित प्रति, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 57 के अधीन दी गई प्रति भी है, ऐसे दस्तावेज में अभिलिखित संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में प्रतिगृहीत की जा सकेगी ।

1908 का 16

अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वाद की दशा में सूचना।

98. इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही, ऐसे व्यक्ति को आशयित कार्यवाही की और उसके हेतुक की लिखित में एक मास पूर्व सूचना दिए बिना प्रारंभ नहीं की जाएगी और न पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त कर दिए जाने के पश्चात् अभियोजित की जाएगी ।

प्रयोजन में किसी परिवर्तन का अनुज्ञात न किया जाना।

99. ऐसे प्रयोजन या संबद्ध प्रयोजनों के संबंध में, जिसके लिए भूमि मूल रूप से अर्जित किए जाने की ईप्सा की गई है, कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि अर्जित भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसका अर्जन किया गया था, किन्हीं अकल्पित परिस्थितियों के कारणवश किसी मूलभूत परिवर्तन के कारण अनुपयोगी हो गई है तो समुचित सरकार उस भूमि का किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगी।

अनुज्ञा के बिना स्वामित्व में किसी परिवर्तन का अनुज्ञात न किया जाना।

100. समुचित सरकार की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना स्वामित्व में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना।

101. जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "भूमि बैंक" से कोई ऐसी सरकारी इकाई अभिप्रेत है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर-बकाया वाली संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है।

भूमि की सीमा में अंतर जब उसे बांटे जाने वाले उच्चतर प्रतिफल के लिए अंतरित किया जाता है।

102. जब कभी इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के स्वामित्व को प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो ऐसी भूमि पर कोई विकास न होने पर वर्धित भूमि मूल्य के पचीस प्रतिशत को उन व्यक्तियों के बीच, जिनसे भूमि अर्जित की गई थी या उनके वारिसों के बीच उस मूल्य के, जिस पर भूमियों का अर्जन किया गया था, अनुपात में अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर बांटा जाएगा:

परन्तु फायदा केवल उस प्रथम विक्रय या अंतरण पर प्रोद्भूत होगा जो अर्जन की कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् होता है।

उपबंधों का विद्यमान विधियों के अतिरिक्त होना।

103. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

समुचित सरकार का पट्टे पर लेने का विकल्प।

104. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, जहां कहीं संभव हो, धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि का अर्जन करने के बजाय उसे पट्टे पर लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना या कतिपय उपांतरणों सहित लागू होना।

105. (1) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की उपबंध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियमितियों को लागू नहीं होंगे ।

(2) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में किसी का लोप कर सकेगी या उनमें कुछ जोड़ सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगी कि पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के ऐसे कोई उपबंध जो प्रभावित कुटुंबों के लिए फायदाप्रद हों, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू होंगे या, यथास्थिति, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो प्रतिकर को कम नहीं करते हैं या इस

अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित ऐसे उपबंधों को क्षीण नहीं करते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें ।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

106. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची को किसी भी रूप में प्रतिकर को कम किए बिना अथवा इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों को क्षीण किए बिना संशोधित या परिवर्तित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें ।

प्रभावित कुटुंबों के लिए अधिक फायदाप्रद किसी विधि को अधिनियमित करने की राज्य विधान-मंडलों की शक्ति ।

107. इस अधिनियम की कोई बात इस अधिनियम के अधीन उपवर्णित हकदारियों को बढ़ाने या परिवर्धित करने के लिए कोई ऐसी विधि अधिनियमित करने से किसी राज्य को निवारित नहीं करेगी जो इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर से उच्चतर प्रतिकर प्रदत्त करता है या ऐसे पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपबंध करता है जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित से अधिक फायदाप्रद है ।

बेहतर प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का फायदा लेने के लिए प्रभावित कुटुंबों का विकल्प ।

108. (1) जहां किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी राज्य विधि या नीति में भूमि के अर्जन के लिए इस अधिनियम के अधीन संगणित से अधिक प्रतिकर का उपबंध है वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका कुटुंब या उसके कुटुंब का सदस्य अपने विकल्प पर ऐसी राज्य विधि या राज्य की ऐसी नीति के अधीन ऐसा उच्चतर प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का फायदा चुन सकेगा।

(2) जहां राज्य सरकार द्वारा विरचित कोई राज्य विधि या नीति इस अधिनियम से भिन्न उस विधि या नीति के अधीन अधिक फायदाप्रद पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्रस्थापना करती है वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका कुटुंब या उसके कुटुंब का सदस्य अपने विकल्प पर इस अधिनियम के बजाय ऐसी राज्य विधि या राज्य की ऐसी नीति के अधीन ऐसे पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन उपबंधों का फायदा चुन सकेगा।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

109. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (2) के पहले परन्तुक के अधीन पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ख) धारा 2 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट करने की रीति और समय-सीमा ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की रीति ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण करने और जनगणना करने की रीति और समय ;

(च) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करने की रीति ;

(छ) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन लोक सुनवाई करने की रीति ;

(ज) धारा 19 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन अपेक्षक निकाय द्वारा रकम जमा किए जाने की रीति ;

(झ) ऐसी रीति जिसमें और ऐसी अवधि जिसके भीतर धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन संदत्त की गई किसी आधिक्य रकम की वसूली की जा सकेगी;

(ञ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन विकास योजना तैयार की जाएगी;

(ट) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ;

(ठ) धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की प्रक्रिया ;

(ड) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और विशेषज्ञों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ढ) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन राज्यीय मानीटरी समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों के संदेय भत्ते;

(ण) धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(त) धारा 56 के अधीन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) ;

(थ) धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(द) धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन, मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उठाए गए फायदों को वसूल करने की रीति ;

(ध) धारा 101 के अधीन प्रत्यावर्तन द्वारा अनुपयोजित भूमि को वापस करने की रीति ;

(न) जहां कहीं इस अधिनियम के उपबंधों में उपबंधित हों, प्रकाशन की रीति;

(प) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

110. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना ।

111. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जहां इसके दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पूर्व प्रकाशन ।

112. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने की शक्ति पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की प्रकृति के अधीन होगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

113. (1) यदि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1894 का 1

114. (1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

1897 का 10

(2) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन ऐसा निरसन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर ऐसे निरसनों के प्रभाव के बारे में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

पहली अनुसूची

[धारा 30 (2) देखिए]

भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर

धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट उन लोगों को, जिनकी भूमि अर्जित की गई है और अभिधारियों को समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले अनुपात में दिया जाने वाला न्यूनतम प्रतिकर पैकेज निम्नलिखित संघटकों से मिलकर गठित होगा :

क्रम संख्या	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	
2.	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	शहरी क्षेत्र से परियोजना की ऐसी दूरी के आधार पर, 1.00 (एक) से 2.00(दो) जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।	
3.	शहरी क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	1 (एक)।	
4.	भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य	धारा 29 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	
5.	तोषण	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत के समतुल्य, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 2 या शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य से गुणित किया जाएगा ।	
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि का बाजार मूल्य, जिसे क्रम संख्यांक 2 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा ।	
7.	शहरी क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा।	
8.	सम्मिलित किए जाने वाले अन्य संघटक, यदि कोई हों।		

टिप्पण—ऐसी तारीख, जिसको खंड (2) के अधीन वर्णित मूल्यों का अवधारण किया जाएगा, प्रत्येक क्रम संख्यांक के सामने स्तंभ (4) के अधीन उपवर्णित किया जाना चाहिए।

दूसरी अनुसूची

[धारा 31 (1), 38(1) और 105(3) देखिए]

ऐसे तत्वों के अतिरिक्त, जो पहली अनुसूची में उपबंधित हैं सभी प्रभावित कुटुंबों (ऐसे भू-स्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व

क्रम संख्या	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के तत्व	हकदारी/उपबंध	क्या उपलब्ध कराया गया है या नहीं (यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विस्थापन की दशा में आवासन इकाइयों की व्यवस्था	(1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है, तो इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। (2) ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा : परंतु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुंब, जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प चुनता है, मकान निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी, प्राप्त करेगा : परंतु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुंब ऐसा चाहे तो उसे निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा: परंतु यह भी कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)
		स्पष्टीकरण—शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिले भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।	
2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से संबंधित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी : परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।	
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	यदि भूमि को शहरीकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाता है तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुंबों को, उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर, प्रस्थापना की जाएगी : परंतु यदि भूस्वामित्व परियोजना से प्रभावित कुटुंब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे जो भूमि अर्जन प्रतिकर पैकेज संदेय है उसकी समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी।	
4.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प।	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है: (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना	

(1)	(2)	(3)	(4)
		में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना; या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपए का एक बारगी संदाय; या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा।	
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा । इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पचास हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे । अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की दशा में, यथा संभव, प्रभावित कुटुंबों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों को, उनकी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सके।	
6.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जो विस्थापित हुआ है, कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में पचास हजार रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी।	
7.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ।	
8.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान	किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है,	

(1)	(2)	(3)	(4)
		ऐसी रकम की एकबारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।	
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।	
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपए का एक बारगी "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।	
11.	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।	
		(2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।	
		(3) आबंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।	

तीसरी अनुसूची

[धारा 32 (2), 38(1) और 105(3) देखिए]

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएं कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए ऐसी न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन, जो समुचित हों, उपलब्ध कराना उचित होगा :—

क्रम सं.	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई/ उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के संघटक	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्थ सभी मौसमों में उपयुक्त सड़क-लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।	
2.	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन किया जाना।	
3.	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक आश्वासित स्रोत।	
4.	पशुओं के लिए पेय जल की व्यवस्था ।	
5.	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह ।	
6.	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।	
7.	यथोचित पंचायत घर ।	
8.	बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर यथोचित डाकघर ।	
9.	बीज सह उर्वरक भंडारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।	
10.	पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों को आबंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाएं, यदि सिंचाई परियोजना से संबंधित न हो तो सहयारिता का विकास करके या किसी सरकारी स्कीम या विशेष सहायता द्वारा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं ।	
11.	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिएं ।	

(1)	(2)	(3)
12.	स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रस्तान या श्मशान घाट ।	
13.	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल ।	
14.	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) ।	
15.	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।	
16.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।	
17	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।	
18.	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।	
19.	बच्चों के लिए क्रीड़ास्थल ।	
20.	प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।	
21.	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा ।	
22.	परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि का चिन्हित किया जाना।	
23.	वन में रहने वाले कुटुंबों को, जहां संभव हो, गैर-काष्ठ वनोत्पाद संबंधी उनके वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन, यदि वे व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हों, उपलब्ध कराए जाएं और यदि ऐसे कोई कुटुंब बेदखली के ऐसे स्थान के समीप के क्षेत्र में की ऐसे वन या सामान्य संपत्ति में अपनी पहुंच या प्रवेश को जारी रख सकता है तो वे आजीविका के पूर्वोक्त स्रोतों के अपने पूर्व अधिकारों के उपभोग को जारी रख सकेंगे ।	
24.	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था का यदि आवश्यक हो, उपबंध किया जाना चाहिए।	
25.	सन्नियमों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।	

टिप्पण—क्रम सं॰ 1 से 25 के सामने स्तंभ (2) में वर्णित अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के प्रत्येक संघटक के चौथे स्तंभ (3) में भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपदर्शित किए जाने चाहिए ।

चौथी अनुसूची

(धारा 105 देखिए)

भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन को विनियमित करने वाली अधिनियमितियों की सूची

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) ।
2. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) ।
3. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) ।
4. भारतीय ट्राम अधिनियम, 1886 (1886 का 11) ।
5. भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885 (1885 का 18) ।
6. भूमिगत रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) ।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।
8. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ।
9. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) ।
10. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का 60) ।
11. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।
12. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) ।
13. रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) ।

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।

GMGIPMRND—67GI(S3)—23-05-2014.

संलग्नक-6

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 94/XVIII(3)/2016-20(01)/2014-भी भरणपोषण पहोपम, मुक्ति अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रभावित परिवार की आयुक्त को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों का क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार करेंगे और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए जवाबदेही होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 94/XVIII(3)/2016-20(01)/2014, dated February 09, 2016 for general information:

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 94/XVIII(3)/2016-20(01)/2014.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint Commissioner for Rehabilitation and Resettlement to the concerning person Commissioner for the Rehabilitation and Resettlement of the affected families.

2. Hereby appointed Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall be responsible for the appropriate implementation of such schemes and schemes and to superintendent of monitoring the Rehabilitation and Resettlements schemes or projects and shall also be responsible of social after the implementation from the advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई०

संख्या 95/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूंकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः अब, श्री रणपाल गहोत्रा, समुचित सरकार, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उल्लिखित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 46(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सादर स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य,
3.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	सदस्य,
4.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
5.	सम्बन्धित नायब तहसीलदार	सदस्य।

आज्ञा से,
डी० एस० गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 95/XVIII(3)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information:

NOTIFICATION
February 09, 2016

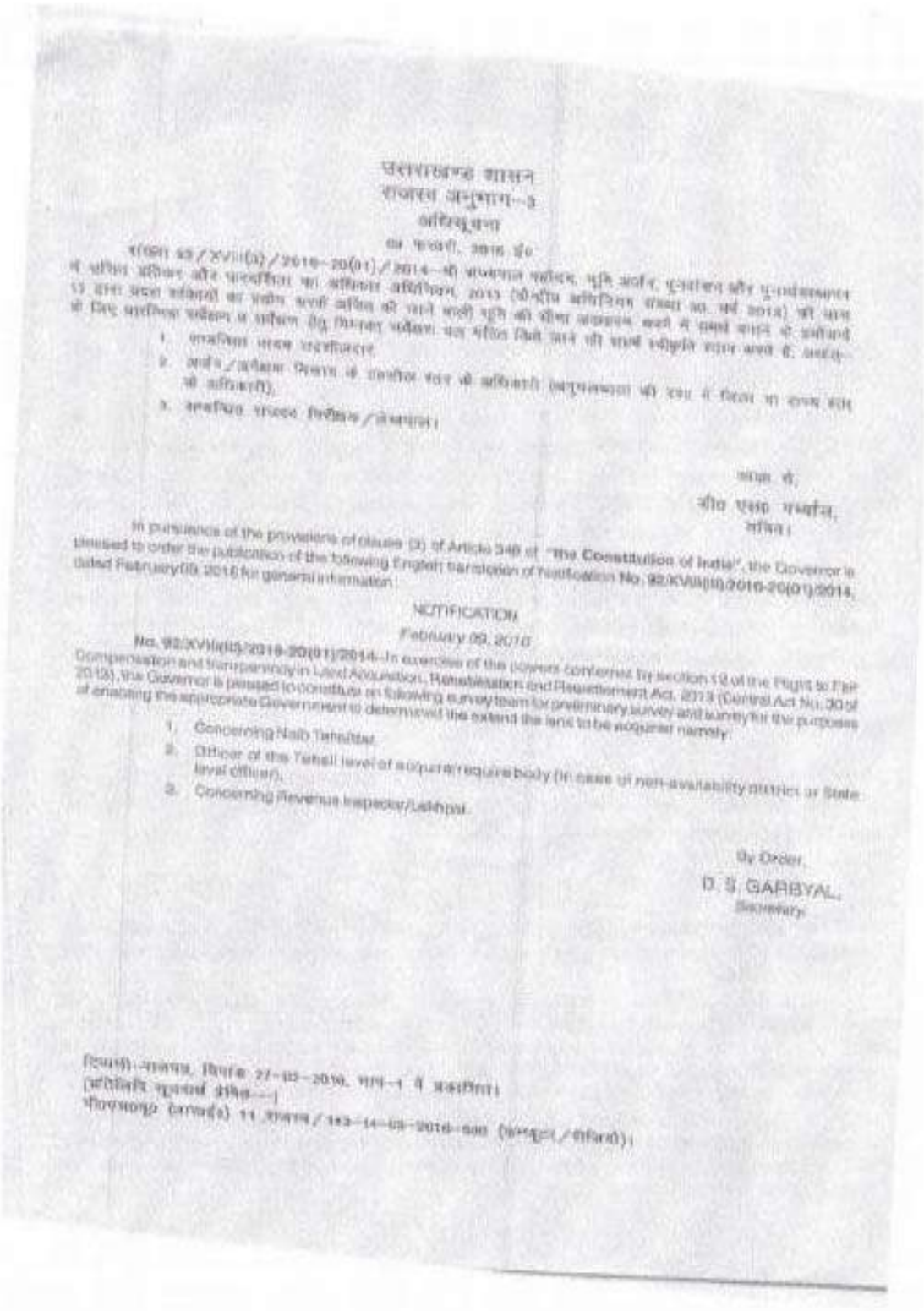
No. 95/XVIII(3)/2016-20(01)/2014–WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land proposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme:

1.	District Magistrate	Chairman,
2.	Chief Development Officer	Member,
3.	Concerning SDM	Member,
4.	Concerning Block Development Officer	Member,
5.	Concerning Naib Tehsildar	Member.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

देहरादून–राजपत्र, दिनांक 27-02-2016, भाग–4 में प्रकाशित।
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—।
गि०सं०सू० (आरई०) 14 राजस्व/146-14-03-2016-500 (अभ्यूक्ति/रीविसो)।



उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3
अधिसूचना
देहरादून: फरवरी, 2016 ई०

संख्या: 93/XVIII(3)/2016-20(01)/2014-भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता और उचितता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल को सक्षम प्राधिकारी की ओर से सर्वेक्षण दल के गठन के निमित्त आदेश जारी करने की पीड़ा हो रही है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के अर्जन हेतु निम्नवत् सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की सक्षम स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्-

1. तहसील नायब तहसीलदार,
2. अर्जन/पुनर्वास विभाग के उपरोक्त स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी),
3. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल।

आज्ञा से,
दीप एस० गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 92/XVIII(3)/2016-20(01)/2014, dated February09, 2016 for general information.

NOTIFICATION
February 09, 2016

No. 92/XVIII(3)/2016-20(01)/2014.--In exercise of the powers conferred by section 13 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following survey team for preliminary survey and survey for the purposes of enabling the appropriate Government to determine the extent the land to be acquired namely,

1. Concerning Naib Tahsildar.
2. Officer of the Tehsil level of acquiring/requiring body (in case of non-availability district or State level officer).
3. Concerning Revenue Inspector/Lekhpal.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

दिनांक: राजपत्र, विशेष 27-03-2016, भाग-1 में प्रकाशित।
[अतिरिक्त पृष्ठभाग संख्या ---]
परिपत्रालय (लगातार) 11 राजस्व/183-14-03-2016-600 (अनुवाद/विविध)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 93/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूंकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि..... ...भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों को गैर–ऐच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में पुनर्वासन अथवा पुनर्वसस्थापन के लिए (जो भी स्थिति हो अथवा दोनों के लिए)

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वसस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते सम्बन्धित जिले के अपर जिलाधिकारी (उनपद में अपर जिलाधिकारी का पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्वसस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उप धारा (2) में अपेक्षानुसार आदि उपलब्ध कराये जाने की वांछनीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्वसस्थापन प्रशासक समुचित सरकार और पुनर्वासन और पुनर्वसस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्वसस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014—WHEREAS the appropriate Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land displacement for rehabilitation and resettlement (as the case may be).

Now, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the additional District Magistrate of concerning district (non-availability of the additional District Magistrate of the district the concerning SDM) and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

2. The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[अधिसिचि मुद्रणार्थ प्रेषित ---]
पी0एस0यू0 (आरवाई0) 13 राजस्व/144–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर/सीडियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3
अधिसूचना
देहरादून, 2016 दि०

संख्या 91/XVIII(3)/2016-20(01)/2014-भू राजस्व अधिनियम, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नवत् एक स्वतंत्र बहु-अनुशासीय विशेषज्ञ समूह गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्-

1.	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष,
2.	संबंधित क्षेत्र पंचायत प्रमुख	सदस्य,
3.	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक विज्ञानी	सदस्य,
4.	संबंधित जिला पंचायत सदस्य	सदस्य,
5.	संबंधित मुख्य नगर अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम	सदस्य,
6.	परियोजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग के बोर्ड स्तर राज्य सरकार के जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य-सचिव,
7.	संबंधित जिले के किसी महाविद्यालय या तकनीकी विज्ञान संस्थान आदि से जिलाधिकारी द्वारा नामित पुनर्वासपालन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ	सदस्य।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि गठनोक्त विशेषज्ञ समूह अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,
दीप एस० कार्यालय,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 91/XVIII(3)/2016-20(01)/2014, dated February 09, 2016 for general information.

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 91/XVIII(3)/2016-20(01)/2014-In exercise of the powers conferred by section 7 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following independent multi disciplinary expert group for evaluation of Social Impact Assessment Study :

1.	Concerning Chief Development Officer	Chairman,
2.	Concerning Kshetra Panchayat Pramukh	Member,
3.	Two Social Scientist nominated by the concerning district Magistrate	Member,
4.	Concerning member of district Panchayat	Member,

(2)

5. Concerning chief urban officer or executive officer of the Nagar Panchayat/Nagarpalika/Nagar Nigam — Member,

6. District level officer of center and State Government of the concerning administrative department of the project — Member,

7. Two expert on rehabilitation nominated by the district magistrate from any degree college or technical institutions on teaching institutions of the concerning district — Member.

2. The Governor is also pleased that the above expert group shall provide his recommendations to the concerning district magistrate for publication and further proceeding.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 राजस्व / 142–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर / रेजिमो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना
09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 90/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–भी राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 4, धारा 5 एवं धारा 6 में क्रमशः सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किये जाने, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई करने तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन करने की व्यवस्था उपबंधित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिले में संबंधित अर्जन निकाय से भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र प्राप्त होने पर सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
3.	तहसीलदार	सदस्य,
4.	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र से एक विषय विशेषज्ञ/इस अध्ययन हेतु नामित गैर सरकारी विशेषज्ञ एजेन्सी	सदस्य,
5.	सम्बन्धित ग्राम के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य	सदस्य,
6.	सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल	सदस्य–सचिव।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त समिति द्वारा सामाजिक समाघात आकलन लोक प्रयोजन का अवधारण रिपोर्ट सम्यक प्रकाशन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information:

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014– In section 4, section 5 and section 6 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), provide to preparation of social impact assessment study, to public hearing for social impact assessment and to publication of social impact assessment study respectably, the powers conferred by these sections the Governor is pleased to constitute of following committee for a social impact assessment and to fixation of public purposes on received on notification letter of the land acquisition from concerning acquire bodies in the district, as follows, namely :–

1.	Concerning SDM	Chairman,
2.	Concerning Block Development Officer	Member,
3.	Tehsildar	Member,

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2018 ई0

संख्या 87/XVIII(3)/2018–29(01)/2014–भू राजपाल गठित, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 3 के खण्ड (ड) V के परन्तुक से द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते किसी लोक प्रयोजन के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि राज्य के किसी जिले में स्थित अवस्थित एक हजार एकड़ तक की क्षेत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु ऐसे जिले का कलेक्टर समुचित सरकार समझा जायेगा।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 87/XVIII(3)/2018-29(01)/2014, dated February 09, 2018 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2018

No. 87/XVIII(3)/2018-29(01)/2014—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to hereby notify that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose situated within a District of the State for an area not exceeding one thousand acres, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government.

By Order,

D. S. GARBYAL,

Secretary.

हिन्दी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2018, भाग–1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आरई0) 0 राजस्व/140–14–03–2018–560 (अम्बेडकर/दीक्षित)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 96/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में वर्णित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अध्ययन करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधानसभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशित;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ञ) सदस्य–संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014–WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 46 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the socio audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2. The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee :

(a) a representative of women residing in the affected area;

(b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 97/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–भी राज्यपाल पहोदय, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या, 30 वर्ष 2013) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको अनुश्रवण करने के लिये निम्नवत् राज्य अनुश्रवण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष,
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, एफ0आर0ओ0सी0, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य–सचिव,
(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 97/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 97/XVIII(III)/2016-20(01)/2014–In exercise of the powers conferred by section 50 of the Right to Fair Compensation and transperency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute a following state monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation or rehabilitation and resettlement schemes or plans under said Act, namely–

(a)	Chief Secretary to the State Government	Chairman,
(b)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, FRDC to the State Government	Member,
(c)	Principal Secretary/Secretary, Public Works Department to the State Government	Member,
(d)	Principal Secretary/Secretary, Revenue Department to the State Government	Member,
(e)	Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department to the State Government	Member,
(f)	Principal Secretary/Secretary, Energy Department to the State Government	Member,
(g)	Principal Secretary/Secretary, Transport Department to the State Government	Member,

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27-02-2016, भाग–1 में प्रकाशित।
(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—)
गौ0एस0यू0 (अनु0ई0) 16 राजस्व/148-14-03-2016-500 (कम्प्यूटर/रीप्रिन्ट)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 98/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–भी राज्यपाल महोदय, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में पारित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 51(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए "भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 98/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 98/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute a Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement authority for review of the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes of projects under the said Act.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (अप्रकाo) 17 राजस्व/149–14–03–2016–600 (कम्प्यूटर/रीविजन)।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 99/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूँकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 112 में राज्य सरकार को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बनाये जाने की शक्ति प्रदान की गई है।

और, चूँकि, राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन के लिए नियमों को गठित किया जाना आवश्यक और समीचीन समझती है।

उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात और सहमति) नियम, 2015

अध्याय 1
साधारण

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात और सहमति) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "अधिनियम" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का 30) अभिप्रेत है;
(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ग) "सामाजिक समाघात प्रबंध योजना" से अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन किया गया कोई निर्धारण अभिप्रेत है;
(घ) "सामाजिक समाघात प्रबंध योजना" से अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भागरूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है;
(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित

(९)

नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में है।

अध्याय 2

सामाजिक समाघात निर्धारण

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सामाजिक समाघात निर्धारण के सम्बन्ध में इन नियमों के प्ररूप 1 के भाग आ के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और उसे स्थानीय भाषा में यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील में कार्यालयों में उपलब्ध कराएगी तथा प्रभावित क्षेत्र में पोस्टरों और पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर प्रचलित करेगी तथा उसे राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेगी

परन्तु यह कि ऐसी अधिसूचना (अग्रेषितनिकाय द्वारा) सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए, ऐसी प्रसंस्करण फीस जो नियम (5) के उप नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी, जमा करने के पश्चात् तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण, संबंधित पंचायत नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से अधिनियम की धारा (4) के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर किया जाएगा। इसके उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की तारीख और समय तथा स्थान का व्यापक प्रचार करके जन सुनवाई की जाएगी ताकि (प्रभावित कुटुंबों के दृष्टिकोण, जिसे अभिलिखित किया जाएगा, का पता लगाया जा सके)।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण प्ररूप (2) में राज्य सरकार को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावित कुटुंबों के सम्मिलित अभिलिखित दृष्टिकोण होंगे।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात के लिए हाथ में लिए जाने वाले प्रोन्नति कारक उपायों को सूचीबद्ध करने वाली सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, संबंधित पंचायत नगर पालिका या नगर निगम की स्थानीय भाषा में प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर और जिला

कलेक्टर, उप क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी और इसे राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

संस्थानिक सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना

4. (1) समुचित सरकार एक स्वतंत्र संगठन की (पहचान करेगी या स्थापना करेगी) जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारणों का गठन और संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित निकाय से भिन्न व्यक्ति या निकायों द्वारा किया जाता है।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगा, अर्थात:--

(क) अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण, स्त्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगा और उसका सतत् रूप से विस्तार करेगा, जो कि भूमि अर्जन और पुर्नवासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचलित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा।

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-सिद्धांत तैयार करके, सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा, संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करेगा ;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दल और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगा तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराएगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान यथा अपेक्षित सतत् सहायता और शमनकारी कार्रवाई का उपबंध करेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वेब आधारित वर्कफ्लों का नियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अनुरक्षण किया जाता है तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सभी सुसंगत दस्तावेजों का प्रकटन किया जाता है।

(च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारण और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालोग को रखेगा ; और

(छ) सामाजिक समाघात निर्धारण और संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए क्वालिटी का लगातार पुनरीक्षण करेगा, मूल्यांकन करेगा और उसके सुदृढ़ बनाएगा।

परियोजना विनिर्दिष्ट

5. (1) जहां समुचित सरकार भूमि अर्जन का आशय रखती है, ऐसे भूमि

निर्देश–निबंधन तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए प्रसंस्करण फीस

अर्जन के लिए प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को भेजा जाएगा, जो कि–

(क) समुचित दल आकार (और फील्ड दलों की संख्या) तथा दल के सदस्यों के प्रोफाइल को उपदर्शित करते हुए उन सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए जो अनिवार्यत: किए जाने हैं, प्रत्येक भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए निर्देश निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के ब्यौरे तैयार करेगा और इन नियमों के प्ररूप 1 के भाग अ में यथा दिए अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए मुख्य खुपूर्दगियों के लिए अनुसूची और अंतिम तारीख निर्दिष्ट करेगा ;

(ख) प्रत्येक मद या कार्यकलापों के लिए निर्देश–निबंधन के आधार पर सुस्पष्ट लागत विभाजन के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए अनुमानत: फीस का अवधारण। फीस की रकम समुचित सरकार द्वारा निश्चित किए गए पैरामीटरों, जिनके अन्तर्गत क्षेत्र, परियोजना की किस्म और प्रभावित कुटुंबों की संख्या है पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारित फीस का दस प्रतिशत सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को निर्देश–निबंधन तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और (समुचित सरकार को) अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

(3) अपेक्षित निकाय, सामाजिक समाघात निर्धारण फीस को इस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के अधिसूचित बैंक में खाते में जमा करेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन

6. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हित (सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों के डाटा बेस में) रजिस्ट्रीकृत या पैनलीकृत (व्यष्टियों और संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल) का चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) अपेक्षित निकाय किसी भी प्रकार से सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त सामाजिक समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य (सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा विकसित, निर्देश–निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन (सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबंधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यष्टियों या संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा

और दल में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे–

(क) स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ संबंद्ध नहीं है , और

(ख) कम से कम एक महिला सदस्य:

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई की निर्धारण अवधि के दौरान, संपर्क करने के लिए, सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित परियोजना का निर्धारण करने के लिए नियुक्त दल सदस्यों में कोई हित का द्वंद नहीं है।

(7) (एक) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुंब का कोई सदस्य प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य पणधारी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य निरर्हित हो जाएगा।

(दो) सामाजिक समाघात निर्धारण के सभी सदस्य, इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब का कोई सदस्य, प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः अपेक्षित निकाय या परियोजना में किसी भी पणधारी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

सामाजिक समाघात संचालित करने की प्रक्रिया

7. (1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल (संख्यात्मक और गुणात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगा,) विस्तृत स्थल भ्रमण करेगा, केन्द्रित समूह विचारविमर्श, (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन) तकनीकों तथा (मुखर साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगा।

(2)सभी सुसंगत परियोजना रिपोर्टों और साध्यता अध्ययनों को सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं में तथा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण दल की सूचना के लिए किसी अनुरोध को यथाशीघ्र किंतु दस दिन से पूर्व पूरा किया जाएगा। जिला कलेक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायी होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित गहन विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जाएगा। निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात्–

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत

अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे ;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और अवस्थिति ;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है;

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता ;

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अंतिम विकल्प है ;

(च) भूमि, यदि कोई है, पहले से ही क्रय की गई, अलग की गई पट्टे पर दी गई या अर्जित की गई तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक आशयित प्लाट का उपयोग ;

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक उपयोग न की जा रही भूमि की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि कब्जे के अधीन है;

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का विद्यमान उपयोग और चकीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा तथा उगने वाली फसलों का पैटर्न ;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में स्वास्थ्य सुरक्षा की बाबत विशेष उपबंधों का पालन किया गया है;

(ञ) धृति का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, आवासीय मकानों की संख्या और लोक और निजी अवसंरचना और आस्तियां; और

(ट) भूमि की कीमतें और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों में भूमियों का अंतरण और उपयोग ।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सामाजिक समाघात निर्धारण (प्रभावित कुटुंबों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुंबों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल सभी प्रभावित कुटुंबों की गणना करेगा ;

परन्तु यह कि जहां पर गणना संभव नहीं है, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा ।

(5) प्रभावित क्षेत्र की, उपलब्ध आंकडों और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शों पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा प्ररूप 2 के अनुसार तैयार की जानी चाहिए ;

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, पहचान किए गए पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और भूमि और उसके वर्तमान निवासी जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जाएगी ।

(6) ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं में एकत्रित आंकडों के आधार पर प्रभावित समुदायों और प्रमुख पक्ष से परामर्श करके सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन से संबद्ध सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक

समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान और उसका निर्धारण करेगा।

(७) (एक) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को तैयार करना भी है जो निर्धारण के प्रक्रम पर पहचान किए गए सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(दो) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा लागत, सार्थकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबंध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(तीन) सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय होंगे –

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निकषानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का जिक्र लेगी ;

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा किए जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के निष्कर्षों और जनसुनवाई की प्रतिक्रिया में किये गये हैं।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों और लाभों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए जिसके अन्तर्गत शमन उपाय भी हैं और यह निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक हैं जिनके प्रभावित कुटुंबों द्वारा अनुभूत किए जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी प्रभावित कुटुंब उक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में रहे।

जन सुनवाईयां करने के लिए प्रक्रिया

८. (१) जन सुनवाईयां सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों का स्पष्ट करने, निष्कर्षों की प्रतिपुष्टि चाहने और उन्हें अंतिम दस्तावेजों में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और विचार लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

(२) जन सुनवाईया ऐसी सभी ग्राम सभाओं में की जाएंगी जहां सदस्य भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

(३) जन सुनवाई की तारीख और स्थान की घोषणा और प्रचार, लोक अधिसूचनाओं तथा इश्तहारों और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भूमि के पांच किलोमीटर के घेरे के भीतर सभी गांवों में स्थानीय समाचार-पत्रों, रेडियो के माध्यम से और ग्राम पंचायत, नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना डालकर तीन सप्ताह पहले किए जाएंगे।

(ब) (एक) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप जन सुनवाई से तीन सप्ताह पहले स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलक्टर के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

(दो) अपेक्षित निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति सामील की जा सकेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों में सहभागी होने के लिए सुगम प्रदर्शन और अन्य दृष्टिगत साधन का उपयोग किया जाएगा।

(ग) (एक) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का सदस्य जन सुनवाई को सुकर बनाएगा जिसे राज्य स्तर के पदाभिहित सरकारी अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

(दो) ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को भी उनके कार्मिक क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए इंतजामों की शाखा सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किया जाएगा।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें, सभी कार्यवाहियां प्रभावी और विश्वसनीय अनुवादकों सहित स्थानीय भाषा में की जाएगी।

(ङ) अपेक्षित निकाय और पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन कृत्यकारियों के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और प्रसंगों पर ध्यान देंगे।

(च) जन सुनवाईयों में हाजिर होने के लिए जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा।

(छ) जन सुनवाई की कार्रवाईयों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और तदनुसार उसकी नकल तैयार की जाएगी। इस रिकार्डिंग और नकल को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ज) जन सुनवाईयों की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण

दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त संपूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा।

(11) लोक अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार किया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रस्तुत किया जाना

9. अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी और, यथास्थिति, पंचायत नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और उसका प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचार किया जाएगा तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

10. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और ऐसे रूप में लेखबद्ध किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से प्रभावित समुदायों के सदस्यों के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम हो।

किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन

11. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और इसके गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उस प्रभाव की अपनी सिफारिश करेगा।

(2) विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप खंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में परिचलित इश्तहारों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, आदि पर विचार

12. (1) समुचित सरकार, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करेगी जिसमें जनता के न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचारित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए वेब आधारित कार्य प्रगति और प्रबंध सूचना प्रणाली

13. समुचित सरकार एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना से आरंभ होकर विनिश्चय करने कार्यान्वयन और संपरीक्षा से संबंधित प्रत्येक कदम को खोजते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की संपूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया की बाबत अतिरिक्त प्रावधान

14. मापदंड और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के लिए अपेक्षावस्तुओं की एक सारणी प्ररूप 2 में दी गई है।

बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित भूमि की सूची

15. भूमि की न्यूनतम मात्रा का अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला वारीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण दल और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराएगी। सूची रिपोर्ट को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

अध्याय 3
सहमति

सहमति अपेक्षाएं

16. (1) समुचित सरकार सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सहित प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति प्ररूप 4 के भाग अ में अभिप्राप्त करेगी।

(2) सहमति अभिप्राप्त करने की कवायद का जिम्मा समुचित सरकार द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से लिया जाएगा जो पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(3) समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों, भूमि में हक और अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन प्रारंभ करने के लिए भू-स्वामियों के नाम, भूमि पर अधिभोगियों

और व्यष्टियों की पहचान की जा सके।

ग्राम सभा की सहमति 17. (1) जिला कलेक्टर ग्राम पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके प्रभावित क्षेत्रों में तीन सप्ताह पहले (विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और ग्राम सभाओं में भाग लेने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए जन-चेतना अभियान चलायेगा।

(2) ऐसे सभी व्यक्तियों के जो ग्राम सभा के अधिवेशन में उपस्थित थे, नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) सहमति को विधिमान्य मानने के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत से होगी,

परन्तु यह कि ग्राम सभा के अधिवेशन में ग्राम सभा की कुल महिला सदस्यों के एक-तिहाई महिला सदस्य उपस्थित होंगे।

(4) प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित निबंधनों और शर्तों सहित प्रतियां ग्राम सभा अधिवेशन के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(5) (एक) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और ग्राम सभा सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(दो) निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षित निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय ग्राम सभा सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किए जाएंगे और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षित निकाय प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (एक) विचार- विमर्श के पश्चात् ग्राम सभा प्रस्तावित अर्जन को लिए सहमति देते या रोकते हुए प्रारूप 4 के भाग आ में बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी और उस संकल्प में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए बातचीत के पश्चात् निबंधन और शर्तें, प्रतिकर, समाघात प्रबंध और शमन अंतर्विष्ट होंगे जिसको लिए अपेक्षित निकाय प्रतिबद्ध है और जिस पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी और अपेक्षित निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं।

(दो) एक बार प्राप्त ग्राम सभा संकल्प पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित होंगे और हस्ताक्षरित एक प्रति सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी।

(7) कोई भी संकल्प, जिसमें परियोजना के लिए सहमति का एक स्पष्ट विवरण, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के बातचीत किए गए निबंधनों का विवरण अंतर्विष्ट नहीं है, अविधिमान्य होगा।

(8) ग्राम सभा की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी, लेखबद्ध किए गए दस्तावेज सभी क्रमिक पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(9) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य ग्राम सभा अधिवेशनों में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति

18. (1) (एक) जिले के अधिकारियों द्वारा, लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं में उन सभी प्रभावित भू-स्वामियों की एक सूची, जिनसे सहमति अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है, सामाजिक समाघात निर्धारण दल के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(दो) सहमति अभिप्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में सूची इश्तहारों और पर्चों के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर सूची प्रदर्शित करके उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

(3) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, स्थायत्त जिला परिषदों, नगरपालिका, नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों का अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय स्थान अधिसूचित करेगा।

(4) अपेक्षिक निकाय द्वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों के प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामियों को उपलब्ध कराय जाएगा।

(5) (एक) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षिक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम है, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(दो) निबंधन और शर्तें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षित निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किए जाएंगे और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षिक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (एक) अधिवेशन की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टिक भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अंतर्वलित भूमि अर्जन के लिए अपनी सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है।

(दो) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी। घोषणा की प्राप्ति पर जिला कलेक्टर या

जिले के अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ङ) (एक) उन भू-स्वामियों को, जो अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों के अधिवेशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारियों को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए इंतजाम किया जाएगा।

(दो) घोषणा प्ररूप प्राप्त होने पर जिला कलक्टर या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी।

(छ) सहमति प्रक्रिया भू-स्वामियों के हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(ज) (एक) भू-स्वामियों के अधिवेशन के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों को लिखित दस्तावेज में होना चाहिए।

(दो) सहमति प्रक्रिया का परिणाम पंचायत कार्यालयों में और राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(झ)सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

सहमति प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व

10. (1) समुचित सरकार, सहमति अभिप्राप्त करने के लिए ग्राम सभाओं, पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषद अधिवेशन (उस दशा में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है) और प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन की तारीख समय और स्थान अधिसूचित और प्रकाशित करेगी और सहमति प्रक्रिया में प्रभावित भू-स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन चेतना अभियान आयोजित करेगी।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस प्रत्येक सदस्य को, जिससे सहमति चाही गई है, स्थानीय भाषा में न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व निम्नलिखित उपलब्ध करा दिए गए हैं,, अर्थात--

(क) स्थानीय भाषा में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रारूप की प्रति (यदि तैयार हो) ;

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित किया गया प्रासंगिक पैकेज ;

(ग) ग्राम और इसके निवासियों द्वारा राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियम और अन्य विधानों के अधीन वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची ;

(घ) जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, जो यह प्रमाणित करता हो कि यदि किसी परियोजना हेतु सहमति का प्रत्याख्यान किया जाता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और यह कथन कि सहमति अभिप्राप्त करने के क्रम में प्रपीडन या अभित्रास का कोई भी प्रयत्न अंतर्वलित होगा,और

(ङ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़न का प्रयत्न किए जाने की दशा में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर सहित उसके संपर्क ब्यौरे।

(3) जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त कोई पदधारी ग्राम सभा, पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद (उस दशा में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है) और भू-स्वामियों के अधिवेशन में उपस्थित होगा।

(4) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित भू-स्वामियों को सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और सूचना के लिए सभी निवेदन सात दिन के भीतर दे दिए गए हैं।

सहमति प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित निकाय की भूमिका और उत्तरदायित्व

20. (1) अपेक्षक निकाय, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चय करने और बातचीत करने के लिए सक्षम प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी जो सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन में उपस्थित होंगे और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(2) अपेक्षक निकाय, सहमति लेने के पूर्व परियोजना पर सभी सूचना के साथ ही साथ अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगी।

संलग्नक–भारत सरकार के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सा.स.नि.स.) नियम, 2014 के प्ररूप–1–4।

प्ररूप– 1

भाग अ, सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी निर्देश, निबंधन और प्रक्रिया फीस

[नियम 5 का उप नियम (1) देखिए]

(एक) सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी इकाई, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी और विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश निबंधन और बजट प्रस्तुत करेगी। निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी होने से पहले जमा करना होगा।

(दो) निर्देश निबंधन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी,—

(क) परियोजना का संक्षिप्त वर्णन, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य और ऐसे सभी क्रियाकलाप, जो सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिणाम दर्शित किए जाने की अंतिम निश्चित तिथि और ग्राम सभा और/या भू–स्वामी की स्वीकृति लेने अपेक्षित है अथवा नहीं।

(घ) विनिर्दिष्ट परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए, अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेक्षक सहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल।

(ङ) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप की स्पष्ट अलग–अलग लागत के साथ निर्देश निबंधन के आधार पर कोई परियोजना–विनिर्दिष्ट बजट।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया में सुस्पष्ट–परिनिश्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी।

(तीन) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया संबंधी फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसान पहुंच में होनी चाहिए, जिससे अपेक्षक निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। इन दरों का समय–समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित करना चाहिए। फीस का एक निश्चित अनुपात सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।

भाग आ, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना
[नियम ३ का उप नियम (१) देखिए]

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा —

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम: प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (एक) परामर्श (दो) सर्वेक्षण (तीन) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी है।

(ग) यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअधत परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।

(ङ) इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।

(17)

प्ररूप– 2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

[नियम 3 का उप–नियम (3) नियम 7 का उप–नियम (5) और उप–नियम (6) और नियम 14 देखिए]

अ– सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधी पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण
   (क) आयु, लिंग, जाति, धर्म
   (ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर।
2. गरीबी के स्तर (बी0पी0एल0)
3. दुर्बल समूह (ए0पी0एल0)
   (क) स्त्रियां, (ख) बालक (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री–प्रधान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति
4. रक्त संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका।
5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।
6. प्रशासनिक संगठन।
7. राजनीतिक संगठन।
8. सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन।
9. भूमि का उपयोग और जीविका।
   (क) कृषि उपयोगी और गैर कृषि उपयोगी
   (ख) भूमि की गुणवत्ता – मृदा, जल, वृक्ष, आदि
   (ग) पशुधन
   (घ) औपचारिक एवं अनौपचारिक संकर्म और रोजगार।
   (ङ) श्रम श्रेणी और महिलाओं के कार्य गृहस्थधार विभाजन।
   (च) प्रवास।
   (छ) कुटुंब की आय के स्तर।

(झ) खाद्य सुरक्षा।

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

(क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग।

(ख) ऋण तक पहुंच।

(ग) मजदूरी की दर।

(घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं।

11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते हैं।

(क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच।

(ख) सामान्य संपत्ति संसाधन।

(ग) निजी आस्तियां।

(घ) सड़कें परिवहन।

(ङ) सिंचाई की सुविधाएं।

(च) बाजार तक पहुंच।

(छ) पर्यटन स्थल।

(ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम।

(झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम।

12. जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

(क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौन्दर्यपरकता, मोह और अभिलाषा।

(ख) बंदोबस्त पैटर्न।

(ग) गृह।

(घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान।

(ङ) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल।

(च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अन्तर्गत जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था आदि है)।

(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केन्द्र, लोक वितरण व्यवस्था।

(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा।

(झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल–मिलाप के स्थान।

आ– महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार।

(ख) अंतरीय–कुटुंब रोजगार पैटर्न।

(ग) आय के स्तर।

(घ) खादय सुरक्षा।

(ङ) जीवन निर्वाह का स्तर।

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण।

(छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्यता।

(ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन।

(झ) दरिद्रता का जोखिम।

(ञ) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात

(क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात।

(ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधानों पर दबाव।

3. निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात

(क) विद्यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता।

(ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव।

(घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था।

(ङ) निजी आस्तियां जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात।

4. स्वास्थ्य समाघात

(क) आंतरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात।

(ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघात:-

(i) स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात।

(ii) वृद्धों पर समाघात।

5. संस्कृति और स्वसामाजिक संसंजन पर समाघात।

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपान्तरण।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन।

(ग) आर्थिक- परिस्थितिकी संतुलन में बदलाव।

(घ) सन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन समाघात।

(ङ) अपराध और अवैध क्रियाकलाप।

(च) विसंधान का तनाव।

(छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात।

(ज) स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा।

6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता (परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी) और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है:-

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण

(एक) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान।

(दो) लाभकारी निवेश में गिरावट।

(तीन) भूमि का सट्टा

(चार) अनिश्चितता का तनाव।

(ख) सन्निर्माण चरण

(एक) विस्थापन और पुनः अवस्थापन।

(दो) प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन।

(तीन) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण के नजदीक रहते है।

(ग) प्रवर्तन चरण

(एक) सन्निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी।

(दो) परियोजना के आर्थिक फायदे।

(तीन) नई अवसंरचना पर फायदे।

(चार) सामाजिक संगठन का नया पैर्टन।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(एक) आर्थिक अवसरों का घाटा।

(दो) पर्यावरण निम्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात।

(ङ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

(एक) "प्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे जिनका प्रभावित कुटुंबों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(दो) "अप्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रभावित, लेकिन परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अंतरीय समाघात

(एक) स्त्रियों, बालको, वृद्धों और निःशक्त लोगों पर समाघात।

(दो) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेदयता तथा समुत्थान– शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिघात समाघात।

(छ) संचित समाघात।

(एक) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात।

(दो) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है,

लेकिन स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

ङ— सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के विषय--वस्तुओं की सारणी।

अध्याय	विषय–वस्तु
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजन। (ख) स्थान। (ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता। (घ) अनुकल्पों पर विचार। (ङ) सामाजिक समाघात। (च) कमी करने के उपाय। (छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण।
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित। (ख) परियोजना का मूलधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मापदंडों सहित। (ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा। (घ) अनुकल्पों की परीक्षा। (ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं। (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार और प्रकार। (छ) सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता। (ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई) (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट। (ञ) लागू किए गए विधान और नीतियां।
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित। (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना संग्रहण हेतु प्रयोग होने वाली प्रणाली का विवरण और मूलधार और साधन। (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग। (घ) सूचना अथवा डाटा स्त्रोतों के प्रयोग पर्यावलोकन। विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।

	(ङ) प्रमुख धणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची। लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित करें।
भूमि अवधारण	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्त्रोत–नक्शों की सहायता से वर्ग करें। (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि। (घ) वर्तमान में किसी सार्वजानिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है, का उपयोग। (ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संकामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग। (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रयोजित भूमि का परिणाम और स्थान (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की डीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग।
प्रभावित परिवारों और संपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है– (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि प्रयोजन के लिए अपेक्षित है) (एक) किरएदार हैं अथवा प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि के अधिभोगी हैं। (दो) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पांरपरिक वन्य निवासी, जिनके अपने किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है। (तीन) सामान्य भूमि स्त्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी। (चार) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है। (पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं। (छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्त्रोत है, पर आश्रित हैं। (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि

	के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका।
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृति पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा। (ख) आय गरीबी स्तर। (ग) दुर्बल समूह। (घ) भूमि उपयोग और जीविका। (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप। (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है। (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। (ज) प्रशासनिक संगठन। (झ) राजनैतिक संगठन। (ञ) समुदाय–आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन। (ट) क्षेत्रिय संकिर्णता और एतिहासिक परिवर्तन प्रकियाएं। (ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता।
सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्यढांचा और दृष्टिकोण। (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात, है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो आंकलित समाघात। (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है: भूमि जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियां, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य पर समाघात, संस्कृति और सामाजिक संसजन तथा लिंग आधारित समाघात।
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न–विस्थापित अनुकल्प, भूमि की निम्नतम अपेक्षाए, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, कमी करने के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां कमी करने के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या का समाधान करेगा के बारे में अंतिम निष्कर्ष (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम 9(10) में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।
निर्देश और प्ररूप	निर्देशों और आगे सूचना के लिए।

(35)

प्रारूप– 3

[नियम 3 का उप नियम (A) देखिए]

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण।
2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय।
3. उपाय, जो अधिनियम में (यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन) एवं (प्रतिकर) के निबंध में सम्मिलित है।
4. उपाय, जिनमें (अपेक्षित निकाय) द्वारा कथन कि वह परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन करेगा।
5. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह (सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया) और (लोक सूनवाई) के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा।
6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक शमन/निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

(26)

प्रारूप– 4

भाग–अ–पूर्व लेखबद्ध स्वीकृति/घोषणा प्रारूप

[नियम 16 का उप नियम (1) देखिए]

संबंधित व्यक्ति के ब्यौरे

क्रम सं0	
1.	अधिनियम की धारा 3(ग) एवं (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम:
2.	पति/पत्नी का नाम:
3.	पिता/माता का नाम:
4.	पता:
5.	ग्राम/बस्ती :
6.	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरी:
7.	तहसील/तालुका:
8.	जिला:
9.	कुटुंब में अन्य सदस्यों का नाम और आयु (बच्चों और आश्रितों वयस्कों सहित):
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तार:
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र:
12.	प्लाट नम्बर:
13.	अधिकारों का अभिलेख
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो
15.	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि हो
16.	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो :
17.	सरकार द्वारा मेरी भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में, मै निम्नलिखित कथन करना चाहता हू (कृपया नीचे दिए गए (एक), (दो) एवं (तीन) के सामने हां अथवा नहीं पर गोला लगाएं):
(एक)	मैने इस सहमति प्रारूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है और..... ..... भाषा मे मुझे समझा दिया गया है और हां नहीं
(दो)	मै इस अर्जन पर सहमत नहीं हूं। हां नहीं
(तीन)	मै इस अर्जन से सहमत हूं। हां नहीं

प्रभावित कुटुंब (कुटुंबों) के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान और

तारीख

(४१)

18. अपेक्षितनिकाय द्वारा निबंधन एवं शर्तों, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर एवं अन्य उपायों के बारे में की गयी बचनबद्धता स्थानीय भाषा में समझा दी गयी है। ये निबंधन और शर्तें प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए।

हस्ताक्षर लेने वाले पदाभिहित

जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख

यदि वे स्वीकृति देने से इंकार करते हैं या यदि वे यह कथन सुनते हैं कि वे इस प्रारूप पर स्वीकृति नहीं देते हैं तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुचाना विधि के अधीन एक अपराध है। इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य, जिससे उन्हें धन हानि पहुंचे, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप उनके कुटुंब को क्षति पहुंचे, सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।

(28)

भाग-आ-पूर्व लेखबद्ध स्वीकृति/घोषणा प्रारूप

[नियम 17 का उप नियम (8) देखिए]

हम.....जिले में.....
तहसील/ तालुका की.....पंचायत के भीतर.....
..... की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रशासन और पदधारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है। यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है और/या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है तो यह अकृत और शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित.....
..... परियोजना को स्वीकृत/स्वीकृति से इंकार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित होंगे :

..... एकड़ निजी भूमि का अर्जन
परियोजना के लिए ..... एकड़ सरकारी भूमि का अंतरण
परियोजना के लिए..... एकड़ वन भूमि का अंतरण

अपेक्षित निकाय (ग्राम का कथन करें) द्वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ और सामाजिक समाघात अल्पीकरण के उपाय संलग्न हैं।

ग्राम सभा यह भी कथन करती है कि कोई स्वीकृति वनों पर और वन भूमि पर उनके व्यष्टिक और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिए उनका हक, लघु वन उत्पाद का उपयोग करने वाले सभी प्रकार, के लिए स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध करने के लिए हक सम्मिलित हैं, अपने सभी निवासियों को प्राप्त हक के अध्यधीन है। [टिप्पणी: यह ग्राम सभा द्वारा अलग से प्रमाणित करना होगा]।

.....
ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान तारीख

.....
संकल्प प्राप्त होने पर यथाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव।

पत्र – 1 **संलग्नक -7**

प्रेमबल्लभ बृजवासी
जिला पंचायत सदस्य
26-अमृतपुर (नैनीताल)

निवास स्थान :
ग्राम- पसौली, तोक-बाँसुली
पो.ऑ.- रौंशिला, वि.ख.-भीमताल
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)
मो. : 7409144912, 9410337721

पत्रांक : 109 दिनांक : 29-08-2020

सेवा में,
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता (पुनर्वास)
जमरानी बाँध निर्माण खण्ड - 2
दमुवाढूँगा - हल्द्वानी

महोदय,

आपके पत्र संख्या 69 जमरानी-2 पुनर्वास खण्ड०अ०इ० के क्रम में यह अवगत करना है कि जमरानी बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजना की समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIA) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में इन बिन्दुओं को सम्मलित किया जाए,

① - जमरानी बाँध परियोजना के नदी के किनारे बसे प्रवाहित तोक वासियों को भी सम्मलित किया जाए, खदरीखाड़, रौंसिला के तोक जाला, सेला, भानियाजाला, पछौली के तोक गाँजा व बासुली व अमियाँ, अजा, डहरा, विस्थापन में सम्मलित किया जाए,

② - जैसा कि कुछ लोग यहा पर परिवार के साथ रहकर अपनी आजिविका करते है, उनके पास अपनी कोई जमीन नही है। इनको भी इसमें सम्मलित किया जाए,

③ - जैसा कि कुछ लोग जमीन से अपना गुजर-बसर करते है। मगर जिस जमीन में काबीज है वह जमीन किसी और के नाम दर्ज होती है। इनको भी इसमें सम्मलित किया जाए,

④ - जमरानी बाँध निर्माण कार्य करने वाली कम्पनी क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देगी

P.T.O

मबल्लभ बृजवासी
जिला पंचायत सदस्य
26-अमृतपुर (नैनीताल)

निवास स्थान :
ग्राम- पसौली, तोक-बाँसुली
पो.ऑ.- रौंशिला, वि.ख.-भीमताल
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)
मो. : 7409144912, 9410337721

पत्रांक : 110

दिनांक : 29-08-2020

⑤- कम्पनी निर्माण कार्य में वाहन स्वामियों की गाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर रखेगी।

⑥- जमरानी बाँध परियोजना में नौका चलाने का पास क्षेत्र बेरोजगार युवाओं को देना होगा।

⑦- मत्स्य पालन से सम्बंधित व्यवसाय क्षेत्र के लोगो को दिया जाना सम्मानित किया जाए।

⑧- पर्यटन को बढ़ाने के लिए बाँध के सभी तरफ सड़क का मिलान किया जाना सम्मानित किया जाए।

29/8

सदस्य-जिला पंचायत
26-अमृतपुर, विकास- भीमताल
(नैनीताल)

पत्र -2

रामसिंह कैड़ा
विधायक
भीमताल

सदस्य विधान सभा
उत्तराखण्ड

निवास :
ग्राम-कैड़ागाँव, पो.-जोस्यूड़ा
वि.ख.-ओखलकाण्डा (नैनीताल)
पत्राचार- ई-34, जज फार्म, हल्द्वानी
मो.- 9411323232, 9758000007

जमरानी परियोजना मण्डल, जमरानी बाँध
डायरी सं. 1082
प्रतापसी सं. .....
दिनांक 07-09-2012
जिला-नैनीताल

प्रति अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
हल्द्वानी नैनीताल

माननवर,

भीमताल विधानसभा के भीमताल में जमरानी बाँध के निर्माण का स्वागत है लेकिन माननवर बाँध में इस क्षेत्र में पड़ने वाले हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाय तथा इस क्षेत्र में आने वाले हर परिवार को नैनीताल जिले में ही जमीन दी जाय तथा बाँध में हर प्रकार की नौकरी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के होगों को 70% आरक्षण दिया जाय वरना ग्रामीण युवा बेरोजगार आन्दोलन को बाध्य होंगे

पत्र

धन्यवाद।

रामसिंह कैड़ा
विधायक
67 विधान सभा, भीमताल (नैनीताल)

Letter No 1082 dtd 7-9-12
EE(R&R)
Attached to R&R expert
Please take along with you all the
documents, relevant applications
etc.

अधिशासी अभियन्ता
जमरानी परियोजना मण्डल
हल्द्वानी